राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 4] विधान सभा के चतुर्थ सत्र का बीसवां दिवस [14 संख्या

शनिवार,

दिनांक 15 मार्च, 1969

विधान सभा की बैठक म. पू. 11 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई। (श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[गृह, चिकित्सा, राजस्व, पंचायत, सार्वजनिक निर्माण, कृषि व यातायात विभाग]

श्री अध्यक्ष: (छींक होने पर) It is wrong for you and me.

श्री बृजसुन्दर शर्मा: Wrong for both.

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा।

पंचायत समिति, मनोहरथाना का ट्रेक्टर

167. श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (अकलेरा): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या मनोहरथाना पंचायत समिति, में कोई ट्रेक्टर है ? यदि हां, तो यह किस फर्म से किस वर्ष कितने रुपयों में क्रय किया गया था ?

(2) इस ट्रेक्टर पर कृषि विभाग ने कितना ऋण दिया था एवं उसकी कितनी राशि जमा हो चुकी है।

(3) ट्रेक्टर से आज तक कुल कितनी लाभ हानि हानि पंचायत समिति को रही है ? आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उपमंत्री, पंचायत विभाग, (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (1) जी हां। मेसर्स लक्ष्मी इन्डस्ट्रीज, कोटा से ट्रेक्टर जून, 66 में रु० 17,900) में क्रय किया गया।

(2) 15,000) रु० ऋण दिया गया था, जिसमें एक न्यू किश्त 750) रु० जमा हो चुकी है।

(3) हानि 7,191)83 पैसे की हुई है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा: इस पंचायत समिति का मेनेजमेन्ट कौन करता है ? बी० डी० ओ०, ए० ई० ओ०, या ग्राम सेवक ? क्या यह बताने की कृपा करेंगी कि इस ट्रेक्टर का मेनेजमेन्ट कौन करता है ? बी.डी.ओ., ए.ई.ओ. या ग्राम सेवक ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा: पंचायत समिति करती है।

श्री नत्थीसिंह : कौनसा अधिकारी इस के लिये नियुक्त है, जो इसकी देख-भाल करता है ?

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): ओवरऑल रेसपॉन्सिबिलिटी पंचायत समिति की होती है। पंचायत समिति, इलेक्टेड इन्स्टीट्यूशन है इसलिये यह कहना कि कोई आदमी, अधिकारी इन्चार्ज है संभव नहीं है। पंचायत समिति ही इसको खरीदती है और वही इसकी देखभाल करती है। जो अधिकारी वहाँ पर हैं वे पंचायत समिति के नौकर हैं।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : पंचायत समिति में इसके लिये अलग से अधिकारी होता है। पंचायत समिति ही इसको डील नहीं करती है। कोई अधिकारी होता है, वह डील करता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री जयनारायण सालोदिया।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम): कितनी बार इसकी रिपेअर कराई गई है ?

श्री परसराम मदेरणा : ओवरऑल इन्चार्ज तो पंचायत समिति है। पंचायत समिति का अधिकारी बी. डी. ओ. है और उसके बाद एक्स्टेन्शन ऑफिसर होते हैं, इनमें से कौनसा ऑफिसर होता है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यह पंचायत समिति कह सकती है। वे पंचायत समिति की सर्विस में हैं। बी. डी. ओ. ने कितनी दफे रिपेअर कराया है इस ट्रैक्टर को, इसका उत्तर मैं नहीं दे सकूंगा। आफटर ऑल पंचायत समिति एक इलेक्टेड बॉडी है और वह अपनी व्यवस्था किस तरह से करती है, किस तरह से चलाती है, इसको मैं पूछने लगूंगा तो यहां के माननीय सदस्य कहेंगे कि तू पंचायत समिति के काम में इन्टरफियर करता है।

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : कितना पैसा पंचायत समिति के कोष में किराये का जमा हुआ है ? जो ट्रैक्टर किराये पर उठाया जाता है, वह पैसा पंचायत समिति के कोष में जमा नहीं होता है ?

श्री अध्यक्ष : क्या यह सही है कि ट्रैक्टर के किराये का पैसा पंचायत समिति के कोष में जमा नहीं होता है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इसकी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है।

एक माननीय सदस्य : जो लोन दिया जाता है, वे लोग इसको किराये पर न चला कर अपने फार्म पर काम करते हैं क्या यह सही है ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : क्या पंचायत समिति का कलेक्टर और बी. डी. ओ. ने मुआयना किया है और उनके यह नोट लगाया है कि यह ट्रैक्टर नुकसान दे रहा है इसलिये पंचायत समिति द्वारा इसको बेच दिया जाये।

एक माननीय सदस्य : इस पंचायत समिति का कलेक्टर झालावाड़ ने मुआयना किया है और उनके यह नोटिस में आया है कि यह ट्रैक्टर निरन्तर पंचायत समिति को घाटा दे रहा है ? क्या यह सही है।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री जयनारायण सालोदिया ।

यातायात मन्त्री ।

पथ परिवहन निगम की दैनिक आय

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राज्य पथ परिवहन निगम की दैनिक आय गत वर्ष की तुलना में घट गयी है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

यातायात मन्त्री (श्री अमृतलाल यादव): जी नहीं । सन् 1967 में निगम की दैनिक औसत आय 1,51,594 रुपये थी और सन् 1968 में 1,62,207 रुपया है । इससे स्पष्ट है कि उसकी दैनिक औसत आय गत वर्ष की अवधि से इस वर्ष बढ़ी है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : नेशनेलाइज्ड रूट पर प्राइवेट गाड़ियां चलती हैं, उससे क्या निगम की आय नहीं घटी है ?

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): नेशनेलाइज्ड रूट पर प्राइवेट गाड़ियां चलती हैं और वे कई सवारियां ले जाती हैं ?

श्री अमृतलाल यादव : नेशनेलाइज्ड रूट पर प्राइवेट गाड़ियां जरूर चलती हैं किन्तु उनके साथ शर्त यह है कि वे एक डेस्टीनेशन तक की होती है और वे नेशनलाइज्ड रूट की सवारियां नहीं उठा सकतीं ।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या यह सही है कि नेशनेलाइज्ड रूट पर वे सवारियां नहीं उठावें इस प्रकार की हिदायते हैं, और क्या यह सच है कि इस प्रकार की हिदायत के बाद भी नेशनलाइज्ड रूट पर से सवारियां उठाई जाती हैं ?

श्री अमृतलाल यादव : मेरे पास ऐसी कोई इन्फार्मेशन नहीं है । निगम की तरफ से ऐसी व्यवस्था है । इस सिलसिले में कोई वाइलेशन करता है तो चैक किया जाता है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : निगम की तरफ से क्या व्यवस्था होगी वह तो स्वयं एक प्राइवेट पार्टी की तरह है । आर. टी. ओ. या राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ? वह क्या विचार रखती है ?

श्री अमृतलाल यादव : निगम गवर्नमेन्ट को खबर करता है । गवर्नमेन्ट की तरफ से पुलिस डिपार्टमेन्ट, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट की तरफ से बात की चैकिंग की जाती है और एक्शन लिया जाता है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह सच है कि इस तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जाता है और निगम की एक गाड़ी के सामने ही दूसरी प्राइवेट दो, तीन गाड़ियां खड़ी रहती हैं, और निगम की गाड़ियों में से सवारियां लेकर चली जाती हैं । क्या गवर्नमेन्ट को यह जानकारी है ?

श्री अमृतलाल यादव : जानकारी में होता है तो एक्शन होता है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या एक्शन होता है ? आज की तारीख में तो

(श्री जयनारायण सालोदिया)
कोई इस तरह का एक्शन हुआ नहीं है। आपकी एक गाड़ी रवाना होती है और प्राइवेट गाड़ियां उसी के सामने तीन तीन रवाना हो जाती हैं। वे गवर्नमेन्ट को कोई टैक्स नहीं देते हैं और फिर निगम को इससे घाटा होता है। गवर्नमेन्ट इस सम्बन्ध में क्या विचार रखती है ?

श्री अमृतलाल यादव : नेशनेलाइज्ड रूट पर कोई दूसरी सवारियां नहीं उठा सकती इसकी व्यवस्था है। इसके लिये पेट्रोलिंग पार्टी है, चेकिंग पार्टी है और वे पकड़ते हैं और उनके अगेन्स्ट में कार्यवाही नियमानुसार की जाती है।

श्री जयनारायण सालोदिया : सरकार क्या यह महसूस नहीं कर करती है कि नेशनेलाइज्ड रूट पर जो ये गाड़ियाँ चलती है, वे क्यों नहीं बन्द कर दी जाती जब कि इससे रोड़वेज डिपार्टमेन्ट को घाटा होता है।

श्री अध्यक्ष : क्यों चलने दी जाती हैं नेशनेलाइज्ड रूट पर ?

श्री अमृतलाल यादव : उनका एक डेस्टीनेशन से दूसरे डेस्टीनेशन तक के परमिट होते हैं और वे इस सड़क का उपयोग करने के अधिकारी हैं। हम यह कोशिश कर रहे हैं। कि अब ओवर लेपिंग न हो। अब हम निगम से यह पूछ रहे हैं कि जहां तक उसकी क्षमता हो वह इन रूटस् को भी ले ले ताकि यह झगड़ा मिट जाय।

श्री देवीदत्त गाड़िया : राष्ट्रीय कृत मार्ग पर जो मिनी बसें चली हैं वे किस आधार पर चली हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, यह इसी से सम्बन्धित है। मिनी बसेज के चलने से रोडवेज को नुकसान होता है, यह इसी सिलसिले से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : अलग से है। दूसरा प्रश्न पूछिये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : प्राइवेट बसेज जो हैं वे ही मिनी बसेज हैं।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : क्या यह सही है कि रोडवेज को जो नुकसान होता है वह इन्हीं मिनी बसेज के कारण होता है ?

श्री अमृतलाल यादव : जी हां, यह सही है। गवर्नमेन्ट ने पहले ही परमिट दे दिया था। जिसके अनुसार वे राष्ट्रीय कृत मार्ग पर एक डेस्टीनेशन से दूसरे डेस्टीनेशन तक जा सकती हैं परन्तु शर्त यह है कि वे बीच में कोई सवारियां नहीं उठा सकती अगर इसमें कोई गड़बड़ होती है तो मेरे खयाल से उन पर कार्यवाही की जाती है। अब भविष्य में इस प्रकार से बसेज को कोई परमिट नहीं दिये जायेंगे।

श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : क्या यह सही है कि एक बार ये बन्द कर दी गई थीं, और फिर चालू हैं ?

श्री अध्यक्ष : क्या बंद कर दी गई ?

श्री अमृतलाल यादव : अब कोई मिनी बसेज को परमिट नहीं दिया जाता है।

श्री जयनारायण सालोदिया : मन्त्री महोदय, कितनी ही बसेज को, स्टेशन वैगन को इस नेशनलाइज्ड रूट पर परमिट दे रहे हैं।

श्री अमृतलाल यादव : नहीं दे रहे हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : तो क्या ये बिना परमिट के ही चल रही हैं। आपके यहां अजमेरी दरवाजे पर दिन के दस बजे आवाजें देकर, लाइन में लगे हुए आदमियों को निकालकर ये ले जाते हैं।

श्री अमृतलाल यादव : जो परमिट दिया जाता है, मैंने स्पष्ट कर दिया है कि अब मिनी बसेज को कोई परमिट नहीं दिया जाता है। इसके अलावा जिनको दे दिये गये हैं, वे चल रही हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जिनके पास परमिट ऑलरेडी हैं, उनके परमिट आप कैंसिल करेंगे यह आश्वासन आप क्यों नहीं देते ? जो ऑलरेडी परमिट आपने दे रखा है, उसको आप कैंसिल करेंगे और उन बसेज को इस रूट पर नहीं चलने देंगे, यह आश्वासन आप देंगे ?

श्री अमृतलाल यादव : मैंने स्पष्ट निवेदन किया है कि जो परमिट दिये गये थे नियमानुसार दिये गये थे और उनकी जब तक अवधि है नियमानुसार उनको कैंसिल नहीं किया जा सकता। पर यह आर. टी. ओ. के विचाराधीन है कि जहां तक प्रिकाशन्स लिये जाने का सवाल है, लिया जावे।

श्री श्रवणलाल : नेशनेलाइज किये गये रूटों पर जो प्राईवेट बसें चलाई जाती हैं या मिनी बसें या अन्य टैक्सियां चलाई जाती हैं उनके खिलाफ विभाग ने कब कब कितनों के खिलाफ एक्शन लिया ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : एक प्रश्न, अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार ओवरलेपिंग रूटों और मिनी बसों के सम्बन्ध में आर. टी. ओ. के डिस्क्रीशन के लिये नियमों में संशोधन करेगी ?

श्री अमृतलाल यादव : नियमों में संशोधन का कोई सवाल नहीं है। कोई नियम ऐसे नहीं बने हैं कि दिये जावें। यहां तो सरकार के डाइरेक्टिव का सवाल है। डाईरेक्टिव्ज दिये हुए हैं कि अब फरदर परमिट न दिये जावें। जहां तक ओवरलेपिंग रूटस के लिये पॉलिसी का सवाल है, सरकार ने यह पॉलिसी बनाई है कि इसके पहले निगम को पूछा जावे, और निगम वहां और गाडियां लगा सकता है अपनी क्षमता के अनुसार तो लगा ले ताकि फिर उन रूटों पर बसें जो सवारियां उठाती हैं प्राइवेट उसकी सम्भावना न रहे।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): स्पेशल प्रोवीजन होना चाहिये, नहीं तो नहीं रोक सकते हैं आप ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

प्रश्न सं० 169 विकास मन्त्रीजी। श्री हीराभाई

(अनुपस्थित-कृपया आगे दीखिये)

श्री ओमदत भाटी

Page No. 6

नर्सों के भोजन हेतु वसूल की गई रकम

170. **श्री ओमदत्त भाटी** (सरदार पुरा) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर के महात्मा गाँधी अस्पताल में होस्टल में रहने वाली नर्सों से भोजन हेतु वसूल रकम के 14,000) रुपये मैट्रन के पास नकद होने चाहिये थे ?

(2) क्या यह सही है कि अचानक निरीक्षण करने पर नकद 7,000) रुपये ही पाये गये ?

(3) क्या यह सही है कि बाकी के 7,000) रुपये में से मैट्रन ने कसीदे की सिलाई मशीन खरीदी, कुछ रुपये ईसाई मिशनरियों को दान दे दिये, कुछ रुपये बीमें के दे दिये और कुछ रुपये ब्याज पर अपनी मरजी से दिये ?

(4) क्या इस मामले की जाँच करवाई गई ? यदि हाँ, तो जांच किसने की, उसने क्या रिपोर्ट दी और इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(5) क्या यह सही है कि मैट्रन को बाकी के 7,000) रु० नकद बताने के लिये या उनका हिसाब देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री वृजसुन्दर शर्मा) :
(1) जी नहीं।

(2) जी हां। अचानक निरीक्षण करने पर रुपये 7210.26 पैसे पाये गये।

(3) जी नहीं। केवल रुपये 360) की सिलाई की सुइयां नर्सों के लिये खरीदी गई थीं।

(4) जी हां। डा० यू० ऐम० माथुर, रीडर इन डरमेटोलोजी, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर द्वारा जांच करवाई गई है परन्तु अभी तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(5) रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही अग्रिम कार्यवाही करना सम्भव होगा।

श्री ओमदत्त भाटी : यह 7,200) रुपये मैट्रन के बंगले पर, होस्टल में या दफ्तर में किस जगह मिले ? जाँच किस तरीके से शुरू कराई गई ? दूसरा, इसका अकाउन्टस का ऑडिट होता है या नहीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह रकम जो नर्सों को मैस अलाउन्स के लिये मिलती है, वह मैस अलाउन्स मैट्रन के पास जमा करा देते हैं और कभी जब चीजों के भाव कम होते हैं तो पैसा थोड़ा बच जाता है, नहीं तो नहीं बचती। तो जो रकम इस तरह बच जाती है तो उसको उनके ही लिये कभी सिलाई की मशीन खरीदने में या और चीजें खरीदने में लगा देते हैं। इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर कि इसका यूटीलाइजेशन ठीक तरह से नहीं हो रहा है जांच डाक्टर माथुर से करवाई गई और जो उन्होंने प्रिलिमिनेरी रिपोर्ट दी है उसके आधार पर यह तो साबित नहीं हो सका कि कितनी रकम होनी चाहिये और कितनी पाई गई क्यों कि डिटेल में अकाउन्ट नहीं रखा जाता और यह नर्सेज का खुद का अकाउन्ट है और खुद ही अपनी एक कमेटी बनाकर मैस चलाती हैं इसलिये जब तक

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)
पूरी जांच नहीं की जावे पूरा सही पता नहीं लग सकता। जांच प्रारम्भ है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।
प्रश्न संख्या 171

श्री विजयसिंह
(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री हरिवल्लभ शर्मा।

सीमेन्ट फेक्टरी सवाई माधोपुर के पैकिंग हाउस के मजदूरों द्वारा हड़ताल

172. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अगस्त, 1968 में सीमेन्ट फेक्टरी सवाई माधोपुर के पैंकिग हाउस की लेबर ने स्ट्राइक की ?

(2) क्या यह सही है कि श्रम विभाग के किसी अधिकारी ने मौके पर जाकर इस स्ट्राइक को अवैधानिक करार दिया और पुलिस दारा लेबर को बाहर निकाला गया ? यदि हां, तो उस अधिकारी का क्या पद था ?

(3) क्या उक्त अधिकारी को स्ट्राइक गैर कानूनी करार देने का अधिकार था ? यदि नहीं, तो इस अधिकारी के विरुद्ध राज्य सरकार क्या कार्यवाही करना उचित समझती हैं और लेबर को वापिस काम पर लेने के लिये राज्य सरकार क्या कारगर कदम उठा रही है ?

श्रम मन्त्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (1) जी नहीं। सीमेन्ट फेक्टरी, सवाई माधोपुर के पैंकिग हाउस के लेबर ने अगस्त, 1968 में स्ट्राइक नहीं की बल्कि 17 जुलाई 1968 को स्ट्राइक की।

(2) रीजनल असिस्टैन्ट लेबर कमिश्नर, भरतपुर ने स्ट्राइक को अवैधानिक करार दिया, पुलिस द्वारा लेबर को बाहर निकाला गया इस का श्रम विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु स्ट्राइक अवैधानिक थी तो नियोजक स्ट्राइकर्स को कारखाने से बाहर जाने का आदेश दे सकता है उपस्थित तथ्यों के आधार पर।

(3) इसको गैर कानूनी बताने का अधिकार सहायक श्रम आयुक्त को तथा स्ट्राइक के अवैधानिकता पर निर्णय देने का अधिकार उन्हें नहीं था क्योंकि यह अधिकार केवल श्रम न्यायालय को हैं।

श्रम आयुक्त द्वारा इस अधिकारी को चेतावनी दी जा चुकी है कि भविष्य में ये केवल गैर कानूनी स्ट्राइक के समय स्ट्राइकर्स को अपना परामर्श दें न कि इसे गैर कानूनी घोषित कर इसकी सूचना नियोजकों को तथा डिस्ट्रिक्ट अधिकारियों को दें।

सरकार ने विवाद के औचित्य पर विचार कर यह निर्णय लगाया है कि सामाजिक न्याय की दृष्टि से इसे न्यायाधिकरण के सुपुर्द कर दिया जाय इस सम्बन्ध में विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : लेबर ने स्ट्राइक क्यों की ? किस बात पर की ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां तक मेरी जानकारी है कुछ लोगों को वहां पर काम पर नहीं रक्खा गया था और सिस्टम बदलने के लिए मेनेजमेन्ट ने आदेश निकाला था।

Page No. 8

श्री हरिवल्लभ शर्मा : तो क्या यह सही है कि मेनेजमेन्ट ने परमानेन्ट एम्पलॉईज को काम पर नहीं आने दिया था इस लिये असन्तोष हुआ और उनके स्ट्राइक करने की नौबत आई।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मामला चूंकि न्यायाधिकरण के सुपुर्द किया जा चुका है इसलिये मैं अधिक कुछ नहीं कह सकता।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। राजवी श्री रूपसिंह।

पंचायत समिति, तारानगर के हिसाब की जाँच

173. **राजवी श्री रूपसिंह** (सरदार शहर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तारानगर, पंचायत समिति के हिसाब की जांच कब व किसने की और उसका नतीजा क्या रहा ?

(2) क्या यह हिसाब की जांच भ्रष्टाचार सम्बन्धी विभिन्न शिकायतों की वजह से की गई थी ? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उपमन्त्री, पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (1) जांच उप-जिला विकास अधिकारी, चुरू द्वारा दिनांक 19-12-68 को की गई, जांचसे 11 अध्यापकों के स्थानान्तर एक वर्ष से पूर्व करने एक अध्यापक के यात्रा बिल में जालसाजी कर फरजी दस्तखत से पेमेन्ट लेने का अकाउन्ट्स क्लर्क के विरुद्ध सन्देह होना, अध्यापकों की बकाया राशि का पूरा पेमेन्ट शिक्षा विभाग से धनराशि नहीं मिलने के कारण नहीं होना, और शिक्षकों का सर्विस रिकार्ड काफी संख्या में तैयार कर लेना पाया गया।

(2) जी हाँ।

राजवी श्री रूपसिंह : आयन्दा के लिये क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इसकी जांच की जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद ही कार्यवाही की जा सकेगी।

प्रश्न सं 174

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री श्रवणलाल।

स्थायी किये गये असिस्टेन्ट इन्जीनियर एवं एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर

175. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1962 से 1968 की अवधि में सार्वजनिक निर्माण विभाग में कितने असिस्टेन्ट इन्जीनियर व कितने एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर रहे हैं ? नामों की सूची सदन की मेज पर रक्खें।

(2) उक्त अधिकारियों में से कितनों को स्थायी किया गया है और कितनों को नहीं और क्यों ? स्थायी किये गये अधिकारियों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री शिवचरण माथुर) : अध्यक्ष महोदय, इसके सम्बन्ध में पूरी जानकारी नहीं आ पाई है। इसलिये इसको एक हफ्ते के लिये स्थगित किये जाने की प्रार्थना है।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, गत सेशन से पहले के सेशन से चला आ रहा यह प्रश्न है। जिसको करीब एक साल होने आया है। पिछले सेशन में भी इसका जवाब नहीं दिया और आज भी टाला जा रहा है।

श्री शिवचरण माथुर : टाला नहीं है, एक हफ्ते के लिये स्थगन मांगा है।

तहसील सांचोर में काश्तकारों द्वारा बनवाये गये कुए

176. **श्री रघुनाथ विश्नोई** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि तहसील सांचोर में पिछले पांच सालों में हजारों नये कृषि कुए काश्तकारों द्वारा बनाए गये हैं ? अगर हां, तो सालवार नये बनाये हुए कुओं की संख्या की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह भी सत्य है कि पिछले इन सालों में पंचायत समिति, सांचोर में पंपिंग सेट्स भी अधिक लगे हैं ? अगर हां, तो सालवार कितने पंपिंग सेट्स काश्तकारों द्वारा कुओं पर लगाए गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि काश्तकारों की उत्पादन बढ़ाने की प्रवृत्ति बढ़ी है ? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं ? सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन देने के लिये काश्तकारों को क्या क्या सुविधाएं प्रदान की हैं ? भविष्य में काश्तकारों को उत्पादन बढ़ाने के लिये सहयोग देने के लिये सरकार काश्तकारों को क्या क्या सुविधाएं देने का विचार रखती है ?

उपमन्त्री, कृषि (श्री हरिसिंह यँगू) : इसको बाद में ले लिया जावे तब तक पत्रावली आ जावेगी, अध्यक्ष महोदय !

श्री रघुनाथ विश्नोई : अब तक मन्त्री जी के पास पत्रावली ही नहीं आई।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

प्रश्न सं. 177

नेक्स्ट। श्री कृष्णकुमार गोयल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री केशरीसिंह हाड़ा : 177 बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : समय निकल आवेगा तो बाद में ले लेंगे।

प्रश्न संख्या 178

नेक्स्ट, श्री कृष्णकुमार गोयल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

गोपालपुरा धर्मादा झालरापाटन

179. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरा-पाटन) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झालरा-पाटन, जिला झालावाड़ में गोपालपुरा धर्मादा नाम की कोई संस्था है जिसके द्वारा मण्डी शहर में आने वाले माल पर धर्मादा वसूल होता है ? और इस संस्था का चार्ज कुल हिसाब किताब जमा खर्च व कुल देख रेख नगरपालिका, झालरापाटन द्वारा होती है ?

(2) क्या यह सही है कि इस संस्था के अपने खुद के मकान दुकान नौहरे आदि भवन पाटन में हैं जो किराये से चलते हैं ? यदि हां, तो कुल जायदाद भवन आदि कितने कितने हैं और किसको कितने कितने किराये पर दिये हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) क्या यह भी सही है कि संस्था का मिल्कियत तीस हजार रुपये से ज्यादा है इसलिये इसका ट्रस्ट बनाने की कार्यवाही की गई थी ? यदि हां, तो कब प्रार्थना-पत्र दिया गया और अभी तक रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं किया ?

देवस्थान मन्त्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) :
(1) जी हां ।

(2) जी हां । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) जी हां । निर्धारित फार्म पर अध्यक्ष ने प्रार्थना-पत्र दिनांक 1-3-66 को पेश किया । इस पर कार्यवाही चल रही थी कि नगरपालिका, झालरापाटन ने सूचित किया कि इस सम्बन्ध की सही प्रन्यासी नगरपालिका है । इस पर नगरपालिका को दो निर्धारित फार्म भेजे गये परन्तु उनके स्मरण-पत्रों के पश्चात् भी फार्म नगरपालिका द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये । निर्धारित फार्म आ जाने पर रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही की जावेगी ।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री रामप्रसाद बोहरा : इस धर्मादा से प्रतिवर्ष कितनी रकम वसूल की जाती है और किस काम आती है वह ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह सूची से आपको मालूम होगा कि करीब 522) रुपया वार्षिक किराया धर्मादा का आता है इस जायदाद का ।

श्री रामप्रसाद बोहरा : अध्यक्ष महोदय, यह धर्मादा की रकम जो वसूल होती है । काश्तकार मन्डी में सामान लाते हैं उसके बारे में जवाब नहीं आया ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इन्होंने जो प्रश्न किया है उसमें अराईज़ नहीं होता है ।

श्री रामप्रसाद बोहरा : क्या यह सही है कि झालरपाटन में गोपालपुरा धर्मादा नाम की कोई संस्था है जिसके द्वारा मण्डी शहर में आने वाले माल पर धर्मादा वसूल होता है ? आपने कहा जी हां, तो क्या इस हिसाब किताब का जमा खर्च नगरपालिका द्वारा होता है ? इसमें भी आपने कहा जी हां, यह कोई पूरा जवाब नहीं है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अब कितना आता है यह तो नगरपालिका के मन्त्री महोदय बता सकते हैं । मुझसे तो रजिस्ट्रेशन का सम्बन्ध

Page No. 11

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)
है। धर्मादा का रजिस्ट्रेशन नगरपालिका ने नहीं कराया है।

श्री रामप्रसाद बोहरा : नगरपालिका झालरापाटन के निवासियों ने कुछ मेम्बर्स की सूची वास्ते ट्रस्ट बनाने हेतु दो साल पहले भेजी थी परन्तु आज तक ट्रस्ट नहीं बनाया गया, इसके क्या कारण हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जैसा मैंने निवेदन किया यह नगरपालिका का अपना फन्ड है वही इसकी देखरेख करती है। कमेटी जो नगरपालिका ने बनाई है उसके विचाराधीन है। वह अभी नगरपालिका ने भर कर नहीं भेजी है डिसप्यूट चल रहा है।

श्री रामप्रसाद बोहरा : क्या यह सही है कि एक रुपये महीने में आज 20 साल से दुकानें दी हुई हैं जब कि उसकी रेट 50 रु. और 60 रु. प्रति माह हैं और कांग्रेस के मेम्बर हैं उनको दे रखी है—क्या इसकी आपको जानकारी है ?

श्री अध्यक्ष : क्या जानकारी है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कितना किराया है, इसकी जानकारी नहीं है। इसको लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट डिपार्टमेंट ज्यादा जान सकता है।

श्री रामप्रसाद बोहरा : 60 हजार की जायदाद है 500 रु. सालाना किराया बताया। आपका किराया पांच हजार आ सकता है इसको ट्रस्ट कायम कर दिया जाय तो।

श्री भगवानदास शास्त्री : वहाँ की पब्लिक ट्रस्ट बनाना चाहती है तो क्यों नहीं, अध्यक्ष, महोदय एक्सऑफिशियो कलेक्टर और वहाँ के अधिकारी को रख दिया जाय तो नगरपालिका की देख रेख मिल कर करें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह नगरपालिका से सम्बन्धित है।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : एक रुपया लेकर...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, एक रुपये से लेकर 6 रुपये मासिक पर किराये दे रखी है और इसका...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर !

श्री बृजसुन्दर शर्मा : लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट का काम है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री हरजीराम बुरड़क।

एग्रीकल्चर वर्कशॉप झोटवाड़ा की जांच

180. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि एग्रीकल्चर वर्कशॉप, झोटवाड़ा (जयपुर) का कृषि विभाग की पार्टी द्वारा सन् 1964-65 में कोई जांच या निरीक्षण किया गया था? यदि हां, तो उक्त जांच या निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री हरजीराम बुरडक)

(2) क्या यह भी सत्य है कि उक्त रिपोर्च में गबन या घोटालों के कई मामले गये थे? यदि हां, तो कौन कौन से और उस पर सरकार ने क्या क्या कार्यवाही की तथा किस किस अधिकारी को इसमें दोषी पाया गया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त रिपोर्ट राज्य सरकार को कब प्राप्त हुई थी और उस पर कार्यवाही कब शुरू की गई?

(4) उपरोक्त साल के बाद में अब तक हुये ऑडिट रिपोर्ट्स की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उपमन्त्री, कृषि (श्री हरिसिंह) : (1) जी हां, पूर्ण जांच के बाद नियुक्ति विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में आदेश जारी किये गये थे जो सदन की मेज पर प्रस्तुत हैं।

(2) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(3) इस सम्बन्ध में विस्तृत विभागीय जांच करने के उपरान्त मामला राज्य सरकार के नियुक्ति विभाग को प्रेषित कर दिया गया था। नियुक्ति विभाग ने आवश्यक जांच कर दिनांक 23 सितम्बर, 1967 को आदेश सं. एफ. 1 (113) अपो. (ए-III)/66, द्वारा यह निर्णय किया कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई अनियमितता सिद्ध नहीं हुई है। आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) उपरोक्त कार्यों का विवरण ऑडिट रिपोर्ट्स में नहीं किया गया है, क्योंकि कार्य में ऑडिट सम्बन्धित कोई अनियमितता नहीं थी।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री हरजीराम बुरड़क : प्रश्न सं. 1 के उत्तर में आपने जो बताया आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी है वह प्रति प्रश्न नं. 3 के उत्तर में भी बताई। मैंने तो प्रश्न में साफ पूछा है कि विभागीय अधिकारी ने ऑडिट किया है उनकी ऑडिट रिपोर्ट की प्रति में सदन की मेज पर नहीं रखी गई है।

श्री हरिसिंह : जांच हो गई है। यह कॉन्फिडेन्शियल लैटर है इसको यहां प्रस्तुत करना उपयुक्त नहीं होगा। जो निर्णय हुआ है उसको मैंने प्रस्तुत कर दिया है।

श्री हरजीराम बुरड़क : जांच रिपोर्ट ही नहीं हैं तो कैसे पूछें कि आपने इसके कारण नहीं बताये हैं। आपने तो कहा प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। प्रश्न नं. 1 में और 3 में दोनों में ही जवाब दिया है।

श्री हरिसिंह : कोई कॉन्फिडेन्शियल लैटर होता है तो उसका फाइनल निर्णय होता है उससे अवगत कराया जाता है। कॉन्फिडेन्शियल लैटर प्रस्तुत करना कहां तक उचित होगा?

श्री हरजीराम बुरडक : इसमें आपने बताया कोई अनियमितता नहीं थी तो फिर एपाइन्टमैन्ट डिपार्टमेन्ट में क्यों भेजा?

श्री हरिसिंह : एपाइन्टमेन्ट डिपार्टमेन्ट के पास केस भेजा था उसने प्रोसीजरल चार्जेज

(श्री हरिसिंह)
लगाये थे वह सीरियस नहीं थे। जी. एफ. एन्ड आर. के अन्दर पूरी जांच करने के बाद निर्णय लिया था। स्पेसिफिक चार्जेज लागू नहीं होते हैं। कोई अनियमितता सिद्ध नहीं पाई है। इसका स्पष्ट उल्लेख है।

श्री हरजीराम बुरड़क : क्या चार्जेज हैं ?

श्री हरिसिंह : पहले एन्क्वायरी हुई है। डिटेल में जांच होने के बाद निर्णय लिया है। स्पेसिफिक आप कौनसा पूछना चाहते हैं। कौनसे ईयर से रिलेटेड है। मेरे ख्याल से यहां बताना उपयुक्त नहीं है।

श्री हरजीराम बुरड़क : एपाइन्टमेन्ट डिपार्टमेन्ट में आपने क्या क्या चार्जेज लगा कर भेजे थे जो उन्होने निर्दोष पाया?

श्री हरिसिंह : यह तो नियुक्ति विभाग...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज ! माननीय मंत्री महोदय, उपयुक्त हो तो जवाब दे दिया जायगा इसमें कहां प्रिविलेज क्लेम है ? यह तो चेयर को अधिकार है कि उपयुक्त होगा या नहीं होगा।

श्री हरजीराम बुरड़क : एपाइन्टमेन्ट डिपार्टमैन्ट में आपने जिन अधिकारियों के खिलाफ चार्जेज लगाये हैं वे क्या क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष : चार्जेज हैं क्या आपके पास ?

श्री हरिसिंह : चार्जेज स्पेसिफिक हैं। मैंने निवेदन कर दिया, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो प्रश्न पूछा हैं—कौनसा प्रश्न पूछना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : क्या चार्जेज की लिस्ट बहुत बड़ी है ?

श्री हरिसिंह : उसमें प्रोसीजरल मैटर्स हैं 63 से लगा कर 65-66 तक।

श्री अध्यक्ष : चार्जेज प्रोसीजरल मैटर्स के हैं।

नेक्स्ट।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, वे चार्जेज क्या क्या हैं और कौन कौन से अधिकारियों पर हैं ?

श्री हरिसिंह : एपाइन्टमेन्ट डिपार्टमेंट ने जांच की है जांच से निर्दोष पाये हैं।

श्री दौलतराम सारण : लेकिन चार्जेज क्या थे ?

श्री हरिसिंह : चार्जेज सिद्ध नहीं हुये हैं।

श्री अध्यक्ष : सिद्ध हुये हैं या नहीं हुये हैं लेकिन माननीय सदस्य चार्जेज की नेचर जानना चाहते हैं।

(कई सदस्य एक साथ बोलने के लिये खड़े हुए) ऑर्डर ! ऑर्डर !

कृषि मंत्री (श्री शोभाराम) : कृषि विभाग अधिकारी ने जांच की। कुछ इर्रेगूलरेटीज पाई गई हैं। सब अनियमितताओं को लिया गया है और उनका सब का जवाब एपाइन्टमेन्ट डिपार्टमेन्ट को भेजा गया था। अगर आप जानकारी करना चाहते हैं किस प्रकार की अनियमितता थी तो उसकी कापी आपको भेज दी जायगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

जिला चित्तौड़गढ़ में भूमि का आवंटन

181. **श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सत्य है कि जिलाधीश चित्तौड़गढ़ ने भूमि आवंटन के सम्बन्ध में घोषणा की थी कि 15 अक्टूबर के बाद अलॉटमेन्ट प्रारम्भ कर दिया जायगा ? यदि हां, तो जिला चित्तौड़गढ़ में ऐसी कितनी भूमि आवंटन के लिये निश्चित की गई और उसमें से कितने लोगों को भूमि दी गई और बाकी कितनी रही ?

उपमंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : जी नहीं ।

श्री भगवानदास शास्त्री : राजस्थान में ऐसे कलेक्टर्स को कौन से अधिकार हैं घोषणा करने के कि 15 अक्टूबर के अन्दर अन्दर जो गवर्नमेन्ट की जमीन है वह आवंटन की जायेगी ? ऐसी घोषणा की गई है या नहीं ?

श्री गंगाराम चौधरी : मैंने निवेदन किया कोई घोषणा नहीं की गई है ।

श्री भगवानदास शास्त्री : यह नव ज्योति में घोषणा हुई थी...

श्री अध्यक्ष : नव ज्योति पेपर गवर्नमेन्ट का गजट नहीं है ।

श्री भगवानदास शास्त्री : मैं इस क्वेश्चन को इसलिये लाया कि एक कलेक्टर पब्लिक वर्कर नहीं है, गवर्नमेन्ट का नौकर है जिसके आधार पर काम करता है - राजनैतिक कैसे हो गये सूची एकदम अनाऊन्स करके पहले भी हमारे रामानन्द जी ने कहा था कि घोषणा करके रामचन्द्र जी चौधरी जमीन खा गये ।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने जी नहीं कह दिया, आप इसको उलटा करके पढ़ लें ।

श्री भगवानदास शास्त्री : ऐसी घोषणा हुई थी क्या ?

श्री गंगाराम चौधरी : न तो जिलाधीश द्वारा घोषणा की गई है और न कोई दूसरी प्रकार की कोई घोषणा हुई है ।

खाद्य निगम की खरीद में हुए घोटालों की जांच

182. **श्री नत्थीसिंह (भरतपुर)** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राज्य सरकार ने गत वर्ष खाद्य निगम की खरीद में होने वाले घोटाले के सम्बन्ध में कोई जांच प्रारम्भ कर दी है ? यदि हां, तो यह जांच किस किस जिले की किन किन मण्डियों में प्रारम्भ हुई है ? और वह अब किस स्थिति में है ?

उप-मंत्री, खाद्य (श्री रामदेवसिंह) : जी हां, भरतपुर मण्डी में क्रय कार्य श्री सुरजीत सिंह ढिल्लों द्वारा खाद्य निगम के प्रतिनिधि के रूप में किया गया था जिसमें कई अनियमिततायें पाई जाने से श्री ढिल्लों को उनके पैतृक विभाग (कृषि) में वापिस किया जाकर निलंम्बित किया गया तथा उनके विरुद्ध नियमानुसार विभागीय जांच की जा रही हैं ।

जहाँ तक भरतपुर मण्डी के व्यापारियों द्वारा उठाये गये अनुचित लाभ का प्रश्न है

(उप-मन्त्री खाद्य)
उनके विरुद्ध जांच की कार्यवाही गृह-विभाग के माध्यम से विशेष पुलिस स्थापना, भारत सरकार, जयपुर को सौंपी गई है। जांच का कार्य जारी है।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस सदन में भरतपुर जिले के अलावा अलवर, गंगानगर, सांचोर आदि कई मण्डियों के विषय में सवाल थे उन दूसरी मण्डियों के बारे में क्या कार्यवाही की है? इस सवाल का जवाब नहीं दिया है आपने।

श्री रामदेवसिंह : कई जगह तो नियुक्ति का सवाल था इसलिए उनमें जांच की जरूरत नहीं थी।

श्री नत्थीसिंह : खाद्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि इन सभी मण्डियों में जो खरीद में घोटाले हुए हैं इन सबकी जांच करायेंगे और सवाल की मन्शा भी यही है। एक जगह के लिए तो आपने कहा कि जांच जारी है तो उसके लिए तो धन्यवाद। लेकिन अलवर में कितना ही घोटाला हुआ, गंगानगर में हुआ और दूसरी मण्डियों में जहां जहां घोटाले हुए हैं उनमें जांच कार्य क्यों नहीं प्रारम्भ किया गया ?

श्री रामदेवसिंह : जहां के लिए स्पेसिफिक शिकायत थी वहां जांच की गयी है।

श्री नत्थीसिंह : खाद्य मंत्री जी का वक्तव्य है। मैंने जालोर में खरीद के बारे में कहा था और दूसरी मण्डियों की जांच के सम्बन्ध में क्या हुआ ?

खाद्य मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय, सितम्बर 68 में जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जरिये मैंने आश्वासन दिया था वह भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में था और भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में ही आपने कम्पलेन्ट की थी और जिला परिषद् ने कम्पलेन्ट की थी, होतीलाल जी प्रधान ने कम्पलेन्ट की थी और उस विषय के संबंध में मैंने यह कहा था कि स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमैन्ट की जांच के लिए सौंपता हूं और होम डिपार्टमेन्ट की मार्फत हमने उनको जांच के लिए लिख दिया और वह जांच कर रहे हैं। जैसा आपको स्वयं को पता है। बाकी की जो दूसरी जगह की एलीगेशन्स थी सांचोर वगैरह के बारे में तो मैंने यह कहा था कि वह लाल गेहूं को खरीद नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लाल गेहूं की आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्य कह रहे थे कि मैक्सीकन वैटर क्वालिटी है उसको खरीदना चाहिए उस सम्बन्ध में मैंने कहा था। इसलिए वहां खरीद का प्रश्न था। दूसरी जगह जहां क्वालिटी का प्रश्न था एजेन्ट के एपाइन्टमेन्ट का सवाल है उसका उत्तर उन्होंने दे दिया कि एजेन्ट के अपाइन्टमेन्ट के लिए एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं और एक कमेटी होती है वह एजेन्ट्स मुकर्रर करती है। स्पेसिफिक चार्ज आपके जिले का था इसलिए हमने उसके सम्बन्ध में मामला स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेन्ट को दे दिया।

श्री नत्थीसिंह : यह सही है कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दो थे। एक तो भरतपुर जिले के लिये स्पेसिफिक था और एक राजस्थान के बारे में था और दोनों को मिलाकर आपने उत्तर दिया था। उसमें आपने माना था कि अलवर, गंगानगर आदि मण्डियों में भी इस प्रकार की बातें हुई हैं और खाद्य निगम की खरीद के घोटालों के

(श्री नत्थीसिंह)
बारे में हम जांच कर रहे हैं और आपने पुलानिया करके कोई जांच अधिकारी का नाम भी बताया। भरतपुर में जांच हो रही है। इसके अलावा अलवर में भी ऐसे ही घोटाले हुए, गंगानगर में हुए तो उनके बारे में आप जांच क्यों नहीं करवाते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : जांच का तो प्रश्न ही नहीं है। घोटाला नाम लेने से घोटाला नहीं होता है। आपका स्पेसिफिक चार्ज क्या है। आपके यहां की कम्पलेन्ट थी उसकी जांच कराना हमने मुनासिब समझा। अब कौन सी जगह कौन सा घोटाला हुआ, क्या हुआ ? यह चार्ज नहीं लगायें और कहें कि जांच होनी चाहिए तो यह कैसे हो सकती है ? कहने को तो बीसियों बात कही जा सकती हैं लेकिन जांच किस के खिलाफ करें जब तक कोई चार्जेज ही नहीं हों। जब तक आप नहीं बताते कि इस प्रकार के चार्जेज हैं तो मैं जांच नहीं करवा सकता हूं।

श्री नत्थीसिंह : आपने खुद ने माना है। आपकी स्पीच में माना है जिसको आप चाहें तो मैं पढ़ कर सुना सकता हूं। आपने माना है कि इन मण्डियों में कितने ही घोटाले हुए हैं। अब पता नहीं क्या हो गया है। पहले तो आपने माना है। गंगानगर में भी हैं, अलवर में भी हैं और भरतपुर के तो चार्जेज दिये ही थे।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो जवाब दिया था वह पार्लियामैन्ट में भी डिसकस हो चुका है। वहां पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है और मेरी स्पीच की वरबेटिम स्पीच वहां चली गई है और जो मैंने स्पीच दी थी वह भी मैंने रात को पढ़ ली थी। उस समय क्वालिटी के बारे में स्पेसिफिक बात थी और वह मैंने कही था। मैंने यह बताया उस समय सदन से कि फेयर एवरेज क्वालिटी का आपको क्या मालूम है। और इतनी ज्यादा कट क्यों हो रही है और किसानों को रेम्यूनरेटिव प्राइस नहीं मिल रही है ऐसी बातें कही हैं। आप ही बता दें कि मैंने अपनी स्पीच में कब कहा है कि दूसरी जगहों के घोटालों के बारे में जांच करवायेंगे ?

श्री नत्थीसिंह : क्या यह सही है कि आपकी नालेज के अनुसार, आपकी जानकारी के अनुसार अलवर और गंगानगर की मण्डियों में खाद्य निगम की खरीद में किसी प्रकार की गड़बड़ें नहीं हुई ?

श्री परसराम मदेरणा : मुझे किसी प्रकार की जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : क्या यह सही है ?

श्री परसराम मदेरणा : यह एलीगेशन लगा रहे हैं लेकिन ऑन दी अदर हैंड प्रैस कह रहे हैं कि यह एलीगेशन्स सही नहीं हैं। हम तो क्वालिटी का नहीं ले सकते मैंने यह कहा है कि जो अलग अलग वैराइटी की खरीद की प्राइसेज थी एक वैराइटी को दूसरी कैटेगरी में इन्क्लूड कर रहे हैं। उस समय की शिकायत सुमेरपुर मण्डी की आई थी। मैंने उस समय पूछा था कि आप इसको दड़ा मानते हैं या फार्मी। इसलिए मैंने कहा कि मैंने भारत सरकार को भेजा है कम से कम उन्होंने तो क्वालिटी निर्धारित कर दी है प्राइस जिस जिस कैटेगिरी की थी उसके अनुसार खरीद कर रहे थे।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि राज्य सरकार को भरतपुर के अलावा अन्य मण्डियों में भी खरीद के सम्बन्ध में घोटालों की शिकायत मिली थी ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, कई तरह की बातें आई जिनमें ज्यादातर जो दूसरी जगह की शिकायतें थीं वह घोटाले थे उसकी डेफीनेशन मालूम नहीं। उन्होंने कहा कि पर्टीकुलर गेहूं को फार्मी नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा कि फार्मी नहीं है तो घोटाला कहां हुआ ? फेयर एवरेज क्वालिटी के बिलो प्राइजेज दे रहे हैं तो मैं उसको घोटाला नहीं मान सकता। इस प्रकार की कम्प्लेन्ट्स आई थीं लेकिन कम प्राईज में लिया। एजेन्ट्स ने बीच में फायदा रखा। क्वालिटी इन्सपैक्टर ने एक काश्तकार का रिजेक्ट किया, एक व्यापारी का रिजेक्ट किया और दूसरे व्यापारी से खरीद लिया। इस प्रकार की स्पेसिफिक शिकायतें भरतपुर की थीं और क्वालिटी इन्सपेक्टर के लिए जांच की गई है और वह एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट का था उसको इसके लिए चार्जशीट दे दी है और इसमें जांच हो रही है।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, रामगंज मण्डी में गेहूं खरीदने में घोटाला हुआ था और उसकी शिकायत भी आपके सामने आई थी क्योंकि गेहूं थोड़ी कीमत पर खरीदा गया और सरकार को अधिक कीमत में दिया गया इस प्रकार का घोटाला वहां आया और रेकर्ड देखने से आपको साबित हो सकता है लेकिन आप इन्क्वायरी कराने के लिए तैयार नहीं हैं···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य प्रश्न हो चुका है।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि इसकी इन्क्वायरी आप क्यों नहीं कराते हैं ?

श्री रामदेवसिंह : कोई स्पेसिफिक शिकायत नहीं थी।

श्री रामचन्द्र आर्य : घोटाले वाली बात कही है···

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं यह चाहता हूं कि इसके बारे में आपको सूचना मिली या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर !

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : मंत्री महोदय थोड़ा आवेश में आते हैं। 100 रुपये का 75 रुपये में लिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, माननीय सदस्य, ऑर्डर माननीय मंत्री महोदय।

श्री भगवानदास शास्त्री : आपने निर्धारित किया है 100 रुपये और 75 रुपये की क्वालिटी ···

श्री परसराम मदेरणा : मैं पूरे आवेश में आता हूं या आप बात आवेश में करते हैं···

श्री भगवानदास शास्त्री : आप आते हैं आवेश में। मैं तो कभी नहीं आता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : यह तो दूसरों से इन्टेरोगेशन कराना पड़ेगा। आपने जो बात कही है वह हाइपोथेटिकल है। प्रोड्यूस प्राइस पर पूरा नहीं है और आपको मार्केट प्राइस मालूम है नहीं। हमने जो एफ. सी. आई. को···

श्री भगवानदास शास्त्री : मैं समझता हूं कि आप कहते हैं कि लो क्वालिटी का खरीदा और भाव बढ़िया क्वालिटी का दिया···

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज, माननीय मंत्री जी स्थान ग्रहण करें। दूसरा प्रश्न। यातायात मंत्री जी।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। यातायात मंत्री महोदय।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय··

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य···

श्री रामचन्द्र आर्य : मेरा जो प्रश्न है··

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। माननीय आर्य, सम्माननीय आर्य, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : मेरे प्रश्न का उत्तर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : वह अब नहीं आयेगा। मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : वहां पर गेहूं खरीदने में घोटाले हुए हैं ··

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

यातायात मंत्री जी अभी उठेंगे ही नहीं?

श्री रामचन्द्र आर्य : माननीय अध्यक्ष...

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर, माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

यातायात मंत्री महोदय।

ग्राम छींपा बड़ोद से रेल्वे स्टेशन सालपुरा रूट पर अतिरिक्त बसें

183. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा जिले के ग्राम छींपा बड़ोद से रेल्वे स्टेशन सालपुरा व सालपुरा से छींपा बड़ोद के लिए कितनी बसों के परमिट किन किन व्यक्तियों को दिए हुए हैं?

(2) क्या यह सही है कि अभी सिर्फ वही बस जिसे शंकर बस कहते हैं इस रूट पर चल रही है?

(3) क्या इस रूट के ट्रेफिक को दृष्टिगत रखते हुए सरकार इस रूट पर और बसें चलाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों और यदि हाँ, तो किसी और को बस चलाने के परमिट क्यों नहीं दिये जा रहे हैं?

यातायात मंत्री (श्री अमृतलाल यादव) :

(1) सालपुरा से छींपा बड़ोद मार्ग पर सिर्फ एक ही अनुज्ञा-पत्र श्री रावराजा शंकर सहाय के नाम स्वीकृत है।

(यातायात मंत्री)

(2) जी हां।

(3) जी हां। इस मार्ग पर 2 अनुज्ञापत्रों का स्कोप में निश्चय किया हुआ है। दूसरे अनुज्ञापत्र के लिए जो प्रार्थनापत्र आये हुए हैं वह प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण कोटा के विचाराधीन हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

ट्रक के मालिक को क्षतिपूर्ति

184. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1965 में भारत पाक संघर्ष के समय श्री फिरोजखां घन्नेखां निवासी धोबी तलाई, बीकानेर का दिनांक 17-11-65 को ट्रक नं. आर. जे. एफ. नं. 1011 जो आर. ए. सी. पोस्ट पर सरकारी घास ले जा रहा था पाकिस्तान द्वारा नष्ट कर दिया गया था ?

(2) इस नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु फिरोज खाँ द्वारा कितना क्लेम किया गया और सरकार द्वारा किस सीमा तक क्षति पूर्ति की गई ? शेष क्लेम को मन्जूर नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (1) जी हां, पाकिस्तानियों द्वारा बिछाई गई माइन के फटने से नष्ट होना पाया गया।

(2) श्री फिरोज खां ने क्षतिपूर्ति के लिए रु. 39,255-19 का मुआवजा प्राप्त करने का क्लेम पेश किया था। जिलाधीश इस प्रकार के क्लेम्स तय करने के लिए सक्षम हैं। इनके क्लेम्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने रु. 65,21-25 पैसे का चुकारा कर दिया है। जिलाधीश ने उनके आदेश दिनाँक 13-3-67 व दिनाँक 5-4-68 में बकाया क्लेम्स अस्वीकृत करने के कारण बताये हैं जिसकी प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरोंसिंह : जो क्लेम रिजेक्ट कर दिये गये हैं क्या यह सही है कि उन क्लेम्स के सम्बन्ध में फिरोज खां ने दुबारा रिप्रेजेन्टेशन किया है और वह सरकार के विचाराधीन है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हाँ, कुछ ऐसे क्लेम्स हैं, मसलन, उनका वेडिंग, उनके ड्राईवर और क्लीनर का वेडिंग और उनके बेरोजगार रहने का ये जो क्लेम्स हैं वे गवर्नमैंट ऑफ इंडिया को रेफर किये गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : कब तक निर्णय हो जायगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इन पर गवर्नमैंट आफ इंडिया को फैसला करना है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री सुवालाल !

जयपुर जिले में अकालग्रस्त गाँव

185. **श्री सुवालाल चौधरी** (दूदू) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले के कई ग्राम लगातार चार वर्षों से अकालग्रस्त घोषित किये जा रहे हैं ?

(श्री सुवालाल चौधरी)

(2) क्या सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस जिले को अकाल के संकट से बचाने हेतु सिंचाई की बड़ी योजनाओं या ट्यूब वैल्स की स्कीम लागू की जाय ? अगर हां, तो कौन सी योजना सरकार के विचाराधीन है और उसको कब लागू करना चाहती है ?

(3) जो योजना सरकार लागू करना चाहती है उसकी प्रति सदन की मेज पर रखी जावे ।

उप-मन्त्री, अकाल सहायता (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी नहीं । जयपुर जिले के कोई भी ग्राम लगातार चार वर्षों से अभावग्रस्त घोषित नहीं किये गये हैं ।

(2) जी नहीं । इस जिले में अकाल का संकट ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई विशेष योजना बनाई जाय ।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री सुवालाल : संवत् 22-23 से लगातार अकाल पड़ रहा है और इस सम्बन्ध में गजट में नोटिफिकेशन भी हुआ है और आज आप कहते हैं जी नहीं । 22-23 और 24 में यह स्थिति रही है ।

श्री गंगाराम चौधरी : लगातार चार वर्ष तक कोई भी गाँव अकालग्रस्त घोषित नहीं किया गया है ।

श्री सुवालाल : आपको गजट लाकर बता दूं कि लगातार चार साल से वे गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं तो क्या सरकार ऐसी योजना के सम्बन्ध में विचार करेगी ?

अकाल सहायता मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : आप तो गजट नोटिफिकेशन बतायेंगे लेकिन मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए निवेदन कर दूं कि सम्वत् 24 में इस जिले में एक भी गांव अभावग्रस्त नहीं था इसलिए नोटिफिकेशन में कोई गांव अभावग्रस्त छापे जाने का प्रश्न ही नहीं होता है ।

श्री सुवालाल : क्या लगातार तीन साल से अकाल रहे तो वहां के बारे में सरकार नहीं सोचती ?

श्री अध्यक्ष : नोटिफिकेशन बतला दें ।

श्री सुवालाल : तीन साल तक लगातार अकाल रहे और लोगों के पास धन्धा नहीं है । खेती में सिंचाई नहीं हो सकती है और कुओं में पानी सब खत्म हो गया है । तीन साल से लगातार अकाल रहता है और वहां पर लोगों की हालत खराब होती है तो क्या किसी योजना पर जयपुर जिले के लिए सरकार विचार नहीं करने वाली है ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, दूदू तहसील में संवत् 22-23 में कुछ गांव अकालग्रस्त थे और संवत् 24 में जिले का कोई भी गांव अकालग्रस्त नहीं था और संवत् 25 में कुछ गांव अकालग्रस्त हैं । इसलिए जो कुछ वर्क्स जयपुर जिले के लिए सैन्कशन किये गये हैं और राहत कार्य चल रहे हैं वे प्रोडक्टिव नेचर के हैं और दूदू तहसील में चालू किये गये हैं । कल ही माननीय सदस्य ने यह पूछा था कि क्या यह सच है कि पानी गहरा चला गया है और 13 तारीख को कह रहे थे एग्रीकलचर मिनिस्टर को कि वहां पर पानी फ्लो हो रहा है ऊपर से उसका क्या उपयोग किया

(श्री परसराम मदेरणा)

जा रहा है। इस सम्बन्ध में आपने कहा कि आपकी कोई योजना है कि नहीं। मैं बड़ी योजना को फेमीन में नहीं ले सकता हूं। मैं कोई बड़ी योजना सिंचाई की फेमीन में नहीं ले सकता हूं क्योंकि एक तो फेमीन में लिमिटेड पीरियड होता है और अगले फाइनेन्शियल ईयर में स्पिल नहीं होता है। उसका ईरीगेशन के बजट में प्रोवीजन नहीं है और हमारे यहां प्रोवीजन नहीं है। हमारे यहां अगर प्रोवीजन होता है थोड़ा बहुत तो जब तक प्लानिंग डिपार्टमेन्ट उसका क्लीयरेन्स नहीं देता है ऐसे काम हम नहीं ले सकते हैं। अकाल के बजट में प्रावधान नहीं रहता है और उसको प्रोडक्टिव नेचर में खर्च कर देते हैं तो सदन के माननीय सदस्य ही पूछेंगे कि खर्च क्यों कर दिया। इसलिए हमने जो काम लिये हैं वे ही काम लिये हैं जो कि या तो फेमीन पीरियड में पूरे हो जायें या अगले साल स्पिल ओवर होने का बजट में प्रावधान हो। आपके यहां जिले में सात सिंचाई की योजनाएं ली हैं उन पर कार्य चालू है।

श्री डूंगाराम राजौरिया : सात लघु सिंचाई की योजनाएं आपने ली हैं। सारे जयपुर जिले के लिए तो क्या बड़ी बात है···

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, माननीय सदस्य।

श्री डूंगाराम राजौरिया : वे जयपुर जिले के लिए बहुत कम हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

प्रश्न संख्या 186

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री रामचन्द्र आर्य।

शंकर बाजरे के बीज की खरीद

187. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नौहर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला श्री गंगानगर में वर्ष 1967 में शंकर बाजरे का बीज खराब दिया गया था और वर्ष 1968 में उससे भी खराब बीज दिया गया है ? यदि हां, तो कितना बीज वितरण हुआ। और शंकर बाजरा कितने काश्तकारों की भूमि में उगा है और कितनी भूमि खाली रह गई है ? अलग अलग तहसील वाइज सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(2) क्या यह सही है कि शंकर बाजरे का बीज गंगानगर के एक फॉर्म से खरीदा था ? यदि हां, तो किससे कितना बीज कितनी कीमत का खरीदा गया ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(3) क्या यह सही है कि घटिया बीज देने से काश्तकारों को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ ? यदि हां, तो अन्दाजन कुल कितना नुकसान हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(4) क्या घटिया बीज से हुआ नुकसान सरकार स्वयं वहन करेगी ? यदि हां, तो किस रूप में और नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार इस घोटाले की जाँच के लिए कमीशन नियुक्त करने का इरादा रखती है ?

उप-मंत्री कृषि (श्री हरिसिंह) : (1) जी नहीं। सन् 67 में शंकर बाजरे का···

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, सुनाई नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : उच्च स्वर से।

श्री हरिसिंह : (1) जी नहीं। सन् 67 में शंकर बाजरे का बीज खराब होने की शिकायत नहीं थी। सन् 68 में केवल भादरा एवं नौहर से बीज नहीं उगने की शिकायत आई है। इस वर्ष श्री गंगानगर जिले में 23,900 एकड़ भूमि में शंकर बाजरे का बीज बोया गया। केवल पंचायत समिति नौहर व भादरा में 600 एकड़ भूमि में बीज नहीं उगा। समस्त पंचायत समितियों में बीज पूर्ण रूप से उगा है।

(2) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी नहीं।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) जी नहीं।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि सन् 67 में जो शंकर बाजरे का बीज दिया गया था वह उगा नहीं है ?

श्री हरिसिंह : सन् 67 में है ही नहीं मैंने आपसे कहा है।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि गत वर्ष जो बाजरे का बीज दिया गया वह जिले भर में किसी भी काश्तकार के खेत में नहीं उगा ?

श्री हरिसिंह : जिले भर में नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन कर दिया कि केवल भादरा एवं नौहर में 600 एकड़ के अन्दर नहीं उग पाया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, पहले तो सूची ही नहीं दी गई है। सूची मैंने मांगी थी वह नहीं दी गई है। शंकर बाजरे का बीज जो खरीदा गया है वह घटिया खरीदा गया है और उसमें लाखों रुपयों का घोटाला हुआ है, और वही बीज काश्तकारों को दिया गया जिसकी वजह से काश्तकारों को नुकसान हुआ है इसलिए उस नुकसान को सरकार को बरदाश्त करना चाहिए। क्या सरकार उनको नुकसान दिलायेगी इस के बारे में उत्तर दें।

श्री मनोहरसिंह : मांडलगढ़ बिल्कुल ठीक है।

श्री हरिसिंह : 600 एकड़ के अन्दर जो कि मैंने नाम बताया है भादरा एवं नौहर के अन्दर वहां खराब बीज की वजह से जैनेरेशन पर्सेन्टेज बिल्कुल जीरो रहा जैसा कि सेम्पल भरतपुर और कुछ जगहों से भेजा गया था कि वह नहीं उग पाया है तो उस सम्बन्ध में एक्शन लिया है और वह बीज पूरा रिजेक्ट कर दिया गया है और बीज की कास्ट भी फॉरमर्स से नहीं ली गई है। उसके अलावा भविष्य में भी राज्य सरकार द्वारा उस बीज को किस प्रकार से सर्टीफाई किया जायगा उसके लिए भी प्रयत्न किया है ताकि यह सर्टीफ़िकेशन होने के बाद उसमें कोई कमी रहेगी तो उसके लिये राज्य सरकार पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहेगी।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : यह जो बीज दिया गया है राज्य सरकार द्वारा वह उसके फॉर्म में पैदा किया हुआ बीज था या किन्हीं प्राइवेट फॉर्म्स से खरीद कर दिया गया था ?

श्री हरिसिंह : यह निश्चित रूप से इस प्रश्न में नहीं है इसलिए मेरे पास इन्फर्मेशन

(श्री हरिसिंह)
प्राप्त नहीं हो सकी है। यह प्राइवेट ग्रोग्रर से भी लिया जाता है और गवर्नमेंट फॉर्म का भी बीज होता है। यह सेम्पल कौनसा था स्पेसिफिक अभी ऐसी स्थिति में नहीं हूं कि इसका सही रूप से उत्तर दे सकूं।

श्री दौलतराम सारण : 600 एकड़ भूमि पर यह बीज बोया गया वहां नहीं उगा, तो इसकी वजह से जो काश्तकारों को हानि हुई है उस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने अब तक क्या किया ? और जो लोग इसके लिये जिम्मेदार थे उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

कृषि मंत्री (श्री शोभाराम) : माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न पहले भी पिछले सैशन में आ चुका है और विस्तार से इसके बारे में जानकारी दी जा चुकी है जहां तक नौहर भादरा में 600 एकड़ में यह बीज नहीं उगने का प्रश्न है, उसमें बताया जा चुका है कि एक विशेष व्यक्ति से जो बीज खरीदा गया था उसके उगने की शिकायत सामने आई, वह केवल नौहर भादरा में ही नहीं, भरतपुर में भी यह शिकायत पाई गई। तो हमने यह तय किया कि 600 एकड़ पर और भरतपुर में जो यह बीज दिया गया उसका पेमेन्ट नहीं किया जाये और किसानों से उसकी कीमत नहीं ली जाये। अब आप कहते हैं कि क्या एक्शन लिया गया, तो इसका अर्ज करता हूं कि नेशनल सीड्स कार्पोरेशन के सर्टीफिकेट पर सीड्स लिये जाते हैं, और वह कार्पोरेशन राजस्थान का कोई डिपार्टमेन्ट नहीं है। मार्च अप्रेल तक सीड्स सर्टीफाई होकर जब हमारे पास रिपोर्ट आती है तो उसके आधार पर बीज खरीदते हैं। तो इस मामले को हमने नेशनल शीड्स कार्पोरेशन को दे रखा है और हमने कहा है कि 1,92,000 का हमको नुकसान हुआ है इसकी जिम्मेदारी उनकी है। यह प्रश्न उनके और हमारे बीच में चल रहा है और आइ. सी. ए. आर. के डिप्टी डाइरेक्टर श्री जोशी की नियुक्ति कर दी गई है कि इस मामले की छानबीन करें। और मैं यह भी बता दूं कि जिस व्यक्ति से बीज खरीदा गया उसमें से करीब 15 प्रतिशत बीज बच गया, लेकिन पूरे बीज का जो हमने पेमेन्ट किया उसका सवाल ले रखा है। भविष्य में ऐसी क्षति नहीं पहुंचे इसके लिये पार्लियामेन्ट में रूल्स बन रहे हैं और आयन्दा किसानों को नुकसान नहीं पहुंचे इसके लिये रूल्स और बाइलॉज बना कर राजस्थान स्टेट के अन्दर एक ऐसी मशीनरी कायम कर दी जाये जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट से अलग हो (क्यों कि ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट प्रोड्युसर होता है, इसलिये सर्टीफाई करनेवाली एजेन्सी कोई और होनी चाहिये) और सर्टीफिकेट दे सके बीज के बारे में। तो रूल्स बनने के बाद राज्य सरकार स्वयं एक सर्टीफाई करने वाली एजेन्सी मुकर्रर कर सकती है और इससे भविष्य में ऐसी शिकायत नहीं आ पायेगी।

श्री दौलतराम सारण : क्या राज्य सरकार ने जो इस मामले में कदम उठाये हैं, उस सम्बन्ध में उन्होंने यह भी जानकारी की है अपने विधि विभाग से कि उस व्यक्ति के खिलाफ और कोई कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है या नहीं ?

श्री शोभाराम : किन पर ?

श्री दौलतराम सारण : जिन लोगों से बीज लिया गया था उन पर। केवल बीज

(श्री दौलतराम सारण)

का पैसा नहीं देंगे इससे उसका क्या बिगड़ेगा ? 600 एकड़ पर बीज न उगने का मतलब यह है कि उन किसानों को इनकम का भी लॉस हुआ। उन्होंने वहाँ खाद डाला, पानी दिया, मेहनत की, इन सब का पैसा कौन देगा ?

श्री अध्यक्ष : काम्पेन्सेट करने का प्रश्न है।

श्री दौलतराम सारण : उनको काम्पेन्सेट करने की बात है। इस सम्बन्ध में क़ानूनी कार्यवाही हो सकती है या नहीं, इसके बारे में आपने जानकारी की है या नहीं ?

श्री शोभाराम : यह मामला नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन के बीच तय हो जायेगा कि रेस्पान्सीबिलिटी किस तरीके पर फिक्स होगी।

श्री रामचन्द्र आर्य : हम यह चाहते हैं कि किसानों का आवयाना लगा, खाद का पैसा लगा, मेहनत लगी, उनको 600 एकड़ की उपज का नुकसान हुआ है······

श्री अध्यक्ष : वही बात चल रही है।

श्री शोभाराम : जहाँ तक उस आदमी के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना है कि आर्बीट्रेटर अपना फैसला जब दे देगा उसके बाद ही उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न उठेगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह तो किसानों के लिये जीवन मरण का प्रश्न है। उनकी तो सारी फसल चली गयी। इसलिये जहाँ ऐसा भयंकर मामला हो तो उसकी जाँच में इतनी ढिलाई नहीं होनी चाहिये। इसकी तो तत्काल जांच होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मूलचन्द डागा !

श्री रामचन्द्र आर्य : तो क्या उन आदमियों से सरकार के खिलाफ दावा करवाया जाये ?

श्री अध्यक्ष : वही अच्छा होगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : जब उन किसानों के यहाँ कोई फसल नहीं उगी तो क्या कृषि विभाग ने राजस्व विभाग को लिखा कि उन किसानों का लगान माफ किया जाये ?

श्री हंसराज आर्य (भादरा) : आप जांच तो करवायेंगे, लेकिन जिन किसानों की तमाम फसल नष्ट हो गयी, उनको मुआवजा देंगे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, वही प्रश्न चल रहा है। लगान के सम्बन्ध में माननीय सदस्य पूछ रहे हैं।

श्री हरिसिंह : जो आप कह रहे हैं कि नुकसान हुआ, उसके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं उन किसानों ने बाद में दूसरा बीज बो दिया और इसलिये फसल नष्ट होने की बात नहीं होती।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह गलत है। ऐसा नहीं है। सावन की फसल उनकी नष्ट हो गयी यह बिल्कुल सही बात है।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : 600 एकड़ के जो आंकड़े दे रहे हैं वे भी

(श्री रामनारायण चौधरी)
गलत हैं। जहां कहीं भी शंकर बाजरा दिया गया वहां नहीं उगा।

श्री नत्थी सिंह : राज्य सरकार के भरोसे पर किसान लोग उन्नत किस्म के बीज को लेते हैं, उसके बाद वह बीज खराब निकल जाये और आप हाथ पर हाथ लेकर बैठे रहें, यह बिल्कुल गलत है। यह दूसरी बात है कि बाद में उन किसानों ने दूसरा बीज बोया, और इस सारे मामले में जिम्मेदारी सरकार की है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, श्री डागा।

श्री मूलचन्द डागा : प्रश्न संख्या 188

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या मंत्री महोदय······

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, सार्वजनिक निर्माण मंत्री उत्तर देंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : नहीं, अध्यक्ष महोदय······

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उनका लगान तो कम से कम माफ होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस प्रश्न पर 10 मिनट से अधिक लग चुके हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया: नीति का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : नीति स्पष्ट हो जायेगी।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह जो प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : इसकी सूची भी नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष : अभी सूची दे दी जायेगी यदि नहीं दी है तो। (थोड़े समय बाद) सेल्फ कन्टेन्ड उत्तर है, सूची नहीं है, माननीय सदस्य।

(12 मध्यान्ह)

खैरवा सड़क का निर्माण कार्य

188. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली से खैरवा तक की सड़क क्या चौथी पंच वर्षीय योजना में ली गई है ?

(2) क्या यह सत्य है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इस सड़क को अकाल राहत कार्य में लेने का निर्णय लिया है?

(3) क्या यह भी सही है कि जिला रिलीफ कमेटी ने इस सड़क को अकाल के समय करवाने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो इस रोड़ का निर्माण कार्य कब तक शुरू कर दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

विद्युत् मन्त्री श्री शिवचरण माथुर :

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां, कार्य 10-1-69 से चालू है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : डागा जी बोलिए।

एक माननीय सदस्य : अब कुछ नहीं बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : प्रश्न 177 का जवाब दिला दिया जावे, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : बाद में मैं 5 मिनिट दे दूंगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बजट पर और भी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। समय बचेगा तो ...

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री देवीदत्त गाड़िया : प्वॉइंट ऑफ ऑर्डर सर।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन अपने पैरों पर हो तो कोई प्वॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता है। आप बैठ जाइये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : × ×

श्री अध्यक्ष : एक्सपंज किया जाये।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

पंचायत समिति कुशलगढ़ का ओवरसियर

169. (31/ पं. मं.) **श्री हीराभाई**:– क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या जिला बांसवाड़ा की पंचायत समिति, कुशलगढ़ के ओवरसियर को किसी कारणवश मुअत्तिल कर रखा है? यदि हां तो कब से और क्यों?

(2) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ पंचायत समिति के तमाम निर्माण कार्य ओवरसियर के अभाव से बन्द हैं? यदि हां, तो कब से ?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार की नीति के अनुसार उन उत्पादन कार्यों का तेजी से निर्माण कराना अनिवार्य है ? यदि हां, तो उक्त पंचायत समिति में ओवरसियर भेजा जाकर तमाम उत्पादन सम्बन्धी निर्माण कार्यों को पूर्ण क्यों नहीं कराया गया ? अब ओवरसियर कब तक भेज दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। सन्तोषजनक नहीं होने से दिनांक 4-7-68 से निलम्बित है।

(2) सभी काम बन्द तो नहीं हैं किन्तु निर्माण कार्यों की प्रगति में शिथिलता अवश्य आ रही है।

(3) निर्माण कार्यों की समुचित प्रगति के लिये वर्क चार्ज सर्वेयर 20–12–68 से नियुक्त किया गया है। दिनांक 10-2-69 से ओवरसियर पुन: कार्य करने लग गया है।

मकराना-अजमेर तथा मकराना जयपुर मार्ग पर बस सुविधाएं

171. **श्री विजयसिंह** (मकराना) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मकराना से अजमेर और मकराना से जयपुर मार्गों पर लोगों को अच्छी बस सुविधाएं प्राप्त नहीं है ?

× × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही में से हटाये गये।

(श्री विजयसिंह)

(2) क्या सरकार उक्त मार्गों पर राज्य पथ परिवहन की बसें चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और, यदि नहीं तो क्यों ?

(3) क्या सरकार यह अनुभव करती है कि उक्त मार्गों पर बसें चलाने से निगम को लाभ होगा ?

उत्तर

(1) मकराना से अजमेर सिर्फ एक ही अनुज्ञापत्र दिनांक 20-1-68 को आर. जे. एल. 8562 वाहन को दिया गया है यह वाहन 1961 मॉडल व 47 बैठक का है।

(2) अभी अजमेर-मकराना मार्ग पर निगम की बसें चलाये जाने की कोई योजना नहीं है। अजमेर और जयपुर के बीच निगम की सेवाएं चल रही हैं।

(3) अभी तक इस दृष्टि से इस मार्ग का सर्वे नहीं कराया गया है।

जोधपुर में की गई गिरफ्तारी के विरुद्ध शिकायत

174. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अगस्त, 68 में जोधपुर पुलिस द्वारा श्री ओमप्रकाश परिहार को गिरफ्तार किया गया था ? यदि हां, तो किस अपराध में और किस धारा के अन्तर्गत ?

(2) क्या यह सही है कि इस व्यक्ति को गलत तौर पर गिरफ्तार किया गया था ? वारण्ट किसी और के नाम था और गिरफ्तार इनको कर लिया ?

(3) क्या यह सही है कि इस गिरफ्तारी के विरुद्ध गृह मंत्री महोदय को शिकायत की गई ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह सही है कि इस बदनीयतीपूर्ण गिरफ्तारी की शिकायत राज्य के कई मंत्रियों, उप-मंत्रियों एवं विधान सभा सदस्यों ने सम्मिलित रूप से गृह मंत्री को की थी ?

उत्तर

(1) जी हाँ। श्री ओम प्रकाश परिहार के नाम, अदालत सिटी मजिस्टेट के वॉरंट गिरफ्तारी जो दफा 107 जा. फौ. के केस से सम्बन्धित था जारी हुआ था उसकी तामील में श्री ओमप्रकाश को दिनांक 25-8-68 को गिरफ्तारी किया गया था।

(2) जी नहीं।

(3) जी हाँ। अपर अधीक्षक आरक्षी जोधपुर को शिकायत की जांच शीघ्र करने के आदेश दिये गये थे। जाँच से गिरफ्तारी सही व्यक्ति की होना पाया गया। अतः किसी के खिलाफ कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

(4) जो शिकायत पेश की गई थी, वह सुपरिन्टेन्डैन्ट पुलिस, जोधपुर को वास्ते जाँच भेजी गई थी।

ग्राम मोटून्दा में चरागाह की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

177. (5/ रा. मं.) श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला बून्दी की तहसील, बून्दी के ग्राम मोटून्दा में कुछ

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)
व्यक्तियों ने चरागाह की भूमि पर अनधिकृत कब्जा किया है ? अगर हाँ, तो किन किन ने कितनी भूमि पर कब्जा किया व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या उक्त गाँव के अतिरिक्त इसी तहसील में अन्य चरागाहों पर भी अनधिकृत कब्जा किया गया है ? यदि हाँ, तो नाम मय रकवा व ग्राम सूचित करें।

उत्तर

(1) जी हाँ, यह सही है। ग्राम मोटून्दा की चरागाह पर 10 व्यक्तियों ने 51।।)3 भूमि पर अतिक्रमण किया है जिसकी सूची संख्या 1 संलग्न है। अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत नियमानुसार कार्यवाही चालू है।

(2) जी हां, तहसील बून्दी के अन्य ग्रामों जिसकी चरागाह भूमि पर अनधिकृत कब्जा किया गया है उनकी ग्रामवार सूची सं० 2 संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

पंचायत समिति पीपलखूंट को पंपिंग सेट्स के लिये धनराशि

178. (34/पं.सं.) श्री विट्ठल भाई : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला बाँसवाड़ा में पंचायत समिति, पीपलखूंट में इस साल पंम्पिग सैट की रकम पंचायतों को दी गई है ?

(2) यदि हाँ, तो किन किन पंचायतों को कितनी कितनी रकम दी गई है और किन किन पंचायतों ने कौन कौन से पम्प खरीदे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह भी सही है कि जिन पंचायतों ने इन्जिन खरीदे हैं उन्होंने टेन्डर कॉल नहीं किये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हाँ।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) पंचायतों द्वारा इन्जिन खरीदने के पूर्व टेन्डर / कॉटेशन प्राप्त किये गये थे।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

ग्राम कालिया खेड़ी के बंजारा परिवारों की भूमि

186. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) :— क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम कालिया खेड़ी, तहसील रामगंज मण्डी के बंजारा परिवारों द्वारा कब से इस ग्राम में भूमि कांश्त की हुई है और उनके नाम इस भूमि को अब तक रेगुलेराइज नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम कालियाखेड़ी की उपरोक्त भूमि पहले डूब में आने वाले विस्थापित परिवारों के लिये रिजर्व्ड की हुई थी और कालिया खेड़ी के बंजारा परिवारों की काबिज जमीन होने के कारण

Page No. 29

(श्री जुंझारसिंह)
ही उसे कॉलोनाइजेशन के नम्बरों से अलग किया गया था व इसके बजाय रामगंज मण्डी के दूसरे गांवों में जमीन निकाली गई थी ? कृपया इस जमीन को कॉलोनाइजेशन से अलग करने व दूसरे किन गांवों में जमीन उपलब्ध करवाई गई है, उसका क्षेत्रफल बताने का कष्ट करें।

(3) कालिया खेड़ी के बंजारा परिवारों के नाम कब तक भूमि रेगुलराइज करदी जावेगी ?

उत्तर

(1) ग्राम कालिया खेड़ी, तहसील रामगंज मण्डी के 49 बंजारा परिवारों द्वारा सम्वत् 2018 से भूमि काश्त की हुई है। इनमें से 45 बंजारों के सिवाय चक भूमि पर किये गये अतिक्रमण का नियमन किया जा चुका है। शेष 4 बंजारा परिवारों के मामले इसलिये रेगुलराइज नहीं हो सके हैं कि उन्होंने राणा प्रताप सागर के विस्थापितों के बसाने के लिये रिजर्व की हुई भूमि पर कब्जा कर रखा है।

(2) यह सही नहीं है।

(3) बंजारा परिवारों के मामले इसलिये रेगुलराइज नहीं किये जा सके हैं कि उन्होंने राणा प्रताप सागर के विस्थापितों के बसाने के लिये रिजर्व की हुई भूमि पर कब्जा कर रखा है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम पंचायत, बौंली एवं ग्राम पंचायत, खंड में प्राइमरी हैल्थ सैन्टर

94. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) :—क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत, बौंली (तहसील मलारना चौड़) एवं ग्राम पंचायत खंड (तहसील खंडार) ने अपने यहां प्राइमरी हेल्थ सेन्टर हेतु अपने चंदे की राशि के दस-दस हजार रुपए जमा करा दिए थे ? यदि हां, तो यह राशि उक्त पंचायतों ने किस तारीख को जमा कराई ? उक्त दोनों पंचायतों द्वारा अपने हिस्से की राशि जमा करा देने के उपरान्त भी अभी तक बौंली एवं खंडार में प्राइमरी हेल्थ सैन्टर के भवन राज्य सरकार द्वारा क्यों नहीं बनाए गए और अब यह काम कब आरम्भ कराया जायेगा ?

उत्तर

जी हाँ। ग्राम पंचायत, बौंली ने दिनांक 27-3-64 को दस हजार रुपया एवं ग्राम पंचायत खण्ड, ने दिनांक 26-12-64 को रुपये 11,900/- जन सहयोग की धन-राशि जमा करवाई। इस धन राशि से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के उप-केन्द्र भवन निर्माण पंचायत समिति द्वारा किया जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण के लिये राज्य सरकार द्वारा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इस कार्य के लिये प्रावधान कर दिया गया है।

चित्तौड़गढ़ जिले के हॉस्पिटल एवं डिस्पैन्सरीज

95. श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़) :—क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में कितने हॉस्पिटल व डिसपेन्सरियां हैं ? संख्या देने की कृपा करें और उनकी सूची सदन की

(श्री रामकुमार नन्दवाना)

मेज पर रखने की कृपा करें साथ ही यह भी सूचना दें कि किस किस हॉस्पिटल व डिस्पेन्सरी पर डाक्टर हैं तथा स्टॉफ कितना कितना है ?

(2) राजस्थान के अन्य जिलों में कितने हॉस्पिटल व डिस्पैन्सरियां हैं ? सूची देने की कृपा करें और जिलेवाइज डाक्टरों की संख्या बताने की कृपा करें। इसके अलावा जिला मुख्यालय पर स्थित हॉस्पिटलों पर कहां कहां कितने डाक्टर हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में 9 अस्पताल व 13 डिस्पैन्सरियां हैं। सूची संलग्न है।

(2) सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई।)

सी. टी. एस. की बसें

96. श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर शहर में चलने वाली सी. टी. एस. की बसें चलाने का परमिट किस पार्टी के नाम है और उसमें किन किन का हिस्सा है ?

(2) क्या जयपुर में सरकारी बसें चलाने की कोई योजना है ? अगर हां, तो कब से कार्यान्वित की जायेगी ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में चलने वाली सी. टी. एस. की बसें चलाने का परमिट सैन्ट्रल ट्रान्सपोर्ट सर्विस, मिर्जा इस्माईल रोड, जयपुर के नाम है। श्री कमलचन्द कासलीवाल, सैन्ट्रल ट्रान्सपोर्ट सर्विस, मिर्जा इस्माईल रोड, जयपुर इसके सोल प्रोप्राईटर हैं।

(2) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

मकराना में खानों तक सड़क बनाने की योजना

97. श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मकराना नगर के बाहर से खानों तक सड़क बनाने की योजना बनाई गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि यह योजना मकराना की गहरी आबादी को देखते हुए अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है ? यह योजना कब तक पूरी कर दी जायगी ?

(3) अगर ऐसी योजना विभाग के समक्ष नहीं है, तो कब तक बना कर पूरी कर दी जायगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) पूर्व स्वीकृत सड़कों को प्राथमिकता दी जाने को है। अतः अर्थाभाव के कारण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

(3) अर्थाभाव के कारण अवधि निर्धारित करना संभव नहीं है।

चोरी व डकैती के मामले

98. श्री रामचन्द्र आर्य (नौहर) :— क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि वर्ष 1968-69 में राजस्थान में चोरी की व डकैती की वारदातें बहुत अधिक हुई हैं ? यदि हां, तो कुल कितनी चोरी व कितनी डाकेजनी हुई हैं व कितना माल गया ? जिलेवार तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(दिनांक 26-3-69 के लिये स्थगित किया गया ।)

कृषि अनुसंधान विभाग पर व्यय

99. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कृषि अनुसंधान विभाग, राजस्थान में कब से कार्य कर रहा है तथा वह प्रदेश के कृषकों को मार्ग दर्शन करने में कहां तक सफल हुआ है ?

(2) कृषि अनुसंधान पर प्रतिवर्ष कितनी धन राशि व्यय की जाती है ?

(3) कृषि अनुसंधान जो कृषि विभाग में होता है तथा जो कृषि अनुसन्धान, उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित होता है उनमें क्या भेद है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में कृषि अनुसन्धान कार्य सन् 1950 से हो रहा है। इस अनुसन्धान के आधार पर ही उत्तरोत्तर नये खाद, बीज, पौध उपचार और नयी पद्धतियां कृषकों द्वारा अपनायी जा रही हैं।

(2) 1967-68 में 11,40,640) रु० तथा 1968-69 में 13,31,650) रु० व्यय किए गए हैं।

(3) कृषि विभाग में एप्लाइड अनुसंधान कार्य होता है तथा कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर में फण्डामेन्टल विषयों पर अनुसंधान कार्य किया जाता है।

हाई ईल्डिंग वैराइटी प्रोग्राम को प्रोत्साहन

100. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी):—क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) हाई ईल्डिंग वैराइटी प्रोग्राम को प्रोत्साहित करने व कामयाब बनाने के लिये विभाग द्वारा क्या योजना बनाई गई है और बीज, फर्टीलाइजर व ऋण की क्या व्यवस्था की गई ? क्या मौजूदा व्यवस्था के तहत किसानों की आवश्यकताएं समय पर आसानी से पूरी हो जाती हैं ?

(2) हाई ईल्डिंग वैराइटी के तहत कोटा जिले की अलग अलग पंचायत समितियों में कितनी कितनी एप्लीकेशन्स प्राप्त हुई थीं, कितनी मंजूर की गई थीं और उनमें से कितनी रकम उठा ली गई है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। मेग्जीमम क्रेडिट यूनिट कायम कर देने की सूचना क्या सम्बन्धित बैंक को कर दी गई थी और कृषकों को समय पर ऋण उपलब्ध हो गया था ? यदि हां, तो कितने परसेन्ट को ?

उत्तर

(1) हाई ईल्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम को प्रोत्साहित करने व कामयाब बनाने के

(कृषि मंत्री)

लिए विभाग द्वारा सहकारी समिति के उन सदस्यों को जो कि इस कार्य-क्रम में भाग ले रहे हैं ऋण की व्यवस्था की गई है। जिससे कृषकों को बीज, रासायनिक खाद व पौध संरक्षण दवाइयों की मांग पूरी की जा सकेगी। समस्त बीज का वितरण विभाग द्वारा किया जाता है। रासायनिक खाद का वितरण मार्केटिंग सोसायटीज द्वारा किया जाता है और ऋण की व्यवस्था केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा की जाती है।

(2) जी हां. मौजूदा व्यवस्था के तहत किसानों की आवश्यकताएं समय पर आसानी से पूरी की जाती हैं।

(1) सम्बन्धित सूचना संलग्न की जा रही है।

(2) मेग्जीमम क्रेडिट यूनिट कायम कर देने की सूचना सम्बन्धित बैंक को समय पर ही कर दी गयी थी।

खरीफ 68 में कुल मांग की 56 प्रतिशत राशि कृषकों को दी गयी थी जबकि रबी 68-69 में कुल मांग की 21.9 प्रतिशत राशि कृषकों को उपलब्ध कराई गयी थी।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

लैन्ड रिक्लेमेशन व डेवलपमेन्ट स्कीम

101. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इटावा क्षेत्र में भारत सरकार व राजस्थान सरकार के सहयोग से चलाई जा रही लैन्ड रिक्लेमेशन व डेवलपमेन्ट स्कीम की क्या रूपरेखा है? किन किन गांवों के कितने कितने क्षेत्र में कब से इस स्कीम को हाथ में लिये जाने की योजना है?

(2) इटावा के उपरोक्त क्षेत्र में से कितना रकबा सरकार के व कितना काश्तकारों के कब्जे में है और इस क्षेत्र में रेवीन्स की औसत गहराई क्या है? उसको रीक्लेम करने में सरकार की कितनी रकम फी एकड़ खर्च करने की योजना है व अब तक कितनी भूमि इस योजना के तहत रीक्लेम कर ली गई है? मशीनरी, स्टॉफ व कॉस्ट ऑफ रीक्लेमेशन पर अब तक कितना धन खर्च किया जा चुका है?

(3) क्या यह सही है कि क्षेत्र के काश्तकारों को खातेदारी हक प्राप्त नहीं होने के कारण लैंड रीक्लेमेशन स्कीम के तहत ऋण प्राप्त करने में कठिनाई आ रही है? व इस कारण भी स्कीम के चालू किये जाने में विलम्ब हुआ है? यदि हां, तो सरकार ने काश्तकारों को ऋण देने की क्या नई व्यवस्था की है?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

सांगोद क्षेत्र में कृषि कार्य को प्रोत्साहन देने की योजना

102. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिन स्थानों पर उपलब्ध पानी के उपयोग से एग्रीकलचरल पोटेंशियल बढ़ाये जा सकने की गुंजाइश है उन्हें प्रोत्साहन देने व उनमें खेती की पैदावार बढ़ाने की

Page No. 33

(श्री जुझारसिंह)

दृष्टि से सरकार द्वारा क्या कार्य किये जाने की योजना है ? क्या सरकार ऐसे स्थानों के विकास के लिये अलग से फन्ड्स निकाल कर डवलप करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्या आगे इस बारे में विचार करेगी ?

(2) सांगोद समिति में नदी उजाड़, उरु, कालीसिन्ध व परवन में जो पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है और पूरे तौर से काम में नहीं लिया जा रहा है उससे खेती की पैदावार बढ़ाने की दृष्टि से सरकार ने क्या प्रयास किये हैं ?

(3) क्या सरकार इन व ऐसे दूसरे स्थानों पर बिजली के खर्चे के लिए विद्युत् विभाग को फन्ड्स उपलब्ध करवा कर इन्हें ज्यादा पैदावार बढ़ाने के लिये डवलप करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर एग्रीकलचरल पोटेन्शियल बढ़ाया जा सकता है उनके लिए विशेष लघु सिंचाई की योजनायें बना रही है।

(2) सांगोद क्षेत्र के लिए 900 नये कुए और 560 पम्पिग सैट फाईनेन्स कारपोरेशन की सहायता से लगाए जाने की तीन वर्षीय योजना बनायी गयी है।

(3) यह विद्युत् विभाग से सम्बन्धित है।

चूरू जिले में चैरिटी फन्ड के नाम जमा राशि

103. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़): क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या लोहा, सीमेंट, चीनी आदि कन्ट्रोल की वस्तुओं के भाव बांवते समय कोई चैरिटी के नाम से पैसा जोड़ा जाता है ? यदि हां, तो इस प्रकार के चैरिटी फन्ड में चूरू जिले में अभी तक कितना रुपया जमा हुआ है ?

(2) चूरू जिले के चैरिटी फंड में से कितनी संस्थाओं को कितना, कितना रुपया गत वर्षों में दिया गया है ?

(3) चैरिटी फंड किस नियम अथवा आदेश के आधार पर स्थापित है ? इस चैरिटी फंड से दिया जाने वाला पैसा किन नियमों के अन्तर्गत दिया जाता है ? उन नियमों की प्रतियां सदन की मेज पर रखी जायें।

(4) क्या पहले जिन संस्थाओं को चूरू चैरिटी फंड से पैसा दिया गया है, उनके यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट्स प्राप्त हो गये हैं ? किन किन को, कब कब यह पैसा किन किन कार्यों के लिए दिया गया था ? यह पैसा किन किन कार्यों में लगाया जा सकता है ?

(5) क्या यह सही है कि इस चैरिटी फंड के लिए पहले डी० एस० ओ०, एक मार्केटिंग सोसाइटी का आदमी और एक चीनी का व्यापारी को मिला कर एक कमेटी होती थी ?

(खाद्य मन्त्री)

उत्तर

(1) खाद्य विभाग द्वारा सूजी, मैदा, आटा, चीनी, चावल आदि के भाव नियत करते समय भिन्न (Fraction) को पूर्णांक में परिवर्तित किया जाता है तथा इस तरह वास्तविक भाव और परिवर्तित भाव (Rounded off Price) में जो अन्तर फलीभूत होता है उसे लाइसेन्स्ड कामोडिटीज चैरिटी फंड में जमा करा दिया जाता है। लोहा और सीमेन्ट के भाव इस विभाग द्वारा निर्धारित नहीं किये जाते हैं। अतः उक्त फंड में लोहे और सीमेंट पर इस प्रकार की राशि जमा नहीं की जाती है।

चूरू जिले में दिसम्बर, 68 तक उक्त फण्ड में 88,071.99 रुपये जमा हुये।

(2) सूची संलग्न है।

(3) सर्व प्रथम लाइसेन्स्ड कामोडिटीज चैरिटी फंड रूल्स 10-8-61 को बने। तदनन्तर 20-1-67 तथा 7-2-68 को इन नियमों को संशोधित किया गया। मूल नियम एवं संशोधन आदेशों की प्रतिलिपियां संलग्न हैं।

(4) उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो चुके हैं। किन किन को कब कब यह पैसा किन किन कार्यों के लिये दिया गया एवं यह पैसा किन किन कार्यों में लगाया गया इसका विवरण प्रश्न के भाग (2) के निमित्त जो तालिका संलग्न की गई उससे स्पष्ट है।

(5) जी नहीं, संशोधन आदेशों के पूर्व 10-8-1961 से 20-1-1967 तक जिलाधीश इस फंड के तहत बनी सलाहकार समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे तथा ज़िले के थोक एवं खेरीज विक्रेताओं की ओर से एक एक प्रतिनिधि को नियुक्त करने का अधिकार जिलाधीश को हुआ करता था।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई।)

ग्राम रटलाई में चिकित्सालय भवन निर्माण का कार्य

104. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति बकानी द्वारा ग्राम रटलाई में चिकित्सालय की इमारत के लिए बीस हजार रुपये देना स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो यह स्वीकृति कब दी गई ?

(2) क्या यह सही है कि इमारत चिकित्सालय बनाये जाने का कार्य शुरू करवा दिया गया है ? यदि हां, तो कितना कार्य हुआ है ? अगर नहीं, तो कब होगा ? कब तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ?

उत्तर

(1) दिनांक 30 अप्रेल सन् 1967 को 10,000 रुपये की स्वीकृति दी गई।

(2) इमारत का काम आरम्भ नहीं हुआ है। पंचायत समिति की मीटिंग दिनांक 29 नवम्बर, 68 के निर्णय के अनुसार कार्य शीघ्र ही आरम्भ कराया जावेगा।

सवाई माधोपुर में बाढ़ से दुकानों को क्षति

105 श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि 10-11 जुलाई,68 की बाढ़ में कस्बे सवाई माधोपुर के आम बाजार में गाड़ी कटले में कुछ कच्ची दुकानें गिर गईं और उनका सारा सामान या तो बह गया अथवा नष्ट हो गया ?

(2) क्या यह सही है कि इस गाडी कटले की दुकानों में बाढ़ के कारण दुकानदारी का सारा सामान या तो नष्ट हो गया अथवा बह गया ? यदि हां, तो इस कटले के कितने दुकानदारों की क्षति हुई एवं कितनी क्षति होने का अनुमान अधिकारियों द्वारा लगाया गया है ?

(3) क्या इन दुकानदारों को जो अधिकतर शरणार्थी हैं राज्य सरकार द्वारा सहायता अथवा ऋण के रूप में कोई राहत दी गई है ? यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) राज्य सरकार इनके पुनर्वास के लिए अब क्या राहत पहुंचाना उचित समझती है ?

उत्तर

(1) दिनांक 10-11 जुलाई, 68 में बाढ़ से कस्बा सवाई माधोपुर के आम बाजार में गाड़ी कटले में दो कच्ची दुकानों का गिरना व उनकी क्षति होना प्रकट हुआ है।

(2) गाड़ी कटले की दुकानों में बाढ़ से कुल 37 दुकानदारान को 73,381) रु० की अनुमानित क्षति हुई है। इसमें माल की कीमत भी शामिल है।

(3) माल की क्षति की पूर्ति का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण कोई धनराशि सहायता अथवा ऋण के रूप में नहीं दी गई।

(4) क्षति पूर्ति के लिए की गई व्यवस्था विचाराधीन नहीं है।

सवाई माधोपुर डिविजन में बाढ़ से क्षति

106. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सवाई माधोपुर सब-डिविजन में गत वर्षा ऋतु में 10-11 जुलाई की बाढ़ से कितने परिवारों को सवाई माधोपुर नगर एवं इस सब-डिविजन की प्रत्येक तहसील में क्षति हुई और कितनी ? कृपया उक्त क्रम से परिवारों की संख्या एवं क्षति का अनुमान बताने की कृपा करें।

(2) राज्य सरकार द्वारा सहायतार्थ कितनी राशि स्वीकृत की गई और उक्त परिवारों में से कितने परिवारों को सहायता दी गई और उसमें कितनी राशि व्यय हुई ?

(3) क्या राज्य सरकार द्वारा पुनर्वास हेतु ऋण अथवा तकावी के लिए कोई राशि प्रभावित लोगों के पुनर्वास हेतु स्वीकृत की गई ? यदि हां, तो किस किस कार्य के लिए कितनी कितनी और उसमें से अब तक

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)
कितनी राशि इस हेतु खर्च की जा चुकी है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) राज्य सरकार द्वारा बाढ़ सहायता हेतु 4,43,000) रु० का प्रावधान स्वीकृत किया था जिसमें से सवाई माधोपुर सब-डिविजन के 1,440 परिवारों को 53,245) रु० की राशि व 150 क्वी० 65 किलो 250 ग्राम आटा सहायतार्थ व्यय किया गया।

(3) सरकार द्वारा पुनर्वास हेतु ऋण तक़ाबी के लिए निम्न प्रावधान स्वीकृत किया गया। मकानों के पुनः निर्माण हेतु एक लाख रुपये, निजी कुए एवं जावों के पुनः निर्माण हेतु 50,000) रु०, कृषि-उपकरण हेतु 5,000) रु० इसमें से कुओं के जाव के पुनः निर्माण हेतु 1,000) रु०, तथा मकानों के पुनः निर्माण हेतु 2,000) रु० व्यय किया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

अकालग्रस्त क्षेत्र के सार्वजनिक नसली सांड, झोटों को सहायता

107. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बतायेंगे:—

(1) राजस्थान के अकालग्रस्त क्षेत्रों में सार्वजनिक नसली साँड, झोटों के लिये कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ? जिलेवार सूची दें।

(2) इन क्षेत्रों में कुल कितने गांवाई नसली सांड, झोटें हैं ? जिलेवार संख्या बतलायें।

(3) अब तक कितने सांड, झोटों को यह सहायता दी गई है ? जिलेवार सूची दें।

(4) जिनको सहायता नहीं दी गई है उसके क्या कारण हैं ?

(5) क्या सहायता नहीं देने के कारण भूख से दुर्बल होने और मर जाने के कारण पशुओं की नस्ल को हानि नहीं होगी और किसान की माली हालत पर बुरा असर नहीं पड़ेगा ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(4) जहां जैसी आवश्यकता अनुभव की जा रही है सहायता दी जा रही है।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

बलदेवराम मिर्धा पार्क की भूमि

108. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनू):— क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कस्बा डीडवाना, जिला नागौर की सरहद में कोई

(श्री हरजीराम बुरडक)
जमीन बलदेवराम जी मिर्धा पार्क के नाम से है? यदि हां, तो किस खसरा नम्बर की, कितने बीघा जमीन, किस किस्म की, कब से है और उनका राजस्व लगान यदि कोई लगता हो तो कौन चुकाता है तथा किस उपयोग में यह जमीन लाई जा रही है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त जमीन बलदेवराम मिर्धा पार्क के नाम से किस अधिकारी द्वारा एलॉट किसकी मांग पर की गई थी और उससे पूर्व यह जमीन किसकी थी तथा क्या काम आती थी ?

उत्तर

(दिनांक 26-3-69 के लिये स्थगित किया गया।)

श्रीगंगानगर की सरकारी काश्त योग्य भूमि

109. **श्री रामचन्द्र आर्य :** (नोहर) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला श्रीगंगानगर में सरकारी भूमि जो काश्त योग्य है, कुल कितना बीघा है ?

(2) क्या यह सही है कि जिला श्रीगंगानगर में लाखों बीघा भूमि बंजड़ पड़ी है ? यदि हां, तो भूमिहीन काश्तकारों को क्यों नहीं दी जाती ?

(3) जिला श्रीगंगानगर में कुल कितने भूमिहीन हैं ?

(4) जिला श्री गंगानगर में भूमि बंजड़ रहने का क्या कारण हैं ?

(5) क्या यह सही है कि जिला श्रीगंगानगर में भूमिहीन काश्तकारों की भूमि प्राप्त करने की दरख्वास्तें काफी तादाद में सरकार के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो कुल कितनी दरख्वास्तें हैं ?

उत्तर

(1) जिला श्रीगंगानगर में भाखरा क्षेत्र में 10,863 एकड़ व गंग कैनाल क्षेत्र में 97,163 एकड़ कृषि योग्य सरकारी शेष भूमि हैं। राजस्थान कैनाल क्षेत्र में सरकारी कृषि योग्य भूमि 5.65 लाख एकड़ है।

(2) जी नहीं। केवल 8,704 बीघा भूमि बंजर है जो बड़े-बड़े टीबों व धोरों की है जिसके लिये किसी काश्तकार की दरख्वास्त पेश नहीं हुई। राजस्थान कैनाल क्षेत्र में राजकीय बिला नाम भूमि प्रति वर्ष अस्थाई काश्त हेतु नीलाम की जाती है। अतः कृषि योग्य भूमि बंजड़ रहने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) 17,519 भूमिहीन काश्तकार हैं।

(4) जो रकबा बंजड़ है वह ऊंचे टीबों व धोरों का है जिनमें ठीक प्रकार से काश्त नहीं हो सकती और वहां पर सिंचाई का कोई साधन नहीं है। राजस्थान नहर क्षेत्र में सरकारी भूमि को प्रति वर्ष आरजी तौर पर दी जाती है अतः बंजड़ रहने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(5) गंगानगर जिले में 2,100 दरख्वास्तें गंग कैनाल क्षेत्र में भूमि आवंटन हेतु पैंडिंग हैं जिनमें कार्यवाही चालू है व 1,800 दरख्वास्तें भाखरा क्षेत्र में स्माल पेच में आवंटन हेतु हाल ही में बकाया है जिनकी

(राजस्व मंत्री)
कार्यवाही तहसीलों में चालू है इनका शीघ्र निपटारा कर दिया जावेगा। इसके अलावा राजस्थान कैनाल में 95,429 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुऐ हैं जिनमें से 5,500 प्रार्थना-पत्र जिला गंगानगर के हैं। अब तक केवल 114 प्रार्थी भूमिहीन कृषकों को भूमि आवंटन किया जा चुका है। 529 प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत किये गये हैं बाकी 94,786 प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं।

(12. 15 म० प०)

स्थगन प्रस्तावों पर माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा, ने राजस्थान विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों द्वारा प्रशिक्षण बन्द करने के नोटिस दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। इसे राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त करने हेतु पैंडिंग रखा गया था। इस सम्बन्ध से यह जानकारी है कि प्राध्यापकों ने कुछ मांगें उपकुलपति के समक्ष रखी थीं जिनको विचारार्थ ले लिया गया है और अब स्थिति सामान्य बतलाई गई है। इसके अतिरिक्त राजस्थान विश्वविद्यालय एक स्वायत्त संस्था है।

उन्होंने अलवर बिजलीघर के मजदूरों द्वारा भूख हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के बारे में भी एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। इस सम्बन्ध में अब यह जानकारी मिली है कि उक्त मजदूरों द्वारा भूख हड़ताल समाप्त कर दी गई है।

एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रामचन्द्र आर्य व श्री केदारनाथ, सदस्य विधान सभा, ने दी थी जो जैसलमेर में मजदूरों की मजदूरी काटी जाने के कारण कुछ मजदूरों द्वारा भूख हड़ताल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में है। इसका सम्बन्ध अकाल राहत कार्यों से है तथा इस पर बहस भी हो चुकी है। फिर भी यदि माननीय सदस्य चाहें तो इस विषय को बजट की बहस के दौरान उठा सकते हैं।

ऐसी स्थिति में, मैं उपरोक्त तीनों स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

इनके अतिरिक्त एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री देवीदत्त गाड़िया, सदस्य विधान सभा,से प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने यह कहा है कि राजस्थान नॉन गजटेड पुलिस कर्मचारी संघ के मन्त्री एवं शाहपुरा पुलिस स्टेशन पर नियुक्त एक पुलिस कर्मचारी को शाहपुरा के थानेदार द्वारा घायल कर दिया गया है तथा उसका बायां हाथ भी तोड़ दिया गया है। इस मामले में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर इस पर निर्णय लिया जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथाशीघ्र सूचित कर दूंगा।

इनके अतिरिक्त दो और स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जो इस प्रकार हैं:-

(1) पहले स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रामचन्द्र आर्य व श्री दौलतराम सारण, सदस्य विधान सभा, से प्राप्त हुई जिसमें यह बतलाया गया है कि तहसील नौहर के गांव पाँडूसर में वाटर वर्क्स चालू हालत में नहीं होने से वहां के पीने के पानी का संकट

(श्री अध्यक्ष)

उत्पन्न हो गया है। जन स्वास्थ्य की मांग पर दिनांक 20 मार्च, 1969 को बहस होगी। इस सिलसिले में यदि माननीय सदस्य चाहें को इस विषय को कटौती प्रस्ताव के जरिए उस दिन उठा सकते हैं।

(2) दूसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री देवीदत्त गाड़िया, सदस्य विधान सभा, से प्राप्त हुई है जिसमें यह बतलाया है कि तहसील लूणकरणसर क्षेत्र के डिपो पर चारा न होने तथा कुए पर स्थित पम्पिग सैट की मशीन खराब हो जाने के कारण चारे व पानी के अभाव में मवेशी भूख व प्यास से मर रहे हैं तथा इस कारण उस क्षेत्र की स्थिति विषम हो गई है। अकाल सम्बन्धी स्थिति के बारे में सदन में चर्चा हो चुकी है।

उपरोक्त मामले अविलम्बनीय लोक महत्व के भी नहीं हैं अतः इनको मैं सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

जहां तक अकाल से सम्बन्धित प्रश्नों का ताल्लुक है, मैंने आज भी अकाल राहत मन्त्री से बात की है, जिन प्रश्नों का माननीय सदस्य जिक्र करते हैं, उन प्रश्नों के निराकरण के सम्बन्ध में, अकाल राहत मंत्री जी इस पर राजी हो गये हैं कि सप्ताह में एक दिन मीटिंग हो। एक घंटा डेढ़ घंटा, जैसी सुविधा का समय हो। वहां निराकरण हो जाये। ताकि माननीय सदस्यों के जो प्रश्न आते हैं, उनका निराकरण होता रहे। ऐसी व्यवस्था की गई है।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : पांडूसर के अन्दर वहां वाटर वर्क्स लगा हुआ है, हम यह चाहते हैं कि वाटर वर्क्स को वहां से निकाल दिया जाये। ताकि लोगों को पानी पीने को मिलता रहे। वहां लोगों को पानी नहीं मिलता है। आपने व्यवस्था दी है, 20 तारीख को बहस होगी।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर ! आॅर्डर ! माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करे। स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : माननीय अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष : किस सम्बन्ध में ? स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में नहीं।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी है अकाल राहत मन्त्री के साथ बातचीत करने और विचार विमर्श करने के सम्बन्ध में परन्तु विशेष बात यह है कि अकाल राहत के सम्बन्ध में रोज नई समस्याएं पैदा होती रहती हैं। कोई मर जाता है, किसी का कुछ हो जाता है तो हमें सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या कार्य करना चाहिए ?

श्री अध्यक्ष : मैं यह स्पष्ट कर दूं कि यह सुविधा की दृष्टि से प्रश्नों के निराकरण की दृष्टि से यह सदन के सामने रखा गया है इसका यह अर्थ नहीं है कि माननीय सदस्य प्रक्रिया के अन्तर्गत कोई प्रश्न उठाना चाहें, उनको रोका है। यह तो एक सुविधा के तरीके के लिए है। इसके द्वारा केवल वह प्रश्न जो माननीय सदस्य सदन के द्वारा उठाते हैं, उनका निराकरण हो जायगा। इसका उपयोग माननीय सदस्य कर सकते हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे दो स्थगन प्रस्ताव थे ।

श्री अध्यक्ष : उसकी जानकारी की जा रही है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : फर्जी कार्यवाही हो रही है वहां···

श्री अध्यक्ष : आप मुझ से मिल चुके हैं । आप फिर उसी प्रश्न को उठा रहे हैं । मैं कल स्वीकृति या अस्वीकृति का उत्तर दे दूंगा ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मुझे कुछ बोलने तो···

श्री अध्यक्ष : नहीं बोलने दूंगा इस प्रश्न पर । आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अभी फर्माया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने···

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव सदन के समक्ष नहीं है । यह स्टेज नहीं है उसकी मैंने व्यवस्था दे दी है । माननीय सदस्य उसे दुहरा रहे हैं ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : वह रिजेक्ट हो गया तो ।

श्री अध्यक्ष : वह रिजेक्ट नहीं होगा । कहा है, मैं कल व्यवस्था दे दूंगा ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : स्पष्टीकरण मैं कर दूंगा ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि दिव्य शक्ति प्राप्त मन्त्री गणों ने साक्षात्कार करने का समय दिया है । क्या वह निराकरण भी करेंगे या विचार विमर्श···

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर ! आज माननीय गृह मन्त्री जी वक्तव्य देना चाहते थे, वह स्थगित कर दिया है ।

माननीय दिग्विजयसिंह, बतखों के शिकार पर ध्यान आकर्षित करेंगे ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : अध्यक्ष महोदय, मैं सूरतगढ़ एवं अनूपगढ़ क्षेत्र में संरक्षित पक्षियों के शिकार से सम्बन्धित विषय पर प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत वन मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मैंने ध्यान आकर्षित कर दिया है माननीय मन्त्री जी इसका उत्तर दे देंगे । ···

श्री अध्यक्ष : ऐज़ ऐ मेटर ऑफ क्लेरीफिकेशन, भाषण नहीं होगा ।

श्री वन मन्त्री महोदय !

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : वहां भी भाषण नहीं होना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : वह उनके बीच में होगा ।

वन मन्त्री (राव श्री नारायणसिंह मसूदा) : अध्यक्ष महोदय, अभी जो बतखों के शिकार के बारे में ध्यान आकर्षित किया गया है । उसके बारे में निवेदन है कि अरब देश से आये हुए श्री शेख हमदन बिन मुहम्मद···

Page No. 41

कुछ माननीय सदस्य : सुनाई नहीं पड़ता है, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय, ऊंचे स्वर से । आप कहां इतनी दूर पीछे पहुंच गये । आप पीछे ख्वामख्वाह रह जाते हैं ।

कुछ माननीय सदस्य : आगे बुला लीजिए ।

श्री अध्यक्ष : वह मौका चला गया जो आपने दिया था ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आगे, आगे पधारो ।

राव श्री नारायणसिंह : अरब देश से आए हुए श्री शेख हमदन बिन मुहम्मद महोदय तथा पार्टी द्वारा सूरतगढ़-अनूपगढ़ क्षेत्र में ग्रेट इन्डियन बस्टर्ड के शिकार करने की जानकारी वन विभाग को नहीं थी । यह क्षेत्र वन विभाग के आधीन भी नहीं है । उक्त शेख महोदय द्वारा बाज पक्षियों के माध्यम से हौबारा पक्षी जिन्हें तिलोर भी कहते हैं उनका शिकार करने की सूचना टाइम्स ऑफ इन्डिया दिनांक 8-3-69 में प्रकाशित समाचार से अवश्य मिली है । हौबारा पक्षी ग्रेट इन्डियन बस्टर्ड से भिन्न होता है । इन दोनों के नाम निम्नानुसार हैं ।

(1) ग्रेट इन्डियन बस्टर्ड

(2) हौबारा

इसके अतिरिक्त यह भी सूचना मिली है कि यह कमानी ब्रादर्स के मेहमान होकर यहां आये थे तथा तीस-चालीस बाज भी लेकर आये थे, और इस क्षेत्र में इन हौबारा पक्षियों का शिकार भी उन्होंने खेला था । हौबारा पक्षी के विषय में इस किताब में देखने से मालूम पड़ता है । यह डिक्शनरी है बर्ड्स की । ग्रेट इन्डियन बस्टर्ड, इसको भारतीय महा सारंग कहते हैं और गोराड़ भी कहते हैं । दूसरा है मेक्वीन्स बस्टर्ड, इसको पश्चिमोत्तर सारंग कहते हैं अथवा तिलोर भी कहते हैं...

श्री अध्यक्ष : पौराणिक नाम हैं !

राव श्री नारायणसिंह : पौराणिक हैं, भारतीय महा सारंग ।

श्री अध्यक्ष : यह पौराणिक हैं ।

राव श्री नारायणसिंह : दूसरा नाम है, पश्चिमोत्तर सारंग । नाम सुन्दर हैं । तो इसके सम्बन्ध में जो सूचना मिली है उसके आधार पर तिलोर दूसरे पक्षी मारे गये हैं । ग्रेट इन्डियन बस्टर्ड के मारे जाने की शिकायत नहीं आई है, वह भी ऐसे क्षेत्र में जो वन क्षेत्र नहीं कहा जा सकता । शिकार प्रॉहिबिटेड जरूर है, लेकिन जो प्रॉहिबिटेड है वह ग्रेट इन्डियन बस्टर्ड है । यह बर्ड है, हौबारा—यह प्रॉहिबिटेड की परिभाषा में नहीं आता है । इस सम्बन्ध में जो प्रॉहिबिशन का नोटिफिकेशन है, उसमें जो पीरियड दिया गया है, यह उसमें कवर नहीं होता है । यह पीरियड 15 मार्च से शुरू होता है । उससे पहले कोई शिकार कर लेता है तो उस नोटिफिकेशन से कवर नहीं होता है । वैसे ग्रेट इन्डियन बस्टर्ड का कोई शिकार नहीं हुआ है—इस प्रकार की जानकारी है ।

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से एक क्लेरीफिकेशन चाहता हूं। आपने फर्माया यह क्षेत्र वन क्षेत्र में नहीं आता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत कोई भी प्राणी राजस्थान के किसी भी क्षेत्र के अन्दर प्रॉटेक्टेड डिक्लेअर है। तो यह वन्य प्राणी में सम्मिलित है तो क्या इसके सम्बन्ध में कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है ? (मंत्री महोदय के उठने पर) मेरे पूरे प्रश्न सुन लें।

दूसरा यह, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने फर्माया, लैसर बस्टर्ड है यह एक माइग्रेट्री बस्टर्ड है यह चली जाती है और ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड है यह राजस्थान की बर्ड है। टाइम्स ऑफ इण्डिया के अन्दर यह समाचार था कि ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड का शिकार खेला। अब माइग्रेट्री बर्ड है, मान लीजिये या लैसर बस्टर्ड है, या ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड है—तो माइग्रेट्री बर्ड के लिए आपके डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन में क्लोज सीजन कैसे निर्धारित किया ? यह चिड़िया यहां रहती नहीं है चली जाती है जब कि आपका जो नोटिफिकेशन है उसमें यह लिख रखा है

Published in the Rajasthan Gazatte

कौन कौनसी बर्ड्स है, उसके लिये लिखा है।

Great Indian Bustered and lesser bustered....

इसमें क्लीअर कहते हैं, फर्स्ट अप्रेल से 30 सितम्बर तक यह क्लोज सीजन है। तो एक तरफ आप इसको माइग्रेट्री बर्ड मानते हैं और दूसरी तरफ क्लोज सीजन की बात कहते हैं। तो यह चिड़िया जब यहां भी नहीं तो क्लोज सीजन किस पर एप्लाई होता है ?

राव श्री नारायणसिंह: पहला तो माननीय सदस्य का यह सवाल है कि जो प्रॉहिबिटेड बर्ड लाइफ है उसको अगर कोई डेस्ट्रॉय करता है तो उसकी जंगलात विभाग पर जिम्मेदारी आ जाती है। मैं मानता हूं कि प्रॉहिबिटेड जीव को मारने के अन्दर वन विभाग की जिम्मेदारी जरूर आती है, परन्तु जहाँ जंगलात विभाग का क्षेत्र नहीं है, राजस्व विभाग का क्षेत्र है वहाँ के लिए हमारे पास कोई स्पेशल एस्टेब्लिशमैंट नहीं है जिसके द्वारा इस बात को चैक अप कर सकें। फिर भी चैक अप करने की बात की हर प्रकार से पूरी कोशिश की जाती है...

श्री दिग्विजय सिंह : एक मिनिट...

राव श्री नारायणसिंह : जब हमको मालूम पड़ जाता है तो उसके लिए यथा योग्य कार्यवाही की जाती है। इस विषय में भी कार्यवाही की गई है। यह पता लगाया गया है कि तिलोर है, कौनसी चीज है। यह सब कुछ किया गया है...

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के आने के बाद पता लगाया गया या उससे पूर्व ?

राव श्री नारायणसिंह : अखबार में आते ही पता लगाया गया।

इस विषय में निवेदन कर दूं कि जो नोटिफिकेशन है उसमें भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के अतिरिक्त मेक्वीन बस्टर्ड है, जिसको तिलोर कहते हैं और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को गोराड़ कहते हैं और 15 मार्च से 15 अक्टूबर तक उसको बाधित किया गया है। अब यह कब उड़कर जाती है और कब उड कर आती है इस विज्ञान में मैं ज्यादा प्रवीण नहीं हूं।

Page No. 43

(राव श्री नारायणसिंह)

अध्यक्ष महोदय, परन्तु मैं यह जरूर जानता हूं कि पहले ही हिंसा से रक्षा के लिए हमारे धर्म में कई प्रकार के विधान हैं, जैन धर्म में भी है, दूसरे धर्मों में भी है परन्तु फिर भी विधान के विपरीत हिंसा होती है। मैंने देखा है कि व्यक्त रूप में न कहें लेकिन परोक्ष में कहते हैं, मर जाय तो अच्छा है। यह धर्म की शिथिलता है हिंसा के विषय में वह तो है ही, और वह अपना काम करता है परन्तु इसके अलावा जितना हो सकता है उतना प्रयास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करने की कोशिश करता है।

श्री अध्यक्ष : मेहमान भी जैन धर्म मानने वालों के थे ?

श्री दिग्विजयसिंह : मैं निवेदन करूंगा कि एक्शन लेने के बारे में कहा कि यह वन क्षेत्र नहीं है। वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के रूल्स हैं, उसमें रूल 58 है:—

"The following officers are authorised to arrest without warrant any person who has committed or reported to have committed under the Act..."

श्री दिग्विजयसिंह : जो ऑफिसर्स ओथराइज्ड हैं, उनको इन्फोर्म नहीं किया गया · ·

श्री अध्यक्ष : वह छोड़ दीजिये।

श्री दिग्विजयसिंह : छोड़ने का प्रश्न नहीं है, अध्यक्ष महोदय, एक वाइल्ड लाइफ के लिए

"All Forest officers not below the rank of Foresters. Game Wardens, Rangers and all Revenue Officers not below the rank of Girdawar..."

यह प्रोवाइडेड है, इतना होते हुए भी जो विदेशों से लोग आ गये और कमानी ब्रदर्स के इन्वीटेशन पर आ गये, सेठ साहब और उनके बीच में क्या सौदा हुआ, उसका आपको कोई इल्म नहीं, वे लोग राज्य सरकार की मार्फत आते तो राज्य सरकार को भी फायदा हो सकता था, यह जो राज्य सरकार को लॉस हुआ है उसके सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ? आपकी विजिलैन्स में कमी रही या नहीं, राज्य सरकार को लॉस हुआ या नहीं ?

राव श्री नारायणसिंह : विजिलैन्स में तो कोई कमी नहीं रही, फौरन अखबारों में आते ही मालूम पड़ गया और उसकी सूचना टेलीफोन आदि से कर दी गई।

श्री दिग्विजयसिंह : आपसे परमीशन क्यों नहीं ओब्टेन की अरेबिया वालों ने ?

राव श्री नारायणसिंह : उसमें उन्होंने कसूर कोई किया नहीं, कार्यवाही करने की आवश्यकता रही नहीं, इसकी जाँच हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष : कसूर कैसे नहीं हुआ ? प्राहिबिटेड नहीं है क्या ?

राव श्री नारायणसिंह : प्रॉहिबिटेड नहीं है।

श्री दिग्विजयसिंह : शिकार के लिये परमीशन लेना अनिवार्य है। अगर प्रॉहिबिटेड नहीं है और शिकार करने के लिये

Page No. 44

(श्री दिग्विजयसिंह)
परमीशन लेना अनिवार्य नहीं है तो मुझे इजाजत दे दीजिये ।

राव श्री नारायणसिंह : शिकार खेलने के लिये रक्षित वनों में लाइसैन्स लेने की आवश्यकता है । जो स्थान प्रॉहिब्टिड हैं, उनके लिये तो शिकार खेलने का लाइसैन्स ही नहीं दिया जाता ।

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त होगया ।

श्री दिग्विजयसिंह : पर्याप्त तो नहीं है, एक्शन तो लिया जाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षित हो गया, आगे एक्शन क्या हो सकता है ? कमानी ब्रदर्स के इन्वीटेशन पर आये, इस पर ध्यान आकर्षित हो गया ।

आय व्ययक पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद

अब मैं माननीय सदस्यों को जो समय विभिन्न राजनैतिक दलों को मिल गया और जो समय हो गया······

श्री नत्थीसिंह : वह तो रिलेक्सेशन है ।

श्री अध्यक्ष : इसीलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि रिलेक्सेशन है, वह उदारता है, उस उदारता को ध्यान में रखते हुए बोलें ।

कांग्रेस का 2 घण्टा 20 मिनिट शेष है, स्वतन्त्र पार्टी का समय 6 मिनिट शेष है, जनसंघ का 17 मिनिट शेष है, बी. के. डी. का कुछ अवशेष नहीं है, एस. एस. पी. का 6 मिनिट शेष है, कम्यूनिस्ट का कोई समय नहीं, इन्डिपेन्डेन्ट्स के 7 मिनिट अवशेष हैं । रिप्लाई का 1 घण्टा 10 मिनिट अवशेष है । मैं सदन को संकेत करना चाहूंगा कि 4 बजे वित्त मन्त्रीजी उत्तर देंगे ।

अनेक माननीय सदस्य : समय बढ़ायें ।

श्री अध्यक्ष : रिप्लाई के 10-15 मिनिट रहते हैं उसमें से बचा कर मैं माननीय सदस्यों को देने का प्रयास करूंगा ।

अब मैं अग्रेतर वाद-विवाद को प्रारम्भ करवाता हूं । माननीय सदस्यों के नाम जो मेरे पास आये हैं, माननीय भैरोंसिंहजी बोलेंगे, जैसा कि मैं बता चुका हूं समय उनके दल का बच गया है 17 मिनिट ।

एक माननीय सदस्य : 17 मिनिट ही इनको देंगे क्या ?

श्री अध्यक्ष : नहीं यह मतलब नहीं है, 5-10 मिनिट इधर उधर किया जा सकता है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, अभी आपने एक काल अटैन्शन नोटिस के समय में कुछ समय संभवतः इसलिये दिया था कि वित्त मन्त्रीजी तशरीफ ले आवें, लेकिन दुर्भाग्य है कि···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बड़े सीनियर हैं, कई वर्षों से यहां इस सदन में बहुत ही कन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, इस छोटे से मामले को ज्यादा बार उठाने से उसका महत्व कम हो जाता है, आरम्भ में उठाने पर तो महत्व होता है, बाद में महत्व चला जाता है ।

श्री भैरोंसिंह : मैं ज्यादा महत्व के लिये नहीं, आपने अपनी इच्छा से समय दिया तो

(श्री भैरोंसिंह)
भी माननीय वित्त मन्त्री महोदय नहीं आये, इसलिये मैं सदन का और आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आकर्षित क्या कर रहे हैं, मैं तो घूर कर के देख रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री महोदय का बजट भाषण और कल का मुख्य मन्त्री महोदय का भाषण इन दोनों को एक साथ यदि विचारार्थ लिया जाय तो ऐसा लगता है कि हमारी राज्य सरकार अप्रत्यक्ष रूप से यह स्वीकार कर के चल रही है कि राज्य की वित्तीय व्यवस्था अब हमारे काबू में नहीं रही है। इस प्रकार की बात पिछले कई वर्षों से चलती आ रही है। हम यह अपेक्षा करते थे कि वित्त मन्त्री महोदय चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भिक वर्ष का बजट प्रस्तुत करते समय निश्चित रूप से अगले 5 वर्षों के लिये राज्य की वित्तीय स्थिति को किस प्रकार सुधारा जा सकता है, इसका मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन पूरे भाषण को पढ़ने के बाद कुछ ऐसा लगता है कि वही बातें जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आती हैं, वही बातें जो सदन में अन्य मांगों के सम्बन्ध में समय समय पर सरकारी पक्ष की ओर से कही जाती हैं, उन्हीं बातों को यहां पर इस बजट भाषण में दोहराने मात्र तक संतोष किया गया है।

मुख्य मन्त्री जी का भाषण तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिनों के बाद उनको स्वयं को बोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी गत वर्ष का टेप रैकार्डेड स्टेटमैन्ट यदि सदन में प्रस्तुत कर दिया जायगा और उसमें केवल वर्ष बदल कर सदन में यह बताया जायगा कि यह मुख्य मन्त्री जी का भाषण है, तो उसी से संतोष हो जायगा। वे तो जब कभी, अध्यक्ष महोदय, इस सदन में बोलते हैं, तो बाड़मेर में नर्मदा का पानी, जैसलमेर में राजस्थान कैनाल का पानी, दोनों का संयोग कांडला से लगा कर राजस्थान में जहाज चलाने की कल्पना इस सदन में प्रस्तुत करते हैं। वे बोलते भी कुछ ऐसे ढंग से हैं कि उससे ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य बाड़मेर में जायेंगे तो उन्हें वहां नर्मदा का पानी स्नान करने के लिये मिल जायगा, उसी तरह से जैसलमेर के सूखे क्षेत्र के नागरिकों को पानी की जो दिक्कतें हैं, उनका समाधान राजस्थान कैनाल के पानी से कर पायेंगे।

मुझे ऐसा लगता है, अध्यक्ष महोदय, इस बजट भाषण में हमें कई प्रकार की अनिश्चितताएं मिलती हैं। जहां हमारी राजस्व प्राप्ति 144 करोड़ है वहां उन्होंने राजस्व खाते में खर्चा 174 करोड़ का सामने रखा है और कुछ घटा बढ़ा कर 20 करोड़ का डेफिसिट रखा, उसके बारे में राज्य सरकार का कहना है कि पांचवें फ़ाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट आने पर हमें उसके द्वारा सहायता मिलेगी, उससे और केन्द्रीय करों से सहायता मिलेगी, उससे घाटे की पूर्ति कर लेंगे। इसी प्रकार कहा है कि राज्य सरकार पर इस साल 44 करोड़ रुपये के कर्जे की अदायगी का भार आता है, उसके लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में रखा और 24 करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार के वित्त मन्त्री जी के भरोसे छोड़ा है कि जो हमें कर्ज की अदायगी करनी है, उसका रीशिड्यूलिंग भारत सरकार की ओर से स्वीकार कर लिया जायगा और इस प्रकार 20 करोड़ का डेफ़िसिट बजट और 24

(श्री भैरोंसिंह)

करोड़ का कर्जा, उसके साथ 144 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों में 174 करोड़ का राजस्व खाते में खर्चा, इस तरह इस बजट में 44 करोड़ का हिसाब अनिश्चित रखा है।

मैं समझता हूं भारत सरकार का बजट, या किसी राज्य सरकार का बजट, यदि 144 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां हों, वहां 44 करोड़ के बारे में अनिश्चित स्थिति कह कर चलें तो कहना पड़ेगा कि यह बजट बनाने का कोई मतलब नहीं है, कोई सवाल नहीं है। और अगले सालों में कितने कार्य-क्रम लिए जायेंगे, हमारे वित्तीय साधन क्या होंगे, किस प्रकार खर्चे का कन्ट्रोल रहेगा 144 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों में 44 करोड़ की अनिश्चितता, यह सब इस बात का द्योतक है कि राजस्थान का इस साल का बजट न केवल 44 करोड़ की अनिश्चितता के कारण अनिश्चित है, अन्य भी परिस्थितियां अनिश्चित हैं, उन अनिश्चितताओं के कारण इस बजट पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

अकाल सहायता की स्थिति अनिश्चित है। राज्य सरकार ने कहा इस पर 42 करोड़ खर्च होगा, कुछ इस साल में और कुछ अगले साल में खर्च होगा। पर पिछले अर्से में, पिछले दिनों में जो खर्चा अकाल राहत कार्यों पर हुआ, उसके अनुपात से आने वाले दिनों में कितना खर्चा किया जायगा, अप्रेल, जून और जुलाई में कितना खर्चा होगा, इसका आधार पिछले आंकड़ों से लिया जाय तो बजट में जो प्रावधान रखा है उससे काम नहीं चलने वाला है।

इसी प्रकार बजट में डी. ए. के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने चिन्ता जाहिर की है और पे कमीशन के सम्बन्ध में कहा कि केन्द्र को मेमोरेन्डम दिया गया है उसमें राज्य-सरकार ने केन्द्र से कहा है कि डी. ए. का प्रश्न ऑल इन्डिया प्रश्न है, यह जो मंहगाई भत्ता देने में खर्चा आता है उसमें राज्य सरकार का कन्ट्रीब्यूशन हो सकता है पर ऑल इन्डिया लेवल पर भारत सरकार की नीतियां हैं जिनके कारण राज्य सरकार को अपने कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ाना पड़ता है, इसलिए पे कमीशन से राज्य सरकार ने मांग की है कि गजेन्द्र-गड़कर कमीशन की सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों का डी. ए. बढ़ाया जाय तो केन्द्र सरकार को भी इस भार को लेना होगा। राज्य सरकार ने आशा जाहिर की है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार को कर्जे के रूप में और सहायता के रूप में देगी और उस रकम को वित्त मंत्रीजी ने आय के खाते में लेने की कोशिश की है। उससे ऐसा लगता है कि आज इस आय का प्रश्न भी अनिश्चित है।

इसके साथ ही साथ राज्य सरकार ने मानसून के बारे में भी केन्द्रीय सरकार से कहा है कि कई सालों से राजस्थान में अकाल पड़ते आए हैं। इस सम्बन्ध में विशेष रूप से न कह कर मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि वित्त मन्त्री जी ने बार बार इस बात को दोहराने की कोशिश की है कि 51-52 में इतने लाख टन प्रोडक्शन राजस्थान में था वह आज 65 लाख टन तक रेकार्ड प्रोडक्शन पर पहुंच गया है, पर इसके साथ ही साथ जगह जगह इस बात का उल्लेख किया है कि मानसून की कमी के कारण हमारी पैदावार गिरी है। मुझे अफसोस

(श्री भैरोंसिंह)

है कि बार बार अकाल का नाम लिया जाता है, हमारे यहां राजस्थान में ही अकाल की समस्या हो ऐसी बात नहीं है। बंगाल में भी अकाल की समस्या है, यू. पी. में भी अकाल की समस्या हैं, बिहार में बाढ़ और अकाल दोनों की समस्या है, मैसूर में अकाल की समस्या आती है तो कोई यह समझ कर चले कि केवल राजस्थान में ही अकाल की समस्या आती है, तो यह बात नहीं है, हां बाढ़ की समस्या गई साल हमारे यहां आई और उसमें खर्चा करके कहें कि हमारे यहां बाढ़ की समस्या में खर्च करना पड़ता है, पंजाब में वाटर लॉगिंग से बाढ़ की सी समस्या पैदा होती हैं, तो इन नेचुरल केलेमिटीज के लिए राज्य सरकार यह कह कर चले कि केवल राजस्थान ही नेचुरल केलेमिटीज का शिकार हैं, तो यह ठीक नहीं है। देश के अन्य हिस्से भी हैं लेकिन फर्क यह है कि यू. पी. के अन्दर बाढ़ की समस्या का समाधान करने के लिए स्थाई हल निकाले गये हैं, बिहार में बाढ़ की समस्या का समाधान करने के लिए स्थाई हल ढूंढे गए हैं, पंजाब में वाटर लॉगिंग की समस्या के स्थाई हल के लिए योजनाबद्ध तरीके से उस पर खर्च किया जाता है। बंगाल में बाढ़ वाला साल एक भंयकर साल था लेकिन उसकी रोकथाम के लिए स्थाई प्रबन्ध किया गया है। आज 20 वर्ष हो गये लेकिन हमारी सरकार अकाल समस्या का अभी तक निराकरण नहीं कर पाई। मैं समझता हूं, यह योजनाओं की असफलता है, सरकार के प्रशासन की असफलता है। सरकार ने योजना के नाम पर और विकास के नाम पर जो धन के मोटे आंकड़े बता कर अपनी सफलता का प्रचार किया है प्रचार केवल मात्र झूंठ है। अकाल की समस्या का समाधान खास कर उन्हीं जिलों में भी करना है जो सीमा पर हैं—बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर इन जिलों में मुख्य रूप से हमें अकाल की समस्या का समाधान करना है।

आप यह मान कर चलें कि राजस्थान एक सीमावर्ती प्रदेश है, और सीमा सुरक्षा का भार जिस राज्य पर आता है वह भारत सरकार से भी कह कर चल सकता है कि इस क्षेत्र का विकास न केवल राजस्थान की दृष्टि से करना चाहिए बल्कि देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी इन क्षेत्रों का विकास करना पड़ेगा। बदकिस्मती से जो कच्छ का हमला 1965 में न होता और पाकिस्तान से युद्ध न होता तो जो सड़कें बनी हैं वह नहीं बनतीं, न नलकूप जो खोदे हैं वह बनते, न रेलवे लाइन जो पोकरण से जैसलमेर तक खुली है वह खुलती। इस सरकार पर इस बात का चार्ज लगाए बिना कोई व्यक्ति नहीं रह सकता कि जिन क्षेत्रों में अकाल आता है, जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जिनके विकास की जिम्मेदारी जहां एक ओर भारत सरकार की है वहां दूसरी ओर राज्य सरकार की भी है—इन क्षेत्रों की उपेक्षा के परिणाम 1965 में जो हमने भोगे हैं, मैं युद्ध की दृष्टि से कोई विशेष बात नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना कह सकता हूं कि पाकिस्तान में जिस प्रकार की राजनैतिक गतिविधियां चल रही हैं उनसे निश्चित रूप से आभास मिलता है कि वहां की सरकार का कोई मित्रता का भाव इस देश के साथ नहीं है और न ही होने वाला है। उधर चीन हमारे सामने दुश्मन के रूप में खड़ा है, इधर पाकिस्तान दुश्मन के रूप में खड़ा है। सीमा क्षेत्र को छोड़ कर अकाल की समस्या

(श्री भैरोंसिंह)

का समाधान न करना सारी चीजों के अन्दर आग में घी डालने के बराबर है। ऐसी हालत में मैं राज्य सरकार को असफलता का प्रतीक मानकर चलता हूं और पिछले 20 वर्ष में मानसून का नाम लेकर जब पैदावार बढ़ी तब तो योजना के कारण से पैदावार बढ़ी और जिस साल पैदावार गिरी उस समय प्रकृति का प्रकोप बताकर सरकार ने असफलता को छिपाने की कोशिश की।

राजस्थान नहर के बारे में मुख्य मन्त्री यह कह कर चले गए कि मैं केन्द्रीय सरकार से लड़ने की स्थिति में नहीं हूं, मैं दबाव की भावना और दबाव की व्यवस्था में विश्वास नहीं करता। दबाव की व्यवस्था और दबाव की भावना में तो सबका विश्वास है। राज्य सरकार ने भी भारत सरकार पर दबाव डाला है, वह दबाव चाहे आज वह नहीं कहना चाहें लेकिन किसी समय प्रकट होगा जब वित्त मन्त्रीजी खड़े होकर कहेंगे कि 1957 के अन्दर अक्टूबर में तम्बाखू व खंडसारी पर राज्य सरकार ने बिक्री कर खतम करके भारत सरकार की एक्साइज ड्यूटी के लिए भारत सरकार के कानून के अन्तर्गत टैक्स लगाने का एक समझौता किया था। उस टैक्स को लेकर आज तक आमदनी में जो कमी हुई है उस कमी के लिए राज्य सरकार ने वित्त आयोग के सामने प्रस्तुत मैमोरैंडम में बड़े कड़े शब्दों में केन्द्रीय सरकार से इस बात की मांग की है कि जो हमने 1957 में समझौता किया था उसको रद्द किया जाय। आज कोई यह कह कर चले कि लड़ाई अच्छी नहीं, दबाव नहीं डालना चाहिए, यह सही नहीं। यह कहो कि दबाव डालते हैं लेकिन उसका असर नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि 1966-67 में जब चौथी योजना का पहला प्रारूप बना तो भारत सरकार से इंडीकेशन मिला, राज्य सरकार से भी मिला कि तीसरी योजना से दुगुनी चौथी योजना होगी। तीसरी योजना में 211 करोड़ थे। राज्य सरकार ने अपना ड्राफ्ट बनाया, 422 करोड़ की चौथी योजना बनाने का प्रावधान रखा है, लेकिन उसके बाद दूसरा ड्राफ्ट बना, उसके अन्दर योजना के प्रावधान को गिराया और अन्तिम ड्राफ्ट जिसमें राज्य सरकार यह कहकर चलती है कि हमारी 313 करोड़ की योजना बननी चाहिए थी। अन्दाज लगायें, जहां 422 करोड़ रुपये की योजना बनाने का प्रावधान था, फिर 313 पर आ गए और 313 करोड़ पर भी 1966 के अन्दर, अध्यक्ष महोदय, नवम्बर के महीने में भारत सरकार ने योजना के लिए हमें 227 करोड़ का केन्द्रीय सहयोग ऋण देना सैन्ट्रल कन्ट्रीब्यूशन के रूप में स्वीकार किया था। आज भारत सरकार ने 227 से घटाकर 217 करोड़ कर दिया और उसके साथ हमारी सरकार यह कह कर चलती है कि जितनी भी बाकी की फाइनेन्शियल इन्सटीट्यूशन्स हैं उनसे 19 करोड़ रुपये सहायता मिलेगी और कुल मिला कर 236 करोड़ रुपये का प्रावधान करके चलते हैं लेकिन कहां 313 करोड़ और कहाँ 236। यह 77 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार कहकर चले कि राजस्थान में बिक्री कर के नाम कामधेनु से धन निकाल कर राजस्थान की योजना के लिए साधन जुटाने पड़ेंगे, तो राज्य सरकार को सोचना चाहिए कि यह कहां सही साबित होगा। पिछले वर्षों के आधार पर यदि सरकार

Page No. 49

(श्री भैरोंसिंह)

चले तो द्वितीय योजना में 11 करोड़ रुपये के कर लगाने का आपने प्रावधान रखा, उससे ज्यादा आपने कर वसूल कर लिया। तीसरी योजना के अन्दर आपने आरम्भ में 32 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा लेकिन चीन के युद्ध के समय स्टैगरिंग अख्तियार किया उस समय 32 करोड़ को घटाकर 24 करोड़ का प्रावधान रखा और उस 24 करोड़ के अगेन्स्ट में तीसरी योजना में 32 करोड़ वसूल कर लिए। दूसरी योजना में टारगेट्स से ज्यादा आपने कर वसूल किए, तीसरी योजना में आपने लक्ष्यों से ज्यादा वसूल किया। चौथी योजना के लिए यदि इन सारी कमियों को पूरा करने के लिये राजस्थान की जनता पर टैक्सेज लगाने का प्रावधान जैसे इस बजट में रखा है, आगे के वर्षों में भी रखा तो माथुर साहब निश्चित रूप से मान कर चलें कि जिस मंहगाई का दोष आप केन्द्रीय सरकार पर देना चाहते हैं, मैं आपको देता हूं। राजस्थान के उद्योग को, राजस्थान के ट्रेड को यदि किसी ने खतम किया है तो भारत सरकार ने नहीं किया, राजस्थान सरकार के भारी करों ने खतम किया है जिसके कारण राज्य की आर्थिक स्थिति गिरेगी। हमारी सरकार वित्त आयोग से आशा लगा कर बैठी है। मुझे खेद है कि पहला कमीशन, दूसरा कमीशन, तीसरा, चौथा और अब पांचवा कमीशन बना है। आप इन सबका यदि अध्ययन करें तो एक बात निश्चित रूप से मिलेगी कि आज तक इन पांचों कमीशन्स ने कोई भी एक स्टेबुल नीति अख्तियार नहीं की है कि आयकर का कितना हिस्सा दिया जायगा, उत्पादन शुल्क से कितना मिलेगा, कारपोरेट टैक्स कितना मिलेगा, भारत सरकार संविधान के अनुसार ग्रांट-इन-एड कितना देगी, इस सम्बन्ध में कोई तो कहता है कि जन संख्या के आधार पर, कोई कभी कहता है कि जो कलेक्शन किया जाता है उस आधार पर। कोई कहता है कि आर्थिक स्थिति है हमारी बैकवर्डनैस है उस आधार पर। दुर्भाग्य से वित्त आयोग बनते आ रहे हैं लेकिन कोई सैट फार्मूला नहीं बन पाया है। जिस राज्य का ज्यादा दबाव पड़ता है, वित्त आयोग भी उन बातों से गाइड होता है। इसका परिणाम हमने भोगा। उत्पादन शुल्क के अन्दर जो पिछली योजना में वित्त आयोग के आधार पर सहायता मिली थी उसमें कमी आई है। हमें पहली योजना में 5.93 प्रतिशत एड मिली थी, वह अब 5.06 प्रतिशत पर आ गई। इसी प्रकार बाकी क्षेत्रों में जो-जो केन्द्रीय सरकार की देनदारी हम पर आती है वह देनदारी किसी न किसी फार्मूला पर हर वित्त आयोग के सामने चेन्ज होती है। यह दशा फाइनैन्स कमीशन की है। मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा आप फाइनैन्स कमीशन के सामने, केन्द्रीय सरकार के सामने पुरजोर शब्दों में इस प्रश्न को रखें कि केन्द्रीय करों से किस आधार पर राज्यों को हिस्सा दिया जाय। इसके बारे में निश्चित आधार तय करने चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पोपूलेशन के कोमेनेन्ट की आधार पर ज्यादा हिस्सा मांगे तो वह मिलने वाला नहीं। करों के इकट्ठा होने के आधार पर मांगे तो वह भी अनुकूल नहीं हो सकता, एरिया के हिसाब से हम ज्यादा हिस्सा नहीं ले सकते। हम केवल इसी बेसिस पर ज्यादा हिस्सा ले सकते हैं राजस्थान एक बैकवर्ड स्टेट है उद्योगों के मामले में, इकोनोमिक सेक्टर में, सेन्ट्रल

(श्री भैरोंसिंह)

प्रोजेक्ट्स यहां पर नहीं है इन चीजों के अभाव के कारण यह बैकवर्ड है, इसको मजबूती के साथ कमीशन के सामने प्रस्तुत करें और उसके साथ साथ दबाव डाला जाय कि हमारी स्टेट बैकवर्ड है इसलिये केन्द्रीय सरकार करों में हमें ज्यादा हिस्सा दे।

अध्यक्ष महोदय, कल मुख्य मंत्री यह कह कर चले गये जैसे यहाँ जो बैठने वाले हैं उन लोगों को फाइनेन्सेज का पता नहीं इसलिये वे तालियाँ बजवा कर चले गये। वे कह गये कि सेन्ट्रल असिस्टेन्स जो राजस्थान को मिलता है वह सब से ज्यादा मिलता है। उस समय भी मैंने कहा था राजस्थान की पोपूलेशन महाराष्ट्र के मुकाबले कम है। वैसी हालत में अगर उसको इस हिसाब से पोपूलेशन की बेसिस पर परसेन्टेज निकाला जायगा तो नेचुरली परसेन्टेज ज्यादा आयेगा। आप केन्द्रीय सरकार के आंकड़े बता दें जिसके अनुसार केन्द्रीय सरकार से योजना के लिए जो ऋण मिला है वह योजना ऋण बाकी की स्टेट के मुकाबले ज्यादा मिला है। जिस स्टेट की पोपूलेशन कम होगी वहाँ का परसेन्टेज ज्यादा आयगा और जिस स्टेट की पोपूलेशन ज्यादा होगी उसका परसेन्टेज कम होगा। कम और ज्यादा जो मिला है उसके लिये यदि कोई यह मानकर चले कि यह हमारी एफर्ट्स की देन है, हमने भारत सरकार से योजना के नाम पर ज्यादा हिस्सा ले लिया उसमें ही वाहवाही समझे तो मैं समझता हूं यह उचित नहीं होगा। आपके लिये तो यह कलंक की चीज है आप को जहाँ 227 करोड़ की सहायता मिलनी चाहिये वहाँ केन्द्रीय सरकार ने घटा कर उसको 217 करोड़ कर दिया है। बाकी के लिये कहा गया कि एल. आई. सी. से 19 करोड़ के करीब मिल जायगा यह तो वैसे भी मिलने वाला था। इस कारण से हमें जबरदस्त घाटा हुआ है। इस घाटे की स्थिति को स्वीकार कर लेना चाहिये। हमारे मुख्य मंत्री जी की, जो इसी प्रकार की भाषा है उसी के कारण राजस्थान केनाल को हम सेन्ट्रल प्रोजेक्ट के रूप में नहीं ले पाये हैं। नरम भाषा में केन्द्र समझने वाला नहीं। अध्यक्ष महोदय, हम देखते हैं कि केन्द्र में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जहाँ राजस्थान केनाल का सवाल आता है केन्द्रीय प्रोजेक्ट मानने का वहाँ उसके साथ अन्य इर्रीगेशन प्रोजेक्ट भी जोड़ देते हैं अन्य स्टेट्स के। मिसाल के तौर पर मैसूर महाराष्ट्र और मद्रास के अन्दर बड़े बड़े इर्रीगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, उन स्टेट्स के इन्टरेस्ट को वाच करने वाले व्यक्ति केन्द्र में बैठे हैं। ज्यों ही राजस्थान केनाल का प्रश्न खड़ा किया जाता है मैसूर, मद्रास और महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट सामने रख देते हैं। राजस्थान और मैसूर की समानता क्या है? लेकिन राजस्थान केनाल का सवाल आता है तो कहा जाता है इसी प्रकार के मैसूर और मद्रास के प्रोजेक्ट्स भी हैं उनको भी क्यों न शामिल किया जाय? कहने का तात्पर्य यह है कि केन्द्रीय सरकार पर दबाव डालने की हमारी क्षमता नहीं है इसी कारण राजस्थान केनाल का सवाल लटका ही रहता है। अगर केन्द्रीय सरकार इस तरह से इस बात को नहीं मानती है तो उनको कहना चाहिये कि प्लान की सीलिंग के बाहर राजस्थान के केनाल के खर्चे को मीट किया जाय ताकि राजस्थान के विकास की दिशा बदलती। इस दृष्टि से आपने कभी इस पर विचार नहीं किया। हमारी सरकार बराबर यह कह कर चलती है कि हमने भारत सरकार से और दूसरे इन्स्टीट्यूशन्स से जो 500 करोड़ का कर्जा लिया है उसके बारे में चिन्ता

(श्री भैरोंसिंह)

नहीं करनी चाहिये क्योंकि हमने उस कर्ज से परमानेन्ट असेट्स बिल्ट किये हैं वह हमारे पर जो कर्जा है उससे भी ज्यादा है। राज्य सरकार ने यह तो स्वीकार किया है कि जो 500 करोड़ का कर्जा लिया है उसमें से अधिकांश हिस्सा अन-प्रोडक्टिव कामों पर खर्च हुआ है। उन कामों पर जो खर्चा हुआ है कि उन कामों के रिजल्ट्स से इस कर्ज को लिक्विडेट नहीं कर सकते यह राज्य सरकार ने माना है।

पिछली बार राज्य सरकार यह कहती थी कि हम जो भी कर्जा लेते हैं वह प्रोडक्टिव कामों पर ही खर्च करते हैं और इस तरह से जो भी कर्जा लिया उससे परमानेन्ट असेट्स बिल्ट करते जा रहे हैं। मुझे मुख्य मंत्री जी का भाषण याद है दूसरी योजना के समय उन्होंने कहा था हम यह आशा करके चलते हैं कि तीसरी योजना के अन्त तक हम टेक ऑफ की पोजीशन में आ जायेंगे। लेकिन जिस प्रकार की राज्य सरकार की स्थिति है वर्तमान सरकार तो उस कर्जे को चुका नहीं सकती न उसको चुकाने की कल्पना करके ही चल सकती है 500 करोड़ का जो कर्जा ड्यू हो गया उसकी किश्त भी यह चुका सके, क्यों कि यह तो सरकार ने स्वयं ने माना है कि उस कर्जे में से अधिकांश हिस्सा अन-प्रोडक्टिव कामों में खर्च किया गया है। वैसी हालत में उन कामों से होने वाली आय से इस कर्जे का चुकाना असंभव है। यह आपने फाइनेन्स कमीशन के सामने मन्जूर किया है कि हमने इस रकम का ज्यादा हिस्सा अन-प्रोडक्टिव कामों पर खर्च किया है। शायद आपने यह इसलिए कमीशन के सामने कहा होगा कि हमारे पर जो भारत सरकार का कर्जा है उस कर्जे के कारण जिसको हम लिक्विडेट नहीं कर सकते, लिक्विडेशन की बात को सामने रखकर शायद यह कहा गया होगा लेकिन यह सरकार ने स्वीकार किया है कि इस कर्ज का ज्यादा हिस्सा अन-प्रोडक्टिव कामों पर खर्च किया है। हम यह मान कर चलते हैं कि जो कुछ लिखा है वह सही है। इस सही बात को फाइनेन्स कमीशन के सामने रखने पर मैं वित्त मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन इसके साथ साथ मैं यह जानकारी करना चाहूंगा कि जो असेट्स बिल्ट किये हैं उससे इसके रिटर्न्स लिक्विडेट नहीं कर सके तो यह 500 करोड़ का कर्जा है वह किस प्रकार से लिक्विडेट होगा? आप इस पर जोर दे रहे हैं कि केन्द्रीय वित्त मंत्री रिशिड्यूलिंग कर देंगे लेकिन उसके बाद भी कोई ना कोई डेट तो आयगी जब कि आपको चुकाना पड़ेगा। आपने यह भी माना है कि ज्यादा टैक्सेज हम राजस्थान की जनता पर अब लगा नहीं सकते वैसे ही जनता पर टैक्स का भार ज्यादा है जो अन्तिम बिन्दु पर आगया है। राजस्थान की जनता की कमर वैसे ही कर भार से टूट चुकी है इसलिए जनता से ज्यादा गुंजाइश नहीं है। इस कर्जे का चुकारा आप किस प्रकार करेंगे? मुझे यह लगता है वर्तमान सरकार तो उसको चुकारा नहीं कर सकती, वर्तमान सरकार यह समझ कर चलती है हमारी उम्र 67 साल की थी लेकिन ज्योतिषियों के बताने से वह बढ़ कर 72 तक हो गई। यह मान कर चलते हैं कि हम तो 72 तक ही चलेंगे उसके बाद आगे आने वाले हैं रोते रहेंगे। पांच सौ करोड़ का कर दिया वह सब आगे आने वालों पर पड़ेगा। उनके सामने इसको चुकाने की समस्या होगी।

(श्री भैरोंसिंह)

अध्यक्ष महोदय, आज जिस प्रकार की स्थिति सारे भारत में बन रही है उसको देखते हुए राज्य सरकारों के बीच और भारत सरकार के बीच मतभेद चल रहे हैं, फाइनेन्सियल अलॉटमेन्ट के सम्बन्ध में योजना के अन्दर भारत सरकार का क्या कोम्पोनेन्ट होगा इन बातों को लेकर मतभेद चल रहे हैं गवर्नर के एक्शन्स को लेकर भी मतभेद चल रहे हैं। इस तरह से केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों में गहरी खाई बनती जा रही है। इसलिए हम केवल केन्द्र के भरोसे नहीं बैठ सकते। केन्द्रीय सरकार ने बंगाल के वित्त मंत्री को स्पष्ट कह दिया है जो कर्जा राज्य सरकार पर है वह पूरा चुकाना पड़ेगा। उसको चुकाने के बारे में बंगाल के वित्त मंत्री ने कहा है कि इस कर्ज के चुकारे के बाद हमारी योजना के लिए केवल पचास प्रतिशत पैसा रहेगा। रिशिड्यूलिंग के प्रोग्राम को सामने रखकर बच नहीं सकते। राइट ऑफ हो जायेगा जिस प्रकार आपने गारन्टी सिस्टम को राईट ऑफ किया केन्द्रीय सरकार इसी प्रकार आपके ऊपर जो कर्जा है राइट ऑफ करने वाली नहीं। अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में निवेदन करना चाहूंगा वित्त मंत्री यह कहे कि हम कर लगाकर जो कामधेनु को हम सामने रख कर चल रहे हैं। उससे अफसोस इस बात का है राज्य सरकार ने जिस सेल्स टैक्स को कामधेनु के समान माना है वह गलत है। मुख्यमंत्री जी तो यह कह कर चले गये कि चौथी योजना में हम 100 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट लागू करेंगे जिससे पर कैपीटा इनकम बढ़ जायगी एम्पलोयमेन्ट के साधन बढ़ जायेंगे और उससे राजस्थान की बहबूदी हो जायगी मैं राज्य सरकार को कहना चाहता हूं कि जिस सैल्स टैक्स को आपने कामधेनु माना है उसके बारे में राज्य सरकार को आरम्भ से देखता आया हूं कि राज्य सरकार ने जहां अपने इन्वेस्टमैंन्ट कर रखे हैं उनके बारे में राज्य सरकार को चिन्ता नहीं है।

1-4-65	को 4 करोड़ 84 लाख	का इन्वेस्टमैंट रिटर्न 6 लाख 48 हजार।
1-4-66	को 6 करोड़	का इन्वेस्टमैंट रिटर्न 8 लाख।
1-4-67	को 7 करोड़	का इन्वेस्टमैंट रिटर्न 12 लाख।
1-4-68	को 9 करोड़	का इन्वेस्टमैंट रिटर्न 11 लाख।

इस साल के अन्दर 12 करोड़ का इन्वैस्टमैन्ट रिटर्न 15 लाख का। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का ब्याज इसमें शामिल हो गया। वैसी स्थिति में, मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई सौ रुपया बिजनिस करके चलता है तो यह सोच कर चलता है कि सौ रुपये में उसकी रोटी चलेगी। 12 करोड़ का राजस्थान सरकार इन्वेस्टमैन्ट करके चले और अपने बजट एस्टीमेट्स में 12 लाख के ही रिटर्न की अपेक्षा करके चले इससे अधिक राजस्थान की जनता के पैसे के साथ राजस्थान सरकार का और क्या खिलवाड़ हो सकता है। यह भी कहना चाहता हूं कि जब से राज्य सरकार ने इन्वेस्टमैन्ट किया है, राज्य सरकार कह सकती है कि कुछ इन्डस्ट्रीज लिक्वीडेशन में हैं, कुछ इन्डस्ट्रीज बन्द हैं, यदि उनको भी निकाल दें तब भी टोटल परसेन्टेज रिटर्न का है वह 4 परसेन्ट से ज्यादा नहीं बढ़ता है। सन् 1953 में यह परसेन्टेज 4 परसेन्ट था और 67 में भी यह परसेन्टेज 4 परसेन्ट है उस हालत में, मैं राजस्थान की इस हकूमत से पूछना चाहता हूं कि गंगानगर शुगर फैक्टरी, रोडवेज, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वेयर हाउसेज

Page No. 53

(श्री भैरोंसिंह)

और होटल कार्पोरेशन, ये जो कामधेनु बनाने के धन्धे हैं जिनको कामधेनु बना कर धन कमाया जा सकता है उनमें तो निरन्तर घाटा जाता है। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि सेल्स टैक्स को कामधेनु लेकर चलेंगे तो इससे सरकार की कमर टूट जायगी और जनता की भी कमर टूट जायगी, इसको कामधेनु लेकर चलेंगे तो इससे सरकार दिवालिया होगी और जनता भी दिवालिया हो जावेगी सरकार इसको कामधेनु लेकर न चले। राज्य सरकार दूसरे सोर्स से टैक्स ढूंढने की कोशिश करे तो राज्य सरकार को उनसे अधिक मिलेगा।

आज सारे कार्पोरेशन्स न तो सरकार के नियन्त्रण में हैं और न ही प्राइवेट कन्सर्न हैं। इन दोनों के बीच जितनी धांधली हो सकती है वह हो रही है। इन कार्पोरेशन्स में इतना रुपया वेस्ट किया गया है कि यदि ईमानदारी से वित्त मंत्री जी ज्युडिशियल कमीशन बिठाये तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि राजस्थान के मंत्री बजट पेश करते हैं तो बजट पेश करने के लिये सदन में नहीं रहेंगे उनको न्यायालय के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे।

राज्य सरकार ने टैक्स लगाने की बात कही। मुख्य मंत्रीजी कल कह गये कि थोड़े से टैक्स लगाये हैं। अनाज आदि के भाव गिर रहे हैं, किसान को नुकसान होगा। एक बात स्वीकार की अनाज और अन्य चीजों के भाव गिर रहे हैं। इससे तो किसान की आर्थिक स्थिति गिरी है। आवश्यकता तो यह थी कि टैक्स नहीं लगाते। लेकिन सरकार ने टैक्स लगाये हैं। भारत सरकार ने एग्रीकल्चर वैल्थ लगा दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाना राज्य सरकार का काम है। भारत सरकार ने किस प्रकार से एनक्रोचमेन्ट किया ? इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने एक शब्द नहीं कहा। मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि राज्य सरकार को भारत सरकार से जबरदस्त प्रोटैस्ट करना चाहिये। भारत सरकार ने फरटीलाइजर पर टैक्स लगाया और पंपिंग सैट आदि किसानों की जरूरत की चीजों पर टैक्स लगाया। और राजस्थान की सरकार सर चार्ज के नाम पर टैक्स लगा कर चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी के नाम पर टैक्स लगा कर चल रही है, कर्मशियल क्राप्स के नाम पर टैक्स लगा कर चल रही है आप समझते होंगे कि किसान की आर्थिक स्थिति सुधरी है। मुख्य मंत्रीजी कह कर चले गये इर्रीगेशन चार्जेज आते हैं, इर्रीगेशन प्रोजेक्ट्स पर जो पूंजी लगी हुई है, उसका ब्याज भी नहीं चुकाया जा सकता। यह भी कह गये हैं कि जिस प्रोजेक्ट में 500 आदमियों का लेबर पोटेन्शियल होता है, जिस माल का राजस्थान से सम्बन्ध नहीं है, मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि इतनी एक्साइज ड्यूटी और इतना सेल्स टैक्स मिलेगा, उसका राजस्थान से सम्बन्ध न हो और भारत सरकार के खाते में जमा होता है वहां से मिलता है, फिर भारत सरकार एग्रीकल्चर पर सेल्स टैक्स किस प्रकार लगा सकती है। इर्रीगेशन सैक्टर के कारण से हुई कमाई नहीं है क्या ? वह तो भूल गये। उन क्षेत्रों में पैसा देने का सवाल आता है तो कहते हैं कि ओवरआल स्थिति सुधर रही है। किसान का सवाल आता है तो वह फार्मूला नहीं रहता है। निजलिंगप्पा कमेटी की सिफारिशों के अनुसार 5 से 12 परसेन्ट

(श्री भैरोंसिंह)

तक इर्रिगेशन चार्जेज आपने बढ़ाने की कोशिश की तो राजस्थान का प्रोडक्शन गिरेगा। किसान की स्थिति क्या होगी ? किसान को देते क्या हो ? भावों के लिये कोई स्टेबिलिटी नहीं है। अनाज को खरीद ने का सवाल आता है तो जिस स्थिति में खरीदते हैं वह किसी से छिपी हुई नहीं है। किसान तो हर तरह से तबाह है, कोई उसको फेसिलिटी मिलती नहीं।

मुख्य मंत्रीजी और वित्त मंत्रीजी आज कहते होंगे कि इन्डस्ट्रियल सैक्टर में जितनी पूंजी लग रही है, कल बता रहे थे कि महाराष्ट्र में इन्डस्ट्रीज के कारण महाराष्ट्र के खाते में जाता है, रेवेन्यू बढ़ी हुई है, आपने भी साहु जैन को कर्जा दिया, आपने टैक्सटाइल को कर्जा दिया, आपने एक्स्पान्शन के लिए कर्जा दिया, आप इलैक्ट्रीसिटी में उनको कन्सेशन दे रहे हैं, अन्य कई प्रकार की उनको फैसिलिटीज दे रहे हैं, आपके स्वयम् के ये आंकड़े बोल रहे हैं कि इतना इन्वेस्टमैन्ट करने के बाद भी टोटल बजट में इन्डस्ट्रीयल सैक्टर का कितना कान्ट्रीब्यूशन है ? वही कान्ट्रीब्यूशन जो 1954 में था वहीं कान्ट्रीब्यूशन आज 1969 में है। करोड़ों रुपयों का इन्वेस्टमैन्ट किया लेकिन इन्डस्ट्रीज सैक्टर से बजट का कम्पोनेन्ट का परसेन्टेज इन्डस्ट्रीज के नाम से होना चाहिये वह नहीं हुआ बल्कि कम्पोनेन्ट एग्रीकल्चर सैक्टर का बढ़ा है। आज जरूरत इस बात की है कि राजस्थान के बजट में एग्रीकल्चर सैक्टर को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिये और ज्यादा से ज्यादा उसको टैक्स फ्री करना चाहिये और जिनका इफेक्टिव कान्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है उन पर टैक्स लगाने चाहिये। आज हमारे इन्डस्ट्रीयलिस्ट्स बड़े होशियार हो गये हैं। राजस्थान सरकार का पैसा, राजस्थान सरकार से जमीन आदि की सब फैसिलिटीज, कन्सेशनल रेट पर बिजली, जिन जिन ने भी बड़ी इन्डस्ट्रीज खोली हैं, उन्होंने अपने हैड ऑफिस राजस्थान के बाहर बनाये हैं। उसके कारण क्या स्थिति है ? सैन्ट्रल सैक्टर टैक्स का हिस्सा फाइनैन्स कमीशन जो रिकमन्ड करेगा उस पर मिलेगा। इससे न तो हम को सैल्स टैक्स की इन्कम होती है और न ही ऑक्ट्राय की इन्कम होती है। राज्य सरकार को चाहिये कि इस प्रकार का इन्वेस्टमैन्ट करने के पहले इस बात की गारन्टी से कि हैड ऑफिस राजस्थान में होगा। जिससे आक्ट्राय की आमद होगी, सैल्स टैक्स बढ़ेगा और टर्न ओवर टैक्स में फायदा होगा। उसके लिये राज्य सरकार को चिन्ता नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं राज्य सरकार से कहना चाहूंगा कि इस कामधेनु को छोड़े। कामधेनु के नाते राज्य सरकार ने मिठाई पर टैक्स लगाया। वित्त मन्त्री बड़ी होशियारी से कह गये। लोगों ने भी देखा कि मिश्रीमावा पर टैक्स लगा है मिश्रीमावा नहीं खायेंगे, इस पर टैक्स लगने दो मोतीचूर पर टैक्स लगा है लगने दो। कोई बात नहीं। गजट नोटिफिकेशन निकला है उसको देखने से मालूम हुआ कि रोटी पर भी टैक्स लगाया है। यह गजट नोटिफिकेशन सदन के माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये पेश करूंगा कि वित्त मन्त्रीजी ने किन किन चीजों को मिठाई में लिखा है।

(1 म. प.)

हलवाई तथा होटल, रैस्टारां, अल्पाहार तथा अन्य भोजन सम्बन्धी संस्थाएं मिठाई, नमकीन, भोजन, पेय बिक्री की संस्थाएं, होटलें तथा बिना अल्कोहल के पेय, पेयों तथा गर्म पेय तथा आईसक्रीम

(श्री भैरोंसिंह)
इन सब के ऊपर वित्त मन्त्री महोदय ने बड़ी होशियारी से टैक्स लगाया है। राजस्थान में अन्य राज्यों के मुकाबले जो सैल्स टैक्स है, वह ज्यादा है। इस शिड्यूल के आइटमों में राजस्थान में सबसे ज्यादा सैल्स टैक्स है। आज इलैक्ट्रीसिटी ड्यूटी, रामैटेरियल के ऊपर हिन्दुस्तान में कहीं ज्यादा सैल्स टैक्स लगा हुआ है तो राजस्थान में सबसे ज्यादा है। लैण्ड रेवेन्यू में टैक्स ज्यादा है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सरकार इस कामधेनु के नाम पर लोगों की रोटी इस तरह से छीनती जा रही है। सैल्स टैक्स अब आपका कामधेनु नहीं है। जनता क्या अब चारा खायेगी। इस लिये यह सैल्स टैक्स अब सरकार के लिये कामधेनु नहीं रहा है। आप दूसरी चीजों को पकड़ें और अपनी व्यवस्था करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं बेकारी के सम्बन्ध में भी दो शब्द कहना चाहूंगा। सिर्फ दो मिनिट ही कहूंगा। राजस्थान में जिस प्रकार से बेकारी बढ़ रही है, सरकार के आंकड़ों के हिसाब से, स्वयं सरकार हिसाब लगाये कि 12 लाख लोग चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में, इस तीसरी पंचवर्षीय योजना के बेकलाग के कारण और इस पंचवर्षीय योजना में जो पोटेन्शियलिटी क्रियेट होगी, उन सबको मिलाकर लाखों व्यक्ति राजस्थान में बेकार हो जायेंगे। राजस्थान सरकार ने अपने पहले बजट के प्रारूप में कहा था कि राज्य सरकार बेकारी को खतम करने के लिये, राजस्थान में जो 1,330 इंजीनियर बेकार हो गये हैं, उनको दूर करने के लिये राज्य सरकार को एक करोड़ का इन्वेस्टमैन्ट चाहिये। यह इस सरकार ने इस सदन में कहा था। एक हजार पांच करोड़ की योजना मिलेगी, तो राजस्थान में बेकारी की समस्या का समाधान हो सकेगा। मैं इस हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि जहां 1,330 इंजीनियरों की बेकारी को दूर करने के लिये इतना इन्वेस्टमैन्ट होगा, वहां करोड़ों की योजना आप बनायेंगे तो इन लाखों व्यक्तियों के रोजगार की व्यवस्था आप कर सकेंगे। बेकारी क्या कम है? आज इन्जीनियर बेकार हैं। पढ़े लिखे सभी बेकार है। किसी भी आदमी को नौकरी मिल जाय, इसकी भयंकर रूप से अनिश्चितता है। इस आधार पर आपके इस बजट में कोशिश नहीं की गई है। आप अपने बजट में कहते हैं कि जनता को दिलेरी दिखानी पड़ेगी। यह आप किस आधार पर कह रहे हैं? 37 आदमियों की फौज क्या कम है। इसकी सीमा कम कीजिये। लाखों रुपयों का अन्तर पड़ेगा। सरकार की जो फिजूलखर्ची दिखती है, उसको आंकने के लिये यह सबसे ज्यादा विजिबिल है। इनमें कटौती करनी पड़ेगी। मुख्य मन्त्री जी कहते हैं कि हम घटा नहीं सकते तो जनता में यह भाव भी आप पैदा नहीं कर सकते कि वे अपने जीवन में सादगी रखें। प्रशासन में मितव्ययता का सिद्धान्त लेकर आपको चलना चाहिये।

अन्त में अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने इस बजट में जो टैक्सेज लगाये हैं, वे इस साल के अन्दर 4½ करोड़ के लगाये हैं। यह हुकूमत कहती है कि हमें मजबूरन लगाने पड़े हैं। मैं निश्चित रूप से यह मानकर चलता हूं कि जनता इसका स्वागत नहीं करेगी। योजना के बारे में किसी प्रकार भी जनता में उत्साह नहीं है। आप चाहते हैं कि योजना

(श्री भैरोंसिंह)
चले, तो जनता के उत्साह को मैन्टेन करना पड़ेगा।

अन्त में अध्यक्ष महोदय, एक विषय की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वित्त मन्त्री महोदय का उससे सम्बन्ध है। वह है गारन्टी सिस्टम—शराब का। कई बार इस सदन में इस मामले पर चर्चा हुई है। समय हो तो मैं इस सम्बन्ध में कई बातें बता सकता हूं। जिस समय से यह सिस्टम 1962-63 से 66-67 तक का है, उसमें कुल बकाया 65 लाख 56 हजार 244 रुपयों की थी। इसमें गारन्टी का रुपया 22 लाख है। अध्यक्ष महोदय, जिस समय गारन्टी सिस्टम इन्ट्रोड्यूस हुई थी, आपको याद होगा, आप भी इस विभाग से सम्बन्धित थे। मैंने यहां, इस सदन में प्रश्न उठाया था कि गारन्टी सिस्टम बड़ा निराला है। ठेकेदार लोग आपसे मिलेंगे और इस सिस्टम को मिटाने की कोशिश करेंगे। और अध्यक्ष महोदय, अन्त में यही हुआ। इसके लिये एक कमेटी बनायी गयी। मुखर्जी उसमें थे। उस कमेटी की एक सीमा के अनुसार 52 लाख रुपयों में से 19 लाख 28 हजार रुपये राइट ऑफ मानने की सिफारिश की है। और 9 लाख और है उसे भी आप राइट ऑफ मानलें। इस रकम में 2 लाख 8 हजार रुपया अजमेर के एक ठेकेदार का है, जिसका प्रश्न इस सदन में मैंने कई बार रखा है। आप कहते हैं कि 65 लाख की रकम में से 24 लाख का मामला पी. डी. आर. को दिया है और बाकी को आपने राइट ऑफ किया है या करने की कार्यवाही कर रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

अध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : चार बार आप अन्त कर रहा हूं, कह चुके हैं।

श्री भैरोंसिंह : दो मिनट और दीजिये।

अब मैं दूसरा विषय लेता हूं। हमारी सरकार राजकीय व्यापार करना चाहती है। मैं इस सम्बन्ध में जानकारी देना चाहता हूं माननीय सदस्यों को। कई बार आयातित गेहूं को लेकर इस सदन में उत्तेजना उत्पन्न हुई है। मैं आपको बताऊं कि सन् 1964-65 में राज्य सरकार ने आयातित गेहूं की बिक्री का काम अपने हाथ में लिया था। सदन को यह जानकर दुःख होगा, अध्यक्ष महोदय कि हमने सन् 1967-68 तक 54 करोड़ 10 लाख अनाज की खरीद की है। हमारी सरकार कहती है कि हम यह राजकीय व्यापार नो-प्रोफिट नो-लोस के बेसिस पर करते हैं। नो-प्रोफिट नो-लोस के बेसिस पर हमने यह आयतित गेहूं बेचा है। हिन्दुस्तान के किसी भी राज्य में ऐसा नहीं हुआ कि 54 करोड़ का अनाज खरीदा और उसके अगेन्स्ट में राजस्थान सरकार को जो टोटल कास्ट आई, वह 59 करोड़ रुपया था। यह 5 करोड़ रुपया जनता से ज्यादा वसूल किया है।

अध्यक्ष महोदय, सॉर्टेज का नाम आपने सुना होगा। छीजत हो जाती है। व्यापारी के इतनी छीजत हो जाती है, तो उसका दिवाला निकल जाता है। वह दिवालिया घोषित हो जाता है। उसके अपने जेवर और मकान बेचने पड़ते हैं। 54 करोड़ की खरीद में एक करोड़ 61 लाख रुपये की छीजत होती है और दो करोड़ 31 लाख

(श्री भैरोंसिंह)

31 लाख रुपया एस्टेब्लिशमेंट पर खर्च करते हैं। इससे भी घाटा पूरा नहीं होता है तो एक करोड़ 15 लाख का एडीशनल मार्जिन के रूप में आप जनता से वसूल करते हैं। इससे भी घाटा पूरा नहीं होता है और भारत सरकार से सबसिडी आपने ली है। 54 करोड़ के बिजनैस में 5 करोड़—यह आप समझते हैं कि वास्तविक प्रॉफिट नहीं है। नो-लॉस नो-प्रॉफिट पर आप यह रन करना चाहते हैं, उसके बाद भी 5 करोड़ एक्स्पेंडीचर करके आपने यह दर्शा दिया है कि सरकारी स्तर पर सरकार व्यापार करने के योग्य नहीं है। इसी प्रकार का अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न है। हमने ऊन की खरीद सन् 63-64 से शुरू की है और 12 लाख 11 हजार की ऊन खरीदी। कुल ऊन की खरीद हुई 1 करोड़ 21 लाख की। इस ऊन की खरीद पर एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा लगा, कैपिटल जो लगी है, उसके ऊपर इन्ट्रेस्ट लगा है। सारा खर्चा लगाने के बाद एक करोड़ इक्कीस लाख के ऊपर हमें 22 लाख का घाटा हुआ है। जो ऊन खरीदी जाती है, उसमें क्वालिटी के नाम पर ऊँचे पैसे दिये जाते हैं और वह रद्दी खरीदी जाती है बाद में जाकर उसी ऊन में आपको घाटा लगता है। राज्य सरकार को इसकी चिन्ता नहीं है। लाखों रुपया इसमें लगा दिया है। बुकिंग के नाम पर आप पैसा एडवान्स दे देते हैं। इस तरह लाखों रुपया खर्च कर दिया गया है और 1 करोड़ 21 लाख के बिजनैस में आपको 22 लाख का घाटा हुआ है। 54 करोड़ के बिजनैस में 5 करोड़ के एडीशनल चार्जेज आपको देने पड़ते हैं। डेढ़ करोड़ की छीजत होती है। इस तरह राजस्थान सरकार अपने स्तर पर व्यापारिक काम हाथ में लेती है और उसमें उसको घाटा होता है। इससे जनता परेशान होती है। घाटे की पूर्ति के लिए जनता को टैक्स देना पड़ता है। आपका यह बजट अनिश्चितताओं का बजट है। फाइनेंस कमीशन पर यह आधारित है। केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्री की कृपा पर आप चल रहे हैं। इससे तो यही अच्छा होता कि बकाया का सदन में वोट ऑफ अकाउन्ट पेश कर देते। जुलाई के अन्त तक आप ठहर जाते और फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों का आप इन्तजार कर लेते।

इस तरह, अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार अनिश्चितता का बजट पेश कर जनता का भला नहीं कर सकती। बेकारों को धंधा नहीं दे सकती। पर केपिटा इनकम आज कितनी है। मजदूरी के आँकड़े हैं। वित्त मंत्री को हिम्मत हो तो वे आज से चार वर्ष पहले डॉ० बागची ने राजस्थान का जो फाइनेंशियल सर्वे किया था उस रिपोर्ट को इस सदन की मेज पर रख दें और फिर देखें कि आपका विभाग इकोनोमिक्स और स्टेटिस्टिकल वाला आँकड़े तैयार करता है उसमें बागची के आँकड़ों में कितना अन्तर है। इन आँकड़ों के मायाजाल से जनता का पेट नहीं भरता, वित्तीय स्थिति नहीं सुधर सकती, विकास नहीं हो सकता राजस्थान का। अन्त में मैं यह कहकर जाता हूं कि जो बजट पेश किया है अगर उसी तरह के बजट भविष्य में पेश होते रहे तो आप यह मानकर चलिये कि आप तो जायेंगे ही, पर राजस्थान को डुबो कर जावेंगे।

अन्त में थोड़ी आप की (श्री दामोदर लाल व्यास की तरफ सम्बोधित करते हुए) बात के लिये कह देता हूं। बैरी आयोग के सम्बन्ध में।

(श्री भैरोंसिंह)

अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आपने 30 मिनिट से अधिक ले लिये हैं, और दो मिनिट और ले लिये हैं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं दो ही मिनिट और लूंगा। कल मुख्य मन्त्रीजी आये और यकायक घोषणा कर गये एक। मैंने देखा है कि कोई घोषणा करनी होती है, तो बाकी के मन्त्रियों का काम नहीं रहता खुद मुख्य मन्त्रीजी ही करते हैं। वे नहीं होते तो उनकी इन्तजार की जाती है। कल गृह मन्त्रीजी की बड़ी इच्छा थी कि कमेटी की घोषणा वे करते। पर मुख्य मन्त्री जी ने की। वे रह गये और जिस नाटकीय ढंग से यह घोषणा की गई, सबको मालूम है।

मैं कहना चाहूंगा कि जो बजट में आंकड़े प्रस्तुत किये हैं उनमें बैरी आयोग के खर्चे के पूरे आँकड़े एक जगह नहीं दिये। यह मालूम नहीं हो सकता कि इस पर सरकार ने कितना खर्चा किया केवल इस बजट को सरसरी तौर पर देख कर। अलग अलग हैडों में पुलिस का खर्चा बताया गया। बाहर से आने वाली पुलिस का खर्चा भी उसी तरह दिखाया गया।

श्री मथुरादास माथुर : समझदार आदमियों के लिये है यह।

श्री भैरोंसिंह : समझदारी तो आपने बहुत की है और इतनी की है कि लोगों को पता ही नहीं लगे कि बैरी आयोग पर आपने कितना खर्चा किया।

टोटल लगाने की मैंने बहुत कोशिश की अलग अलग हैडों को देख कर तो पाया कि हर मद में बढ़ा हुआ खर्चा पावेंगे। तब मैंने मान लिया कि साढ़े छः लाख का खर्चा हुआ है वह किस तरह से हुआ है। जब तक सारे हैड्स और माइनर हैड्स को माइन्यूटली नहीं देखा जावे और केलकुलेशन नहीं लगाया जावे तब तक वास्तविकता का पता ही नहीं लग सकता।

सरकार पुलिस पर करोड़ों रुपया खर्च करती है उस पुलिस पर जिस पुलिस ने जयपुर में गोलियाँ चलाई। उसके सम्बन्ध में पार्लियामेन्ट में भी चर्चा हुई। राजस्थान के गृह मन्त्री जी ने ऐसी बात कही थी कि इस बैरी रिपोर्ट को पूरी तरह स्वीकार करें या नहीं करें, नहीं कह सकते। आप इसको ज्यों का त्यों मानने को बाध्य नहीं हैं। इस पर केन्द्र के गृह मन्त्री जी चव्हाण साहब ने आपको सर्टीफिकेट दिया है। वे तो दो तीन दिन बाद आपको कन्वे करेंगे पर मैं आपको आज ही कन्वे कर दूं कि उन्होंने आपके वक्तव्य के बारे में यह कहा है कि इस प्रकार का वक्तव्य कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं दे सकता।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह गलत है। इसलिये गलत है कि जिस बात पर कहा है मिसरिप्रेजेन्ट किया गया है मेरी स्पीच को कि मैंने ऐसा कहा कि प्रैसीडेण्ट रूल में कमीशन मुकर्रर हुआ था इसलिये हम बाध्य नहीं हैं। यह बात मैंने कभी नहीं कही।

श्री भैरोंसिंह : आपने यह कहा है कि प्रैसीडेन्शल रूल में जिस गवर्नमैन्ट ने जो कमिटमैन्ट किया है वह कमिटमैन्ट सक्सेसर गवर्नमैन्ट मानने को बाध्य नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे पास प्रोसीडिंग्स हैं।

श्री भैरोंसिंह : इतनी जल्दी आ गई ? वह सदन की मेज पर रखवा दीजिये अध्यक्ष महोदय। यह पता लग जावेगा। कोई गलत बात भी कहें तो नमक मिर्च तो लगा-कर कहें। पूरा का पूरा बण्डल ही मार दें। यह कैसे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अनआॉफीशियली मेरे पास है। मेरे सेक्रेटरी बैठे हुए थे।

श्री भैरोंसिंह : अनऑफीसियली आई है।

श्री अध्यक्ष : यह बजट का प्रसंग है।

श्री भैरोंसिंह : समय दे रहे हैं इसके लिये धन्यवाद दे रहा हूं। हमारे पास कोई इत्तिला उनकी तरह की नहीं है। केन्द्रीय गृह मन्त्री जी का सर्टीफिकेट हमारे गृह मन्त्री जी तक कन्वे करने का काम आपके माध्यम से लिया है इसलिये मैं कहना चाहता था और आज ही सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वे केन्द्रीय सरकार के भरोसे नहीं बैठें। आपने सात तारीख को शहीद दिवस मना कर अपोजीशन की बात को स्वीकार किया। आपने महाराजा जयपुर को कमेटी का चेयरमैन बना कर इसके डिटरमिनेशन के लिये कहा है कि उनको क्या कम्पेन्सेशन दिया जाय। हम तो चाहते थे कि इसके लिये कोई जुडीसियल कमीशन आप मुकर्रर करते। दामोदरलाल जी चव्हाण साहब आपकी मदद करें आपको एक दूसरे को सर्टीफिकेट दें, कुछ करें, पर जयपुर गोली-काण्ड के सम्बन्ध में जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनके लिये प्रोसीक्यूशन की व्यवस्था इस सरकार के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। इस सरकार को भी चाहिये कि जैसे कम्प-न्सेशन के लिये डिटरमिनेशन के लिये समिति बनाई है उस तरह से इन सारे केसों को किस प्रकार से चलाया जावे, कसूरवार लोगों को किस तरह से प्रोसीक्यूट किया जावे, किनका चालान किया जावे, इन सब चीजों को सुपरवाइज करने की दृष्टि से भी मैं अन्त में, मांग करूंगा कि एक कमीशन—जुडीशियल कमीशन तुरन्त नियुक्त किया जावे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इससे यही मतलब निकलता है कि बैरी कमीशन की रिपोर्ट को आप स्वीकार करना नहीं चाहते।

श्री अध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं चार दिनों से बजट पर हो रही बहस को सुन रहा हूं। लेकिन अभी तक मेरी यह समझ में नहीं आया कि माननीय सदस्य क्या चाहते हैं।

बजट का एप्रोच क्या होना चाहिये इस पर मैं अपना सुझाव देता हूं। इस पर कोई माननीय सदस्य कुछ नहीं बोले, हालांकि सभी ने सुझाव दिये हैं कि यह नहीं होना चाहिये, वह होना चाहिये, पर होना क्यों चाहिये और क्या चाहिये इस सम्बन्ध में किसी ने कुछ नहीं कहा।

एक बात मैं बोलने से पहले यह तो कहना चाहूंगा कि बजट के लिये बेसिक एप्रोच क्या होना चाहिये। किसी बजट की जांच करने के लिए हमारा एप्रोच क्या होना चाहिये।

जहां तक सदन में हुए डिसकशन का प्रश्न है, बहुत से लोगों ने तो इस पर ऑडिट

(श्री पी. के. चौधरी)

की तरह से बात की है, मैं कहूंगा चाहूंगा अध्यक्ष महोजय, बजट के एप्रोच के सम्बन्ध में कि तीसरी प्लान के शुरू में कहा गया था कि हमारे इकानामिक डवलपमैन्ट के लिये जो भी काम है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है देश की जो लार्ज मेजोरिटी ऑफ मासैज है सर्व साधारण लोग हैं, उनकी रोजी रोटी का, उनके खाने पीने और रहने की अच्छी व्यवस्था हो यह हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिये और इससे हमको बजट में जो प्रोवीजन्स हैं उससे टैक्सेशन के इन्सीडेन्स को जांचना चाहिये। इस सम्बन्ध में कहा जाता है कि टैक्सेशन का भार इस पर पड़ता है उस पर पड़ता है। मैं जानकारी के लिये एक बात कहना चाहूंगा आपको याद है कुछ वर्ष पहले डाक्टर लोहिया ने पार्लियामैन्ट में कहा था कि हिन्दुस्तान का जो साधारण नागरिक है जो गांवों में रहने वाला है ज्यादातर उन लोगों की आय बहुत कम है। उन्होंने दो आना या तीन आना प्रति व्यक्ति की आय का फिगर दिया था। परन्तु इसके बाद प्लानिंग कमीशन की तरफ से एक कमेटी अपोइन्ट हुई थी डिस्ट्रिब्यूशन ऑफ इनकम एण्ड पैटर्न ऑफ लिविंग, जिसकी रिपोर्ट में यह कहा गया कि हिन्दुस्तान के गांवों में रहने वाले लोगों में 25 प्रतिशत लोग जो हैं उनकी दैनिक आमदनी 15 पैसा है।

(1.18 म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

और 87 प्रतिशत लोगों की दैनिक आमदनी है 35 पैसे। तो हमें इस दृष्टि से देखना पड़ेगा कि जो बजट है उसका इन्सीडेन्स इन लोगों में से किस पर पड़ता है। और इन पन्द्रह पैसे और 35 पैसे प्रति दिन की आमदनी वाले लोगों में कितनों पर इसका असर पड़ता है और बाकी किस पर पड़ता हैं क्योंकि एक बात तो मान कर चलना पड़ेगा जैसा जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि बजट जो है वह एक विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह हमारे फोर्थ प्लान के फर्स्ट ईयर का बजट है और इसमें चौथी प्लान में क्या करना चाहते हैं इसका इण्डीकेशन होना चाहिये। इसलिये निवेदन करना चाहूंगा कि आज तीन साल में देश में करीब करीब चौथी प्लान बनी नहीं है। इससे एक प्रकार का स्टेग्नेशन हमारी प्लान में है। उसको ब्रेक करने के लिए आप क्या सुझाव देते हैं। आप तो कहते हैं टैक्स लगने नहीं चाहिए पर मैं एक बात कहना चाहता हूं जैसे आप हिन्दुस्तान के लिये कहते हैं सारी प्लान बन्द है, तीन सालों से, इसकी एकही वजह है कि हमने अपनी सभी प्लान पहली, दूसरी और तीसरी फोरिन एक्सचेन्ज के भरोसे चलाई हैं। विदेशियों से उधार लेकर हमने तीन प्लान काम चलाया है और चौथी प्लान को सभी लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं तीन साल तक इसलिए नहीं बना पाये कि फोरिन एक्सचेन्ज नहीं मिल रहा है। इसके डेफीनेट इन्डीकेशन नहीं मिले। यह किसी मुल्क के लिये, मैं समझता हूं दुर्भाग्य की बात है कि उसके देश का आर्थिक विकास विदेशों के भरोसे पर चलता है।

यही बात मैं राजस्थान के लिये कहना चाहता हूं जैसा भैरोंसिह जी ने कहा वित्त मंत्री जी, अच्छा करते, यदि यह बजट वे जुलाई में पेश करते ताकि सेन्टर से तब तक साफ पिक्चर मिल जाती कि वहाँ से कितनी मदद आपको

Page No. 61

(श्री पी. के. चौधरी)
मिलने कि सम्भावना है। जो फॉरिन एक्सचेन्ज के लिए हिन्दुस्तान की प्लान के लिये बात लागू होती है वही बात राजस्थान के लिये लागू होती है ।

स्टेट सैक्टर के लिये बजट बनता है उसके लिये मैं तो कहूंगा कि हमें अपने एफर्ट्स पर निर्भर रहना चाहिये । हमारे एफर्ट्स क्या हैं, हमें क्या करना चाहिये, और क्या कर रहे हैं । आप जो कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एफीसियेन्सी काफी ऊंची रखनी चाहिये, पर जहाँ तक हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है इस बात को मानकर चलना पड़ेगा किसी मुल्क का, किसी प्रान्त का, किसी देश का आर्थिक विकास, सामाजिक विकास बिना सेक्रिफाइस के नहीं हो सकता है। सेक्रिफाईस क्या? आर्थिक दृष्टि से सेविंग से होता है । हम बचाते हैं। स्टेट इनकम होता है, स्टेट आमदनी होती है उसमें से कुछ पैसा बचातें है फिर उसको लगाते हैं विकास के काम पर । यह दो तरीके से होता है—नॉन टैक्स रेवेन्यू होना चाहिये और नॉन टैक्स रेवेन्यू के लिये आपके विकास के काम का जो फायदा होता है, जिन लोगों को फायदा होता है नहर से हो, इन्डस्ट्री से हो। आपको जो फायदा मिला है मान लीजिये किसी इलाके में नहर जाने से फायदा मिला है उससे देश का विकास करना चाहिये। टैक्सेशन से ये काम हो सकते हैं। आज कोई फाईनेन्स मिनिस्टर टैक्स लगाये तो उसकी खिलाफत करते हैं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं टैक्स नहीं लगायेंगे और दूसरी तरफ आप मांग करते है कि आपका प्लान 422 करोड़ का होना चाहिये। 236 करोड़ का प्लान नीचे आता है तो आपको शिकायत है। 422 करोड़ का प्लान हो तो क्या उसको भीख मंगवाना चाहते हो। आज हमारे जो विचार हैं, सोचने का तरीका है उसमें परिवर्तन लाना पड़ेगा, विदेशों पर निर्भर नहीं रहना होगा हमारी जो सेविंग है उस को लेकर प्लान बनाना चाहते हैं इसलिये राजस्थान के लोग यह सोचें कि हमें हिन्दुस्तान से मिले, गवर्नमैन्ट ऑफ इंडिया से मिले तो हम देश का विकास कर सकते हैं यह विचार ठीक नहीं है। हिन्दुस्तान में गांव 87 प्रतिशत हैं और 125 रु० की आमदनी है। आज का जो टैक्सेशन का प्रपोजल है इन प्रपोजल्स का इन्सीडेन्स लोगों पर पड़ेगा लेकिन इससे अच्छी स्थिति में उनको कुछ न कुछ सेक्रिफाईस करना पड़ेगा। यह मान कर चलिये किसी देश का विकास करना हो तो वहां के नागरिकों को कुछ न कुछ सेक्रिफाईस करना पड़ेगा । इसलिये मेरा निवेदन है हमारा जो अप्रोच है 'तमाम टैक्स खराब हैं' इस प्रकार का अप्रोच नहीं होना चहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, में आज यहां के आर्थिक विकास के बारे में कहना चाहता हूं। गवर्नर महोदय ने अपने भाषण में कहा 66-67 में हमारा जो एन्युअल इन्कम है 453 रु. है और 67-68 में 499 रु. हो गया है उस समय कहा है रियल इन्कम से प्रगति कितनी हुई तबतक हम कह नहीं सकते। बजट स्थिति में यह फिगर्स दिये हुये है। 54-55 में जो रीयल इन्कम है वह 233 है, 66-67 में 265। यह पेज 35 पर है। आप इसको देख सकते हैं 54-55 से 67-68 तक 265 हुआ है जब कि फर्स्ट प्लान था उपाध्यक्ष महोदय 1951-52 में बनाया गया था उस समय ऐवरेज को हिन्दुस्तान की आमदनी है वह 247 रु० है। ऑबजेक्टिव में रखा है। उस समय यह कहा था कि 25 साल में दुगना

(श्री पी. के. चौधरी)

कर देंगे यानि 500 रु० कर देंगे यानि 8 साल के अन्दर पर कैपिटा इन्कम 500 होनी चाहिये। रीयल इन्कम है 233 से बढ़ कर 265 हुआ है। इन सब बातों को देखते हुये टैक्सेशन का विरोध इस ढंग से नहीं करना चाहिये। अगर आप इस तरह से विरोध करेंगे तो विकास नहीं होगा। फलां टैक्स से भार फलां आदमियों पर पड़ता है तो ठीक है इसको मत लगाइयें मालदारों पर लगाइयें। आप कहें यह भी न लगायें और वह भी न लगायें तो फिर इकोनोमिक एक्टीविटीज कैसे चले। अनएम्पलायमैन्ट बढ़ रहा है, डैवलपमैन्ट का काम नहीं हो रहा है इसलिये मेरा निवेदन है टैक्सेशन प्रपोजल्स का आपको आंख मींच कर विरोध नहीं करना चाहिये। जैसा श्रीमान भैरोंसिंह जी ने कहा 44 करोड़ रुपये का बजट अनसरटेन रहा हैं क्योंकि वित्त मन्त्री जी ने कहा रेवेन्यू कैपीटल जिसमें लोन का सवाल आता है वह 44 करोड़ का आता है। वह रुपया सैन्टर से नहीं मिला है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह बताना चाहूंगा एग्रीकल्चर सैक्टर है, वह स्टेट सैक्टर है और सैन्टर के वित्त मन्त्री जी ने शुरूआत इस बात से किया है—

Agriculture must have prior claims on our own resources.

यह उनका इस साल के बजट के शुरूआत में लिखा हुआ है। एग्रीकल्चर को प्रॉयरिटी दे रहे हैं। फोर्थ प्लान के फर्स्ट ईयर में एग्रीकल्चर को प्रॉयरिटि दी जाय। एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है। चाहे इरीगेशन का हो चाहे पॉवर का हो यह सारा का सारा एग्रीकल्चर सैक्टर में है और वह स्टेट सैक्टर में है। सैन्ट्रल की तरफ से कोई खर्चा नहीं हुआ है। सैन्ट्रल वित्त मन्त्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करें कि जो फर्स्ट प्रॉयरिटि देना चाहते हैं तो आपने कोई कन्ट्रीब्यूशन नहीं किया है इसलिये इसको री-शिड्यूलिंग करके एग्रीकल्चर में प्रॉयरिटी देना चाहिये और कम से कम यह नतीजा होना चाहिये फोर्थ प्लान में जो री-पेमैन्ट का सवाल आता है उसको ससपैन्ड किया जाय। सैन्ट्रल प्लान में:—

It must have priority over our limited resources.

एग्रीकल्चर सैक्टर में जो काम हुआ है वह पिछले दिनों में हुआ है। आखिर स्टेट के लोन का री-पेमैन्ट का सवाल आता है तो वह आता होगा राजस्थान कैनाल, हाई पॉवर का—इस प्रकार के लोन का री-पेमैन्ट का सवाल आता है—ये रिलेटेड चार्जेज हैं। इस समय एग्रीकल्चर को फर्स्ट प्रॉयरिटी देना चाहते हैं तो कम से कम यह होता है एग्रीकल्चर सैक्टर में जो कुछ डवलपमैन्ट हुआ जो कर्जा स्टेट गवर्नमैन्ट ने लिया है उसको कम से कम फोर्थ प्लान के ड्युरेशन में रुक जाना चाहिये।

मैं निवेदन करना चाहूंगा जैसे हमारे राजस्थान कैनाल के डवलपमैन्ट के लिये गवर्नमैन्ट ऑफ इन्डिया ने 6 करोड़ का प्रावधान रखा है पोंग डाम को दो साल के अन्दर अन्दर पूरा कर देंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, पोंग डेम डवलप होने के बाद राजस्थान में आने का है—पोंग डेम दो साल में पूरा हो जायगा। राजस्थान कैनाल के लिये 6 करोड़

(श्री पी. के. चौधरी)

देते जायेंगे तो कम से कम 5-6 साल पूरा होने में चाहिये इस लिये यह जो रहा पोंग डेम, दो साल में पूरा हो गया तो उसकी पानी की कैपेसिटी बढ़ गई तो वह पानी दूसरी जगह जायगा। बीस साल काम में लेने के बाद उसका राइट अक्रू हो जायगा, क्योंकि 20 साल पानी इस्तेमाल करने के बाद राइट प्राप्त हो जायगा। इसका 68 परसेन्ट खर्चा हम देते हैं। राजस्थान खर्चा बीयर करता है। राजस्थान की जनता उसका भार उठाती है। इस बात को देखते हुये कम से कम मैं देखता हूं 70 परसेन्ट तो शेयर हमारा है और इसको देखते हुये हमको ज्यादा वजन मिलना चाहिये। इस लिये मैं चाहूंगा पोंग डेम का जो बाकी का हिस्सा है उसको डाउन किया जाय और हमें अधिक प्रॉयरिटी दी जाय। राजस्थान कैनाल को भी इसी ढंग से आरगेनाईज किया जाय जो पोंग डेम का कम्पलीशन है वह राजस्थान नहर के कम्प्लीशन के साथ साथ हो और वाटर सप्लाई करने की कैपेसिटी, डिस्ट्रीब्यूट करने की, युटिलाईज करने की जो शक्ति है वह राजस्थान कैनाल में डवलप हो जाय। इसलिए मेरा सुझाव है कि पोंग डेम का जो कन्सट्रक्शन है उसको स्लो डाउन करके वहां से पैसे को डाइवर्ट किया जाये राजस्थान कैनाल को पूरा करने में। इसके अलावा नर्मदा प्रोजेक्ट के बारे में भी कहना चाहता हूं कि इस नर्मदा प्रोजेक्ट को भी जल्दी किया जाए।

इसके बाद अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहूंगा जो कि रीजनल डिस्पैरिटी के सम्बन्ध में है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक डवलपमैन्ट का सवाल है हम सेन्टर से कहते हैं कि हमारा स्टेट बैकवर्ड है और हमारे यहां पर डवलपमैन्ट पर ज्यादा खर्च होना चाहिए। हम भी यह चाहते हैं कि राजस्थान का जो अलग-अलग हिस्सा है वहां भी किसी प्रकार से डिस्पैरिटी नहीं रहे और डवलपमैन्ट का जो फण्ड है उसका इक्वल डिस्ट्रिब्यूशन हो। मैं इस सम्बन्ध में जयपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में पिछले दो प्लान में जो खर्चा हुआ है वह डवलपमैन्ट वर्क्स पर बहुत कम हुआ है। राजस्थान में सैकिण्ड प्लान का 107 करोड़ रुपया था उसमें से जयपुर डिस्ट्रिक्ट में डवलपमैन्ट वर्क्स पर 9 करोड़ 27 लाख रुपया खर्च हुआ। थर्ड प्लान में 212 करोड़ रुपया था और इसमें से जयपुर में डवलपमैन्ट वर्क्स पर खर्च हुआ सिर्फ 12 करोड़ 40 लाख रुपया। मेरे कहने का मतलब यह है कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट की जो पापुलेशन है वह राजस्थान की करीब करीब 1/10 है और जयपुर की पापुलेशन को देखते हुए वहां पर कम से कम जो डवलपमैन्ट का एक्सपेन्डीचर है वह भी कम से कम 1/10 होना चाहिए। लेकिन जैसा आप देखते हैं सैकिन्ड प्लान में 107 करोड़ में से 9 करोड़ 27 लाख रुपया खर्च हुआ और थर्ड प्लान जहां 212 करोड़ 70 लाख का था उसमें से जयपुर डिस्ट्रिक्ट में 12 करोड़ 40 लाख रुपया ही खर्च हुआ था याने 1/20 से भी कम खर्च हुआ है टोटल अमाउन्ट का।

दूसरी बात यह है उपाध्यक्ष महोदय, कि 1966-67 में जो प्लान में खर्च हुआ टोटल वह 48 करोड़ 95 लाख था और उसके अन्दर से जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर 2 करोड़ का खर्चा हुआ जो कि कुल खर्चे

(श्री पी. के. चौधरी)

का 1/20 हुआ। इसी प्रकार से पिछले साल 1967-68 में प्लान था उपाध्यक्ष महोदय, 39 करोड़ 87 लाख का उसमें से जयपुर डिस्ट्रिक्ट में 1 करोड़ 68 लाख का खर्चा हुआ यह भी 1/20 आकर पड़ता है। जयपुर की पापुलेशन सारे राजस्थान की पापुलेशन की 1/10 है लेकिन उसके अन्दर कुल खर्चे का 1/20 ही खर्च हुआ है। इसमें उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहूंगा कि पिछली दफा भी मैंने कहा था राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय कि टैक्सेस के मामले में भी जयपुर डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा शेयर देता है और मैंने उस समय कहा था कि जयपुर में काफी टैक्सेस का सरप्लस होता है लेकिन मंत्री महोदय ने मेरे जवाब को उस समय टाल दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं फैक्ट्स एण्ड फिगर्स से इस बात को वित्त मंत्री महोदय के सामने रखना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का जो टैक्स है सेल्स टैक्स का पिछले 3 साल का मैं आंकड़ा देता हूं। 1964-65 में राजस्थान का कुल सेल्स टैक्स होता है 11 करोड़ 60 लाख रुपया और उसमें से अकेले जयपुर डिस्ट्रिक्ट ने सेल्स टैक्स से दिया है 4 करोड़ 49 लाख रुपया याने करीब 1/3 से ज्यादा। इसी प्रकार से 1965-66 में सेल्स टैक्स की आमदनी सारे राजस्थान की 14 करोड़ 16 लाख थी जबकि जयपुर डिस्ट्रिक्ट से आमदनी 5½ करोड़ रुपया हुई और 1966-67 में सारे राजस्थान से सेल्स टैक्स की आमदनी 15 करोड़ 90 लाख रुपया और उसमें से जयपुर से आमदनी 5 करोड़ 31 लाख रुपया हुई याने 1/3 जयपुर से आया है। इसी प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय, अदर टैक्सेस से सरकार की आमदनी 1964-65 में सारे राजस्थान से 14 करोड़ 12 लाख है और अकेले जयपुर डिस्ट्रिक्ट से 4 करोड़ 99 लाख की आमदनी हुई, 1965-66 में सारे राजस्थान से आमदनी 17 करोड़ 16 लाख थी और जयपुर से 6 करोड़ 7 लाख की आमदनी हुई, 1966-67 में 19 करोड़ 61 लाख की सारे राजस्थान से आमदनी हुई और जयपुर से आमदनी 6 करोड़ 27 लाख हुई। याने उपाध्यक्ष महोदय, आप देखें कि टैक्सेस से आमदनी जयपुर डिस्ट्रिक्ट से सारे राजस्थान की आमदनी की कुल 1/3 आमदनी है। एन्टरटेनमैन्ट टैक्स का फिगर 54 लाख था सारे राजस्थान का उसमें से जयपुर का फिगर 14 लाख है, फिर 66 लाख था उसमें से जयपुर 18 लाख, फिर 72 लाख था सारे राजस्थान का फिगर उसमें से जयपुर डिस्ट्रिक्ट का फिगर 20 लाख है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से पैसेन्जर्स एण्ड गुड्स ट्रैफिक का फिगर 1 करोड़ 62 लाख सारे राजस्थान का उसमें से जयपुर डिस्ट्रिक्ट का फिगर 27 लाख है, फिर 1 करोड़ 94 लाख सारे राजस्थान का और जयपुर का फिगर 31 लाख है, फिर सारे राजस्थान का फिगर 2 करोड़ 43 लाख रुपया है और जयपुर डिस्ट्रिक्ट का फिगर 40 लाख रुपया है। फिर लैंड रेवेन्यू सारे राजस्थान का फिगर आता है 754 लाख उसमें से जयपुर का 76 लाख का फिगर आता है। याने उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि टैक्सेस में 1/3 सारे राजस्थान का टैक्स रेवेन्यू अकेले जयपुर जिला पे करता है लेकिन डवलपमैंट का फण्ड जैसा बताया सैकिण्ड प्लान में 1/10 जयपुर को दिया था लेकिन थर्ड प्लान में वह 1/20 हुआ और 1966-67 का जो प्लान है और 1967-68 का जो

(श्री पी. के. चौधरी)

प्लान है और 1967-68 का जो प्लान था उसमें भी डवलपमेन्ट पर खर्च हुआ 1/20 तो मैं दूसरी बात उपाध्यक्ष महोदय, बजट स्टडी में दिया हुआ है कि पूरे राजस्थान में टैक्सेस का पर कैपिटा इन्सीडेन्स 34 रुपया आता है और जयपुर डिस्ट्रिक्ट से जो टैक्सेस कलेक्ट हुए हैं उसकी फिगर देखें पर कैपिटा इन्सीडेन्स की वह आती है 76 रुपया। पर हैड 76 रुपया जयपुर जिले में टैक्स का इन्सीडेन्स है। इन सब को देखते हुए वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि जो डिस्पैरिटी डवलपमेंन्ट के वर्क्स में किया है पिछले 3 प्लान में जयपुर जिला डवलपमेन्ट की दृष्टि से निगलेक्टेड रहा हैं।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : उदयपुर का नहीं निकाला है ?

श्री पी. के. चौधरी : वह नहीं निकाला। हमको तो मतलब हमारे जिले से है।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : उदयपुर तो एम्पायर बन गया है।

श्री पी.के. चौधरी : अब आप जयपुर जिले में इन्डस्ट्रीज का डवलपमेन्ट का मसला लें। बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रीज चाहे मान इन्डस्ट्री कहें, चाहे एन. बी. सी. कहें, चाहे कमानी कहें, चाहे स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल कहें यहां जितनी भी बड़ी इन्डस्ट्रीज हैं वह प्लान पीरियड में नहीं बनी हैं बल्कि प्रिइन्डीपेन्डेन्स डेज में बनी हैं। तो मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान इसलिये आकर्षित करना चाहता हूं कि आखिर में जिस जिले का फिगर पूरे राजस्थान के फिगर का 1/3 फिगर है। रेवेन्यू देने में और जो कि राजस्थान की कैपीटल है वहां इन्डस्ट्रीज का डवलपमेन्ट नहीं है। बल्कि हम कहते हैं कि इन्डस्ट्रीज का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये। याने एक जगह नहीं होकर वह अलग अलग जगह पर होनी चाहिये।

तो इन बातों को देखते हुए मैं खास करके वित्त मंत्री जी का और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह जो रीजनल डिस्पैरिटी है उसको समाप्त करके जयपुर जिले में कुछ काम करें।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जयपुर जिले में डवलपमेन्ट के दो ही स्कोप हैं या तो एग्रीकल्चर का डवलपमेन्ट हो सकता है क्योंकि, यहां काफी ट्यूब वैल्स खोद कर उनसे इर्रीगेशन हो सकती है क्योंकि कैनाल इर्रीगेशन की कोई व्यवस्था यहां नहीं है। दूसरे इन्डस्ट्रीज लग सकती है। इसके लिए जो दिक्कतें हैं वह मैं आपको बता सकता हूं इन इन्डस्ट्रीज में सिवाय 3 प्लान में इन्डस्ट्रीयल एस्टेट खोला गया था वह इन्डस्ट्रियल एस्टेट उसमें 5 सैट चलते हैं, बाकी नहीं चलते हैं। आज इन्डस्ट्रियल एरिया में रोड़ नहीं है। उस एरिया में जमीन चाहो तो जमीन नहीं मिलती है। इसलिए मैं कहूंगा कि इन्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट की ओर ध्यान देना चाहिये। कृषि उपज मन्डी के बारे में मैं ध्यान आकर्षित करूंगा कि यह ठीक है कि पहले व्यापारियों का मुकदमा हाईकोर्ट में चला गया। लेकिन कृषि उपज मण्डी उसका कोई कानून पास होने के बाद कोई कार्यवाही नहीं होती है। हाईकोर्ट से स्टे आ गया।

श्री दौलतराम सारण : मुख्य मन्त्री नहीं लगाना चाहते हैं।

Page No. 66

श्री पी. के. चौधरी : हम देखते हैं, बड़ी बड़ी मण्डी जहां होती है वहां पर यह लागू नहीं होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि दरअसल हम गवर्नमेन्ट को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। कृषि उपज मण्डी की करीब करीब उसकी जो प्राइस मिलती है, उनकी अलग चली जाती है चन्दा देने में। कृषि उपज मण्डी होने की जो आमदनी 8 परसेंट फायदा उनको मिलती है। जैसा कि अभी कहा है, कृषि उपज मण्डी का 61 की साल में हमने कानून पास किया है। आज पता नहीं है चालान होने के बाद भी कुछ नहीं होता है। हाईकोर्ट में जाकर लड़ते हैं। चालान हुए हैं, सिटी मजिस्ट्रेट के पास।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : हाईकोर्ट में जाने का हक है।

श्री पी. के. चौधरी : हक तो है। हम देखते हैं, हम डवलपमेन्ट करें। यह सब होने के बाद हम देखते हैं कि अनुकरण नहीं होता है। या तो कानून में कोई खामी रही है। कृषि उपज मण्डी लाइसेन्स जयपुर में एक भी व्यापारी ने लाइसेन्स नहीं लिया है। कृषि उपज मण्डी में बिना लाइसेन्स व्यापार होता है। बिना लाइसेन्स के कोई भी काम नहीं कर सकता है। लेकिन आज व्यापारी चलाते हैं। जयपुर स्टेट का कैपिटल है। यहां कानून नहीं लागू होता तो और कहां लागू होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि उसको लागू किया जाये।

दूसरी बात, हरिजनों को जो एलॉटमेन्ट हुआ है, हम चाहते हैं, उसकी जांच हो। हरिजनों को कितनी जमीन मिली हैं और कितनी कब्जे में दी है।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो तं मिनट और लूंगा। तीसरी बात मैं उ ध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहूंगा सरचार्ज के सम्बन्ध में। जो सरच लगाया गया है, मुझे तो पता नहीं कितना होना है कितना नहीं। अन-इको मिक होल्डिंग पर नहीं होना चाहिए दूसरी बात सरचार्ज के बारे में उपाध्य महोदय, आज गंगानगर की जमीन का फरटाइल है। वहां लैंड रेवेन्यू क्या है जयपुर की जमीन में उपज कम है गंगानगर में दो एकड़ में मालदार हैं जयपुर में 25 एकड़ है तो भी कम है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : गंगानगर सोना थोड़े ही होता है।

श्री पी. के. चौधरी : हमारे ऊप उसका यहां जयपुर में इन्सीडेन्स ज्यादा होत है। सरचार्ज के बारे में कहूंगा जयपुर क लैंड रेवेन्यू ज्यादा हो जाता है। गंगानग की फर्टाइल जमीन है। उस पर यह इन्सी डेन्स कम होगा। अगर मैं गलत कहता तो करेक्ट कर दिया जाये।

श्री दौलतराम सारण : गंगानगर ज्यादा आमदनी होती है।

श्री पी. के. चौधरी : इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है एग्रीकल्चर को डवलप करने की ओर सरकार ज्यादा ध्यान दे। यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोकुलप्रसाद !

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, चार दिन से बजट पर

Page No. 67

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

भाषण हो रहे हैं। हमारे वित्त मन्त्री ने काफी बातें कही हैं। क्योंकि मुझे सभी बातों पर निवेदन करने को मिलेगा नहीं कि मैं सभी बातों को कहूं। लेकिन टैक्सों के बारे में कहूंगा। जहां तक आय का स्रोत लाटरी को बताया है कि 80 लाख रुपया मिलेगा। मैं समझता हूं कि लाटरी एक जुआ है। उसके बाद भी अगर उनको जुआ खिलवाना है तो राज्य के मन्त्री हैं वह चाहें तो खिलवायें।

श्री मनोहरसिंह मेहता : बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : लेकिन जो लिखा है उन्होंने वह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है।—"भाग्यं फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम्"। यह वह कर लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। यानि कि लाटरी आ जाएगी। तुम्हें कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। सारे राजस्थान के लोग लाटरी से मालदार हो जायेंगे।

श्री मनोहरसिंह मेहता : बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप कम से कम यह स्लोगन तो नहीं देते। यह तो कम से कम निकाल दो।—"भाग्यं फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम्"। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वाक्य है। यह प्रजातान्त्रिक नीति के लिए कलंक है। यह हटा दिया जाये। जुआ वित्त मन्त्री जी खूब खिलवायें। अगर आपका भला होता तो। राज्य के जुए से कौरव और पाण्डवों का क्या हाल हुआ था। जुए का अच्छा नतीजा नहीं होता है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : बहुत अच्छा।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : दूसरी बात, रॉक फास्फेट से उनको धन मिलेगा। बिजली से उनको 125 करोड़ रुपया मिल रहा है। खर्चा तो बढ़ेगा। लेकिन यह कन्ज्यूमर्स पर नहीं पड़ेगा तो किस पर पड़ेगा ? कारखानों की बिजली की दर अगर बढ़ा दी तो शहर में उद्योग बिल्कुल नष्ट हो जायेंगे। वैसे मैं पूंजीपतियों के हित में नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सफाई देने की क्या जरूरत है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : अगर हम कारखानों को यह सुविधा नहीं देंगे तो राज्य की आमदनी नहीं बढ़ेगी। मजदूरों को काम नहीं बढ़ेगा। फिर इन्जीनियर्स को भी काम नहीं मिलेगा। सभी लोगों को काम दिलाने के लिए उनको ज्यादा सुविधायें देनी पड़ेंगी। बिजली की कीमत बढ़ायेंगे तो उद्योग नहीं पनपेंगे।

आपने हमेशा टैक्स बढ़ाया है तो शहरों पर बढ़ाया है। टैक्स तीन करोड़ और कुछ लाख का था 51-52 में कस्टम ड्यूटी का और आज आप 27-28 करोड़ के हिसाब से लगा रहे हैं। सेल्स टैक्स तो आठ नौ गुना ज्यादा बढ़ा है और लैण्ड रेवेन्यू साढ़े तीन करोड़ की थी और साढे चार करोड़ जागीरों की, तो कुल मिला कर लैण्ड रेवेन्यू 51-52 में 8 करोड़ की थी राजस्थान बना उस समय और वह आज 8 से साढ़े आठ करोड़ नहीं हुई। कितनी जमीनें आपने लोगों को दे दी, लाखों एकड़ आपने जमीन कृषि के लिए दे दी लेकिन लैण्ड रेवेन्यू नहीं बढ़ी है। या तो आप वसूल नहीं कर पाते हैं। खर्चा लैण्ड रेवेन्यू का पांच गुना ज्यादा बढ़ गया

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

है। कुछ लोग कहते हैं कि सेल्स टैक्स बढ़ा दो तो क्या सरकार की यह नीयत है कि जितने लोग खरीद कर खाने वाले हैं उन पर ही टैक्स बढ़ाती रहे और जो उत्पादक हैं, जो उत्पादन करते हैं, उनको चाहे अपने उत्पादन की दस गुना कीमत मिल जाय, पचास गुना कीमत मिल जाय उन पर टैक्स नहीं बढ़ाते हैं। यदि यह नीयत सदन की है तो उत्पादन करने वाले लोग तो इसमें ज्यादा नहीं आये हैं लेकिन ग्रामीणों का नाम लेकर बात करते हैं उनकी। अगर थोड़ा सा लगान बढ़ाते हैं या सरचार्ज बढ़ाते हैं तो कहते हैं कि किसान दुखी हो जायगा। 90 प्रतिशत किसान तो 50 रुपये के नीचे के लगान में चले जाते हैं और 10 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो 150 रुपये से कम लगान देते हैं और 2-2½ पर्सेन्ट ऐसे हैं जो 150 रुपये ज्यादा लगान देते हैं। तो ये किसानों का, सारे ग्रामीणों का नहीं, किसान के उस वर्ग से नहीं, जो कि 90 प्रतिशत हैं, लेकिन उन 10 प्रतिशत किसानों की हिफाजत करने वाले लोग यहां बैठे हैं। अगर उनके लिए बैठे हैं तो मुझे हर्ज नहीं है कि कुछ कर नहीं लगना चाहिए। खरीद कर खाने वाले राज्य में 20, 40 या 50 पर्सेन्ट लोग हैं। वे 40 पर्सेन्ट लोग बोल नहीं सकते हैं क्योंकि वे ज्यादा आ नहीं पाते हैं आपके सदन में। आप यह तय कर लें कि खरीदकर खाने वालों पर जितना चाहें टैक्स लगायें। बीस गुना खरीदकर खाने वालों पर ज्यादा टैक्स हो गया। जैसे जैसे खरीदकर खाने वालों पर टैक्स बढ़ता है तो राज्य को उनकी तनख्वाहें बढ़ानी पड़ती हैं, और ज्यों ज्यों तनख्वाहें बढ़ती हैं तो मंहगाई बढ़ती जाती है, इस तरह से यह क्रम बढ़ता गया और खरीदकर खाने वालों को राज्य सरकार दबाती जायगी करों के बोझ से। जैसे जैसे मंहगाई बढ़ती है उसी प्रकार से सरकार तनख्वाहें बढ़ाती हैं, यह मैं मानता हूं कि सरकारी सर्विस वालों को जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है, फिर भी सरकार बढ़ाती है, लेकिन दूसरे आम लोगों को जो कल-कारखानों में और बाजार में नौकरी करते हैं उनको दो ढाई रुपये रोज से ज्यादा नहीं मिलता है उनको कुछ नहीं मिलता है। आप तो कुछ न कुछ दे ही देते हैं। एक चपरासी को 140 रुपये देते हैं लेकिन बाजार में पढ़े-लिखे मुनीम को 70 रुपये ही दिलवादें। मंहगाई आपकी वजह से बढ़ती जा रही है टैक्सों के कारण। सन् 51-52 में कृषि और पशु-पालन का बजट 50 लाख का था आज उसका बोझ 9 करोड़ के आसपास है और कुल मिलाकर हम देखें तो 25 करोड़ खाली कृषि और पशु-पालन पर गाँवों में खर्च किया जाता है राज्य सरकार की तरफ से, और 25 करोड़ के बदले में लैण्ड रेवेन्यू एक पैसा नहीं बढ़ता है। अगर आप सच-मुच गरीबों के हामी हैं और हम चाहते हैं समाजवाद लाना तो 10 एकड़ से नीचे वाले किसानों से लगान बिल्कुल छोड़ दें। तो इस तरह से 90 प्रतिशत पर लगान छूट जायगा और 90 प्रतिशत किसान सुखी रहेंगे। जो लगान 90 प्रतिशत पर छोड़ा जाय तो लगान को उससे ज्यादा जमीन वालों पर चार गुना कर दें तो वह बराबर हो जायगा। ग्रामीण पूंजीवाद की नई प्रणाली निकली है और ये दो ढाई पर्सेन्ट लोग सारे देश पर छाये जा रहे हैं राजनीति में भी। अगर उन पर थोड़ा सा सरचार्ज

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)
लगा दिया इनके दो घरों पर तो यहां सांप बिच्छू की तरह से निकलेंगे और हाय हाय करेंगे। इन थोड़े से आदमियों के कारण, इन थोड़े से लोगों से डरकर आज तक सरकार ने इन पर कोई टैक्स नहीं लगाया है। मैं समझता हूं कि मुरारजी को परमात्मा ने प्रेरणा दी थोड़ी सी इनको छेड़ने की कि उत्पादन करने वाले लोगों से कुछ नहीं लिया गया है। जबकि भूमि की आमदनी पचास गुना हो जाय उस पर नहीं लगाया जाय और उन पर लगाया जाय जो कि मेहनत करके खरीदकर सब चीजों को खाते हैं। उत्पादन पर करना नहीं और खरीददार पर करना है तो यह कर की प्रणाली टिकने वाली नहीं है। लोगों में रोष बढ़ता जाता है।

हमारे मंत्री जी करों की सूची की बात कहेंगे कि शराब पर कर लगा दिया है और शराब मंहगी हो गई है और उससे सरूर ज्यादा आयेगा तो भाई सरूर पीने वाले को आयेगा। शराब देश में बिल्कुल बन्द कर देना चाहिए···

श्री मनोहरसिंह मेहता : बिल्कुल ठीक।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : शराब की आमदनी की मादकता काम में भी आयेगी। उससे जो भी काम आगे करेंगे तो गलत होंगे। उसकी आमदनी से अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो वे काबिल नहीं हो सकेंगे। बुरी कमाई का बुरा असर आयेगा···

श्री दौलतराम सारण : वही हो गया है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : क्या बात करते हैं दौलतराम जी, आपकी तो रग-रग में वही रक्त भरा हुआ है।

साथ ही मिठाई को भी नहीं छोड़ा है या रोटी दाल को भी नहीं छोड़ा है। वित्त मंत्रीजी, आपने नमकीन को भी नहीं छोड़ा है। एक भूखा आदमी दो पैसे के चने और दो पैसे के सेव लेकर खाकर पानी पी लेता था उसको भी नहीं छोड़ा है। आपने कहा कि मिठाई पर लगाते हैं। मिठाई कहां बिकती है? मिठाई शहर में बिकती है। बीकानेर शहर की बात कर दूं कि वहां 600 दुकानें हैं मिठाई की और सारे लखपति हैं और यहाँ जयपुर शहर में हजारों दुकाने हैं। गरीबों के बच्चे जो शहरों में रहते हैं और कभी अगर स्वप्न में मिठाई का नाम सुन लेते हैं और उसके गरीब बाप ने 2-4 आने की मिठाई बाजार से ला दी, क्योंकि करोड़पति तो मिठाई नहीं खरीदते हैं क्योंकि वे तो घरों पर बनाते हैं। गरीबों के बच्चों के लिए मिठाई दुकानों से आती हैं। कोई होटल में जाकर गरीब लोग दो आने की दाल और चार-फुलके एक एक आने की ले लें तो आप कहेंगे कि टैक्स दो। यह शोभनीय नहीं है। दाल पर सेल्स टैक्स, रोटी पर—गेहूं पर तो आपने टैक्स ही लगा दिया, नमक पर नहीं है और मिर्च पर है, धनिया, हलदी सब पर टैक्स है, और मौसम की चीजें आगई उन सब पर टैक्स है। एक आदमी जो खाना बना कर देता हैं उसको आठ आने मिलते हैं। जो पढ़ा लिखा नहीं है और रोटी सेक कर और बेचकर मजदूरी करता है तो उस पर भी टैक्स लगेगा। आप कहते हैं कि 30 हजार की टर्न ओवर हो गई है तो 30 हजार से 2,500 रु. महीना होता है तो 2,500 रु. में तीन-चार आदमी होते

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

हैं एक आदमी बरतन मांजने वाला होगा, एक परोसने वाला होगा, एक बनाने वाला होगा। इस तरह से एक आदमी 300 रुपये कमायेगा और आप कहोगे कि एक आदमी हिसाब रखने वाला रखो क्योंकि टैक्स देना पड़ेगा। यह एक निकम्मापन होगा कि जयपुर में आने वाले को क्यों रोटी बनाकर खिला दी। तूने यह नेक काम क्यों किया ? यह कोई टैक्स का धन्धा है ? आप चोटी पकड़ कर बैठ जाओ। इसको बिल्कुल बन्द कर दो। अगर नहीं करोगे तो मैं समझता हूं कि लोग कहेंगे कि आपने रोटी तक नहीं छोड़ी उस पर भी आपने टैक्स लगा दिया। आपने मिठाई के नाम से रोटी और नमकीन सब पर टैक्स लगा दिया।

दूसरा है आपने रेशम पर टैक्स लगा दिया तो हमें कोइ ऐतराज नहीं है। अगर भारत सरकार एक्साइज ड्यूटी रेशम पर नहीं लगाती है और सूत पर 30-33 पर्सेन्ट तक हो जाता है और रेशम पर 10 पर्सेन्ट रहता है और रेशम वालों को छोड़ना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है। मैं मना नहीं करता हूं मेरी तरफ से।

(2. म. प.)

आपने शहर की भूमि पर कर लगाया है उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आप दस रुपये प्रति गज एक व्यक्ति से माँग करते है उसको बदलने के लिए, तो किसी गरीब आदमी के पास अगर आधा बीघा जमीन है तो वह उसे आबादी जमीन में अपनी जिन्दगी में नहीं बदलवा सकेगा क्योंकि यदि उसके पास पाँच सौ गज जमीन है तो उससे आप पांच हजार मांगेंगे। अगर कोई व्यक्ति एक हजार गज जमीन को आबादी भूमि में बदलवावे अपने चार लड़कों में बाँटने के लिए तो आप कहेंगे कि दस हजार रुपये जमीन बदलाई के दो पहले। लेकिन जिस सरमायेदार के पास जमीन के टुकड़े जितने पड़े हैं उनको वह मजे से बदलवा लेगा दस रुपये आपको देकर। जब उसको मालूम होगा कि यह आप गरीब से भी लेते हैं तो वह पच्चीस, तीस रुपये गज से कम में जमीन के टुकड़े नहीं बेचेगा। अगर किसी ने सौ गज जमीन ले ली तो तीन हजार तो जमीन के ही चले जायेंगे। उसके बाद उस पर मकान बनाना उसके लिए मुश्किल हो जायगा। आपको यह मालूम होना चाहिए कि शहर में केवल बिड़ला और टाटा नहीं रहते हैं। आप यह कान खोल कर सुन लीजिये, वित्त मंत्री जी, आज अस्सी प्रतिशत लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं है। जो दो-तीन रुपये की मजदूरी करके अपना पेट भरते हैं, उसके लिए आप सोचते हैं कि पच्चीस-तीस रुपये गज की जमीन वह ले लेगा और उस पर झौंपड़ी बना कर रह जायगा ? आप उस गरीब को झौंपड़ी बना कर छुपाने से भी महरूम रखना चाहते हैं आपने शहर वालों के ऊपर कर लगा दिये लेकिन जो गाँवों में रहते हैं और लाखों रुपये कमाते हैं लेकिन फिर भी आपको टैक्स नहीं देते हैं कारें जिनके पास हैं उनसे तो आपने एक पैसा भी नहीं, भले ही वह बंगले बनायें। फिर शहर में यह कर लगाने की क्या जरूरत है ? आपने यह जजिया कर लगाया शहर वालों के ऊपर। शहर वालों से तो आप कर लें लेंगे लेकिन यह गाँव वालों से नहीं लेंगे जिनके पास में करोड़ों रुपया है। आपको सीधी बात कह देनी चाहिए कि आप शहर

Page No. 71

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

और गाँव में भेद नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आपकी कृपा शहर वालों पर है। गावों में एक-एक जमीदार बैठा है जिनके पास काफी जमीन हैं, राजा महाराजा है, जयपुर और जोधपुर के महाराजा हैं। लेकिन आप उन लोगों से टैक्स लेना चाहते हैं जिनके पास मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है। आप मूल्या, गेंदिया, रेवडिया आदि लोगों से टैक्स लेंगे आप शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों से टैक्स लेंगे। उनके लिए आप कह देंगे कि उनको जमीन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट देगा। वह तो डवलपमेंट के चार्जेज इनसे लेगा। और जो इनको जमीन देगा वह इनको आगरा रोड़ पर ले जाकर देंगे, जहां से वह मजदूरी करने के लिये अगर शहर आयेगा तो रास्ते भर कबड्डी कबड्डी करता हुआ आयेगा। वह सुबह वहाँ से आयेगा और दिन भर मजदूरी करने के बाद यहां से वहां जायेगा। उसको शहर के आस पास जमीन नहीं मिलेगी। उसको मिलेगी भी कैसे क्योंकि जमीन की कीमत तो इतनी ज्यादा ले ली जायगी। आप जमीन के ऊपर एक बार कर ले लेंगे, दो बार ले लेंगे। लेकिन आखिर इससे काम आपका नहीं चलने वाला है। तीन साल आप ले लेंगे फिर चौथी साल क्या लेंगे। आपको रुपया जुटाने के लिए कोई परमानेन्ट सोर्स को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन आप वह नहीं ढूंढेंगे, उसके लिए आप तैयार नहीं हैं। आपकी नॉन-टैक्स रेवेन्यू बढ़े—इसके लिए कभी प्रयत्न करते हैं क्या? आपका वन विभाग में कितना रुपया लगता है, कितना आपने उस पर खर्च किया है और कितना आपको वापिस मिला? कृषि के मामले में कितना आपने खर्चा किया और कितना आपको वापिस मिला। कभी सदन में इस विषय पर बहस हो कि आपने जो इतना रुपया इन्डस्ट्रीज पर लगा दिया लेकिन उसमें से आपको वापिस क्या मिला? शहर में इतने लोग रहते हैं इन पर आपने कर लगा दिया। लेकिन शहर में लगा दिया उसके अलावा आपको क्या मिला? आठ लाख लैंड रेवेन्यू है, साढ़े सात लाख, वैसे शायद नहीं रहेगा। लेकिन शहर पर चार पांच करोड़ के टैक्स लगायेंगे। आपकी शहरों से अन्धाधुन्ध आमदनी होती है। मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य चौधरी जी ने कहा कि जयपुर से इतने करोड़ रुपये मिलते हैं, 9 करोड़ रुपये एक जिले से मिलते हैं और गांवों से मिलते हैं। लेकिन गांव वालों से मिलता है उसमें सेल्स टैक्स का कितना मिलता है। लेकिन शहर वालों के ऊपर हर बात में सेल्स-टैक्स है। शहर का आदमी कोयला जलाता है तो उस पर दस परसेन्ट टैक्स है। लेकिन गांव के आदमी को तो लकड़ी चाहिए, वह लकड़ी रोज काटे और रोज जलाये, उस पर कोई टैक्स नहीं है। मैं गरीब लोगों के लिए नहीं कहता। गांवों के अन्दर जो गरीब हैं उनके ऊपर आप टैक्स छोड़ दीजिये; लैंड रेवेन्यू छोड़ दीजिये लेकिन गांव के व्यक्ति को बिल्कुल टैक्स से आजाद मत कीजिये। अगडम बगडम, गांव वाले से टैक्स नहीं लेंगे; अगडम बगडम, गांव के लोग लाखों रुपये कमायें तो भी उससे टैक्स नहीं लेंगे। और यह स्लोगन दें, अगडम बगडम, भारत देश का सुधार हो। मेरा कहना यह है कि शहर में जमीन के मामले में आप पुनः विचार कीजिये ताकि गरीब आदमी जमीन ले सके। गरीब के लिए यह रेट कम कीजिये। या यह कर दीजिये कि शहर में जो इन्कम

Page No. 72

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)
टैक्स पे करता है, उसके पास जमीन है और उस जमीन को बदलता है तो उससे यह रेट लेंगे और जिनकी आमदनी कम है उनसे यह रेट लेंगे। आप दोनों में फर्क डालिये। और आप रोटी और मिठाई पर टैक्स बन्द करिये।

आपने कॉमर्शियल क्राप के बारे में बात की है और इस कॉमर्शियल क्राप में तिल लिया है। तिल ऐसी चीज नहीं है कि जिस पर टैक्स लगाया जाय। तिल तो सारे मारवाड़ में होता है केवल सैंकड़ों मन की तादाद में। हजारों बीघा में तिल होता है, लेकिन किसी में दस सेर, किसी में पांच सेर और वह भी पांच साल में एक साल हुआ या नहीं हुआ। आप तिल पर लगा देंगे तो मारवाड़ पहले ही उजाड़ है, रेगिस्तान है, इसकी औरं बरबादी करना चाहते हैं ? इसलिए इसको आप नहीं लगायें। आप जो तिल, मूंग, मोठ की खेती करता है, उससे थोडा बहुत पैसा आ जाता है, जिससे वह कपड़ा ले लेता है। बाजरा एक बीघा में एक मन, बीस सेर, पच्चीस सेर तो हो जाती है लेकिन तिल दस-पन्द्रह सेर भी नहीं होता है। और वह भी कभी दस-पन्द्रह साल में इतना होता है। अगर आपको लगाना है तो जिसमें खूब मीठा है, गन्ना, इस पर लगा दीजिये, कपास पर लगा दीजिये। बारानी पर जो लगाते हैं उसको आप बन्द कर दीजिये. चाही पर जो आपकी इच्छा हो वह लगाइये। परमात्मा के भरोसे खेती है क्योंकि परमात्मा की कृपा से ही बारिश होती है, अगर प्रकृति ने वर्षा नहीं की तो बीज खराब हो जाता है। उसका खर्च आप नहीं देते हैं। जो खेतों में बीज आपके पानी के भरोसे बोता है, जिसको आप पानी देते हैं, उसके ऊपर लगाने की कोशिश करें और उस पर आप लगायें सरचार्ज तो मैं उसका विरोध नहीं करता हूं। इसलिए जो पचास के ऊपर बढ़ा है, वह पचास से पिचहत्तर हो जाय ताकि गरीब उससे बच जाय। और आप कॉमर्शियल क्राप में से तिल और सरसों को भी अलग कर दीजिये।

एक निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि जिन चीजों पर छः सात पर्सेन्ट था उसको आपने सात से दस पर्सेन्ट कर दिया है। आप सोचते हैं कि यह इन्डाइरेक्ट टैक्स हैं, कोई हल्ला नहीं करेगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर आप कहां तक बढायेंगे। कोई सीमा तो होगी। आप देखें कि दूसरे राज्यों में क्या है और यहां क्या है। और आप हर चीज पर टैक्स बढ़ाने की बात कम करें। वैसे इस साल जो लाइन पकड़ी है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन उसमें भी आप गलत चीज न करें।

दूसरे अकाल के मामले में जितना खर्चा किया है, मैं समझता हूं कि इस साल अकाल सहायता का जितना अच्छा काम चल रहा है, उतना पहले जब अकाल पड़े हैं और लोग मालवा, बिहार, बंगाल तक गये हैं और जाते रहे हैं गांव छोड़ छोड़ कर और दस पांच वर्ष के बाद वह गरीब वापिस आते रहे हैं लेकिन अब के अकालग्रस्त क्षेत्र का एक व्यक्ति भी बाहर नहीं गया।

श्री देवीदत्त गाडिया : गये हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : गये हैं। आपके गांव के गये होंगे। बात करते हो। आपके गांव में अकाल नहीं पड़ा है।

Page No. 73

श्री देवीदत्त गाड़िया : जैसलमेर और बाड़मेर से।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : जैसलमेर और बाड़मेर से गये तुम्हारे घर।

श्री देवीदत गाड़िया : बाहर गये हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : अरे वह तो जैसलमेर, बाड़मेर के लोगों के रिश्तेदार बिहार, बंगाल में रहते हैं तो गये होंगे।

श्री देवीदत्त गाडिया : अकाल से पीड़ित लोग मध्य प्रदेश गये हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : जैसलमेर से बिहार में गये हैं, जैसे इन्होंने भेज दिये हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह मुख्य मंत्री ने स्वीकार किया है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : जैसलमेर के किसी के रिश्तेदार रहते होंगे। बिहार में बंगाल में, तो गये होंगे। बीकानेर के भी बहुत से व्यक्ति बाहर रहते हैं। मैं गया हूं बीकानेर के इलाके में, उस इलाके में ढ़ाई लाख की आबादी है, और जिसके अन्दर एक लाख मजदूर काम करते हैं। उनको जो अकाल के दिनों में मजदूरी मिली है। सरकार ने सब मदद पहुंचाई है। घास की कमी बता रहे हैं तो घास की कमी को पूरा कर देगी सरकार तो उपालम्भ नहीं रहेगा। अकाल मंत्री यहां हैं नहीं, वित्त मंत्री जी सुन लें, वहां आप पानी का इन्तजाम कर दें तो फिर उपालम्भ नहीं रहेगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अपने इलाके की बात मत कहें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : वहां जब सुकाल था तब इतनी मजदूरी नहीं मिलती थी। मजदूरी के मामले में उनकी कमाई अच्छी है। लोग खुशहाल हैं। अकाल के दिनों में मजा ले रहे हैं। अकाल परमात्मा का दिया दुःख है, वहां घास-वास पहले नहीं मिली तो कुछ जानवर जो कमजोर थे वह मर गये तो बात दूसरी है (समय-समाप्ति सूचक घंटी) एक मिनिट। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो वेज मिलती हैं वह न मिनिमम वेज मिलती है। और न लिविंग वेज मिलती है। वह जो मिलती है वह अकाल सहायता के रूप में मिलती है। अब उसमें कह दिया जाता है कि इतना काम किया इसलिए तुम्हारा इतना पैसा काट लिया जायगा। उससे आधा पैसा भी नहीं पहुंचता है। इसलिए अगर वास्तव में अकाल सहायता करना चाहते हैं तो इस सम्बन्ध में आप कार्यवाही करें।

इन निर्माण कार्यों को अगर पी. डब्ल्यु. डी. से करवाते हैं तो ठेकेदारों से क्यों काम करवाते हैं? चीफ इन्जिनीयर, सुपरिन्टेन्डिंग इन्जिनीयर, एग्जीक्यूटिव इन्जिनीयर ओवरसीयर और न मालूम कितने-कितने आपने अधिकारी रख रखे हैं, 15 परसेंट खर्चा अगर विभाग द्वारा करते हैं तो वह आधा परसेंट भी नहीं आता। आपके सुपरिन्टेन्डिंग इन्जिनीयर, इन्जिनीयर, ओवरसियर हैं, इनको रखते हैं और काम कम होता है तो यह कम काम आपके मिस्मैनेजमैन्ट से होता है। मिस्मैनेजमैन्ट तो करे सरकार और पैसा काटा जाय मजदूरों का यह कहां का न्याय है? गांवों में काम चल रहे हैं कोई देखने वाला नहीं है, अगर मजदूर कम काम करते हैं तो यह मजदूरों का दोष नहीं, आपका सुपरविजन का चार्ज कितना होता

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

है ? जितना सुपरविजन पर खर्चा होता है उसका आधा परसेंट भी यह नहीं होता। तो इसको आप तय कीजिये, मिस्मैनेजमेंट को मिटाइये, जितना वर्क लोड एक आदमी के जिम्मे होगा वह उसे करेगा पर सुपरविजन का आपकी ओर से कोई इन्तजाम नहीं एक्स. ई. एन. ओवरसियर्स, सुपरिन्टेन्डिंग इन्जिनीयर इन्होंने क्या काम किया है, क्या इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं ? मजदूरों का पैसा काट कर 50 परसैन्ट, 30 परसैन्ट और 20 परसैन्ट तक उनको पैमैंट किया है, क्या आपने कभी किसी एक्स. ई. एन. या ओवरसियर की तनख्वाह में से पैसा काटा है? सुपरिन्टेन्डिंग इन्जिनीयर को आधी तनख्वाह दी है ? ऐसा कहीं नहीं किया है। यह नहीं करते हैं तो मजदूरों का पैसा काटने का आपको कोई हक नहीं है। कुछ को तो हमने पैसा दिलवाया है, कुछ को आप राजी खुशी पैसा दिलवा दीजिये, लोग आपको अपना पैसा छोड़ेंगे नहीं, पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा और खामोखाम आपकी हिन्दी, हिज्जे हो जायगी।

तो जितने काम करवाये हैं, जितने काम खोले हैं उनके लिये धन्यवाद सरकार को देना चाहता हूं, थोड़ा सा मैंने बताया है उसके अनुसार करों में संशोधन करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, 69-70 का जो बजट वित्त मंत्री महोदय ने सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है, उसके सम्बन्ध में मैं अपने विचार सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं। मैंने बजट को अच्छी तरह से पढ़ा है और मैंने यह पाया है कि यह बजट घाटे का बजट है। वित्त मंत्री जी ने यह बताने की कोशिश की है कि यह संतुलित बजट है परन्तु वित्त मंत्री जी ने जो बजट के आंकड़े दिये हैं, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह बजट संतुलित बजट नहीं अपितु यह घाटे का बजट है। राजस्व घाटा 20.45 करोड़ का है जो स्पष्ट कहा गया है और इस राजस्व घाटे को मीट करने के लिये यह कहा गया है कि फिफ्थ फाइनेन्स कमीशन जब अवार्ड पेश करेगा, उस अवार्ड से यह राशि मीट हो जायगी। अब फिफ्थ पे कमीशन के सामने राज्य सरकार ने जो मेमोरेंडम पेश किया है, उसको भी मैंने पढ़ा है और मैंने पाया है कि बहुत ही योग्यता के साथ इस मेमोरेण्डम को पेश किया गया है। उस मेमोरेण्डम में 4 बातों के बारे में बड़ी अच्छी तरह से रखा गया है। सेन्ट्रल एक्साइज ड्युटी का जो हिस्सा राज्य को मिलता है यह हमें 2/3 हिस्सा आबादी के लिए और 1/3 पिछड़ेपन के आधार पर दिया जाय। एक तो यह बात रखी।

दूसरी बात विशेष रूप से यह रखी कि मंहगाई भत्ता दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और हमें गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स का मंहगाई भत्ता बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि सेन्ट्रल गवर्नमेंट भत्ता बढ़ाती है तो राज्य सरकार को भी भत्ता बढ़ाना पड़ता है। तो संविधान के आर्टिकल 275 के अनुसार मंहगाई भत्ता अनुदान के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को देना चाहिए।

तीसरी मांग खास तौर से की है कि राजस्थान में अकाल हमेशा पड़ता रहता है इसलिए 3.5 करोड़ अकाल सहायता

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

कोष में राजस्थान सरकार को ट्रान्सफर किया जाय।

चौथी मांग यह की है कि अकाल सहायता के बारे में जो सेंट्रल गवर्नमेंट से अकाल सहायता मिलती है, विशेष तौर से 2/3 हिस्सा लोन के रूप में 1/3 हिस्सा सबसिडी के रूप में मिलता है तो इसके लिए कोशिश की जानी चाहिए कि यह पूरा का पूरा अनुदान मिले, अगर पूरा अनुदान के रूप में नहीं मिले तो इस पर ब्याज कतई नहीं लगाया जाय। इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे और इस तरह से 20.45 करोड़ के घाटे को मीट किया जा सकता है।

दूसरा घाटा यह बताया गया है कि इस वर्ष केन्द्रीय सरकार को 44.73 करोड़ रुपया कर्ज के ब्याज का चुकाना है जिसमें से 20.73 करोड़ रुपया कर्ज चुकाने का प्रावधान इस बजट में किया गया है, बाकी 24 करोड़ जो बचता है उस कर्ज के चुकाने की इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है, इसके लिए कहा गया है कि किश्तें आगे बढ़ाई जायेंगी, दूसरे वर्ष में इसकी किश्तें करदी जाएं। यह घाटे को मीट करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि यह कर्ज आखिर आपको चुकाना है। यह कर्जा केन्द्रीय सरकार को देना है तो फिर किसी तरह से यह बजट एक सतुलित बजट नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह बजट घाटे का बजट ही कहा जायगा।

अब मैं खास तौर से इस पर आता हूं कि राजस्व व्यय है इसमें योजना व्यय 174.34 करोड़ है और गैर योजना व्यय 157.68 करोड़ है। जब तक इस गैर योजना व्यय को कम नहीं करेंगे तब तक कभी भी योजना के लिए ज्यादा राशि नहीं दे सकते। अब भी इस बजट में 16.16 करोड़ सिर्फ योजना के लिए रखा है। तो इस प्रकार हम जब तक गैर योजना व्यय को कम नहीं करेंगे तब तक किसी तरह हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसे तभी कम कर सकते हैं जब कि इकोनोमिक मेजर्स लें। इसके लिए आपको एक कमेटी बैठानी चाहिए कि गैर योजना व्यय में क्या इकोनोमी ला सकते हैं। यह करके हमें गैर योजना व्यय में कमी करनी पड़ेगी, यह नहीं करेंगे तो किसी तरह प्रगति नहीं कर सकते।

आज देख रहे हैं कि जीपों का दुरुपयोग हो रहा है, पैट्रोल का उपयोग किया जा रहा है। जो मंत्रिमंडल बना है, उसे आज कल की परिस्थितियों के अनुसार मैं बड़ा नहीं कहता, पर मैं कहता हूं, जैसे बंगाल में मंत्रिमण्डल बना है, उसमें मंत्रियों की संख्या ज्यादा है पर उन्होंने निर्णय लिया है कि चीफ मिनिस्टर 750 रु० माहवार लेगा और मंत्री 500 रु० लेगा। तो हमको भी इस प्रकार का निर्णय लेना चाहिए•••

श्री मनोहरसिंह मेहता : बहुत अच्छे। बिल्कुल ठीक है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : हम गांधी शताब्दी मना रहे हैं हमें ऐसा निर्णय लेना है जिससे महात्मा गांधीजी की आत्मा को शान्ति मिले। महात्मा गांधी की आत्मा को शान्ति तभी मिल सकती है जब कि उनके पुत्र, उनके कांग्रेस के शिष्य इस बात की कोशिश करें और खुद पहले सैक्रिफाइस करें। उनको यह सैक्रिफाइस करना चाहिए।

श्री मनोहरसिंह मेहता : बहुत अच्छे। बहुत अच्छे।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : आज प्रजातन्त्र में बड़ा खतरा पैदा हो गया है, यह स्थिति हो गई है कि सभी मन्त्री बनना चाहते हैं। अगर 750 रुपया चीफ मिनिस्टर और 500 रुपया एक मंत्री की तनख्वाह निश्चित कर दी जाय तो कोई मंत्री बनने की इच्छा ही नहीं करेगा। मैं तो समझता हूं यहां तक स्थिति पैदा हो सकती हैं कि जब वे यह देखेंगे कि इससे तो हमारा पूरा नहीं पड़ता है तो मंत्री-पद छोड़ने को भी तैयार हो सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि गांधी शताब्दि के इस साल में आप इस प्रकार का निर्णय लें, जब कि जो कम्युनिस्ट प्रदेश है, उसने यह कदम उठाया है तो गांधीजी के हम शिष्य हैं हमको भी यह क्रान्तिकारी कदम उठाना चाहिए और दूसरे प्रदेशों के लिए उदाहरण रखना चाहिए। इससे कांग्रेस संगठन की शक्ति बढ़ेगी। चीफ मिनिस्टर के लिए 750) और मंत्री के लिए 500) इस प्रकार का निर्णय करेंगे तो असेम्बली मैंबर्स में और आपमें डिफरेंस कम होगा, कांग्रेस संगठन मजबूत होगा, हममें सेवा भावना आयेगी इसलिए राजस्थान सरकार को घोषणा करनी चाहिए कि गैर योजनाओं के व्यय में कमी की जाएगी, तनख्वाहों में कमी की जायेगी।

हीरालाल जी शास्त्री की जब गवर्नमेंट थी, उस समय हम कुछ कांग्रेसी उनके विरुद्ध थे, लेकिन उन्होंने भी एक बहुत अच्छा निर्णय लिया था और उन्होंने मंत्रियों के बिजली का खर्चा सीमित कर दिया था कि अगर उससे ज्यादा करेंगे तो उनको खुद भरना पड़ेगा। उसी तरह पानी के लिये भी सीमा बांध दी थी कि यदि इससे ज्यादा खर्चा करेंगे तो उनको घर से भरना पड़ेगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : सीमा होनी चाहिये।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : टूर्स के लिये भी उन्होंने सीमा बांध दी थी। आज जहां-जहां भी हम टूर पर जाते हैं तो राजस्थान के हित के विचार से नहीं जाते। तो इसको जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज हम जनता के प्रतिनिधि हैं तो हमको यह कोशिश करनी चाहिये कि हम त्याग करें। अगर हम त्याग नहीं करेंगे तो सर्विसेज को त्याग करने के लिये नहीं कह सकेंगे। सर्विसेज की आपने तनख्वाहें बढ़ा दीं, राणावत आयोग की सिफारिशें मान कर आपने साढ़े तीन करोड़ का खर्चा बढ़ा दिया। आप बड़े बड़े ऑफिसर्स की तनख्वाह और बढ़ा रहे हैं और उनके लिये एडीशनल पोस्ट्स क्रीएट कर रहे हैं एडीशनल एस. पी. की, एडीशनल आई. जी. पी. की। आप इस तरह नये नये पद पैदा करके खर्चा बढ़ा रहे हैं। यह कोई जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिये समय रहते हमको समझना चाहिये और समझकर एक्शन लेना चाहिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता : बहुत अच्छा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : दूसरी जो हमारी बहुत गम्भीर समस्या है वह है पानी की। इस समस्या के बारे में मैं बार-बार सदन में कहता आया हूं। चौथी पंच वर्षीय योजना के बारे में लिखा गया है कि 25 करोड़ रुपये विशेषतौर से ग्रामीण जल योजनाओं के बारे में दिये जायेंगे, तो यह आपका

(श्री वृध्दिचन्द्र जैन)

बहुत उचित कदम है। पहले जो योजना पर 570 करोड़ रुपये खर्च किये उसमें जल प्रदाय योजनाओं के लिये ग्रामीण क्षेत्र को केवल 6 करोड़ रुपये दिये गये, जब कि नगरीय जल प्रदाय योजनाओं पर 11 करोड़ रुपये खर्च किये गये, जब कि गांवों में 84 प्रतिशत जनता बसती है, जहां राजस्थान की 1 करोड़ 68 लाख जनता रहती है। तो 84.3 प्रतिशत जनता पर तो कम खर्चा करें और 15.7 प्रतिशत जनता पर ज्यादा खर्चा, यह आपका कैसा तरीका है ? कहां तक आप इन्साफ और न्याय से काम कर रहे हैं ? अकाल योजनाओं पर जो खर्चा किया गया, उसको और पानी की योजनाओं पर जो खर्चा किया गया, उन दोनों को मिलाकर देखें तो कुल योजना का केवल 3.2 प्रतिशत आता है। यह रेगिस्तानी क्षेत्र है और हिन्दुस्तान का 65 प्रतिशत डेजर्ट राजस्थान के अन्दर है। इसको सुधारने के लिये आपने कोई ठोस काम नहीं किया और उसका नतीजा भी आपने हिन्दुस्तान, पाकिस्तान युद्ध में देख लिया, जिसमें हमें बहुत ही नीचा देखना पड़ा और उसके कारण आपने बॉर्डर रोड्स का काम हाथ में लिया जो कुछ गति से चल रहा है। जिस प्रकार इन रोड्स का काम आपने हाथ में लिया उसी प्रकार पानी की समस्या का हल करने के लिये भी आपको शक्ति लगानी पड़ेगी। लेकिन इसमें केवल आपकी शक्ति से काम नहीं चलने वाला, आपको केन्द्रीय सरकार को यह सिफारिश करनी पड़ेगी, यह रिकुएस्ट करना पड़ेगा कि पानी के लिये विशेष व्यवस्था करें, क्योंकि यह रेगिस्तानी क्षेत्र है वह आपका सीमावर्ती क्षेत्र भी है जिसका विशेष महत्व है। जब आप जम्मू कश्मीर के लिये विशेष व्यवस्था कर सकते हैं जो कि सीमावर्ती क्षेत्र है, जब आप आसाम के लिये विशेष व्यवस्था कर सकते हैं, तो आपको राजस्थान के इस सीमावर्ती क्षेत्र के लिये भी विशेष खर्चा करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर भी वह ही स्थिति है जैसी उन जगहों पर है।

अब मैं राजस्थान नहर के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। राजस्थान नहर जैसा कि पहले कंवरसैन ने योजना बनाई थी, उस प्रकार से नहीं बन पायी। पहले स्कीम यह थी कि उसका पानी बाड़मेर होकर कच्छ की खाड़ी में जायेगा, लेकिन उस स्कीम को छोड़ दिया गया। हम को कोशिश करनी चाहिये कि बाड़मेर जिले में पानी आये। बार-बार हमारे मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि हमें नर्मदा से पानी मिल जायेगा और हमें राजस्थान नहर से पानी मिल जायेगा, लेकिन कुछ नहीं मिलने वाला। नर्मदा के पानी के लिये तो अभी गुजरात और मध्यप्रदेश में ही झगड़ा चल रहा है, जिसमें सेन्ट्रल गवर्नमेंट का दबाव भी नहीं चल रहा और न आर्बीट्रेशन का ही उपाय चल रहा है। तो आप किस तरह से निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि हमें नर्मदा का पानी मिल जायेगा ? उसी तरह राजस्थान नहर की भी कोई योजना नहीं है। ये 6 करोड़ की राशि जो आप खर्च कर रहे हैं उससे तो जैसलमेर तक भी आप नहीं पहुंच पायेंगे। दस साल में भी नहीं पहुंच पायेंगे। पोंग डेम का निर्माण हो रहा है, उससे पानी लाने के लिये आप क्या व्यवस्था करेंगे ? आपके पास कोई योजना नहीं है, बिल्कुल अन्धकार है। इसी तरह इस रेगिस्तानी क्षेत्र को अकाल से बचाने के लिये आपके पास कोई स्थाई हल की योजना नहीं

Page No. 78

(श्री वृध्दिचन्द्र जैन)

है। एक योजना बनाई आपने ट्यूबवेल्स के बारे में, उसके लिये चीफ मिनिस्टर साहब ने विशेष तौर से ऐलान किया कि 500 ट्यूबवेल्स इस क्षेत्र में खोदे जायेंगे लेकिन बजट का जो भाषण पढ़ा तो उसमें केवल 60 ट्यूबवेल्स का जिक्र किया गया है। 60 से क्या काम हो सकता है? 500 नहीं, तो कम से कम 200 तो करिये, इस प्रकार आप इस क्षेत्र की प्रगति करिये। ट्यूबवेल्स के कार्य के लिये भी आपको रीजनल स्कीम्स बनानी चाहिये। बायतू पंचायत समिति क्षेत्र में भयंकर पानी की समस्या है। पहले मैं बाड़मेर शहर के लिये बार-बार कहा करता था, जिस पर राज्य सरकार ने विचार किया और अब बाड़मेर शहर की योजना एक दो महीने में कार्यान्वित हो जायगी। उसी प्रकार आपको बायतू के बारे में भी सोचना चाहिये। ऊह से लेकर बायतू तक की जो स्कीम है उसको जल्द से जल्द मन्जूर करके कार्य चलाना चाहिये। वहां पर पानी की इतनी भयंकर कमी है कि वहां का पानी खारा है मैं कई गांवों में गया तो मैंने देखा कि वहाँ के लोग खारा पानी पी-पी कर बीमार हो रहे हैं, उन लोगों का शरीर कमजोर हो रहा है। आज रेगिस्तान के आदमी निमोनिया और तपेदिक जैसी बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं, और बहुत से लोग मृत्यु के शिकार हो रहे हैं, और आपका जिला प्रशासन इतना निकम्मा है कि उनके लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है। इसलिये मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार जिला प्रशासन पर दबाव डाले और उन लोगों की जो दयनीय हालत है पानी के अभाव में उसको ठीक करे। पहले रेल टंकियों से पानी पहुंचाया जाता था, तो मैं मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पानी के बारे में जल्दी से जल्दी व्यवस्था होनी चाहिये।

चारे के बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि वहाँ पर 35 हजार क्विटल चारे की हमारी रिक्वायरमेंट है जिसमें से एक चौथाई भी नहीं मिल रहा। कम चारा मिलने से मवेशी मर रहे हैं, और और मर जायेगी और आप किसी तरीके से उनको बचा नहीं पायेंगे। अगर इनको बचाना है तो आप जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्याद चारा पहुंचाने की व्यवस्था करें।

अब मैं बिजली के बारे में सदन के सामने विचार रखना चाहूंगा। बिजली के बारे में आपने कहा कि 233 मेगावाट बिजली हमको इस समय उपलब्ध है और अगले साल यह बढ़कर 244 मेगावाट हो जायेगी। परन्तु आप बाड़मेर जिले के लिये क्या करेंगे? कहां है आपकी योजना? कौनसी योजना से आप बाड़मेर जैसलमेर को पानी...

श्री शिवचरण माथुर : 20 लाख का प्रावधान रखा है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : बहुत अच्छा है अगर रखा है तो। बजट के अन्दर जो प्रावधान रखा है वह बाड़मेर शहर के लिये रखा है, बाड़मेर जिले के लिये नहीं रखा। बाड़मेर जिले के अन्दर तहसील हैडक्वार्टस में भी बिजली नहीं है। आज पचपदड़ा, चौहटन, शिव में बिजली की व्यवस्था नहीं है। बड़े बड़े गांवों में बिजली की व्यवस्था नहीं है। आप लूनी नदी के किनारे जो गांव हैं वहाँ पर बिजली पहुंचाने की व्यवस्था करें। पहले आपने सड़कों का निर्माण नहीं

(श्री वृध्दिचन्द्र जैन)

किया अब पानी की तरफ आप कुछ करने लगे हैं। आपको उसी प्रकार बिजली के बारे में कुछ करना पड़ेगा, नलकूपों को बिजली से जोड़ना पड़ेगा, डीजल सेट्स से यह मंहगा पड़ेगा और पानी मंहगा होगा। इसलिए आपको बिजली की व्यवस्था करनी चाहिए। बिजली 8 प्रतिशत कृषि के काम के लिये और 54 प्रतिशत उद्योगपतियों के लिए और उनमें से भी 44 प्रतिशत बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए देते हैं। यह नीति मारी घातक है आगे ले जाने वाली नहीं है, किसानों के लिए बहुत घातक है। हमें किसानों के लिए, सिंचाई के लिए, उत्पादन के लिए, बिजली देनी चाहिए। हम पूंजीपतियों को नहीं चाहते। अभी यह भी निर्णय लिया है कि पूंजीपति जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में भेजेंगे। नलकूप खोदेंगे, उनको 50 एकड़ से ज्यादा जमीन जो सीलिंग है, माफ होगी और भू-राजस्व माफ होगी और वे हमारे गांवों के लोगों को पानी फ्री उपलब्ध करेंगे और पशुओं को भी फ्री पानी करेंगे? ये कभी नहीं कर सकते, यह कभी व्यवहारिक नहीं हो सकता। यह स्थिति पैदा होगी कि साम्यवादियों का प्रभाव बढ़ेगा यह स्थिति पैदा कर सकते हैं इससे कांग्रेस की शक्ति बढ़ने वाली नहीं हैं। तो सोच कर आप कदम लीजिए। ये लोग हमारे किसानों को मजदूर बनायेंगे, उनका शोषण करेंगे।

चौथी चीज चिकित्सा व्यवस्था की है। बाड़मेर जिला सीमावर्ती क्षेत्र है जहां 40 हज़ार की आबादी है। वहां जिला चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय नहीं। यह उदासीन नीति आज भी क्यों रही है? आपको व्यवस्था करनी चाहिए। आपने पहले नहीं किया जिसके परिणाम तो हमने भुगते परन्तु आज भी जिला चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय न खोलें तो यह उचित नहीं होगा।

शिक्षा के बारे में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पृष्ठ 10 में उल्लेख है कि 6 पंचायत समितियाँ जिनमें हाई स्कूल नहीं थे, हाई स्कूल्स खोल दिये गए। मैं पूछता हूं, कहां खोल दिए? शिव पंचायत समिति में नहीं खोला, सिणरी पंचायत समिति में नहीं खोला बाड़मेर पंचायत समिति में नहीं खोला। शिव पंचायत समिति में गूंगा गांव में स्थापित हो सकता है। राज्यपाल से ऐसा भाषण क्यों करवाते हैं? शिव पंचायत समिति, सिणरी पंचायत समिति और बाड़मेर पंचायत समिति, कहीं भी हाई स्कूल नहीं खोला है आपने और राज्यपाल से गलत कहलवा दिया, इससे आपकी प्रतिष्ठा गिरती है।

मैं सीलिंग के बारे में कहना चाहता हूं। हमने 1958 में कानून बनाया। 1960 में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली, 1963 में नियम बनाए, 1-4-64 से कानून को लागू किया और कोई एक्शन नहीं लिया? क्यों इम्पलीमेंट नहीं हुआ? बाद में रिट पिटीशन्स चली, 1-4-66 की विज्ञप्ति निकाली, फिर भी कार्यवाही नहीं की, बहुत ज्यादा जोर दिया तो 7-8-68 को फिर विज्ञप्ति निकाली और 90 स्टैंडर्ड एकर्स के बारे में निकाली लेकिन उसका भी क्रियान्वयन नहीं। जो आपने इस प्रकार के कदम उठाए हैं, समाजवादी कदम उठाए हैं उनका क्रियान्वयन नहीं। तो बारबार आप क्यों धोखा देते हैं? विज्ञप्ति निकालते हैं परन्तु उसका क्रियान्वयन नहीं करते?

(श्री वृध्दिचन्द्र जैन)

कृषि आयकर के बारे मेरा निवेदन है केन्द्रीय सरकार ने जो कृषि आय कर लगाया है वह उनका विषय नहीं है। यह कर तो राजस्थान सरकार को लगाना चाहिए, जिनकी 10 हजार रुपये के ऊपर से आमदनी है उन पर लागू कर सकते हैं। आप सीमा आगे बढ़ा कर लगायें परन्तु यह बिल्कुल वाजिब है कि जब शहर वालों से आयकर लेते हैं तो कृषि पर क्यों नहीं ? पूंजीपति ब्लैक के पैसे को व्हाइट करने के लिए यह कृषि का धन्धा करते हैं, इस बात को हम पसन्द नहीं करते, वे कर की चोरी करना चाहते हैं।

भू-राजस्व कर पर आपने सरचार्ज लगाया है, उसके लिए 50 रु. की सीमा कम है। 75रु.पर ही अधिक भार लगाना चाहिए।

जो कॉमर्शियल क्राप्स हैं विशेष कर तिल के बारे में हमारे यहां 100 बीघा जमीन होती है, बाजरा व साथ ही तिल बोया जाता है तो तिल तो एक मन या डेढ़ मन पैदा होता है लेकिन पटवारी के हाथ में है वह कैलक्यूलेशन करेगा 100 बीघा की, वह 200 रु. लगायेगा, बिगोड़ी 10 रु. और सेस 200 रु. इसका भारी एक्सपलाइटेशन होगा। अतः तिल पर सेस नहीं लगना चाहिए।

गांधी जन्म शताब्दि के आधार पर जो यह लाटरी का निर्णय लिया है, यह बड़ा अभाग्यपूर्ण है, यह हमें लेकर डुबोएगी, इससे जुआ की प्रवृत्ति बढ़ रही है। भ्रष्टाचार पहले ही बढ़ रहा है, जुआ बढ़ रहा है, शराब बढ़ रही है। इस प्रकार विनाश की ओर जा रहे हैं, शिक्षा प्रणाली दूषित हो रही है, शिक्षा प्रणाली से बेरोजगारी बढ़ रही है। रद्दी से रद्दी जो पढ़ना लिखना नहीं जानते उनको मास्टरी में लेते हैं और इस प्रकार स्तर गिरा हुआ है। अध्यापक आर. एस. एस. की एक्टिविटीज को प्रोत्साहन दे रहे हैं, साम्प्रदायिकता बढ़ा रहे हैं, यह देश के लिए घातक है। इन पर आपको नियंत्रण करना चाहिए। आप जब इनकी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं तो इनका कर्त्तव्य है कि वे कुछ काम करें, परन्तु मुझे दुःख है कि काम करने के बारे में निर्णय लिया है कि एक घंटा लंच के लिए रखा है उसके बजाय अधिकारीगण तीन घंटे लेते हैं और बहुत से अधिकारी तो लंच के बाद आते ही नहीं, सोकर आराम करते हैं। क्यों नहीं 10½ बजे से 5 बजे तक जो समय निर्धारित है, उनमें सब काम करें ? क्यों पाश्चात्य सभ्यता की गलत बातें सीखते हो और उनका अनुकरण करते हो? आप अपने चरित्र को मजबूत बनायें और अपने नैतिक स्टैन्डर्ड्स कायम करें ताकि राष्ट्र की उन्नति हो।

श्री मनोहरसिंह मेहता : बहुत अच्छा।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रान्त के बजट में उस प्रान्त की वित्तीय स्थिति का और आर्थिक नीति का दिग्दर्शन होता है। इसी के अन्तर्गत जो बजट हमारे यहां प्रस्तुत हुआ है उसके बारे में हमारे प्रान्त के दृष्टिकोण के आधार विचार करना पड़ेगा। हमारे प्रान्त में जब से देश आजाद हुआ तब से कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की घोषित नीति है समाजवाद की ओर अग्रसर होना। अब हमें देखना यह है कि जो बजट यहां पर पेश किया गया है उसमें समाजवाद की ओर बढ़ने का प्रोग्राम है या नहीं। मुझे

(श्री शिवनाथसिंह)

कहते हुए संकोच नहीं है कि आज का हमारा बजट समाजवादी सरकार का बजट नहीं कहा जा सकता, इस बजट से समाजवाद का हित नहीं हो सकता। उपाध्यक्ष महोदय, सन् 67 तक हमारे प्रान्त में और हिन्दुस्तान के सारे प्रान्तों में और केन्द्र में कांग्रेस पार्टी का एकाधिकार था। सम्पूर्ण भारत में कांग्रेस की सत्ता थी लेकिन इस 67 के चुनाव के बाद देश में जो नया जागरण पैदा हुआ उस स्थिति को भी हमें समझना होगा नहीं तो हम अपने प्रान्त का हित नहीं कर सकते। इस चुनाव के बाद भिन्न भिन्न प्रान्तों में भिन्न भिन्न दलों की सरकारें बनी हैं। उनकी जो रीति नीति हैं उसको देखते हुए डर लगता है कि बंगाल में जो हो रहा है वह राजस्थान में न हो जाय। बंगाल में पूंजीपति करोड़पति लोग जो इन्डस्ट्रीज चलाते थे उनके सामने एक समस्या हो गई है कि आज की स्थिति में वे वहां अपने उद्योग धन्धे चालू रक्खें या नहीं। आज लोग यह कहते हैं कि वहां से मारवाड़ियों को बाहर निकाला जाता है, वे मारवाड़ियों से घृणा करते हैं यह बात सही नहीं है। मारवाड़ियों को गालियां निकाली जाती है कोई भी मारवाड़ी मजदूर हो उसको छाती से लगाया जाता है लेकिन उन मारवाड़ियों से वे घृणा करते हैं जो शोषक होकर बैठे हैं। बिड़ला जैसे धनाढ्य लोग जो मजदूरों का शोषण करते हैं उनसे वे घृणा करते हैं। वे चाहते हैं कि उद्योगों में बराबर मजदूरों को हिस्सा मिले यह जो क्रान्तिकारी परिवर्तन वे कर रहे हैं उससे हमें सबक लेना चाहिये। आज इस डर से वहां से मारवाड़ी भाग रहे हैं और अपना पैसा यहां राजस्थान में लगाना चाहते हैं। अब इस बारे में हमारी सरकार को भी अपनी पॉलिसी तय करनी चाहिये। हमें देखना यह है कि क्या हम बड़े-बड़े इण्डस्ट्रियलिस्ट्स को यहां पनपायें या छोटे-छोटे उद्योग धन्धों को। हमें पंजाब से मुकाबिला करना है या बंगाल से। बंगाल में उद्योगों पर करोड़पतियों का आधिपत्य है वहां पंजाब में छोटे-छोटे उद्योग धन्धे पनप रहे हैं। इस पर कोई यह माने कि बड़े-बड़े उद्योगों के बिना हमारा आउटपुट कम हो जायगा यह गलत है। आज हम पंजाब को देखें वहां छोटे-छोटे उद्योगों के कारण पंजाब की समृद्धि बढ़ी है। वहां वे बड़े-बड़े उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं देते। हमें भी अपने प्रान्त के हिसाब से औद्योगिक पॉलिसी बनानी होगी जितने भी इन्डस्ट्रियलिस्ट्स जो बाहर से आवें उनको एक करोड़ रुपये से ऊपर की इन्डस्ट्री खोलने वालों को सरकार से सुविधाएं नहीं दी जानी चाहिए और इससे नीचे वाली इन्डस्ट्री को सरकार हर तरह से प्रोत्साहन दे, उनको मकान, जमीन, बिजली आदि की सब सुविधाएं दे एक करोड़ से ऊपर के जो प्रोजेक्ट लगाना चाहें वे अपनी जिम्मेदारी से लगायें। आज क्या हो रहा है कि बड़े-बड़े उद्योगों को हर प्रकार की सहूलियतें ज्यादा मिल रही हैं और छोटे उद्योगों को कम मिल रही है।

दूसरा हमें यह भी तय करना होगा कि खेती में किस तरह आदमी को लगाना चाहिए। आज तो यह हो रहा है कि यहाँ का चीफ सेक्रेटरी भी काश्तकार है और मुख्य मंत्री भी काश्तकार है। आज मल्टीफिरीयस काम हो रहे हैं। कोई भी आदमी एक दायरे में बंधा हुआ नहीं है इस कारण हमारा विकास नहीं हो रहा है। आज जो नये-नये काश्तकार बन गये हैं वे अपने घर

(श्री शिवनाथसिंह)

पर बैठे दो-तीन हजार बीघा के फार्म चला रहे हैं, मजदूरों का शोषण कर रहे हैं और अपनी परमानेन्ट कमाई कर रहे हैं। मैं किसी पर लांछन लगाना नहीं चाहता लेकिन रेवेन्यू बोर्ड के भूतपूर्व चेयरमैन को ही लीजिए उन्होंने अपने नाम से, अपने परिवार के लोगों के नाम से कितनी जमीन गंगानगर के इलाके में ले ली है। इस तरह से हाई पोस्ट्स पर बैठे हुए अधिकारी किस तरह से अपने नाम से गलत ढङ्ग से सरकारी जमीन को हड़प रहे हैं। इस तरह की बातों को रोकना पड़ेगा नहीं तो यह बहुत बड़ा लांछन हम पर आयेगा।

हमारा राजस्थान का इलाका ज्यादातर रेगिस्तानी है इसलिए यहां की इन्कम बहुत कम है उसके लिए जब तक छोटे-छोटे सिंचाई के साधन नहीं बढ़ायेंगे तब तक हमें खेती से इन्कम ज्यादा नहीं मिल सकती। हमने भाखरा नहर बनवाई लेकिन मैं मानता हूं यह सही दृष्टिकोण नहीं है हमें छोटी सिंचाई योजनाओं की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। नहरों से जो पानी मिल रहा है उसका हम किस तरह से उपयोग करना चाहते हैं इस बारे में भी सही दृष्टिकोण हमारा नहीं है। आखिर इन जगहों पर जमीन किन लोगों को देंगे आज हो यह रहा है कि ऐसी जगहों पर जिनकी जमीन है उन्हीं को अधिक मिल रही है। राजस्थान केनाल क्षेत्र में हम जमीन नहीं दे रहे हैं। राजस्थान केनाल किसी एक इलाके की नहीं वह सारे राजस्थान की केनाल है और सब राजस्थानियों के लिए है क्योंकि सभी से कर वसूल कर उस पर लगाया गया है, उसका भार सारे राजस्थान के निवासी भुगत रहे हैं। इसलिए राजस्थान केनाल के इलाके में जितनी जमीन है वह सभी क्षेत्र के निवासियों को मिलनी चाहिये।

जहां तक उस जमीन को बेचने का सवाल है उसके लिए हमारी सरकार डरती है उसको बेचने में घबराती है कि यदि बेचेंगे तो उसका विरोध होगा। उस जमीन को बेच कर उससे होने वाली आमदनी से काश्तकारों का भला होगा। उस जमीन को आप गरीब आदमियों को भी दीजिए उनसे किश्तों में पैसा वसूल कीजिए। उसके अलावा बड़े बड़े किसानों को भी दीजिए उनसे भी किश्तों में पैसा लीजिए चाहे वे किश्तें उन गरीब हरिजन किसानों के लिए कम कीजिए। जमीन बेचते नहीं हैं तो अलॉटमेन्ट प्रारम्भ करिये लेकिन यह ध्यान में रखना चाहिये कि राजस्थान केनाल का फायदा समूचे राजस्थानियों को मिलना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा पानी की भी व्यवस्था और उसकी नीति स्पष्ट होनी चाहिये आप किस जगह पर किस प्रकार की व्यवस्था करना चाहते हैं। बाड़मेर के इलाके में आप पूंजीपतियों को बुला रहे हैं जो वहां पर कुए खोदेंगे और जमीने मुफ्त प्राप्त करेंगे। मैं इस बारे में कह चुका हूं यह जो नीति है वह हमारी कृषि को ले डूबेगी।

(2.45 म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति पदासीन)

इस पर राजस्थान सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। उनके कुए खोदने से पानी मिल जायेगा या वहां की मवेशी पानी पी

(श्री शिवनाथसिंह)
लेगी। इसके अलावा जो सुविधा दे रहे हैं दस साल तक उनसे उस जमीन का लगान भी नहीं लेंगे आप इस नीति पर पुर्नविचार करें और इस नीति को बदलें।

आप हमेशा बजट सदन के सामने रखते हैं उसमें आय व्यय का ब्यौरा होता है और नये-नये कर भी लगाते हैं। उन करों से यह मालूम होता है कि आप किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। इसके लिए हमें खर्चे की साइड को भी देखना पड़ेगा कि हम किस पर खर्च कर रहे हैं उससे किस समाज के तत्वों को लाभ मिलेगा। हमें देख कर दुःख होता है कि हमारे इस बजट में बहुत से आइटम्स हैं लेकिन जो शिक्षित लोगों की बेरोजगारी की समस्या है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। आज हमारे प्रान्त में कृषि स्नातक, इन्जीनियर, वेटरनरी डॉक्टर, डिप्लोमा होल्डर आदि बेकार हैं उनको रोजगार देने के बारे में कोई बात नहीं आयी है। आपका कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जो इस तरह की बेरोजगारी को समाप्त करने का हो। यह तो मैं नहीं मानता कि सारे जो शिक्षित बेरोजगार हैं उन सब को सरकार ही रोजगार दे सकती है। सरकार शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी की गारन्टी तो नहीं दे सकती लेकिन उसके लिये कोई व्यवस्था तो कर सकती है। जो शिक्षित लोग बेरोजगार हैं, और जो पांच साल ट्रेनिंग लेकर भी बेकार बैठे हुए हैं उनको किसी तरह भी रोजगार प्राप्त हो इसकी व्यवस्था होनी चाहिये। इस बजट में इस प्रकार का कोई आइटम ही नहीं है जिसमें शिक्षित बेरोजगारों की तरफ ध्यान दिया गया हो। यह जो मानव शक्ति है इसका अगर युटिलाइजेशन नहीं हुआ तो कई बातें पैदा हो सकती हैं इस बारे में बजट में कोई संकेत नहीं दिया गया है।

श्री सभापति : बेरोजगारी को दूर करने के लिए आप क्या सुझाव देते हैं ?

श्री शिवनाथसिंह : यह मैं बाद में निवेदन कर दूंगा आपको समझा दूंगा। इस बारे में अभी दो-चार रोज पहले मेरी श्री शिवचरण जी माथुर से बातचीत हुई है उन्होंने मुझे योजना बताई है कि जितने भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं उन सबको जो भी बिजली के ठेकेदार हैं उनके लिए कम्पलसरी किया जायगा वे डिप्लोमा होल्डर्स को रखें.........

एक सदस्य : यह लास्ट ईयर भी कहा गया था।

श्री शिवनाथसिंह : सभापति महोदय, मैं समझता हूं इसी तरह की योजना दूसरे विभाग भी बना सकते हैं जिनमें इन्जीनियर्स और अन्य शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति लगाए जा सकें। लेकिन इस बारे में बजट में कोई उल्लेख नहीं है। इस बारे में इन्डिवीज्युअल विभाग कर सकते हैं। विद्युत मंत्री ने जो कदम उठाया है डिप्लोमा होल्डर्स के लिए वह सराहनीय कदम है उससे राहत मिलेगी।

हमारे यहां कांग्रेस का शासन है आज देश में जिस प्रकार की उथल-पुथल चल रही है उसको भी आपको ध्यान में रख कर चलना होगा। बंगाल ने क्या किया एक बात जरूर करदी है उन्होंने करोड़पतियों के दिमाग को ठीक किया है। आपको अपने प्रान्त का औद्योगीकरण करना है उसमें हमें देखना

Page No. 84

(श्री शिवनाथसिंह)

होगा हम किस प्रकार की इन्डस्ट्रीज को यहां प्रोत्साहन दे सकते हैं। इसमें शासन की नीति छोटे उद्योगपतियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रही तो हम देश को नया सबक सिखा पायेंगे, नया वातावरण बना पायेंगे इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह साल गांधी शताब्दी का है और वित्त मंत्री ने बहुत से आइटम्स पर घोषणायें की हैं। इतनी म्युनिसपैलिटी को ऐड दे रहे हैं और इतना खर्च कर रहे हैं। सिर पर मैला ढोने की जो गंदी प्रथा है उसको खत्म किया है। उसको कन्डेम किया है। इसको बजट भाषण में कह देना ही इसका हल नहीं है। मैं उम्मीद करता था कि सही रूप में गांधी शताब्दी मनाना है तो राज्य सरकार को ऐलान करना चाहिए था कि 2 अक्टूबर, 1969 के बाद कोई भी हरिजन अपने सिर पर मैला नहीं ढोयेगा। यह ऐलान होना चाहिए था। ऐलान किया है म्युनिसिपल एरिया का। म्युनिसिपल एरिया में दस लेट्रिन बनाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो व्यक्ति तीस हजार का मकान बनाता है वह दो सौ रुपया खर्च करके फ्लश लैट्रिन भी बना सकता है मकान बनाने की उसको इजाजत जब ही दें कि जब वह फ्लश की लैट्रिन बनावें। मंत्री महोदय को यह भ्रम हो कि दो सौ रुपये में वहीं फ्लश की लैट्रिन बन सकती है। मैं उन्हें कहूंगा कि दो सौ रुपये में फ्लश की लैट्रिन बन सकती है। हमने बनवाई है। आप चाहें तो बनवा सकते हैं। इसको राज्य सरकार को देखना चाहिए। एक इससे इन्क्लाब आवेगा। आज गांधी शताब्दी वर्ष सारा देश मना रहा है। हमारे प्रान्त में यह चीज होती है तो सारे देश में एक नई क्रान्ति आवेगी। पब्लिक लैट्रिन से तो उन लोगों को राहत दी गई है जो सड़कों को और नालियों को गंदा करते हैं। जो आम मेहतर हैं इससे उनको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है यदि आप कोई यह कार्य करना ही चाहते हैं कि कोई भी मेहतर सिर पर मैला नहीं ढोयेगा तो यह क्रान्तिकारी कदम इस गांधी शताब्दी के वर्ष में उठाइए।

वित्त मंत्रीजी ने यह भी कहा कि चार पांच शहरों में गांधी शताब्दी वर्ष में बस्ती बसावेंगे हरिजनों के लिए। मैं आलोचना तो नहीं करना चाहता। लेकिन कहना जरूर चाहूंगा कि आप इस प्रकार केवल शहरों को ही क्यों लेते हैं? दूसरी जगहों को, कस्बों को क्यों नहीं लेते हैं? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और कोटा। ये ले लिए। गांवों में और छोटे-छोटे कस्बों में भी आप देखिए कि हरिजनों को बसने के लिए काफी दिक्कतें हैं। उनके लिए कोई प्लॉट होने चाहिए। गांवों में जाइये आपको कोई हरिजन काश्तकार नहीं मिलेगा। उसके पास खेती नहीं है। आबादी के लिए कम पड़ता है तो खेतों में बस गए हैं। पीढ़ियों से बसे हैं, बढ़ने के लिए उनके पास कोई जमीन नहीं। उनका वहां रहना मुश्किल होता है। बेटा, भाई, बाप, मां, बहिन, सब एक झोंपड़ी में रहते हैं। गांव वाले उनको बढ़ने नहीं देते। हर गांव में बंजर जमीन पड़ी हुई है उस ओर ध्यान देना चाहिये। पंचायतों में हरिजन आबादी को बसाने के लिये जमीन उनको प्रोवाइड करना चाहिये। आप कह सकते हैं कि पंचायतों को अधिकार दिये हैं। इस अधि-

(श्री शिवनाथसिंह)

कार से कितनी पंचायतों ने हरिजनों को बसाया है ? पंचायतों में उन्हीं का असर होता है जिनका वहां पर असर होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी हरिजन आबादी की समस्या है उसका निवारण आपको करना चाहिये और हरिजन जितने बस सकते हैं उनको बसाने के लिये आपको ध्यान देना चाहिये।

सभापति महोदय, अन्त में जो टैक्सेज लगाये हैं उनकी ओर संक्षेप में कहना चाहूंगा। आप कहते हैं कि कृषि में उन्नति की। कृषि को बढ़ाने के लिये पहली योजना, दूसरी योजना, तीसरी योजना और इन सालों में इतना रुपया खर्च किया। जितना रुपया आपने खर्च किया है उसके लिये आप बधाई के पात्र हैं। उसके रिजल्ट्स भी सामने आये हैं। भाखरा केनाल, राजस्थान केनाल। लेकिन यही नीति के प्रश्न नहीं हैं। इन योजनाओं से साधारण किसान जो बाड़मेर और जैसलमेर में बसता है उसको क्या फायदा हुआ ? आपकी इन योजनाओं से कीमतें बढ़ी हैं और अनाज की कीमत भी बढ़ी है, उससे किसान को फायदा मिला है लेकिन ग्राम योजना जो किसान के लिये होना चाहिये वैसा उससे उसको कोई फायदा नहीं हुआ है। सर-चार्ज और कमर्शियल क्राप्स पर टैक्स लगाया है। यह बिल्कुल ठीक नहीं है। सैन्टर का टैक्स है जैसे तम्बाकू पर। कोई किसान तम्बाकू बोता है एक बीघा, दो बीघा उसको इन्स्पैक्टर को पटाना पड़ता है, उसको राजी करना पड़ता है। पटवारी को राजी करना पड़ता है। 15 बीघा भी दे दे तो दो हजार तो इन्स्पैक्टर ले गये और तम्बाकू नहीं हुई तो? आपने कमर्शियल टैक्स लगा दिया। आप किसान को पटवारी से बचाइये। टैक्स जो भी लगायें वह सरकार के खजाने में आजाय ऐसा तरीका निकालिये। कमर्शियल क्राप्स पर लगा टैक्स खजाने में पांच परसेन्ट भी आने वाला नहीं है। पैसेन्जर टैक्स है जितना लगाते हैं उसका पांच परसेन्ट भी सरकारी खजाने में नहीं आता है। दूसरे जितने प्रान्त हैं वहां टिकिट सिस्टम पर है। जितना टैक्स लगता है उस पर उतने का टिकिट चिपका देते हैं। हमारी सरकार तो इस ओर ध्यान ही नहीं देना चाहती। पिछली बार करना चाहती थी तो बस ऑपरेटर्स ने आन्दोलन किया और सरकार उनके सामने झुक गई। बस ऑपरेटर्स के आन्दोलन की क्या आवश्यकता थी ? वे समझते हैं कि सरकार आन्दोलन के आगे झुकती है। जो पैसा पैसेन्जरों से लिया जाता है उसी को सरकार को लेना है। इसमें बस ऑपरेटर्स को क्या दिक्कत है ? यह बड़े ताज्जुब की बात है। जिस प्रकार यह टैक्स आपको नहीं मिलता उसी प्रकार कमर्शियल क्राप का टैक्स भी नहीं मिलने वाला है।

सर-चार्ज के लिये कहना चाहूंगा कि अब आप इसको पचास रुपये पर ले आये हैं आप कहते हैं कि योजनायें बनाई और काश्तकारों को फायदा पहुंचा। कितने काश्तकारों को फायदा पहुंचा है ? पांच परसेन्ट काश्तकारों को भी नहीं ? सैन्टर ने फरटीलाइजर और पंपिंग सैट पर टैक्स लगा दिया और पंचायत सैक्टर में आपने कमर्शियल क्राप्स पर टैक्स लगा दिया। अब काश्तकार की यह धारणा हो गई है कि यह सरकार उनकी भलाई के लिये नहीं

(श्री शिवनाथसिंह)

है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा। मैं लांछन और आरोप भी नहीं लगाना चाहता। यह आम चर्चा है कि यह सरकार बड़े पूंजीपतियों से प्रभावित है। दो-तीन महीने पहले बिड़ला ने स्टेटमेन्ट दिया था। आज काश्तकार की यह स्थिति हो गई है कि वह टैक्स पे कर सकता है और उसके पास ऐसे साधन हो गये हैं कि वह टैक्स पे कर सकता है। उस स्टेटमेन्ट को पढ़ने के बाद मेरे मन में यह आया कि कहीं इस स्टेटमेन्ट का हमारे प्रान्त पर असर न पड़े। जब सैन्टर का बजट भाषण सुना तो और राज्य सरकार का बजट भाषण तो यह मन में धारणा बन गई कि उसका असर आगया है। हो सकता है राज्य सरकार ने अपनी सूझ-बूझ से यह टैक्स लगाया हो। मैं नहीं कहता कि उस स्टेटमेन्ट के कारण राज्य सरकार ने यह टैक्स लगाया हो। सर-चार्ज और कमर्शियल क्राप्स पर जो आपने टैक्स लगाया है वह गैर वाजिब है। काश्तकारों पर यह सरकार टैक्स लगा रही है इसलिये इसको यह टैक्स वापिस लेना चाहिये। टैक्स तो ऐसा लगाना चाहिये कि जिससे किसी विशेष वर्ग को फायदा न हो और किसी विशेष

(3 म. प.)

वर्ग को नुकसान न हो। जो तेजी से विकास हो रहा है, उसका मैं खण्डन नहीं करना चाहता, जितना एक्सपेंडीचर हो रहा है, ठीक है। राजस्थान आगे बढ़ा है। परन्तु उसके कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां विकास ज्यादा हुआ है और कुछ हिस्से ऐसे हैं जिसकी तरफ राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। समूचा राजस्थान एक है। समूचे राजस्थान का विकास होगा तभी सभी जिलों का विकास होगा, देश का विकास होगा। एक ही तरफ विकास कर देंगे तो कोई लाभ नहीं है। इसलिये मैं निवेदन कर यह सुझाव दूंगा कि राज्य सरकार इस तरफ ध्यान दे।

श्री सभापति : श्री बनवारीलाल !

श्री जगन्नाथ : सभापति जी, मैं बोलूंगा।

श्री बनवारीलाल (धौलपुर) : सभापति महोदय, सदन में बजट पर वाद-विवाद हो रहा है। कई माननीय सदस्यों ने बजट के ऊपर अपने विचार व्यक्त किये हैं। हमारे वित्त मन्त्री जी ने हमारे बजट को बड़ी चतुरता के साथ सदन में पेश किया है। मैं मान कर चलता हूं कि हर वित्त मन्त्री का दिल कठोर होता है और उसकी मुट्ठी सख्त होती है। वित्त मन्त्री का दिल कठोर नहीं हो तो वे नये टैक्सेज नहीं लगा सकेंगे। लेकिन अबकी बार मैंने देखा है कि हमारे वित्त मन्त्री जी ने अपने दिल को जरूरत से ज्यादा कठोर कर लिया है और ऐसे टैक्सेज लगा दिये हैं जो नहीं लगाने चाहिये।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उनके बजट भाषण के पूर्व हमें यह आशा थी कि वे अपने भाषण में जिलों के पुनर्गठन के बारे में जरूर कुछ प्रकाश डालेंगे। लेकिन हमें दु:ख है कि जिलों के पुनर्गठन के बारे में उन्होंने कुछ भी जिक्र नहीं किया। अफसोस की बात है कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। इसलिये सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकृष्ट

Page No. 87

(श्री बनवारीलाल)

करना चाहूंगा कि जिस क्षेत्र से मैं आया हूं, वह धौलपुर सब-डिविजन है। धौलपुर एक एक पुरानी स्टेट था। जिस समय रियासतों का एकीकरण किया गया, उस समय वहां की जनता को यह आश्वासन दिया था कि जिलों का पुनर्गठन करते समय एक निश्चित क्राइटेरिया होगा। उस क्राइटेरिया के अनुसार जिलों का पुनर्गठन करेंगे। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि धौलपुर सब-डिविजन को निश्चित क्राइटेरिया के अनुसार, उसके स्वरूप के अनुसार एक जिले का रूप दिया जाना चाहिये। अफसोस की बात है कि धौलपुर को उपजिले का रूप दे दिया गया। जो जिलों का पुनर्गठन, गठन किया गया है, वह वहाँ की तहसीलों और लैन्ड रेवेन्यु के आधार पर किया गया है। मुझे अफसोस है धौलर्पुर उप-जिला में राजस्थान के दो जिलों से ज्यादा तहसीलें हैं। सिरोही, जैसलमेर और डूंगरपुर जिलों से ज्यादा तहसीलें धौलपुर उप-जिले में हैं। सभापति महोदय, आपको जान कर आश्चर्य होगा कि 7 जिलों से ज्यादा राजस्व अकेला धौलपुर सब-डिविजन देता है। सिरोही, जालौर, डूंगरपुर, बाँसवाड़ा, बाड़मेर से ज्यादा भू-राजस्व धौलपुर सब-डिविजन देता है। इन सात जिलों को एक ही क्राइटेरिया के अन्तर्गत जिले का स्वरूप दे दिया गया। धौलपुर को जिला बनाने का एक और भी कारण है। धौलपुर जिले की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में भी प्रकाश डालूंगा। धौलपुर यू० पी०, मध्यप्रदेश के बॉर्डर पर लगा हुआ है। धौलपुर से तीन मील पर मध्यप्रदेश है और 12 मील पर यू० पी० पड़ता है और इधर राजस्थान की बॉर्डर है और हमारे जिले का हैडक्वाटर भरतपुर, धौलपुर के कई गांवों से करीब-करीब 150 मील दूर पड़ता है और हमें यू० पी० में जाकर के वहाँ पहुंचना पड़ता है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि धौलपुर को जिला बनाये जाने के बारे में अवश्य सोचना चाहिये और अपने बजट में प्रकाश डालना चाहिये। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसे टालना नहीं चाहिये। वहां लॉ एण्ड ऑर्डर की दृष्टि से भी वहाँ की जनता को परेशानी उठानी पड़ती है। जरा-जरा सी बात और काम के लिए हमें 150 मील चलना पड़ता है और यू० पी० से होकर जाना पड़ता है। इसलिये इस प्रश्न पर जरूर गौर करना चाहिये और कार्यवाही करनी चाहिये तथा इसको जिला बनाना ही चाहिये।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं दूसरी बात बिजली के बारे में कहूंगा। अपने बजट भाषण में हमारे वित्त मन्त्री जी ने बताया है कि बिजली के क्षेत्र में हमने बहुत विकास किया है। उन्होंने बिजली के बारे में बताया है कि 439 बस्तियों को बिजली दी गई है और 5,000 कुओं को कनेक्शन दे रहे हैं। परन्तु मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि धौलपुर ही ऐसा सब-डिविज़न है जहाँ पर कि एक भी गांव में बिजली के कनेक्शन नहीं है। और इधर बड़े पैमाने पर विकास का काम हो रहा है। धौलपुर सब-डिविजन को इस तरह से छोड़ दिया गया है जैसे कि वह राजस्थान में है ही नहीं। एक भी गाँव में, सब तहसील में, पंचायत समिति के हैडक्वार्टर पर बिजली नहीं है यह बड़े अफसोस की बात है।

(श्री बनवारीलाल)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे क्षेत्र में जो शिक्षा की स्थिति है, उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं। वित्त मन्त्री जी ने अपने बजट भाषण में बताया है कि उन्होंने 196 प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्कूल और 111 हाई स्कूल और दो कॉलेज बनाये हैं। लेकिन अफसोस है कि इसमें भी धौलपुर के साथ न्याय नहीं किया गया है। धौलपुर में अभी एक हाई स्कूल है और उसमें 1,400 स्टूडेन्ट्स हैं। वहां पर दो-दो पारियाँ चलानी पड़ती हैं जब कहीं जाकर स्टूडेन्ट्स पढ़ पाते हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि वहां एक और हाई स्कूल हो। वहाँ के कॉलेज में 600 स्टूडेन्ट्स पढ़ते हैं। इसलिये वहाँ पोस्ट ग्रेजुएट्स् क्लास और लॉ क्लासेज चलाना बहुत ही आवश्यक है। इसके अभाव से वहां के विद्यार्थियों को यू० पी० और ग्वालियर मध्यप्रदेश की शरण लेनी पड़ती है। इसलिये वित्त मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान अवश्य ही देना चाहिए। कॉलेज की जो बिल्डिंग है- उसके बारे में भी कहूंगा। धौलपुर में जो कॉलेज की बिल्डिंग है, वह धौलपुर से दो-तीन मील की दूरी पर है। जैसा कि सब को मालूम है, धौलपुर डकैतों का ऐरिया है। चम्बल के किनारे पर है। इसलिये वहाँ पर लड़के एवं लड़कियों को जाने में दिक्कत होती है। माननीय वित्त मन्त्री जी जब धौलपुर पधारे थे तो हमने उनसे वहाँ अनुरोध किया था कि इस बिल्डिंग को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाय। इसको सुरक्षित स्थान पर बदल दिया जाय।

पी० डब्ल्यू० डी० की सड़कों के बारे में भी मैं वित्त मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सड़कों का जहाँ तक ताल्लुक है, धौलपुर में कुछ नहीं हो रहा है वित्त मन्त्री जी ने गत साल अपने बजट भाषण में यह ऐलान किया था कि धौलपुर में पार्वती नदी पर सैंपऊ के पास इस वर्ष पुल बनाया जायेगा। अफसोस की बात है कि इसकी घोषणा को एक वर्ष से ज्यादा हो गया है, परन्तु इस सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है कि घोषणा के बाद भी कार्यवाही नहीं की जाती है। हमारे यहाँ सड़कों की हालत बहुत खराब है जो डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करने वाली मेन रोड़ है धौलपुर से भरतपुर वाया सैंपऊ है उसकी हालत ऐसी है कि हमें यू.पी. होकर भरतपुर जाना पड़ता है। बाड़ी से बसईनवाब वाया सैंपऊ जो इन्टर-स्टेट सड़क है, उसकी भी हालत बड़ी खराब है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि पुरानी छावनी से सरानी खेड़ा एक सड़क है, जिसे 4 मील के इस टुकड़े को जनता ने श्रमदान द्वारा बनाया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसे 12 वर्ष हो गये। मुझे सदन में सवाल के जवाब में यह बताया गया कि यह पंचायत समिति की सड़क है। जब कि यह पी. डब्ल्लू.डी. विभाग की है और इस विभाग ने इस पर खर्चा भी किया है। पी. डब्ल्लू. डी. मिनिस्टर साहब गलत जवाब देते हैं। ऐसा लगता है कि उनका अपने विभाग पर क़न्ट्रोल नहीं है। और विभाग उनको गलत सूचना देता है। इसलिये इस तरफ मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। विभाग के पत्र संख्या दिनांक 8-2-62 के अनुसार इसका कॉन्ट्रेक्ट राधेलाल को दिया गया था। इसी तरह दूसरे मील का ठेका दिनांक 8-2-62 को दिया था। इसी तरह दूसरा

(श्री बनवारीलाल)

ठेका दिया गया था। फिर कैसे इनका विभाग कहता है कि यह विभाग की सड़क नहीं है। विभाग गलत जवाब देता है। कहता है कि इस पर विभाग ने कोई खर्चा नहीं किया। इसलिये पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर साहब को इस तरफ ध्यान देना चाहिये और इस सड़क को पक्का करने का प्रयास करना चाहिये। यह मैं उम्मीद करता हूं।

सभापति महोदय, मैं सिंचाई के बारे में भी कहूंगा। धौलपुर सिंचाई के बारे में पिछड़ा हुआ है। हालांकि मैं अपने सिंचाई मन्त्री जी का बहुत ही आभारी हूं कि उन्होंने गत वर्ष हमारे यहां जो बाढ़ आई थी, उस वक्त बड़े प्रयत्नों के साथ हमारे बाढ़ पीड़ितों की मदद की थी। फिर भी मेरा उनसे निवेदन है कि पंचायत-समितियों को जो तालाब दे रखे हैं, वे बेकार पड़े हैं, क्योंकि पंचायत समितियों के पास फण्ड नहीं है और वे इन तालाबों की देख भाल नहीं कर सकते। इसलिये मेरा निवेदन है कि इन तालाबों को इर्रीगेशन डिपार्टमेन्ट में ही ले लें। ताकि वे डवलप हो सकें। परन्तु मुझे अफसोस है कि इस पर विचार नहीं किया गया है। इसी तरह से मैंने बांध का निवेदन किया था, इससे सिंचाई की सुविधाएं बढ़ सकती हैं। परन्तु इस पर भी कुछ नहीं हो रहा है। हमारे वहां दो तालाब हैं, कूकपुर और पदेवरी उनसे केनाल निकालने के लिये भी मैंने निवेदन किया था। नहर से सिंचाई ज्यादा हो सकेगी। आशा है इस पर गौर करेंगे।

अब मैं सभापति जी, उद्योगों के बारे में निवेदन करूंगा। मैं वित्त मन्त्रीजी का आभारी हूं कि उन्होंने हमारे यहां स्टेट इन्टरप्राइज में, उसके तहत हाईटैक के कारखाने को शुरू कर दिया है। यह कई वर्षों से बन्द पड़ा था। यह उनके प्रयत्नों से हमारे यहां शुरू हो गया है। परन्तु वहां एक और ग्लास फैक्टरी है, जो अभी भी बन्द पड़ी है। इसमें 1,500 मजदूर काम करते थे। वे बेकार बैठे हैं। उनके बेकारी की समस्या है। मैं माननीय मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस बेकारी की समस्या को दूर करने के लिये इसको भी शुरू करने का प्रयास करेंगे।

यह वर्ष गांधी शताब्दी का वर्ष है और सरकार ने हरिजनों और कंजर अनुसूचित जाति और जन-जातियों को सुविधाएं देने की घोषणा की है। जो सुविधा देनी है। राजस्थान में पांच हजार कुएं बनवाने का प्रावधान है। धौलपुर एवं उसके गांवों में भी जो हरिजन व कंजर लोग रहते हैं कोई सुविधा उनको नहीं दी गई है इनको मकान इत्यादि की सहायता अवश्य ही दिलाई जावे।

अकाल के बारे में निवेदन करना है कि अकाल पर 21 करोड़ खर्च होने जा रहा है। धौलपुर उप-जिले के 93 गांव फेमीन में डिक्लेअर किये गये हैं पर आज तक वहां कार्य चालू ही नहीं किया गया है।

धौलपुर में लॉ और ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है। रोजाना डकैतियां लूट-मार होती रहती है। वहां पुलिस की स्ट्रेन्थ बढ़ाई जावे। आर. ए. सी. के जवानों को नये-नये आधुनिक आर्म्स दिये जावें ताकि वे समस्या पर काबू पा सकें।

(श्री बनवारीलाल)

मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना कथन समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह। आपके दल के 6 मिनिट बाकी बचे हैं।

श्री नत्थीसिंह : मैं जल्दी समाप्त करने की कोशिश करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप पन्द्रह मिनिट में समाप्त करेंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : हमें भी समय मिलना चाहिये।

श्री नत्थीसिंह : मेरा समय तो मत खराब करिये।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी अभी माननीय गोकुलप्रसाद जी को गांधी शताब्दी की याद आ रही थी और हमारे माननीय वित्त मंत्री महोदय ने भी अपने भाषण में लिखा है। "उनकी पीढ़ी पर गांधीजी के आदर्शों की अमिट छाप है।" जब उनके भाषण को पढ़ा और देखा तो लगा कि वह अमिट छाप किस रूप में क्रियान्वित हो रही है। दो उसके तरीके मुझे मालूम हुए। शराब का सरूर इस अकाल के साल में राजस्थान में बढ़ता रहना चाहिये। एक देन तो यह है।

दूसरी यह कि इतनी ज्यादा आपत्तियों में विपदाओं में भी हँसते हुए राजस्थान के प्राणी जुए के जाल में फँस कर उसमें उनके भाग्य पर छोड़ दिये जावें। लाटरी चला कर।

ये दो ही बातें गांधीजी से सीखी है।

इसमें इनका दोष नहीं है। उधर बैठने वालों में यह आम रोग है। मांडलगढ़ से आने वाले वहां से आते थे तब तक उन्हें गांव का किसान याद आता था, पर जब से सुखाड़िया जी ने उनको बीकानेर ट्रांसफर कर दिया तब से गांव का किसान उनके दिमाग से निकल गया है। अब शहर का आदमी उनको याद आता है। किसान पर कितने ही टैक्स लगावें इसकी उनको चिन्ता नहीं, शहर की सम्पत्ति पर टैक्स न लग जावे, इसका उनको दर्द है।

पर मैं कहना चाहता हूं यह सवाल शहर और गांव का कतई नहीं है। ये हिन्दुस्थान में कृषि पर टैक्स लगाना चाहते हैं, क्योंकि योजनाओं से इन्होंने किसान को फायदा दिया है। पर मेरा दावा है कि तीन योजनाओं के जरिये राजस्थान में ज्यादा और हिन्दुस्तान में वही लोग ज्यादा लाभान्वित इन योजनाओं से हुए हैं जिनकी आमदनी पहले से ही बहुत अधिक थी। गरीब लोग चाहे वह मजदूर हों किसान हों, और चाहे मध्यम श्रेणी के लोग हों, उनको कोई बड़ा फायदा हुआ नहीं है। इसलिए यह कहते हुए कि आपने उनके लिए किसानों के लिए उर्वरक की पंम्पिग सैटों की व्यवस्था की है, सिंचाई के साधन बढ़ाये हैं, इसलिये ऐसा भी लगावेंगे, सरचार्ज लगावेंगे और बेटरमेन्ट के नाम पर भी टैक्स लगावेंगे यह केवल एक धोखा है।

जो यङ्ग तुर्क के नाम से पुकारे जाने लगे हैं। उनसे मैं कहना चाहता हूं कि उनमें अगर दम है तो वे फैसला करें कि ये कतई समाजवाद में विश्वास नहीं रखते। केवल समाजवाद के नाम पर पाखण्ड करने वाली

[redacted]

(श्री नत्थीसिंह)

यह सरकार है। वह तो हमारे वित्त मन्त्री जो समाजवाद की सबसे ज्यादा बढ़-बढ़ कर बातें करते हैं, कुछ भी कहने को कहते रहें, पर यथार्थ में आचरण में वे पक्के पूंजीवादी मनोवृत्ति के हैं। पर बोलने में, ढोंग रचने में वे सबसे आगे हैं। उनके बजट भाषण में निश्चित रूप से वे अपने पिछले सारे वायदों को भूल गए। शहरी सम्पत्तियों पर वे कर लगायें। इसके लिए ऐसा विधेयक यहां लावेंगे। विधेयक पेश भी किया गया, पर आज तक बचाते जा रहे हैं उनको। संदन में वह आ नहीं रहा है।

अगर वे समाजवाद लाना चाहते हैं, तो वे इस पर अमल करें।

गांवों में जमीन पर सीलिङ्ग की बात कही गई। पर वह तो अब हनुमान की पूंछ बनती जा रही है। वे इसे क्यों नहीं लागू करते ? वे पूरी हिम्मत के साथ फैसला करें कि गांवों में जिनके पास अधिक जमीन है उस पर सीलिङ्ग लागू करेंगे, और शहरों में भी अधिक सम्पति पर सीलिङ्ग लागू करेंगे। तब फिर आपके सामने संकट नहीं आवेगा। आज कपास की खेती करने वाले कैश क्राप की खेती करने वालों पर आप सेस लगा देंगे, तिल पैदा करने पर सेस लगा देंगे, कपास पैदा करने पर भी आप माफ नहीं करेंगे। पर शहर में सम्पत्ति पर सीलिङ्ग लागू करने में आपको जोर पड़ रहा है। पिछले दिनों सरकार डगमगा रही थी तो उसको गाँव के किसान याद आये थे। कहने लगी थी कि अलाभकारी जोत पर लगान माफ करेंगे। पर अब उस बात को ये भूल गये क्योंकि समझने लग गये हैं कि अब तो पांच साल तक हमारी जड़ जम गई है किसी तरह। बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि शहर में किसी गरीब पर ऐसा टैक्स है जो घर की पूंजी लगावे और पीछे भी रिटर्न नहीं आवे उस पर भी टैक्स लगाते हैं गांव का गरीब ऐसा है जो सारी मेहनत की पूंजी लगाता है और फिर भी उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। उस पर आप टैक्स का भार डालना चाहते हैं फिर कहते हैं आप समाजवाद लावेंगे।

यह जो आपने टैक्स लगाये हैं उससे केवल भ्रष्टाचार बढ़ेगा। गांवों में जो आप टैक्स लगाने जा रहे हैं उसमें यह होगा कि पहले जहां पटवारी को एक-दो रुपया देकर किसान अपना पिण्ड छुड़ाता था वहां अब दो की बजाय चार देगा। पर आपके खजाने में वह पैसा नहीं आने वाला है।

आपको और टैक्स लगाना है तो हिम्मत करके आमदनी के आधार पर लगाइये। चाहे वह शहर का हो, चाहे गांव का हो। आमदनी की एक सीमा बांधिये कि इससे नीचे की आमदनी पर एक पैसा नहीं और फिर इससे ऊपर यह टैक्स लगेगा। जितनी आमदनी होती है उसके आधार पर आप इन्कमटैक्स लगाइये एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी। आज हम तो अभी जिक्र कर रहे थे हमारे जैन साहब एग्रीकल्चर इन्कमटैक्स मुरारजी भाई ने लगा दिया। कोई एग्रीकल्चर इन्कमटैक्स नहीं है। हम प्रोपरटी टैक्स लगाना चाहते हैं। क्योंकि पूंजीपति आज अपना काला धन लेकर आ रहे हैं, गांवों में जमीन खरीद रहे हैं तो इसको बचाना चाहते हैं। पर यह नहीं बचेगा। योजना बनाते हैं चम्बल के खादड़ों की। रेगिस्तान में नल

(श्री नत्थीसिंह)

कूप लगाने की ओर, इसके लिए आप क्या करते हैं कलकत्ता से व्यापारी पूंजीपति बुलाये जावेंगे। पंजाब से लोग आवेंगे। दूसरे प्रान्तों से आवेंगे। चम्बल के खारड़ों की जमीन एक करेंगे। पाँच वर्ष तक एक पैसा सुधार के नाम पर आप नहीं लेंगे, और जमीन पूंजीपतियों को दे दी जायेगी।

वे हरिजन जिनके लिए गांधीजी का दिल कसक उठता था, पीड़ा से मैं पूछना चाहता हूं उनके अनुयायियों से, उनके आदर्शों पर चलने का ढोंग रचने वालों से कि उन हरिजनों के लिए जो सिर पर मैला ढोकर आज भी अपना गुजारा किसी तरह कर रहे हैं, उनके लिए आपने क्या किया? हरिजनों के नाम पर भी आज तक विशिष्ट वर्ग बन कर रह गया है जो वह सारे लाभ खुद ही समेट लेते हैं। जो वास्तव में मैला ढोने का काम करते हैं उनको कहीं पर कोई जमीन नहीं मिली। अगर हिम्मत है तो कहिये कि हम इनको वह जमीन देंगे और सरकारी खर्चे से वह जमीन ठीक कराई जावेगी और जो को-ऑपरेटिव के आधार पर काम करेंगे उन हरिजन भूमिहीनों को दी जावेगी।

नहीं तो चम्बल के खारड़ों की योजना की आड़ में उसके नाम पर पूंजीपतियों को लावेंगे ताकि उनका काला धन उसमें लग जावे, यह नीति है आपकी तो। और समाजवाद की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का आज रंग साफ हो गया है। यह तो सत्ता से चिपक गई है, सत्ता के बिना कांग्रेस का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया है। बिहार में आपने सरकार बनाने की किस के साथ, मिलकर, स्वतन्त्र पार्टी के साथ मिलकर, बनाने की छूट दे दी है। आज कांग्रेस को सत्ता की भूख लग गई है। पर सारे देश में कांग्रेस आज टूट रही है।

बेरोजगारी का सवाल आया। जो माननीय सदस्य सभापति के आसन पर बैठे थे झुन्झुनु की तरफ से आने वाले उन माननीय सदस्य से पूछता हूं वह बेरोजगारी कैसे मिटेगी। समाजवाद के लिये हिम्मत से काम लेना होगा। कानून बनाना होगा कि 150 से कम वेतन किसी को नहीं मिलेगा, और 1,500 से ज्यादा किसी को लेने नहीं देंगे। इसके बिना कभी बेरोजगारी मिट नहीं सकती। चाहे कारखाने वाला हो, कोई हो पूंजीपति हो या गरीब हो सब पर यह नियम लागू करेंगे कि लागत दाम से ड्योढ़े से ज्यादा किसी चीज की कीमत नहीं होगी तभी मंहगाई और बेरोजगारी मिटेगी और निश्चित रूप से हम कह सकेंगे कि इन तरीकों से समाजवाद आवेगा। आपने जो दिशा बदल दी है। इधर आपने वहां सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने बिहार में फैसला किया है कि स्वतन्त्र पार्टी के साथ कांग्रेस जायगी, इसका मतलब साफ है कि आपने अपनी नीति बदल दी है। आप दक्षिण पंथ की ओर झुके हैं जहां उन्मुक्त व्यापार का नारा है जिसमें गरीब गरीब होता जायगा और अमीर अमीर होता जायगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं आपके बजट में जो किसानों पर टैक्स लगाने वाली बात कही है यह बिल्कुल नाजायज है। गांवों में सम्पत्ति बढ़ी नहीं है लेकिन आप तो शहर के कुछ चन्द लोगों को केवल 75 कुटुम्बों को जो आज देश की लगभग आधी दौलत पर कब्जा किये हुये हैं, अभी माननीय शिवनाथसिंह जी ने कहा कि थोड़े दिनों पहिले बिड़ला जी ने

(श्री नत्थी सिंह)

एक स्टेटमेन्ट दिया था कि कृषि क्षेत्र में काफी दौलत बढ़ी है और सरकार को उधर कर लगाना चाहिये लेकिन वे दबे-दबे शब्दों में कह रहे थे . एक-दो विरोधी दलों की सरकारें हैं बाकी कांग्रेस की सरकारें बिड़ला, डालमियां व जैन टाटा के हाथ में नकेल देकर चल रही हैं आज वे हुकूमत करती हैं इसलिए उनके इशारे पर सरकारों का बजट बनता और बिगड़ता है ।

एक बात उपाध्यक्ष महोदय, मैं विशेष तौर से कहना चाहूंगा कि गलत नीतियों के कारण हिन्दुस्तान का गरीब लुट रहा है । आपने पंचायत राज की बात की लेकिन गलत नीतियों के कारण हालत यह है कि ग्राम पंचायतों में सचिवों को देने को पैसा नहीं हैं । दो सौ रुपये तो प्रधान ले लें और जीप पर सवार होकर घूमे । आप हिम्मत के साथ फैसला क्यों नहीं करते । पंचायत समितियों को भंग कीजिये । कहते हैं हम गांवों का नियोजन करना चाहते हैं लेकिन वास्तव में कुछ करते नहीं हैं । गांवों की ताकत ग्राम पंचायतों को दीजियें, आप कहते हैं वे गलती करेंगे लेकिन मैं कहता हूं आपसे ज्यादा गलती वे नहीं करेंगे । दूसरी तरफ आप मंत्रियों की फौज बढ़ाते जा रहे हैं, अकाल पीड़ित लोगों को राहत मिल सके इसकी तरफ आपका कोई ध्यान नहीं है । इधर तो आप सोचते हैं कि हमारा पाया ठीक रहना चाहिये । अभी दो-चार और रूठेंगे तो उनको और मनाने की बात आ जावेगी । मुख्य सचेतक को मंत्री का स्तर देने की सोचा जा रहा है । उसको भी गाड़ी देने का प्रावधान किया जा रहा है । यह बजट इनका केवल ढोंग मात्र रह गया है, पंचायती राज को भी इन्होंने केवल ढोंग मात्र रख दिया है इससे अधिक कुछ नहीं है । एक बात मैं कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मेरे साथी का समय लिया है, सहकारिता की मांगों के दिन संयोगवश मैं रह नहीं पाया. मन्त्री महोदय कहते हैं हमने सहकारिता के जरिये गांवों की तरक्की की है । मैं कहना चाहता हूं वित्त मंत्री जी सहकारिता के क्षेत्र में जितनी धान्धली इस समय हुई है उतनी धांधली पहले कभी देखने में नहीं आई । पंचायत राज को समाप्त किया एग्रीकलचर क्रेडिट कारपोरेशन के माध्यम से एक साजिश रची गई है कि सहकारिता को समाप्त कर दिया जाय । मैं आपसे अर्ज करूंगा कि यह एग्रीकल्चर क्रेडिट कारपोरेशन क्या है ? उपाध्यक्ष महोदय यह नौकरशाही द्वारा सीधा लोन देने का एक माध्यम है । बहुत सोच कर विचार के फैसला हुआ था कि किसी भी हालत में ऋण दिया जाय, तो एक ही जरिया होना चाहिये पंचायत समिति से यह वापिस ले लिया गया है को-ऑपरेटिव से दें । अब को-ऑपरेटिव में आपके मन चाहे लोग नहीं आ रहे हैं तो दूसरी संस्था के बारे में सोचा जा रहा है । यह एसी संस्था बने जो ऋण दे और ऋण भी व्यक्तिगत रूप से दिया जाय इसलिए आज क्रेडिट कारपोरेशन की जरूरत पड़ी इसलिए पड़ी कि जहां पर सहकारी समिति कमजोर हैं बैंक्स कमजोर हैं वहां इन क्रेडिट कारपोरेशन को ले आयें । परन्तु, बैंकों को मजबूत बनाने को सरकार ने क्या किया ? कितनी बार रिजर्व बैंक ने लिखा है, कितनी बार राज्य सरकार को हमने लिखा है । सब लोगों ने मांग की । इनको मजबूत बनाने के लिए पंचायत समितियों का रुपया, युनिवर्सिटीज का रुपया, कॉलेजों का रुपया, नगरपालिका का रुपया,

(श्री नत्थीसिंह)

सरकारी बैंकों में जमा हो सके ताकि इनकी ताकत बढ़े। आपको कहा केवल दो करोड़ रुपया लोंग टर्म के आधार पर जमा करायें ताकि साधन बढ़ सके और अधिक से अधिक ऋण दे सके लेकिन इस ओर कोई कदम नहीं उठाये गए और इस बात के लिये जरूर रुपया आयेगा कि क्रेडिट कारपोरेशन की स्थापना की जाय। मेरा दावा है और जहां जहां यह क्रेडिट कारपोरेशन आयगा वहां सहकारी समितियां समाप्त हो जायेंगी। कभी पनप नहीं सकती हैं। आज जैसलमेर को क्यों नहीं लेते, जैसलमेर के इलाके को लीजिये कोई बैंक नहीं है लेकिन नहीं जहां अपेक्स बैंक की शाखा चलती है वहां नहीं लेंगे। पाली को लेंगे जालौर और जोधपुर के लिये तथा उसके बाद गंगानगर, भरतपुर को लेंगे सीमाओं में कोई बन्दिश नहीं है इसलिये मैं कहता हूं वित्त मंत्री जी...

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं बहुत जल्दी समाप्त कर रहा हूं अगर सहकारिता मंत्री होते तो मैं बहुत कुछ कहता। कमजोर आदमी को सहकारी मंत्री बनाया है, को-ऑपरेटिव में रहे जरूर हैं लेकिन उनकी मजबूरी है। सीधे शब्दों में वे कह नहीं सकते। उन्होंने कहा कि क्रेडिट कारपोरेशन नहीं बने, रिजर्व बैंक के सामने कहा नहीं बने लेकिन मुख्यमंत्री जी का हुकुम होता है वह होता है इसकी स्थापना हो गई सहकारी मूवमेंट केवल मुकदमेबाजी का अखाड़ा रह गया है। समितियों के एकीकरण के लिये रिजर्व बैंक ने कहा सहकारी बैंकों के साथ मिल-जुल कर योजना बनायें लेकिन नीति आपकी यह है कि असिसटेन्ट रजिस्ट्रार को पॉवर दे दी। सहकारी समितियों के लिये संकट खड़ा कर दिया वे कैसे अपना काम आगे चलायें सहकारी समितियों के लोग अपीलों के चक्कर में फंसे हैं। यही नहीं सहकारी विभाग में अब तक ज्वाइन्ट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, और असिसटेन्ट रजिस्ट्रार भी हाई कोर्ट के चक्कर लगाते फिरते थे पर अब असिसटेन्ट इन्सपैक्टर भी छोटे कोर्ट के चक्कर लगाता फिर रहा है।

इस देश में कैसे सहकारी मूवमेंट आगे बढ़ सकता है। आज सहकारी क्षेत्र को दफनाया जा रहा है। अभी धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे धौलपुर को जिला बनाया जाय, उनको मन्त्री महोदय इशारा कर रहे थे मैं कहता हूं धौलपुर को जिला बनाया जाना चाहिये। लेकिन बन नहीं सकता क्यों नहीं बन सकता धौलपुर के एक सदस्य को उप-मन्त्री पद का पट्टा दे दिया। दूसरे माननीय सदस्य बोल रहे थे उनके लिये आपने, दामोदरलाल जी ने आंख दिखा दी। मैं कहता हूं अगर इनमें हिम्मत है तो...

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

धौलपुर में उनको घुसने नहीं दें हम कहते हैं धौलपुर निश्चित रूप से जिला बनकर रहेगा, चूंकि आपने...

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, समय सीमा से एक बात कहना चाहता हूं इससे अधिक कुछ नहीं...

(विराम)

और वह यह कहना चाहता हूं आपने जो बिजली और इसके बारे में बात कही है

(श्री नत्थीसिंह)
कहते हैं कि केन्द्र सरकार पर यह जोर डालें कि आपको 80 प्रतिशत पोपूलेशन पर देते हैं, 20 प्रतिशत पिछड़े पन के अधार पर है यह बदलकर 2/3 जन संख्या और एक तिहाई पिछड़ेपन पर मिलनी चाहिये। यह सिद्धान्त तभी तय करा सकते हैं जब सारे राजस्थान का रुपया केवल उदयपुर में ही न लगायें, भरतपुर, धौलपुर में भी लगायें। लेकिन आपका क्षेत्रीय दृष्टिकोण है। कृषि मंत्री जी नहीं हैं उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने भरतपुर में सबसे ज्यादा उन्नत बीज दिये हैं। ग्रेडेशन का काम अलवर में ले जा रहे हैं। यह क्षेत्रीय दृष्टिकोण है। इस कारण क्षेत्रीय इम्वेलेन्स कायम किया है उसी का नतीजा भुगतना पड़ता है। भारत-सरकार भी वैसा ही व्यवहार करती है जब यह दृष्टिकोण बदलेगा तभी जाकर भारत सरकार से प्राप्त कर सकते हैं उससे पहले कुछ नहीं।

श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले तीन चार दिनों से इस बजट पर आम बहस चल रही है। मैं सर्व प्रथम माननीय वित्त मंत्री महोदय का इस बजट भाषण के पैरा नम्बर 57 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने पैरा नम्बर 57 में भरतपुर शहर और उसके आसपास के इलाकों को बाढ़ से बचाने के लिए 1 लाख के बजाय एक करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान रखा है। मैं वित्त मंत्री महोदय का ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाहता हूं कि केवल उस इलाके को ही बाढ़ से बचाने के लिए व्यवस्था की जा रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना इसलिए आवश्यक समझता हूं कि चित्तौड़गढ़ जिला वह जिला है जहां कि आये दिन बाढ़ आया करती हैं। इस वर्ष भी 31 जुलाई और 1 अगस्त को चित्तौड़गढ़ जिले में भयंकर बाढ़ आई जिससे हजारों बीघा खड़ी फसल को नुकसान हुआ और माननीय सिंचाई मंत्री महोदय ने इस जिले पर कुछ कृपा की और इस वर्ष कुछ धनराशि इस जिले को राहत पहुंचाने की दृष्टि से दी और उसी के आधार पर वहां कुछ कार्य चल रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं बाढ़ के लिए कोई स्थाई इलाज नहीं है। बाढ़ हमेशा इस जिले में आया करती है और जिला ऐसा जिला है कि प्रकृति की कृपा से वहां अच्छी जमीन है, काफी पहाड़ हैं, नदी हैं और नाले हैं और उनको रोकना अत्यन्त ही आवश्यक है। अगर इस ओर माननीय वित्त मंत्री महोदय ध्यान नहीं देंगे तो मैं समझता हूं कि वहां के लोगों का काफी नुकसान प्रतिवर्ष होता चला जायगा। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ वह ऐतिहासिक स्थान है जिसमें अपनी विशेष परम्परायें हैं और जिसका शौर्य और वीरता का उदाहरण है। वहां पर किसान बहुत मेहनती हैं और वह सारा जिला ही बाढ़ग्रस्त है। यदि उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया तो वहां काफी नुकसान होगा। तो मैं इस समय वित्त मंत्री महोदय का ध्यान उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मारफत आकर्षित करना चाहता हूं कि वित्त मंत्री महोदय अपने बजट में इस ओर भी ध्यान रखें क्योंकि इस जिले में काफी बड़ी-बड़ी नदियां हैं बेड़च नदी है, वागन नदी ब्राह्मणी नदी है और वाकली नदी है और चम्बल नदी भी इसी जिले में बहती है तो आज की स्थिति को देखते हुए इस जिले में करीब मैं समझता हूं कि 55 हजार एकड़ जमीन पर सिंचाई होती है। जब

Page No. 96

(श्री रामकुमार नन्दवाना)

राजस्थान बना था उसके पहले इस जिले में केवल 6 हजार एकड़ भूमि पर सिंचाई होती थी और इस माने में मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजस्थान बनने के बाद 235 लाख रुपये की लागत से कुछ बड़े-बड़े बांध बनाये गये हैं जिसके कारण से ही इस जिले में पहले जहां 6 हजार एकड़ भूमि सिंचित होती थी वहां अब 55 हजार एकड़ जमीन को पानी मिलता है। लेकिन अब स्थिति यह है कि यहां की बड़ी-बड़ी नदियां हैं और इनका काफी पानी बाहर चला जाता है और उसके ऊपर कन्ट्रोल नहीं है। तो बाढ़ को रोकने के लिए इन नदियों पर कन्ट्रोल करना बहुत ही आवश्यक है तो मेरा सुझाव है कि चित्तौड़गढ़ के पास, मंदेसर के पास वागन नदी है जो 500 स्क्वायर माइल से पानी बहकर चम्बल में होता हुआ यमुना में जाकर गिर जाता है और उस पानी का कोई उपयोग नहीं होता है। तो मेरा सुझाव है कि जो पानी बेकार चला जाता है और वहां की जमीन उपजाऊ है उसको गरदाना के पास रोक कर हमारी पैदावार ज्यादा बढ़ायी जाये। तो मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री महोदय इसके लिए प्रावधान रखने की कृपा करें।

साथ ही बेगूं तहसील में जो ब्राह्मणी नदी है उसका 150-200 स्क्वायर मील का पानी बेकार बहकर चला जाता है तो आवश्यक है कि इस ब्राह्मणी नदी को बेगूं के पास रोकी जाये और वहां पर बांध बनाया जाये। इसके अलावा बेड़च नदी को घोसुन्डा के पास रोका जावे। वाकली नदी को भी रोका जावे। अगर इस प्रकार से हम चित्तौड़ जिले को ज्यादा उपजाऊ बना सकते हैं और यह जिला वह जिला बन सकता है जो कि गंगानगर के बाद दूसरे नम्बर पर आ सकता है। चित्तौड़ अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है तो इसी आधार पर चित्तौड़ में पानी की अधिक उपलब्धता हो और वहां भूमि का उपजाऊपन है उसको देखते हुये चित्तौड़ में जो फालतू बहता हुआ पानी जा रहा है उसको रोका जाना चाहिये।

मैं इसी आधार पर उपाध्यक्ष महोदय, चित्तौड़गढ़ जिले में ही जो राणाप्रताप सागर डेम बना है उसके लिए उन्होंने बताया है कि यह इसी वर्ष पूरा हो जायेगा। तो मेरा वित्त मंत्री जी से यह निवेदन है कि राणाप्रताप सागर इस वर्ष जो पूरा हो रहा है इस राणाप्रताप सागर में चित्तौड़ जिले के 50-60 गांव डूब में आये हैं और करीब 15 हजार फेमिली गृह-विहीन हो रही हैं और इसमें से 1 हजार फेमिली ऐसी हैं कि जिनको बसाया नहीं जा सका है, जिनको ज़मीन नहीं मिली है। तो उस ओर राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए और यह फेमिली ऐसी है कि दूसरों के लिए त्याग करके बैठी है। मैंने इसके लिए राज्य सरकार का ध्यान कई बार दिलाया, सिंचाई मन्त्री जी से भी निवेदन किया, फौरेस्ट मिनिस्टर से भी निवेदन किया और राज्य के दूसरे अन्य मिनिस्टरों से भी निवेदन किया। वह एक हजार फेमिली जो कि बेघरबार है वह आज तड़प रही हैं और उनको जमीन नहीं मिल पा रही है और मुझे दुःख होता है कहते हुए कि राज्य सरकार का जो सेक्रेटेरियट है हमारे सारे कागजात लालफीताशाही में फिरते रहते हैं। मंत्री महोदय आर्डर देते हैं लेकिन सेक्रेटरी उसकी तामील नहीं करते

(श्री रामकुमार नन्दवाना)

हैं। मैं उपाध्यक्ष महोदय, इस समय भी आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान दिलाना आवश्यक समझता हूं कि वह जो 750 या 1,000 परिवार गृह-विहीन हैं उनको खेती की जमीन नहीं मिल पाती है और राणा प्रताप सागर इस वर्ष बन कर तैयार हो जायेगा और जो गाँव इसमें उजड़े हैं उनकी बस्तियाँ पूरी नहीं हुई है तो उनके ऊपर भी असर पड़ने वाला है। उन बस्तियों में पानी की व्यवस्था नहीं है, कुएं वहां सौ-सौ फिट गहरे हैं लेकिन उनमें पानी नहीं है और आज आठ-आठ और दस-दस मील से चम्बल से पानी लाना पड़ रहा है। तो मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से चाहूंगा कि जो एक हजार परिवार जहाँ नयी बस्तियां बसाना आवश्यक है वह ऐसी जगह बसायी जाये कि जहाँ पानी मिल सके और जमीन मिल सके और वह अच्छी तरह से खेती कर सकें। आखिर उन्होंने त्याग किया है देश के लिए और राजस्थान के लिये और उन इलाकों के लिए जहाँ पानी बिजली और पहुंचाई जा रही है। आज चम्बल नदी से कोटा को पानी देते हैं और दूसरी जगह शहरों में रोशनी देते हैं लेकिन वह इलाका जो कि चित्तौड़ जिले का इलाका है वह उसी तरह से है जैसे लड़की दूसरे घर की शोभा होती है अपने परिवार की नहीं तो वही हालत हमारे जिले की हो रही है। आप चम्बल के पानी को रोकें और स्थानों पर बिजली पहुंचायें लेकिन बिजली कहाँ गयी दूसरे स्थानों को मिली है। इससे चित्तौड़ के कुछ गाँवों को जरूर बिजली मिली है। लेकिन सारा जिला बिजली के अभाव में पिछड़ा हुआ है। तो मैं वित्त मंत्री महोदय का ध्यान इसलिए दिलाना आवश्यक समझता हूं कि चित्तौड़ जिले को यों अधूरा न छोड़े। यह एक उपजाऊ इलाका है और जिले में पानी अवश्य है और उसको रोक सकते हैं तो वह जिला सर्वश्रेष्ठ जिला बन सकेगा, ऐसी मैं आशा करके चलता हूं। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत वित्त मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना आवश्यक समझता था।

दूसरी बात उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चित्तौड़गढ़ जिले में पिछले 5-6 साल से काफी भयंकर अकाल पड़ा है और बाढ़ भी आई है। प्रकृति की कृपा से एक दिन में 18-20 इंच वर्षा हुई है। उससे हमारी खरीफ की फसल खराब हुई और 1 अगस्त के बाद वर्षा नहीं हुई और उसके कारण से रबी की फसल भी बहुत कम तादाद में हुई है। तो 2,300 गाँव में 1,679 गाँव वहाँ के अकाल में हैं। तो उस स्थिति में हमने राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया कि घोसुन्डा, सावा और कनेरा की जल प्रदाय योजनायें हैं उनको तो आप हाथ में ले लें तो उन ग्रामीण इलाकों में जहाँ काम अधूरे पड़े हैं वहाँ पानी मुहैय्या हो सके। तो इस समय मैं वित्त मंत्री महोदय को भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो अधूरी जल प्रदाय योजनायें हैं चित्तौड़गढ़ की जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हैं उनको पूरा कराया जाये। यह कुछ पहाड़ी सर्किल है जहां पानी नहीं मिलता है तो उन योजनाओं में से विजयपुर को हाथ में लिया जाना चाहिए। आज जब कि इस वर्ष राज्य सरकार ने जल प्रदाय योजना के लिए काफी पैसा रखने का प्रावधान रखा है। तो मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे।

(श्री रामकुमार नन्दवाना)

मैं इन्हीं शब्दों के साथ कुछ सुझाव देकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री जगन्नाथ पटेल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं 5 मिनट···

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मंत्री महोदय आप समझायें कि इस विषय पर बोल सकेंगे।

श्री जगन्नाथ पटेल : मैं 5 मिनट से ज्यादा नहीं बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : बोल चुके हैं।

श्री जगन्नाथ पटेल : उपाध्यक्ष महोदय, वह घर का विषय है वित्त मंत्री जी बता सकेंगे या नहीं बता सकेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, डर का क्या विषय है उसका जवाब देकर वित्त मंत्री जी उसका इलाज करके जायें या नहीं करके जायें। वह डर क्या है ? वह डर है कि जब इन्सान स्वर्गवासी हो जाता है और यमराज के द्वार जाता है, कोई पाप कर लेता है और यमराज के द्वार जाता है और यमराज के दूत उस पर मार करते हैं उस वक्त उसको वह दिन याद आते हैं जो कि उसने पिछले कर्म किये हैं। इसलिए वह दिन मुझे भी कल के लिए याद आया है। वह दिन क्या है···(एक कांग्रेसी सदस्य के बोलने पर) आपके 37 के तो मोटरें हैं लेकिन हमारे 144 के पास कुछ नहीं है। वह हमें किस जन्म में मिलेंगी। हमारा भी नाम चाहिये। इनके पांवपोशन सिर पर ऐसे पड़ेंगे तो आप तो हट जायेंगे लेकिन हम क्या करेंगे। आप कहते हैं कि बैठ जाओ।

तो उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने जो बजट के लिए 69-70 का विवरण स्वर्ण शब्दों में कहा है उसके विषय में कुछ अशुभ शब्द बोल गया था। उसकी क्षमा मांगता हूं।

अब कहता हूं कि वित्त मन्त्री जी बोलने वाले हैं और हमारे 144 के सिर पर पांवपोश पड़ने वाले हैं तो ये 37 तो भाग जायेंगे और 144 ही यहां रह जायेंगे। इससे मैं यह कहता हूं कि घर के मुखिये की काम करने वाले की बड़ी जिम्मेदारी होती है वह हरेक विषय में सच बोल सकता है। (विपक्ष के सदस्यों के बोलने पर) मैं इधर-उधर भी बोल सकता हूं। आप भड़को मत। मैं अगर-मगर भी बोल सकता हूं। विषय को ऐसी जगह से निकालना चाहिए और ऐसे विषय से निकालना चाहिए कि जो बिल्कुल आसानी से घर के आदमी का काम चल जाय और वह खुश हो जाय।

रेवेन्यू के ऊपर और रेवेन्यू की आमदनी पर जो तिल, कपास, गुड़, तारामीरा पर टैक्स लगाया है इस विषय में बहुत से सदस्य बोल चुके हैं। घर पर मेरे को मालूम हो गया है कि घर में घाटा आ रहा है। वित्त मन्त्री जी कहां से पूरा करें। वित्त मंत्री जी कृपा करके उस घाटे को तो पूरा करें लेकिन वह 20 पर्सेन्ट को तो बचाते हैं और 80 पर्सेन्ट पर लगाते हैं। 20 पर्सेन्ट शहरों में जनता बसी हुई है उनको तो बचा रहे हैं और 80 पर्सेन्ट को नहीं। वह बन्दोबस्त कर रहे हैं। हमारी फौज में हमें ऐसा सिखलाया था कि जब हम आगे के लिए बढ़ते हैं और आगे के लिए स्कीम बनाते हैं तो उस वक्त क्या करते हैं कि दुश्मन के आगे वाला रास्ता कौन सा है उसको रोका

(श्री जगन्नाथ पटेल)

जाय या हम इसी पोजीशन पर डटे रहें। तो वित्त मंत्री जी ने दुश्मन के आने के रास्ते को तो रोका नहीं, उसे खुला रखा है 72 के लिए। क्यों ? 20 पर्सेन्ट तो बदल गये और 80 पर्सेन्ट को और बदल रहे हैं। तो मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूं कि वे 80 के लिए रिवाज सोच कर आयें। अगर वित्त मंत्री जी रिवाज पूरा नहीं कर सकें तो मैं समझा दूं। रेवेन्यू है उसका हिसाब लगायें और 56 लाख की बचत और 64 लाख की बचत भी कर सकते हैं इसलिए मैं निवेदन करूं कि फिर वित्त मंत्री जी खुले में कहें और आपका ठाठ-बाट भी पूरा हो जायगा और जनता भी खुश रहेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री यशवन्तसिंह नाहर !

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चार दिन से बजट पर वादानुवाद चल रहा था। विरोधी पक्ष ने जो आपत्तियां जारी की हैं उन आपत्तियों से एक बात सामने आई और इस बजट के आंकड़ों के ऊपर कहा गया वह यह कहा गया कि राजस्थान राज्य की आमदनी अनिश्चित होकर खर्चा अनिश्चित आंकड़ों पर आधारित है।

यहां तक कि इस तरफ राजस्थान गवर्नमेन्ट का कोई ध्यान भी नहीं है जो इन गलतियों से बचे हुए हैं।

मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह नहीं चाहता कि सदन के सामने उन आंकड़ों को प्रस्तुत करूं जो कि आय-व्ययक में वित्त विभाग की तरफ से प्रस्तुत हुए हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें गलतफहमी दूर करने के लिए प्रस्तुत करना बहुत आवश्यक है। यह बजट विशेष परिस्थितियों की स्थिति में प्रस्तुत हुआ है विषम और असाधारण अकाल, वेतन आयोग का लगभग 3.75 करोड़ का बोझ और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष का। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह ऐतराज किया था कि यह बजट अनिश्चित है। जब कि वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में यह साफ कर दिया है कि 164 करोड़ का खर्चा है और 144 करोड़ की आमदनी है। संभावित आय पर आश्रय कहीं भी गलत नहीं है मैं कुछ आंकड़े उसके सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। वास्तव में इस बजट के सम्बन्ध में जनता क्या आशा करती है ? सरकार ने बजट बनाकर पेश किया है और उस पर आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं। एक तो सामाजिक विकास किया जाय, दूसरे खर्चे आर्थिक विकास के बारे में है और तीसरा खर्चा है प्रशासन के बारे में। उसी तरह से आमदनी के दो ज़रिये उन्होंने बताये हैं तो पहला जो आमदनी का जरिया है वह है कर और दूसरा अकर···विकास के व्यय में 52 पॉइन्ट और कुछ है और अविकास के कार्यों में 48 पर्सेन्ट है। मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि यह बजट के सम्बन्ध में तरह तरह के तर्क रखे गये लेकिन यह नहीं बताया गया कि राहत कहां है। इन खर्चों में किस तरह से कमी की जा सकती है या आमदनी किस तरह से बढ़ाई जा सकती है इस सदन में इस तरह का कोई प्रस्ताव सामने नहीं आया। जो कुछ कहा गया है वह यह कहा गया है कि शहरी जनता पर टैक्स हो या ग्रामीण जनता पर टैक्स हो। इसके पीछे यह टैक्स गलत है। अगर गलत है तो दृष्टिकोण आमदनी की वजह भी समाजवाद का नाम लगाते हैं।

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

मेरा खयाल है कि परसों मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था अशोक मेहता की लिखी हुई डेमोक्रेडिट सोशियलिज्म पर कि ग्रामीण और शहरी जनता के नियन्त्रण पर इस तरह से समाजवाद के नारे से कहां आगे बढ़ सकते हैं। उससे हमारा आगे बढ़ने का रास्ता रुकता है। समाजवाद शहर और गांव में बंटा हुआ नहीं है। कुछ ऐसी स्थितियां हैं, कुछ ऐसी उपलब्धियां हैं जिनके सम्बन्ध में मैं आपके सामने इस सदन में प्रस्तुत करूंगा। सन् 1951-52 से सन् 1969 तक के आंकड़े तो हमारे सामने हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विकास के आंकड़े व्यय के आंकड़े हैं। 1952-53 में जो अवस्था थी, 1969-70 में दुगना खर्चा करने जा रहे हैं। दूसरे हमारे जो आर्थिक विकास के आंकड़े हैं, उनसे यह पता होता है कि हमने, हमारी जो 1951-52 में स्थिति थी उससे हम 14 गुना खर्च कर रहे हैं।

(3-50 म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति पदासीन)

व्यवस्था का खर्च काफी आगे बढ़ गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे ऐसा नहीं लगता है। विकास के आंकड़े में सामाजिक विकास के आंकड़े और आर्थिक विकास के आंकड़े हैं। हम यह विश्वास करके चलते हैं कि ये काम देश की प्रगति के लिए है, राजस्थान की आर्थिक प्रगति होती है, उनमें कमी की गुंजाइश नहीं है 1968-69 में प्रायः सबसे बड़ी रकम अनुदान की है सैल्स टैक्स के रेट के आधार पर दूसरा स्थान बिक्री-कर का है उसके भी आंकड़े दिए गए हैं। मैं आंकड़े देकर सदन का समय बरबाद नहीं करूंगा। यह ठीक है कि बजट के आंकड़े हमारे सामने आए हैं। उनसे आर्थिक व्यवस्था खेती और माइनिंग, पॉवर काफी बढ़ी है। जब यहां सैल्स टैक्स का प्रारूप देखा जाए और दूसरे प्रदेशों में देखा जाए तो बॉम्बे में 24.14 पर कैपिटा है। वहां प्रोडक्शन ज्यादा है। हमारे यहां प्रोडक्शन की क्षमता कम है। इन सब बातों को लेते हुए मैं यह मानता हूं कि ग्राम जनता का आर्थिक विकास नहीं होगा। तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हर साल रेट बढ़ने से ग्राम जनता पर कर का भार बढ़ता चला जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1951-52 में 1½ करोड़ खर्चा था। इस साल 20-21 करोड़ खर्चा दिया है। एक बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस राज्य को इस बात के लिए निर्णय करना है कि जो शिक्षा हम दे रहे हैं वह उपयोगी है या नहीं। आज इन्जीनियर्स बेकार बैठे हैं। 15,000 ट्रेंड शिक्षक बेकार बैठे हैं। वे ग्राम में जाकर खेती करने में हिचकते हैं। वे या तो मास्टर बनना चाहते हैं या लिपिक। आज हमारे यहां 5 मैडिकल कॉलेज हैं। एक डॉक्टर से बात चली तो कहा कि कुछ सालों बाद यह स्थिति हो जाएगी कि इन मैडिकल कॉलेजों से निकले हुए विद्यार्थियों को कहां बसाया जायेगा? यह एक समस्या पैदा हो जाएगी। यह राजस्थान की इण्टेलीजेन्सिया विप्लवी इसीलिए बनती जा रही है। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा के सम्बन्ध में सरकार को बहुत कुछ तय करना है। आबू में एक कॉन्फ्रेन्स हुई थी। तो शिक्षा के सम्बन्ध में एक व्हाइट पेपर प्रकाशित किया गया थ

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

वहां मुझे मिला। और जितनी भी कान्फ्रेन्स हैं, उनके सुझावों को भी मैंने पढ़ा है। उसके आधार पर मैं कुछ निर्णय कर पाया। प्राइमरी एजूकेशन जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। 35 हजार टीचर्स काम कर रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विरोधियों की तरफ से कुछ एतराज उठाए गए हैं, वह गलत हैं। एक मित्र यह बता रहे थे कि शायद 1953-54 के बीच में खाद के खर्चे के लिए कितना रुपया दिया गया है। अगर हम देखें तो शायद खाद का खर्चा इतना नहीं हुआ है। यह बात सही है कि कुछ गलतियां हैं। गलतियां चलेंगी। मैं दूसरे सुझाव पंचायती राज के बारे में प्रस्तुत करूंगा। कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत करूंगा। राज्य सरकार के पास दिल्ली से यह निर्देश आये कि 6 साल का बच्चा स्कूल में अध्ययन कराया जाए। यह निर्देश एक गांव में पहुंचे तो वहां के हैड़ मास्टर ने दीवारों पर लिखवा दिया कि 6 साल से 11 साल तक का बच्चा स्कूल में भेजा जाए। एक भी बच्चा स्कूल में पढ़ने नहीं आया। मैं कहना चाहूंगा, न दीवारों पर लिखा कोई पढ़ पाया और न एक लड़का पढ़ा पंचायत राज की स्थापना हमारा मंगलमय कदम था। समय के साथ हमने उस मंगलमय कदम से पीछा छुड़ा लिया।

(4 म० प०)

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी यहां पर कृषि उपज मण्डी के सम्बन्ध में जयपुर के लिए कहा गया। उसके बारे में मुझे मालूम है, मैं उससे सम्बन्धित हूं। जो कमेटी थी उसने कुछ कृषि उपज मण्डी के सम्बन्ध में रिपोर्ट पेश की थी लेकिन अभी तक उसका कार्यान्वियन नहीं हो सका है, इसका दोष मैं म्युनिसिपल कारपोरेशन पर डालना चाहता हूं जिसने इस विकासवान कदम को तीन वर्ष रोके रखा, और इसलिए ही अभी तक उसका कार्यान्वियन नहीं हो सका है। मेरा निवेदन है कि कृषि उपज मंडी के संबंध में कार्यवाही के सम्बन्ध एक कमेटी का निर्माण हुआ था, 24 अगस्त 1967 को उस कमेटी ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। उस प्रतिवेदन में यह निवेदन किया था कि ऑक्ट्राय ड्युटी कम से कम उन जगहों पर, जहां पर कृषि उपज मण्डी काम कर रही है, उनके विकास की दृष्टि से खत्म कर दिया जाए। यह सौभाग्य का विषय है और मैं वित्त मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस दकियानूसी और ऑउट डेटेड टैक्स को खत्म कर दिया है। इससे होने वाली आमदनी को पूरा करने के लिए साधन जुटाने पड़ेंगे, उसके लिए आपने इस बजट भाषण में दिया है सेल्स टैक्स के टर्न ओवर के सम्बन्ध में। सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में इस सदन के सामने एक चीज और आई थी, उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सेल्स टैक्स में कुछ अमेंडमेंट होना आवश्यक है और वह अमेंडमेंट इस बात का हो कि राजस्थान में रहने वाले और काम करने वाले जितने बड़े उद्योगपति हैं, वह अपना माल यहां से बाहर भेजते हैं, तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो उद्योगपति अधिक काम करने लग गये हैं और माल को बाहर भेजते हैं तो बाहर अपनी ही फर्म को बेचे जाने वाले सामान पर बिक्री-कर लगाना चाहिए

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

और बिक्री-कर नियम में यह तरमीम होनी चाहिए कि अपनी फर्म को राजस्थान से बाहर भेजा गया माल बिक्री माना जाए ताकि उससे हमें आमदनी हो सके। उस पर सेल्स टैक्स का रखा जाए तो स्टेट को काफी आमदनी हो सकती और ऑक्ट्राय के एवज में टर्न ओवर की रकम भी मिलेगी। मैंने इस सम्बन्ध में वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित किया है, उनको निवेदन किया है, और इस सम्बन्ध में कदम उठाने की तरफ भी उन्होंने भाषण में ध्यान आकर्षित किया है।

बजट भाषण में गांधी शताब्दी समारोह पर हरिजनों के लिए विशेष ध्यान देने की बात कही है इस कारण मैं एक बात और निवेदन करना चाहूं कि हमारे यहां जो बहुत बड़ा तबका अनुसूचित जाति का है, उसकी आप उन्नति करना चाहते हैं। और जो सघन अनुसूचित जाति के क्षेत्र हैं उनका विकास करने के लिए कुछ न कुछ काम हो रहा है। लेकिन राजस्थान के आंकड़े आप देखेंगे तो हर एक जिले में, मैं समझता हूं, कम से कम दस पर्सेन्ट पॉपूलेशन अनुसूचित जाति की और अनुसूचित जन जाति की है। मैं आपको भीलवाड़ा के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि बगरिये और भील या कालवेलिया ऐसे हैं जहां पर घरों में ताला लगाने की जरूरत नहीं है। वहां पर जैसे अशोक का साम्राज्य है। वहां पर अशोक साम्राज्य का नमूना है। वह उनके घरों में कोई ऐसी चीज नहीं है जो चोरी जाय। पहनने का एक कपड़ा है। खाने के लिए सुबह मजदूरी पर जाते हैं और शाम को आते तो खाने की व्यवस्था करते हैं। बरतन है तो मिट्टी के हैं, और कुछ बरतन नहीं हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, वित्त मन्त्री जी, ऐसी जगह पर जहाँ दस पर्सेन्ट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोग हैं वहां पर सघन कार्यक्रम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिए चलाना चाहिये क्योंकि इस दलित वर्ग का उत्थान भी बापू के जीवन का लक्ष्य था।

अब विकास व्यय के सम्बन्ध में आर्थिक विकास के बारे में और दूसरे सामाजिक विकास के बारे में खर्च के आइटम नहीं मिले। जिसके सम्बन्ध में से निवेदन कर दूं कि जो अधिकांश खर्च के आइटम हैं उनमें से कुछ आप बन्द कर दीजिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पास और साधन हों तो उनसे अधिक विकास किया जाय, विकास के कामों में वृद्धि की जाय और राजस्थान की प्रगति को और तेज किया जाय। कुछ आइटम ऐसे हैं खर्च के जिनकी और मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह हैं अविकास व्यय की मदें। उनमें ने एक आइटम, माननीय होम मिनिस्टर चले गये हैं उनसे अर्ज करना चाहता था, पुलिस आइटम है। उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह पुलिस का आइटम 1951-52 से आज तक बहुत बड़ी संख्या में बढ़ चुका है। पुलिस के आदमियों की संख्या बढ़ी है, पुलिस अधिकारियों की संख्या बढ़ी है। उसके कुछ आंकड़े मैं सदन में प्रस्तुत करूंगा (समय समाप्ति-सूचक घण्टी) दो मिनिट ने ज्यादा नहीं लूंगा। पुलिस विभाग की तरफ से एक प्रकाशन निकला है, उसमें वह आंकड़े हैं। वैसे पुलिस का सबसे बड़ा काम है प्रीवेन्शन ऑफ क्राइम्स, इसमें मैं

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

शायद आपत्ति नहीं करता लेकिन जो प्रिवेन्शन ऑफ क्राइम्स की स्थिति है वह बढ़ी है। मैं प्रिवेन्शन ऑफ क्राइम्स के सम्बन्ध में कुछ आँकड़े सदन के सामने प्रस्तुत करूंगा। जो पुलिस में वृद्धि की गई है, उसके लिए मैं अधिक नहीं कहना चाहता, लेकिन यह जो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम्स का काम है, इसके अलावा और भी काम हैं जिनकी हमें ज्यादा आवश्यकता है। लेकिन मैं वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस तरह के जो खर्च हैं इनकी तरफ देखें, इनमें कोई कमी की जा सके तो हम बहुत बड़ा कल्याणकारी काम मानेंगे। जो 1963 से 1967 तक के आंकड़े हैं इनमें डकेती, चोरी, हत्या, मवेशियों की चोरी आदि के और अन्य अपराध हैं, इन सब की गिनती 1963 से 1967 तक की गई है और इनके अनुसार हर वर्ष में इन अपराधों में वृद्धि हुई है। मैंने जितने अपराध बताये हैं, उनका टोटल 1963 का बताया है वह 27,502 ऑफेन्स बताये गये हैं, जब कि 1967 में यह संख्या 34,497 तक पहुंच गई अतः पुलिस की संख्या बढ़ी वैसे अपराधों की संख्या भी अतः अपराध रोकने में असफल हुए।

श्री मनोहरसिंह मेहता : प्रगति है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : जहां पर क्राइम्स का यह हाल है तो हमें यह सोचने को विवश होना पड़ेगा। इन आंकड़ों के आधार पर पुलिस जिसका पहला काम है क्राइम को प्रीवेन्ट करने का, वह क्राइम्स को प्रीवेन्ट करने में सफल नहीं हुई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस की नियुक्ति के सम्बन्ध में पांच फीट आठ इन्च की लम्बाई और बलशाली शरीर मापदण्ड होना चाहिये और रिफ्रेशरकोर्स और ट्रेनिंग उनका आउट लुक बदलने के लिए होने चाहिये। आज पुलिसमैन को देख कर आम आदमी यह अनुभव करता है कि एक तो इनको गंगाराम मिलता है और दूसरे एक लम्बा डण्डा मिलता है। पुलिस के सम्बन्ध में मैं वित्त मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इसका खर्च जो दस गुना बढ़ गया है, उसमें किसी तरह कमी करने का आप प्रयत्न कीजिए...

श्री मनोहरसिंह : यह गंगाराम क्या है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : अब मैं सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। 1951 से लगा कर 1968-69 तक मैं संक्षेप में निवेदन कर देना चाहता हूं कि कुछ विकास काम बढ़ा हैं लेकिन उन पर खर्च इतना नहीं होता हैं। वैसे विकास के अन्दर होने वाले खर्च में प्रशासनिक खर्च शामिल है, वह अलग से नहीं बताया गया है लेकिन वह आकड़े पन्द्रह पर्सेन्ट, दस पर्सेन्ट, पांच पर्सेन्ट अलग हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंशन हो रहा है जिसकी सूचना हर साल प्रकाशित होती है उसको पढ़ें तो मालूम होता है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और क्लर्कों की संख्या बढ़ी है। लेकिन क्या यह कहा जा सकता है कि उनकी संख्या बढ़ी है उस संख्या के अनुसार प्रशासन में भी सुधार हुआ है ? यह नही कहां जा सकता हैं कि इतनी संख्या बढ़ी है यह काम बढ़ने की वजह से बढ़ी है। मैं निवेदन करूंगा कि इसके सम्बन्ध में किसी तरह जाँच करके इस खर्च को कम किया जाय तो बहुत बड़ा कल्याण होगा। इससे आप राजस्थान की बहुत बड़ी सेवा करेंगे। इन

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)
शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री डूंगाराम।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा सु०): माननीय सभापति महोदय, आज चौथा रोज बजट पर वाद-विवाद का चल रहा है, इस पर जो माननीय सभापति जी ने मुझे समय दिया उस के लिये धन्यवाद देता हूं। वित्त मंत्री महोदय ने 69-70 के आय व्यय के सम्बन्ध में जो विवरण इस बजट भाषण में दिये हैं, उनको मैंने अच्छी तरह से देखा है और यह बजट भाषण है, यह जहां तक मैं समझता हूं गये साल के बजट भाषण से कुछ लम्बा ही बनाया है और लम्बा चौड़ा बनाने का खास कारण था कि सदस्य इसको ध्यान से देखें उनको गुमराह करने के लिये या जो टैक्स लगाये हैं उन पर बादल सा पर्दा डाल कर कड़वी आलोचना से मुक्त होना चाहते थे। माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं जो इसका विश्लेषण किया है, उसमें उन्होंने इस सारे बजट भाषण की पोल निकाल कर सामने रख दी है। और उस पोल के दबाने के लिये मुख्य मंत्री जी ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कुछ बातों की सफ़ाई करने का प्रयास किया है, जितनी बातों की सफ़ाई उन्होंने की है...

(4-11 म०प०)

(श्री उपाध्यक्ष पदासीन)

मैं जानता हूं, 62 से मैं इस सदन में आया हूं, वही स्थिति उनके भाषण में है कि राजस्थान समृद्धिशाली हो गया, राजस्थान ने यह किया वह किया है, राजस्थान को कोई भी यह आशा ले कर नहीं चल सकता था कि राजस्थान इस तरह का हो जायगा मुख्यमंत्री ने बड़ी लम्बी चौड़ी डींगें मारी पर मुख्य मंत्री ने यह नहीं देखा कि आज का संसार कितना प्रगतिशील है, आज का हिंदुस्तान जो इतने राज्यों में बंटा हुआ है वे दूसरे प्रान्त कितने प्रगति पर हैं, आज का व्यक्ति कितना प्रगतिशील है और दूसरी ओर आप यहां राजस्थान में मामूली विकास भी नहीं कर पाये, इन कमजोरियों को क्यों छुपाते हैं, राजस्थान का कोई विकास नहीं किया है, यह आपके 15 साल राज्य करने का तरीका है। तो मैं निवेदन करूंगा कि मुख्य मंत्री ने जितनी बातें बताई, कोई वजनदार नहीं बताई हैं कि कोई बड़ा कार्य किया हो।

उपाध्यक्ष महोदय, इस राजस्थान में सबसे बड़ी जटिल समस्या बेरोजगारी की है, इस बजट में बेरोजगारी को दूर करने की बात होनी चाहिये थी। हमारे राजस्थान प्रदेश को हमेशा अकाल का सामना करना पड़ता है, उससे हमें मुक्ति दिलाने की बात होनी चाहिये थी और जैसा कि कांग्रेस गवर्नमेंट कहती हैं राजस्थान में राजा महाराजाओं की वजह से पिछड़े हुए लोगों को बड़े दुःख और संकटों का सामना करना पड़ता था, उन लोगों को कष्टों से मुक्ति दिला कर, उनके पिछड़ेपन को मिटा कर उन्हें बराबर का दर्जा देने की बात कांग्रेस के जिम्मे थी, उन बातों को देखते हुए मैं जानता हूं कि राजस्थान सरकार ने ये तीनों ही बातें किसी तरह से पूरी नहीं की हैं।

बेरोजगारी का जहां तक सम्बन्ध है, आज पिछड़े हुए तबके के लोगों को कोई रोजगार नहीं मिलता है, आज पिछड़े हुए तबकों के लिए बेरोजगारी की मुसीबत यहां तक है कि रात को सोते समय उनको,

(श्री डूंगाराम राजोरिया)
उनकी स्त्रियों को और बच्चों तक को यह फिक्र होती है कि सुबह कहीं मजदूरी मिल जाय तो हमारे पेट का पालन हो। तो इस राजस्थान के पिछड़े तबके के लिये किसी प्रकार का रोजगार आपने नहीं खोला। रोजगार खोलने का एक मात्र उपाय यह था कि राजस्थान में उद्योग धंधे खोले जाते पर आपने राजस्थान में उद्योग धन्धे नहीं खोले, और उद्योग धंधे राजस्थान में नहीं खोलने के कारण यहां लोगों को रोजगार नहीं मिल सका इसलिये मैं मानता हूं कि राजस्थान आज भी जहां पहले था वहीं का वहीं है।

शिक्षा प्राप्त करने वाले शिक्षितों के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा पाकर स्कूलों कालेजों से शिक्षित लोग बाहर निकलते हैं तो उनको किसी प्रकार का रोजगार नहीं मिलता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि आपने इस प्रकार बेरोजगारी का हिसाब चला रखा है, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा 12,00,000 व्यक्ति आज बेकार और बेरोजगार हैं। जब हमारे यहां इस प्रकार बेरोजगारी घटने के बजाय बढ़ती ही जा रही है तो क्या कोई सरकार कह सकती है कि हमने प्रगति की है ?

तो मैं वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि आपने जो यह बजट पेश किया है, यह निन्दनीय है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलना यह अच्छी बात नहीं है।

इसके अलावा दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऊंची कैटेगरी के इन्जीनियर वगैरह के लिये इस बजट स्पीच में कोई प्रावधान नहीं है। गये साल आपने बताया था कि जितने इन्जीनियर बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने के लिये यह व्यवस्था की जायगी कि जो ठेके ठेकेदारों को दिये जाते हैं वे ठेके उन ठेकेदारों को न देकर श्रम सोसाइटियों को दिये जायेंगे और उन बेरोजगार इन्जीनियरों को उन श्रम सोसाइटियों में रखेंगे, इससे बेरोजगारी बहुत कुछ कम हो जायगी। लेकिन आज स्थिति हमारे सामने स्पष्ट है कि साल भर में आपने किसी इन्जीनियर को किसी काम में नहीं लगाया है। तो मैं कहना चाहूंगा कि यह भी सरकार की बहुत ही निन्दनीय नीति है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री ने उद्योगीकरण के बारे में भी बात कही थी कि उद्योगीकरण हमारे यहां होना चाहिये। अब आपके दिमाग में यह बात आई कि उद्योगीकरण करना चाहिये, क्या मुख्य मंत्री 20 साल से झक मार रहे थे, आज कहते हैं कि उद्योगीकरण करना चाहिये, एक दो वर्ष में उद्योगीकरण होना चाहिये यह बात कर रहे हैं। उद्योगीकरण यदि राजस्थान में कर दिया जाता तो बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता था। इसलिये मैं कहता हूं कि मुख्य मंत्री इतने दिन सोये रहे हैं और गये साल से बात करते हैं कि उद्योगपति हमारे यहां उद्योग खोलेंगे, तो 18 साल में मुख्य मंत्री ने उद्योगीकरण के लिये कुछ नहीं किया, क्या यही राजस्थान के विकास का तरीका है, भविष्य में पीछे आने वाले इनको आने वाली पीढ़ियां इस सरकार को क्या दाद देंगी और कहेंगी कि उस समय की सरकार ने उद्योगीकरण के बारे में कुछ नहीं किया।

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा के संबंध में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। मैंने कई बार कहा है कि शिक्षा संस्थाओं में जितने लोग पढ़ने जाते हैं, स्कूलों में उनके लिये कोई इस प्रकार का प्रावधान होना चाहिये कि उनको इस प्रकार का धंधा सिखाना चाहिये कि मैट्रिक करते ही, स्कूल और शिक्षण संस्थाओं से बाहर निकलते ही कोई न कोई धंधा कर लें। ताकि शिक्षित लोग हजारों की संख्या में बेरोजगार और बेकार इधर उधर भटकते नहीं फिरें जैसे आज जयपुर जिले में 8 मास्टरों की खाली जगहों के लिये 1,200 एप्लीकेशन्स लोगों ने टीचर्स के लिये दी हैं दो ट्रेन्ड शुदा ने। तो इस प्रकार की शिक्षा क्यों नहीं दी जाती जिससे कि शिक्षित इस प्रकार मारे मारे न फिरें, गवर्नमेंट के पीछे न फिरें और धंधा खोल कर अपना रोजगार कमायें। कोई छोटा मोटा धंधा खोलें, छोटी-छोटी इन्डस्ट्रीज खोलें। मिनिस्टर लोग दूसरे देशों में जाते हैं वहां से ही शिक्षा लेकर आयें जापान में कितने छोटे-छोटे उद्योग हैं। अपने देश में ही मैंने दिल्ली में देखा हैं कि घर-घर में छोटी-छोटी इन्डस्ट्रीज चलती हैं, तो आप भी राजस्थान में इन्डस्ट्रीज खोलें ताकि शिक्षित मारे-मारे नहीं फिरें। इसके अलावा मैंने इन्जीनियरों के बारे में पहले निवेदन किया था, दुबारा निवेदन कर देना चाहता हूं कि जितने इन्जीनियर हैं, उन्हें श्रम सोसायटियों को ठेके देकर उनके यहां एक-एक इन्जीनियर को रखिये। मैं भीखाभाई से निवेदन करूंगा कि श्रम सोसायटियों को बड़े-बड़े ठेके देकर लोन देने की व्यवस्था करें। अगर इन श्रम सोसायटियों को छोटे-छोटे ठेके देते हैं, इनको बड़े-बड़े ठेके देकर जिम्मेदार इन्जीनियरों को उनके साथ लगाया जाय तो गरीब मजदूर तबके को फायदा हो सकता है और बेकार इन्जीनियरों को भी काम मिल सकता है।

इसके अलावा दूसरी बात मैं अकाल के सम्बन्ध में भी निवेदन करना चाहूंगा, हमारे यहां राजस्थान में हर दूसरे वर्ष अकाल पड़ जाता है, कभी दो वर्ष के लिये, कभी तीन-तीन वर्ष के लिये, कभी एक वर्ष के लिये और कभी एक साल छोड़ कर दूसरे साल के लिये अकाल पड़ जाता है। हर साल यहाँ अकाल पड़ते हैं और अकाल पड़ने के संबंध में मैंने बताया कि शुरू से राजस्थान में अकाल पड़ते आ रहे हैं, जिस वक्त राजस्थान कायम हुआ था तो राजस्थान सरकार को सोचना चाहिये था कि राजस्थान में अकाल पड़ते हैं, उसका कैसे निराकरण कर सकते हैं। पर राजस्थान सरकार ने आज तक इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, वह तो यह करती है कि जब कभी किसी इलाके में अकाल पड़ गया तो उसी साल के बजट में राहत कार्य खोलने के लिये, पानी पहुंचाने के लिये, अस्थाई राहत कार्य करने के लिये प्रावधान रखती है और कोई स्थाई कार्य राजस्थान को अकाल से हमेशा के लिये छुटकारा दिलाने के लिये नहीं करती है। राजस्थान में शुरू से ही अकाल का मुकाबला करने के लिये यदि कोई स्थाई व्यवस्था शुरू की जाती तो राजस्थान को ये बुरे दिन नहीं देखने पड़ते, राजस्थान के लोगों की तीन तीन साल के लगातार अकालों से मुश्किलें नहीं उठानी पड़ती। अस्थाई कार्यों से राजस्थान का कोई भला नहीं होने वाला है राजस्थान को हमेशा के लिये अकाल से बचाने के लिये स्थाई ठोस कार्यों को करना चाहिये।

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

इस सम्बन्ध में राजस्थान नहर का मसला हमारे सामने है, मैं करीब छः साल पहले से सुनता आ रहा हूं कि राजस्थान कैनाल केन्द्र सरकार के जुम्मे कर दी जायगी, जब केन्द्र इस योजना को संभालने को तैयार था तो राजस्थान सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और आज यह स्थिति है कि राजस्थान कैनाल को केन्द्र सरकार ने आज तक नहीं सम्भाला है। यह जो बात केन्द्र के सामने रखी गई और केन्द्र को सौंपने के लिए कहा गया था, उसके बाद देरी किस तरफ से हुई। राज्य सरकार ने उस पर क्यों तवजज्ह नहीं दी ? उसके कारण राजस्थान नहर, जो कि केन्द्र संभालने को तैयार था, उसने नहीं संभाली और तुम्हारे गले मढ़ गई। यह अगर बन गई होती तो कम से कम आधे अकाल क्षेत्र में अकाल दूर हो सकता था।

केन्द्र से अनुदान वगैरह मंगाने के बारे में, सब्सिडी मांगने के बारे में मुख्य मंत्री जी ने कल कहा था कि हमने दूसरे राज्यों से ज्यादा लेने की कोशिश की है। हो सकता है इन पांच सालों में जो आप लायें हों। लेकिन बाकी पिछले सालों में राजस्थान सबसे पीछे है। अगर ऐसी भी बात है तो यहां की सरकार, मेरे ख्याल से मुख्य मन्त्री शुरू से यहीं हैं, उनको सारी स्थिति मालूम है, राजस्थान कितना पिछड़ा हुआ था, राजस्थान में सामंतशाही होने के कारण यहां का बिल्कुल विकास नहीं हुआ था और इसके अलावा यहां के राजाओं का मुआवज़ा देना था, सारी बातें मालूम थीं तो उनको चाहिये था कि सारी बातों को पहले से ही रख देते और जितना भी ले सकते थे केन्द्र से वह देते क्योंकि इस राज्य में सभी कमजोरियां है, केन्द्र से ज्यादा से ज्यादा मदद लेनी चाहिये थी। जम्मू-कश्मीर में किस प्रकार देते हैं, बिहार में कैसे देते हैं ? यहां तो कांग्रेस शुरू से आखिर तक शासन में रही है और मंत्रियों में भी कोई तबदीली खास नहीं आई, मंत्रियों ने अपने घर भरे, कोई ध्यान नहीं दिया, जो अधिकारी हैं उनमें भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, जाइए सी स्कीम में दो-दो तीन तीन प्लॉट्स उनके मिलेंगे या किसी मंत्री के मिलेंगे। इसके अलावा और कोई काम नहीं हुआ। अगर चाहते तो केन्द्र से सहायता ले सकते थे और इस तरह राजस्थान में ज्यादा विकास हो सकता था।

मैं इस नहर के बारे में यही निवेदन करूंगा कि अगर हो सके तो जो व्यवसायिक बैंकें हैं जैसे खेती के लिए कर्जा दिला रहे हैं, इस तरह बड़े बैंकों से आप बात करें और थोड़ा बहुत कर्जा उन से लेकर अगर इस नहर को जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करें तो यह हमारे लिए लाभप्रद हो सकता है। आप केन्द्र पर दबाव डाल सकते हैं, यह दबाव उन पर डालते कि बेईमानी से राज हड़प लिया है। थोड़ा बहुत रुपया हमारे लिए दे दो, केन्द्र आपकी बात मानेगा। तो आप केन्द्र और व्यवसायिक बैंकों से ले सकते हैं और भी तरीके अपना सकते हो। अकाल की स्थिति है, उसको दूर करना जरूरी है सहायता के जरिए। इस तरह अनुदान थोड़ा थोड़ा केन्द्र से मांगें, उनसे कहिए कि हर दूसरे तीसरे साल हमें आपसे पैसा लेना पड़ता है क्यों नहीं एक ही बार में पैसा दे दो। यह तो देश के लिए अच्छी चीज है। अगर राजस्थान नहर बन गई तो उत्पादन क्षमता कितनी बढ़ेगी, देश के लिये अनाज कितना

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

होगा। विदेशों से अनाज लाते हैं, उसमें कितनी कमी होगी ये सारी बातें होंगी। अगर राज्य सरकार जोर डाल कर केन्द्र को यह काम सौंपे तो केन्द्र दे सकता है।

अब मैं पिछड़े वर्ग के बारे में निवेदन करूंगा। आपने पेज 36 पर बताया है कि मैला ढोना बंद करेंगे, एक हजार मकान बनाने के लिए अनुदान दिया जायगा। लेकिन मंत्री महोदय मैं आपसे निवेदन करूंगा कि क्या अनुसूचित जाति व जन जाति का ही एक ऐसा तबका है क्या जिसको इस काम पर लगा दिया या उससे दूसरा भी काम लेंगे या हमेशा के लिए वह मेहतर ही बना रहेगा ? कैसे गांधीजी का नाम लेकर ये बातें कहते हो। आपने उनके लिए रिजर्व्ड सीट बना दी है हमेशा जैसे मैला ढोते आए हैं उनके लिए कोई दूसरा कार्य नहीं सोचा या वे इस काबिल नहीं ? वे इन्सान नहीं, दूसरा काम नहीं कर सकते। इसके अलावा आपने उनको जमीन देने का काम निकाला था। अपने बजट भाषण में कहा है कि इतने हजार एकड़ भूमि खेती के लिये दी है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस हरिजन तबके को कितनी दी ? बिल्कुल नहीं दी उसका एक ही कारण है कि जितने भी लोग जबरदस्ती जमीन पर काबिज हो गए और जिनको 1964 तक रेगुलराइज करने के लिए कह दिया, हरिजनों के नाम भूमि अलॉट शुदा थी वो भी बड़े लोगों को रेग्युलराइज कर दी गई पहले जिन लोगों को अलॉट हुई उनको रेग्यूलराइज कर दिया। आपने हरिजनों को कौनसी जमीनें दी ? अब बाहर के लोग हैं जितने भी अनुसूचित व जन जाति के वे किस तरह अपना गुजर बसर कर सकेंगे। इसमें दूसरी बात यह भी थी कि जैसे बड़े किसान पहले खेतों में पिछड़े लोगों से नौकरी लिया करते थे। आज ट्रैक्टर व कई प्रकार की मशीनें आ गई हैं इसलिए किसी प्रकार की वे नौकरी भी नहीं कर सकते। जमीन सरकार दे नहीं पाई और क्या रोजगार देगी यह स्पष्ट करें।

आपने अल्प व मध्यम कालीन जो 12 करोड़ रुपए के ऋण दिए हैं, इस बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आप जो ऋण देते हो उनमें आपने छोटे तबके को देने की कोशिश की है ? कोई व्यक्तिगत लोन देने की कोशिश की या सोसइटी हो तो आप बतायें। जितने लोन्स आपने दिए हैं बड़े बड़े लोगों को दिए हैं, छोटे लोगों को किसी प्रकार का लोन नहीं दिया है न व्यक्तिगत लोन दिया है न सहकारिता के जरिए। आप सहकारिता की बातें करते हैं कि इतनी समितियां रजिस्टर की, इतनों को प्रोत्साहन दिया। आपने 5-10 रुपये के शेयर्स दे देकर सोसाइटी बनाने के अलावा और क्या किया? दिया काम करने के लिए किसी प्रकार का ऋण? सरकार कुछ करे नहीं और फालतू ढोल पीटे पिछड़े तबके के लिए आपने कुछ नहीं किया, यह एक गलत नीति है, एक भ्रम में डालने कि नीति है और उसके लिए झूठे आश्वासन देते हैं। आप व्यक्तिगत लोन क्यों नहीं देते हैं? सहकारिता के जरिए आप लोन क्यों नहीं देते हैं? आप अपने जवाब में कहें कि इन लोगों को दे सकेंगे और सहकारिता के जरिए भी लोन दे सकेंगे तो मैं मानूंगा कि पिछड़े तबके के आप थोड़ा हामी हैं।

आपने मकानों के बारे में बात कही। मकानों की जो बात है शहरों का जहां तक

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

सम्बन्ध है, शहरों में किसी प्रकार की कोई जमीन अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को नहीं मिली है। भीखाभाई के पास यह विभाग कई दिनों से है। जितनी जमीनें मिली हैं उच्च लोगों को मिली है। और किसी भी शहर में नीचे के तबके को नहीं मिली है। अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के लिए तय किया था कि कम से कम 25 प्रतिशत जमीन उन लोगों को मिलनी चाहिए थी, सरकार ने छोटे तबकों को राहत नहीं पंहुचाई है। साथ ही साथ छात्रावासों के लिये भी निवेदन करूंगा। आपने इतने छात्रावास खोलें है, इतने लड़कों को छात्रावासों में रखा हैं, इसके बारे में मैं निवेदन करूंगा उन छात्रावासों में लड़कों को इस तरह से भर रखा है मानो वे भेड़ बकरियां हों। जिस तरह से जानवरों को बाड़े में भर दिया जाता है उसी प्रकार छात्रों को छात्रावासों में भर दिया जाता है, उनके लिए न खाने की और न किसी प्रकार की सुविधा है, डागा सहाब ने कई बार कहा है कि जो जनरल छात्रावास होते हैं उन्हीं में इन छात्रों को भी शामिल क्यों नहीं रखा जाता है। उनको सब को एक साथ रखना चाहिये बड़े तबके के लोगों के लड़कों के साथ रखा जाना चाहिये, उनके लिये अलग छात्रावास रखना अनुचित है।

इसके लिये मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप जिन छात्रों को विदेशों में उच्च शिक्षा के लिये ट्रेनिंग के लिये भेजते हैं आप यह भी बताने कि कृपा करें इन पिछले बीस सालों में शिड्यूल्ड कॉस्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के कितने छात्रों को आपने विदेशों में भेजा है अगर आपने राजस्थान से किसी शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के छात्र को विदेश में नहीं भेजा है तो यह न्यायसंगत बात नहीं है आप उनके साथ इस तरह से अन्याय कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं शराब बन्दी के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। शराब से जितना पैसा लूटा जाता है वह पिछड़े वर्ग से लूटा जाता है। जितनी भी ढानियां है, बोर्डर पर गांव हैं, उन जगहों पर भी यह ठेकेदार शराब लेकर पहुंच गये हैं। ये लोग पढ़े लिखे नहीं होने की वजह से दो चार जहां पीने बैठ गये वहां सब लोग पीने लग जाते हैं। एक ठेका दिया जाता है उसकी एक सीमा होती है लेकिन यहां पर जो ठेका दिया गया है वे लोग पचास जगहों पर दुकान खोल बैठे हैं। आज तो जगह जगह पानी पिलाने की नहीं दारू पिलाने की बात होती है। आज हम देख रहे हैं स्टेशनों पर, मोटर स्टेण्ड पर सब जगह शराब की दुकानें खोल रखी हैं। आपने सप्ताह में दो रोज शराब बन्द की है उसको तीन रोज करिये और इस तरह से धीरे धीरे घटाइये। सीमा भी इसी तरह निर्धारित कीजिये। दिल्ली में मैंने देखा सब जगह शराब नहीं बिकती है दो तीन जगह पर ठेका दे रखा हैं उन्हीं पर शराब मिलती है। एक गांव में एक ही जगह शराब मिलनी चाहिये फिर आप पांच गांवों के बीच एक दूकान खोलने की इजाजत दीजिये इस तरह से करते करते आप इसको कम करिये। इस तरह से जो आपने आश्वासन दिया है वह पूरा हो सकेगा।

इसके साथ साथ अब मैं जलप्रदाय योजना के बारे में निवेदन करूंगा। देहातों में जल प्रदाय योजना के बारे में कहा गया है कि अमुक अमुक जगहों पर योजना चालू कर देगें। गये वर्ष भी भांडारेज

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

में जल प्रदाय योजना चालू करने का एलान किया गया था। वहां से जो जनता से रुपया मिलना चाहिये था वह भी मिल चुका लेकिन आज तक जल प्रदाय योजना चालू नहीं की। बजट में आप कह तो देते हैं लेकिन उसको पूरा करने की ओर ध्यान नहीं देते।

अब मैं राजस्थान नहर की जमीन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। हमने वहां की जमीन को बेचा नहीं इसलिये कुछ रुपया इकट्ठा नहीं हो पाया। यह कहा गया कि ज्यादा प्रार्थना-पत्र आगये इसलिये हम उसको बेच नहीं सके। यह तो ऐसी बात हुई जो राजकोष में घाटा डालने वाली है। या तो आप उस जमीन को इसलिये देना नहीं चाहते कि उस जमीन को मिनिस्टर लोग हड़प लें या फिर अधिकारीगण उस पर कब्जा कर लें। आपने जिस प्रकार 64 तक के ट्रेसपासर्स को रेग्युलेराइज कर दिया उसी तरह से इसमें भी हो जायगा। आप इसी लिये राजस्थान नहर की जमीन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको चाहिये कि इस जमीन को जल्दी से जल्दी वितरण करें ताकि उस पर उत्पादन हो सके और राजकोष में उसका पैसा आये।

इसके साथ साथ उपाध्यक्ष महोदय, नई वेतन श्रृंखलाओं के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। आज जिस प्रकार से छोटे कर्मचारी मंहगाई के जमाने से गुजर रहे हैं आज उनकी जितनी गिरी हुई हालत है उसको वे ही जानते हैं उनका इतनी सी तनखाओं में गुजारा नहीं होता जहां आपने बड़े बड़े कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति बरती है वहां पर आपने छोटे कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति नहीं बरती है आपको छोटे कर्मचारियों के प्रति भी सहानुभूति बरतनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, किसानों पर जो कर लगाया गया है उसके बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। आपने इस बजट में पचास से पिचहत्तर प्रतिशत किसानों पर कर लगाया है, उसका मैं विरोध करता हूं। आप प्रशासनिक व्यय में तो कमी नहीं करते उसका भार किसानों पर डालते हैं। आपका जो प्रशासनिक खर्चा बढ़ रहा है उसको कम करके भू-राजस्व अधिभार जो किसानों पर लगाया है उससे उनको मुक्त करना चाहिये।

आपने व्यवसायिक फसल पर जो सैस लगाया है मूंगफली, गन्ना आदि पर उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। हमारे गंगापुर की तरफ गरीब आदमी जिनके पास एक एक दो दो बीघा जमीन है, चार बीघा जमीन है वे उसमें मूंगफली की खेती करते हैं, उसी पर उनकी आजीविका निर्भर है। ऐसे छोटे छोटे काश्तकारों पर जो आपने सैस लगाया है वह उचित नहीं अतः उन पर यह सैस बिल्कुल नहीं लगनी चाहिये।

इसके अलावा आपने सेल्स टैक्स बढ़ाया है। इसका आप हर साल बढ़ाते रहते हैं यह उचित नहीं है। इसमें एक बात जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जूते पर टैक्स नहीं लगाने वाली बात कही है लेकिन सरकार ने चमड़े पर तो दो प्रकार से पहले ही टैक्स लगा रखा है कच्चे चमड़े पर दूसरा पक्के पर अलग अलग कर रखा है। आप उस टैक्स को कभी उठाने की बात नहीं करते हैं आपसे मैं प्रार्थना करूंगा कि आप इस प्रकार के जो छोटे काम करते

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

हैं-उनके साथ सहानुभूति बरतनी चाहिये। चमड़े पर कच्चे और पक्के पर जो तीन तीन परसेन्ट टैक्स लगा रखा हैं उसको आप हटा देंगे तो उन पर बड़ी कृपा होगी। उनके काम के प्रति सहानुभूति होगी। इतना ही निवेदन कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

वित्त मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1969-70 के बजट तखमीन पर इस सदन में करीब तीस घन्टे पन्द्रह मिनट बहस हुई थी और उसमें 44 माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया। मुझे उन सबही सम्माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करना है जिन्होंने अपने भाषण से इस बजट के विषय में कुछ अपने विचार रखे और साथ साथ में कुछ सुझाव भी दिये। मुझे बड़ी खुशी होती कि इस बजट के बारे में चर्चा करते हुए और कोई ठोस सुझाव आते तो मैं उनके ऊपर अमल करने की कोशिश करता।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उसकी परिभाषा क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : बीच में नहीं, माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कुछ परिभाषा तो आनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री मथुरादास माथुर : कुछ एटीकेट इसमें है ?

माननीय उपाध्यक्ष जी, जिन माननीय सदस्यों ने अपने अपने इलाकों की जो कुछ भी समस्याएं रखी हैं उनको मैंने नोट किया है। मैं उन सब समस्याओं का समाधान इस बजट भाषण के सिलसिले में नहीं कर सकूंगा परन्तु डिमान्ड जब कभी भी डिस्कस की जावेंगी तो माननीय मिनिस्टर उससे सम्बन्धित हैं वे जरूर इस पर रोशनी डालेंगे।

राजस्थान का वित्त मंत्री आपके सामने आने वाले साल के लिए राजस्थान की वित्तीय तस्वीर लेकर आता है और मैंने वह तस्वीर विस्तारपूर्वक आपके सामने रखी। किसी भी अहम मुद्दे को छिपा कर या किसी मुद्दे को तोड़ मरोड़ कर रखने की कोशिश नहीं की थी। मुझे इस बात की खुशी है कि विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि राजस्थान की वित्तीय तस्वीर को सही तरीके से आपके सामने रखी है जो मेरा फर्ज है और मुझे इस बात की भी खुशी है कि माननीय सदस्यों ने इसको समझने की कोशिश की हैं।

माननीय मुख्य मंत्री जी के लिए मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने कल बजट के डिस्कशन के दौरान में हुई बहस पर अपने विचार रखे और कई बातों पर जो राज्य सरकार की नीति से सम्बन्ध रखती है और बजट के सिलसिले में माननीय सदस्यों के विचार और टीका टिप्पणियों के सिलसिले में अपने विचार प्रकट किये। इससे मेरा काम बहुत हल्का हो जाता है। मैं ज्यादा समय लेकर उन बातों को जिनको माननीय मुख्य मंत्री जी कह चुके हैं दुबारा नहीं दोहराऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट को लेकर कहा गया। यह बजट घाटे का है। इस

(श्री मथुरादास माथुर)

बजट को मैंने संतुलित किया है। मेरा यह बजट कुछ आधारों पर है। आंकड़े साफ हैं। जहां तक कैपिटल अकाउन्ट का सवाल है, पूंजी खाते का सवाल है पूंजी खाते में घाटा बता कर इस बात को कहा है। आज नहीं पिछले साल भी बजट पेश करते हुए कहा था और जब जब भी सदन में कहने का मौका आता है तो इस बात का जिक्र किया गया है कि भारत सरकार से राज्य सरकार को 442 करोड़ रुपया मिला है। 442 करोड़ रुपया ऋण के रूप में भारत सरकार से मिला हैं। कुछ विकास के लिये ऋण लिया गया है। कुछ ऋण वह है 35 करोड़ का फेमीन के सिलसिले में, अकाल सहायता से मिला है। कुछ एडहॉक लोन 74 करोड़ का वक्तनबवक्तन हमको लेना पड़ा था। यह ऋण हमें क्यों लेना पड़ा कई मानमीय सदस्यों ने तो हमें दिवालिया कह दिया। कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि इस ऋण को चुकाने की शक्ति हममें नहीं है। इस बात को साफ कर देना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि जो कुछ भी ऋण हमने लिया है इस राज्य की चुकाने की क्षमता ही नहीं है। ऋण लेकर आर्थिक विकास के जो कार्य किये हैं उससे ऋण का ही चुकारा नहीं होगा बल्कि राजस्थान के आम अवाम की सामाजिक और आर्थिक तरक्की होगी। उपाध्यक्ष जी, मुझे यह कहते हुए खुशी होती है। आपने इन योजनाओं को देखा है और माननीय सदस्यों ने भी अपने सुझाव दिये हैं राजस्थान का विकास और खास कर खेती बाड़ी के लिये सिचाई के साधन ज्यादा हों और उसके साथ-साथ छोटे बड़े उद्योग और छोटे सिंचाई के साधन, लघु सिंचाई के लिये बिजली की भी जरूरत है इसलिये हमारी योजनाओं में बिजली उत्पादन, वितरण और सिंचाई के लिये ज्यादा जोर दिया गया है, ये जितने ऋण लिये हैं भारत सरकार से उसमें से 75 प्रतिशत खास कर सिंचाई और बिजली के उत्पादन के लिये काम में लिये गये हैं। आप जरा गौर कीजियेगा कि ऐसी परियोजना पर ऋण लिया है जिनका स्टेशन पीरियड बहुत लम्बा है। राजस्थान कैनाल और पौंग डेम पर 100 करोड़ से अधिक का लोन ले रखा है। पौंग डेम जब कम्पलीट होगा तब उसका पानी राजस्थान कैनाल में आवेगा और राजस्थान कैनाल जब कम्पलीट होगी तो साढ़े तीन मिलियन सिंचाई का एरिया है उसमें आबपाशी होगी तब रिटर्न मिलेगा। राजस्थान नहर प्राथमिक स्टेज में से गुजर रही है दूसरी स्टेज में शुरू हो रही है। दो लाख एकड़ में आबपाशी होती है। बड़ी-बड़ी योजना का रिटर्न बनिये की तरह आना पाई का हिसाब नहीं लगाया जाता है बल्कि इन योजनाओं से दूसरे जो विकास बढ़ते हैं, सामाजिक क्रांति होती है, समाज की तरक्की होती है उनकी ओर भी देखना चाहिये। राजस्थान कमान्ड एरिया, भाखरा एरिया उसका रिटर्न देखे 3-4 परसेन्ट होता है। माननीय सदस्यों ने कहा कि इन्ट्रेस्ट चुकाने के लिए ऋण मिलता है। उसको भी नहीं चुका सकते और घाटा होता है। घाटा भी सहना पडता है। विकास के लिए ऋण लिया गया वह राजस्थान की बहबूदी के लिए लिया गया। किसी को यह भ्रम हो कि ऋण चुकाने की क्षमता नहीं है तो यह भ्रम उसको निकाल देना चाहिए। एग्रीमैंन्ट भी ऋण के लिए अलग अलग बने हुये हैं। भारत सरकार से जो भी मुख्तलिफ लोन लिए हुए हैं। एडहॉक लोन्स हों या फेमिन के कारण हों, विस्तारपूर्वक मुख्य मन्त्री जी

(श्री मथुरादास माथुर)

ने भी कहा था और मैंने भी अपने तकरीर में साफ कहा था कि सेन्ट्रल असिस्टेन्स का पहले तरीका, फार्मूला जो था वह ईन्फ्रा स्ट्रक्चर डवलपमेन्ट का नहीं बन पाया था, कैपिटल में लोन ज्यादा मिलता था और ग्रान्ट कम्पोनेन्ट कम था इसलिए ज्यादा ऋण हो गया। प्लानिंग कमीशन के सामने मुख्य मन्त्री जी ने कई बार इसको दोहराया है। सरकारी नौकरों के मंहगाई भत्ते में 32.33 करोड़ रुपया खर्च हुआ वह भी वे एन्ड मीन्स पर उसका असर पड़ा। भारत सरकार और एन. डी. सी. में जगह जगह कहते गये। कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव बहुत जोर से दिए सरकार खर्चा ज्यादा बढा रही है, कर्मचारियों को मंहगाई भता और वेतन ज्यादा दिए जा रहे हैं। जब कभी नोटिस आता है हड़ताल का तो माननीय सदस्य लाउड स्पीकर लेकर चौपड़ पर सरकारी नौकरों के बीच में खड़े होकर उनकी हमदर्दी के लिए तकरीरें करते हैं, डेपूटेशन भी लेकर आते हैं इधर हमें कहते हैं कि मंहगाई भत्ता क्यों बढाया, मर्जर ऑफ पे क्यों किया, डी. पी. क्यों दिया? मुख्तलिफ बातें कहते हैं, इस प्रकार माननीय सदस्य। लेकिन जब यह सवाल पैदा होगा तो यहां की तकरीर खड़ी रह जावेगी और वहां आन्दोलन के नेता बन कर सामने आजावेंगे। इसलिए मैं मानता हूं कि भारत सरकार ने सबसे पहले मंहगाई भत्ता बढ़ाया है। उनका भी कमीशन बैठा। हमने भी पे कमीशन मुकर्रर किया। और उसकी राय को हमने माना। हमारे सरकारी नोकरों को, शिक्षा विभाग ने जो एक बड़ा कमीशन बिठाया था, उस कमीशन के जो सजेशन हैं, उससे ज्यादा तनख्वाह राजस्थान में मिलती है। भारत सरकार में जो मिलता है, वह यहां मिलता है। हम प्राविन्सियल सर्विस वालों को सेन्ट्रल के मुकाबले में तनख्वाह देते हैं। अब राजस्थान के सर्विस वालों को अच्छी तनख्वाह मिलने लगी है। मेम्बरों को शिकायत है कि इतनी तनख्वाह मिलने पर भी सेवाएं अच्छी नहीं होती हैं। यह अलग प्रश्न है। जो समस्या आज है, इसको तो हल करना पड़ता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, कुछ लोगों ने, कुछ माननीय सदस्यों ने समझदारी से कहा है, कुछ ने भावना में कहा है और कुछ ने जोश से कहा है कि राज्य सरकार का दिवाला निकल चुका है। दिवाला निकल रहा है। कोई भी सरकार जो विकास के काम को हाथ में लेकर चलती है, अपने पिछड़े क्षेत्रों के लिए विकास की योजना बनाती है, उसको दूसरे मुल्कों से कर्जा लेना पड़ता है। राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से लिया है। अन्य विदेशी मुल्क से नहीं और योजना के लिए, विकास के काम में ही लिया गया है। विकास का काम उन प्रदेशों के अन्दर जो सदियों से पिछड़े हुये थे, जिनके पिछड़ेपन का ऐतिहासिक कारण है, वहां विकास के लिए शुरुआत में ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। इन प्रदेशों का मुकाबला बोम्बे, मद्रास वगैरह प्रान्तों से नहीं कर सकते। इसलिए मुझे सदन के सामने यह कहने में संकोच नहीं है कि हमने कर्जा लिया है परन्तु यह राजस्थान के विकास के लिये लिया है। हम इस कर्जे को पूरी तरह से अदा कर सकते हैं। इस साल 40 करोड़ हमको चुकाना है। 44 करोड़ की इन्स्टालमेंट ड्यू है। यह केन्द्रीय सरकार को चुकाना है। यह कर्जा कोई दस खन्दियों में है, 13 खन्दियों में है। कोई सात साल का और कोई 5 साल का है। अलग अलग तरीके से

(श्री मथुरादास माथुर)

एग्रीमेन्ट है। इसलिये मैंने भारत सरकार से कहा कि आप हमारी हालत पर गौर कीजिये। हम अकाल में से गुजर रहे हैं। 68-69 और 69-70 इन दो सालों में घोर अकाल है। सभी सदस्यों ने अपनी तकरीरों में कहा है कि राजस्थान में भयंकर अकाल है। जब ऐसी अकाल की स्थिति है जिसके ऊपर से अकाल गुजरता है, उसके लिए खन्दियों का पैसा चुकाना मुश्किल हो जाता हैं। इसलिये भारत सरकार से कहा। इसको कहने का हमको अधिकार है। परन्तु हमारी यह नीयत नहीं है कि हम कर्जे को नहीं चुकाना चाहते। यह हमारी नीयत नहीं है। रुपया पूरा देंगे। जो अकाल की स्थिति पैदा हो गई है, उसके कारण यह हुआ। इसके ऊपर यह न समझें कि मैंने कोई बात छिपाई है। कोई बात नहीं छिपाई है। कोई डिफरेन्शियेट नहीं किया है। जो कर्जा है, वह मैंने बताया है। इसको सदन से छुपा कर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अब मैं दूसरी बात पर निवेदन करूंगा। इस बजट के अन्दर रेवेन्यु अकाउन्ट में घाटा हैं, वह साफ दिखाया है। आपने इस पर गौर किया है। इस वक्त हिन्दुस्तान के अन्दर जितनी मुस्तकिल रियासतें हैं उनके बजट के अन्दर कोई भी स्टेट ने अपने बजट में सरप्लस नहीं दिखाया है। सबने अपना बजट डेफिसिट किया है। इसका कारण क्या है। यह अलग अलग क्यों है। माननीय सदस्य इन सब स्टेट्स के बजट को पढ़ते रहते हैं। इन सब स्टेट्स में बजट डेफिसिट का है। इसका एक ही कारण है। फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट। यह रिपोर्ट 31 जुलाई तक आयेगी। यह थर्ड प्लान को आखरी साल है और चौथी प्लान की शुरूआत है, इसके अन्दर जो प्लान कमीटेड एक्सपेन्डिचर था वह नान-प्लान में आगया। 5वां कमीशन बैठेगा। कमीशन ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट दी है फाइनल रिपोर्ट नहीं दी। जिन मुद्दों पर निर्णय उसको देना चाहिये था, उसका फैसला नहीं हुआ है। हमने फाइनेन्स कमीशन को जो मेमोरेन्डम दिया है, उसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी है। मेरा निवेदन है कि आप इसको जरूर पढ़ियेगा। इसमें राजस्थान के जितने भी मुद्दे हैं, वह हमने रखे हैं। यह आप पढ़ लेते तो जितनी तकरीरें आपने यहां की हैं, वह नहीं करते। संसोपा के नेता, आज यहां नहीं हैं, भरतपुर से आने वाले इन माननीय सदस्य ने यहां अपनी तकरीर में कहा कि राजस्थान ने फाइनेन्स कमीशन के सामने अपना केस नहीं रखा है अच्छी तरह से। भारत सरकार से सुखाड़िया साहब को कहने में हिचक होती है। मैं यह साफ तौर से कहना चाहता हूं कि सुखाड़िया साहब को भारत सरकार से कोई हिचक नहीं होती है। कम से कम राजनीति जानने वाला भी यह जानता है। सुखाड़िया साहब की एक बड़ी ताकत है राजस्थान में ताकत वाले को कोई कमजोरी नहीं होती, भारत सरकार से काम करने में। वह कमजोरी क्यों दिखायेगा। सुखाड़िया साहब का स्वभाव ही ऐसा है कि हमारा काम वहां अपने आप होता जाता है इसलिये आज तक हमें कोई घबराहट पैदा नहीं हुई है।

कई माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि यहां पर शिड्यूल कॉस्ट और ट्राइब्स के लोग ज्यादा रहते हैं। इसका आप जिक्र करते तो सैन्ट्रल असिस्टेन्स ज्याद

(श्री मथुरादास माथुर)

मिलती । मेरा निवेदन है कि आप मेमोरेन्डम को पढ़ लीजिये । डेजर्ट की जो समस्या है, उसके बारे में, भीलों और मीणों के बारे में बहुत लिखा है । पीने के पानी की समस्या के बारे में इतना लिखा है कि इसके लिये हमने मांग की है कि राजस्थान को इसके लिये स्पेशल ग्रांट मिलनी चाहिये । संविधान की धारा 275 के तहत पीने के पानी की समस्या को सुलझाने के लिये हमने बड़ी मुस्तैदी से अपना केस रखा है । जबानी नहीं, लिख कर दिया है । आप इसको पढ़ियेगा । राजस्थान सरकार और सुखाड़िया सरकार का एक एक कदम राजस्थान की बहबूदी और तरक्की के लिए है । भारत सरकार के सामने हमने मजबूती से केस रखा है और इसीलिये सैन्ट्रल असिस्टेन्स का फारमूला, उसका आधार भारत सरकार ने बदल दिया है । मैं जो कह रहा हूं, वह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य इसको गलत न समझें । मुखिया जी मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि सुखाड़िया साहब ने एन. डी. सी. में हमारा केस मजबूती से रखा है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह मुखिया कौन है ?

श्री मथुरादास माथुर : जो पार्टी का मुखिया होता है, वो मुखिया ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : तो सुखाडिया साहब आपके मुखिया हैं ...

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने अपनी तकरीरों में खासतौर पर यह कहा था कि जो राजस्थान को सैन्ट्रल असिस्टेन्स मिली है, उसको आप आंकें । इसका उत्तर आपने सुखाड़िया साहब की तकरीर में सुन लिया है ।

(5 म० प०)

इस तरह की बातें जयपुर से आने वालों ने कही थी । मेरा निवेदन है कि सैन्ट्रल असिस्टेन्स के फॉरमूले को इवाल्व कराने में और उसे चेन्ज कराने में सुखाड़िया जी का काफी हाथ रहा है । 60 परसेन्ट पापूलेशन के बेसिस पर, कुल 31 करोड़ रुपया मुख्तलिफ स्टेटों में बंटवारा कराना चाहते हैं, 60 परसेन्ट पापूलेशन के बेसिस पर है, 10 परसेन्ट पर कैपिटा इन्कम पर है, दस परसैन्ट टैक्स एफर्ट्स पर है, दस परसेन्ट डवलपमैन्ट मीजर्स, इर्रीगेशन या पावर स्कीम्स पर है । और दस परसेण्ट बैकवर्डनैस वगैरह पर है । इस फार्मूले को इवाल्व करने के बाद में 217 करोड़ मिला । पापूलेशन के बेसिस पर करीब 5.11 होता है और इसके अन्दर जे. के. और नागालैण्ड निकाल दिया गया है नहीं तो 4.00 होता । पर इस फार्मूला की वजह से आज हमें 7 परसेन्ट मिला है और इसमें 217 करोड़ रुपया को भी हमने मन्जूर नहीं किया है । हमने 227 करोड़ के लिये कहा है और हमें उम्मीद है वह हमें मिल जावेगा ।

श्री भैरोंसिंह : फिर टैक्स लगाने की जरूरत ही नहीं रहेगी ।

श्री मथुरादास माथुर : पर 313 का प्लान है । कुछ हमको प्रिन्सिपल ऑर्गेनाइजेशनों से मिल जावेगा । फिर 30/35 का अपना एफर्ट्स करना पड़ेगा ।

श्री भैरोंसिंह : आज आपने टैक्स लगाये हैं वे 227 नहीं मिलेगा इस आधार पर लगाये हैं। अब अगर आपको आशा है कि 227 करोड़ मिल जावेंगे तो फिर तो टैक्स लगाने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी।

श्री मथुरादास माथुर : हमारी कोशिश है कि 217 की जगह दस करोड़ ज्यादा मिले 227 मिले। मुझे आशा है, मैं कह रहा हूं, 227 मिल जावेगा। फिर भी प्लान हमारी 313 करोड़ की बननी चाहिये।

जयपुर से आने वालों ने कहा कि चौथी योजनाएं तीन बार बना चुके हैं हम। इसको टालने के कई कारण हैं। चीन का आक्रमण हुआ, फिर इमर्जेन्सी आगई तो ये ऐसे कारण हैं कि जिनमें हमारा प्लान का पैसा फौजी उत्पादन में हमें लगाना पड़ा तो यह सब आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय, वित्त मन्त्री के भाषण की समाप्ति तक के लिये बढ़ाया जाता है।

श्री मथुरादास माथुर : तो इसलिये यह कहना कि हम प्रयत्न नहीं करते, सही नहीं है। राजस्थान में हमने स्ट्रक्चर पहले बनाया था और वहां इम्फ्रा डेवलप होकर अब तो इमारत उस पर बन गई है।

आपको याद होगा तो बहुत पहले सुखाड़िया जी ने ठीक कहा था कि थर्ड प्लान में हम उस स्टेज पर पहुंच जावेंगे जब हम इमारत में टेक अप करना शुरू कर देंगे। पर आप भूलियेगा मत। सुखाड़िया ने यह बात कही थी। बाद में हिन्दुस्तान में दो जंग हो गई तो जो विकास के लिये रुपया खर्च होता था वह जंग के सामान के लिये और फौजों के लिये खर्च करना पड़ा। तो इससे विकास का काम रुक गया। हम मानते हैं कि जंग नहीं होना चाहिये, इससे पूंजीपति मुल्कों को फायदा हो सकता है पर अण्डर डवलप्ड मुल्कों को नहीं। फिर भी हम विकास की गति को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

इसमें दो राय नहीं कि सेन्ट्रल पूल था। रुपया बंटवारे का हजारों रुपयों की कमी हो गई। इसकी वजह से बहुत सी बातें नहीं कर सके।

कोई योजनाओं की मजाक उड़ाते हैं। स्वतन्त्र पार्टी के नेता की बातें सुनने का अवसर मुझे इस बार प्राप्त नहीं हुआ न गत सत्र में हासिल हुआ जो कहते रहते हैं कि ये योजनाएं मखोल हैं। पर मैं कहता हूं कि योजनाएं अगर नहीं होतीं तो देश का विकास नहीं होता। गरीब और पिछड़ा वर्ग आगे नहीं बढ़ पाता। जो कुछ भी हम इन 18 सालों में कर पाये हैं इन योजनाओं के बिना हम उसका सौवां हिस्सा भी नहीं कर पाते।

चौथी योजना के पहले साल में मैंने चार-पांच का नहीं, केवल 2.80 लाख के कर लगाये हैं। बाकी रुपया एडीशनल नान टैक्स के जरिये से इकट्ठा करने की कोशिश की है। 511 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि मिल रही है जो सीलिंग प्लान में जोड़ कर 49 करोड़ कुछ लाख कर दिया है। इतना ही नहीं, अपने देश में और राजस्थान के आर्थिक विकास में कितना रुपया फ्लोट किया जावे ऑफीसियल योजना में वह है उतना ही नहीं

(श्री मथुरादास माथुर)

होता । अगली साल में कुल योजना का अकाल के द्वारा 20 करोड़ खर्च होगा । वह रुपया डवलपमेंट के कामों में ही अधिकतर खर्च होगा । उससे हम एम्पलॉयमेंट देंगे । सड़कें बनावेंगे, सोइल कन्जर्वेशन और अफोरेस्टेशन का काम बढावेंगे, इर्रिगेशन के वर्क बढावेंगे । बाकी का रुपया प्लान में जावेगा कमर्शियल लोन है उससे बाकी के काम होंगे । जो काम राज्य सरकार करती थी, वह करेगी बाकी कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव सोसायटियां मिल कर करेंगी तो इस तरह से कुल मिला कर भारत सरकार की मार्फत और फेमीन फण्ड में से मिला कर 80 करोड़ के डवलपमेंट के काम होंगे । इसलिये मुझे कोई क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है । अपोलोजी पेश करने की भी आवश्यकता नहीं है । चौथी योजना के पहले साल में विकास के कामों में गति को मद्धिम किया हो, ऐसी बात नहीं है, बल्कि उस गति को तीव्र करने की कोशिश की है । आंकड़े आपके सामने हैं । आप उन पर सोच विचार कर सकते हैं । 85 करोड़ का डवलपमेंट का काम होगा जो अगले साल हम करने की सोच रहे हैं ।

उपाध्यक्ष जी, एक भ्रम यह भी लोग लेकर चलते हैं खास तौर से पर कैपिटा इन्कम को लेकर । हमारे भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य यहां नहीं हैं, उन्होंने यह कहा कि मैंने अपनी तकरीर में यह कहा कि 499 रुपया प्रति व्यक्ति 67-68 में आया है । यह तो करेन्ट प्राइस पर कहा । मैंने अपनी तकरीर में करेन्ट प्राइस पर नहीं कहा । गवर्नर महोदय ने कहा है । वह ठीक है । और करेन्ट प्राइस से दूसरी जगह कहा । आल इण्डिया की करेन्ट प्राइस का एवरेज निकाला नहीं 67-68 का इसलिये कम्पेअर करने का मौका नहीं मिला । 499 रुपये करेन्ट प्राइसपर पर कैपिटा इन्कम होगी । पर मैं कहूं कि पर कैपिटा इन्कम जिस साल जमीन की पैदावार अच्छी होगी, जमाना अच्छा होगा उस साल के आंकड़ों पर लगानी चाहिये । जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह तोहमत लगाई कि हमारी कोशिशों से बढ़ गई ऐसा नहीं, मानसून से बढ़ी है । और मानसून खराब हो गई और मानसून फेल हो गई तो क्या होगा । जितनी मेरी तकरीर देखेंगे जितने भी मेरे दिये गये डॉकूमेंट देखेंगे मैंने सदन के जरिये से यही कहने का प्रयत्न किया है कि हमने इतने टन पैदा करने की क्षमता पैदा करली है । आई हैव क्रीएटेड ए पोटेन्शियल ।

राजस्थान में 15-16 परसेन्ट सिंचाई के साधन डवलप हुए हैं और इसके साथ साथ और भी साधन बढ़ेंगे पर फिर भी मानसून इम्पोर्टेन्ट फैक्टर है जिसे हम भी भूल नहीं सकते । अगर हमारी प्लान के एफर्ट्स को कहने की जरूरत है फोर्मल मंशा है फरटीलाइजर्स हैं, अच्छे बीज हैं, और जो इर्रिगेशन पोटेन्शियल हमने क्रीयेट किये हैं हाई ब्रीड का बीज पैदा किया है जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इस वक्त टेकनिकल एग्रो-इकानामी डवलप करने के साधन ला रहा है वह अमल में आवेगा और पूरे रिजल्ट उसके तभी मिलेंगे जब नार्मल रेन होगी । फ़ेमीन में

(श्री मथुरादास माथुर)

नहीं आ सकेंगे। तब वे गिर जाते हैं। पर इनके लिये बहुत ज्यादा मानसून ठीक रहे तभी हो ऐसा भी नहीं है, नार्मल मानसून रहे तो इस हिसाब से आप 67-68 के आंकड़े देखें तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर फेमीन के ईयर से मुकाबला किया जावेगा तब राजस्थान की सारी इन्कम 49·7 परसेन्ट कम्पोनेन्ट एग्रीकल्चरल इन्कम से है। यह ठीक है। यह हिन्दुस्तान के कुछ प्रान्तों में से कुछ सेक्टरों को छोड़ कर सब जगह एग्रीकल्चर इम्पोर्टेन्ट पार्ट अदा करती है। फेमीन हो जाता है तो 50/49 परसेन्ट कम हो जाता है तो पर कैपिटा इन्कम घट जाती है। मुकाबला करना है तो यह देखियेगा कि 61-62 गुड ईयर था। 67-68 का गुड ईयर था। 61-62 में कन्सेन्ट्रेड प्राइस 54-55 में जो थी 252 वह 265 हुई है। 13 रुपये की वृद्धि हुई। प्लान परफोर्मेन्सेज को देखना है तो अच्छे ईयर से देखियेगा। फिर कहिये कि 13 वर्षों में क्या तरक्की हुई।

यह मैं मानता हूं इसलिये हमारी पर कैपिटा इन्कम को लेकर कन्रेन्ट प्राइस पर मुकावला करलें हमेशा बैटर रहता है। आपको मालूम होगा कि राजस्थान में डेफीनेटली तरक्की की है। तरक्की ज्यादा होनी चाहिये। पर यह काफी पिछड़ा हुआ प्रान्त था। अण्डर डवलप्ड कहलाता है। भारत की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए काफी इन्वेस्टमेन्ट की जरूरत है तब डवलप्ड कन्ट्री की हैसियत बन सकेगी।

भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य संसोपा के नेता ने, एक बात कही कि मैंने यह कहा कि 300 करोड़ एग्रीकल्चरल सेक्टर में इन्वेस्ट हुआ तो यह कहा कि गलत है। वे यहां हैं नहीं। मैं इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि 300, 294 करोड़ कुछ रुपया है। एग्रीकल्चरल प्रोग्राम में 58 करोड़ खर्च हुआ। 18 साल में हमने को-ऑपरेटिव में 40 करोड़ खर्च किया, इरिगेशन इन्क्लूडिंग फ्लड कन्ट्रोल में 179 करोड़ रुपया खर्च हुआ और पॉवर में कहा गया कि पूरा का पूरा इसमें डाला गया ऐसा नहीं है; मैंने 1/6 डाला है। बाकी इन्डस्ट्री पर डाला है पॉवर का जनरेशन का खर्चा। तो 17 करोड़ यह हुआ। तो कुल 294 करोड़ या करीब 300 करोड़ यों होता है। यह एग्रीकल्चर वैलफेयर के लिये खर्च किया गया है। जिसकी वजह से किसान का मध्यम तबका लाभान्वित हुआ। मैं मानता हूं कि किसान में लैंडलैस भी हैं, हैव नाट और हैव भी हैं पर प्योरली लैंडलैस को आज की मॉडर्न टैकनिक के जरिये से हाई ब्रीड के जरिये से एग्रीकल्चरल इकानामी के बिना आगे बढना मुश्किल होगा। उसको एकदम आगे बढाना मुश्किल है, रिसोर्सेज नहीं हैं, नो हाऊ नहीं है। लेकिन मध्यम श्रेणी के किसान राजस्थान में आगे बढ़े हैं। इसको आप, हम अच्छी तरह से देख सकते हैं, यह सबूत हैं। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री सारण ने एक बात कही। उन्होंने यह कहा कि आपका खास तौर से 69-70 के बजट में आपका नान डवलपमेन्टल एक्सपेन्डीचर बढ़ता जाता है और डेवलपमेन्ट एक्सपेन्डीचर घटता जाता है। यह गलत है। कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा प्लान का एक्सपेन्डीचर है वह कम होता जाता है, मैं आपको बताता हूं नान प्लान के अन्दर दो हिस्से हैं। नान डवलपमेन्ट एक्टीविटी और नान प्लान डवलपमेन्ट एक्टीविटी, इसको आप इसमें से

(श्री मथुरादास माथुर)

निकाल दीजिये तो सही जगह पर पहुंच जायेंगे। 69-70 में 174 करोड़ रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर हैं उसमें करीब 80 करोड़ रुपया नान डवलपमेन्टल एक्सपेन्डीचर है और डवलपमेन्ट एक्सपेन्डीचर में 94 है। वह ज्यादा है फिर भी दो फैक्टर हैं नान डवलपमेन्ट एक्सपेन्डीचर लायबिलिटि है 30 करोड़ है, फेमीन का 19 करोड़ है इसलिये आपको ज्यादा दिखता है। 50 करोड़ ऐसा मिलता है जिसको निकाल दिया जाय तो दूध का दूध और पानी का पानी रह जायगा।

माननीय उपाध्यक्ष जी यह भी कहा गया राजस्थान के अन्दर ऐडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा बहुत है, इकोनोमी करें, इकोनोमी होनी चाहिये इकोनोमी की कोशिश करेंगे-की जाती है। मैंने दो साल पहले इकोनोमी की बहुत सी चीजें रखीं थीं इस साल भी इच्छा हुई थी कि दो-एक रखूं लेकिन मैंने कहा कहने की क्या है यह तो करने की है…

श्री नत्थीसिंह : इसका मतलब कहने की बात करनी तो है ही नहीं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : कहने में ही कन्जूसी करते हैं तो करने में तो क्या रखा है।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष जी इसलिये मैं माननीय सदस्यों से यह कह देना चाहता हूं कि इकोनोमी करने की पूरी कोशिश की जायगी और माननीय सदस्य इस बात को मेरा आश्वासन समझ कर चलें।

हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्डीचर बहुत ज्यादा हैं इधर भी कहा है, उधर भी कहा है। सब स्टेट्स के अन्दर पर केपिटा सिविल एक्सपेन्डीचर में 9 नम्बर में आता है। मेरा पर केपिटा एक्सपेन्डीचर 7.54 पैसा है और बाकी आसाम, गुजरात, मद्रास, यू. पी. ये सब अपने से ज्यादा खर्च करते हैं। मेरा एक्सपेन्डीचर 7.54 है और इन स्टेट्स के मुकाबले कम है। मेरे यहां दो कारण ऐसे हैं—एक तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, स्केल्टी पोपूलेशन है जहां हमारे एक एम. एल. ए. की पोपूलेशन है वह भी डिस्ट्रिक्ट रखना पड़ता है, कुछ हिस्टोरिकल रीजन्स हैं, कुछ ज्योग्राफिकल रीजन्स हैं, कुछ पोपूलेशन की वजह से है, कुछ बोर्डर की वजह से है। यह हिन्दुस्तान के अन्य क्षेत्रों के मुकाबले जितना प्राबलेमेटिक है उतना कोई नहीं है। पहाड़ी है, रेगिस्तानी है, बोर्डर है 8600 मील का। पड़ौसी जैसा है आप जानते हैं पुलिस और बड़े-बड़े क्षेत्र। एक मील बिजली ले जाते हैं तो 40-50 हजार का खर्च हो जाता है गांव एक नहीं आता है यू. पी. में 6 गांव आ जाते हैं। माननीय सदस्य मेरे से ज्यादा चिन्तन करते हैं। आपकी कोई बात कहने से पहले मैं खूब चिन्तन करता हूं। हमारे राजस्थान की विशेष परिस्थिति है। माननीय उपाध्याक्ष जी, यह भी माननीय सदस्यों ने बहुत कहा कि अकाल पड़ा, अकाल पड़ता है, राजस्थान में उस क्षेत्र में हमेशा अकाल पड़ता है, मैं जिस क्षेत्र का हूं उसमें भी अकाल है। हमेशा के लिए कोई अकाल न पड़े इसके लिये हम कोई पैगम्बर या पीर तो हैं नहीं जो उसको रोक सकते हैं। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष जी अकाल पड़ने पर लोगों को परेशानी होती है, यह तो ठीक है लेकिन लोगों को गांव न छोड़ना पड़े इस तरह का इन्तजाम

(श्री मथुरादास माथुर)

राज्य सरकार को करना चाहिये। इसके लिये राज्य सरकार काफी चिन्तित है। भारत सरकार ने अकाल डवलपमेंट बोर्ड बनाया है। राजस्थान में वर्षा नहीं होती है अतः सभी जगह अकाल है। अकाल डेजर्ट के साथ मत जोड़िये डेजर्ट ऐरिया में अकाल होता है जहां पीने के पानी की समस्या है, वहां सभी जगह करीब करीब अकाल है।

पीने के पानी की समस्या के लिये 250 कुओं में से 140 कुओं का काम हो गया है। इनमें पानी मिलने लग गया है।

श्री भैरोंसिह : अब तो कुए ही कुए हैं, गांव वाले तो रहे ही नहीं।

श्री मथुरादास माथुर : बाकी तो हैं। उपाध्यक्ष जी मेरा आपसे निवेदन है 60 कुए खोदना शुरू किया है, 50 कुए कम्पलीशन पर हैं। 109 कुए राजस्थान के अकाल ऐरिया में खोदे हैं। अगले साल 100 कुए खुदाने का प्रावधान रखा है। क्या यह अकाल से लड़ने का अमली कदम नहीं है?

श्री रामचन्द्र आर्य : ये जो 37 कुए खोद रहे हैं इनको भी तो रोको।

श्री मथुरादास माथुर : मैं निवेदन करना चाहता हूं यह राजस्थान की दीर्घकालीन योजना है। डेजर्ट इलाके में 10 मील में एक कुआ खोद दिया जाय उसके पास छोटा सा गोदाम बना कर फोडर बैंक बनाया जाय इसलिये मैंने 25 लाख रुपये फोडर बैंक के लिये प्रावधान रखा है। फोडर बैंक बने, इर्रीगेशन राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा हो, सिंचाई के साधन ज्यादा से ज्यादा बढ़ने चाहिये। कुओं पर खर्चा ज्यादा आता है। जहां पानी मिलता है, कोशिश करें वहां कुआ खोदने की—कम्प्रेसर से काम किया जाता है। लूनकरणसर में लिफ्ट इर्रीगेशन का कदम उठाया है। यह सब अकाल को खत्म करने का है। मुझे ऐसा मालूम होता तो मैं अपने बजट में 3-4 पेज का नोट बना कर रख देता जो हमेशा के लिये खत्म हो जाता। रोड बनी है; यह भी अकाल को खत्म करने के लिये बनी है। अब हम जीप में से राजस्थान के अकाली ऐरिया में धान पहुंचा सकते हैं, चारा पहुंचा सकते हैं। पोकरन की जो लाईन बनी है यह भी अकाल से लड़ने की बात है। अकाल से लड़ने के लिये राजस्थान सरकार ने और भारत सरकार ने बहुत कदम उठाये हैं। हम इसको हमेशा के लिये दफनाना चाहते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन से मुझे उम्मीद थी कि वह बोलेंगे और बोले भी और उन्होंने सहकारिता के बारे में अपने कुछ विचार रखे। उनके दर्द को मैं समझ सकता हूं। उन्होंने जो हमारे ऊपर और सरकार के ऊपर तोहमद लगाई कि हम सहकारिता को बिगाड़ रहे हैं तो मैं स्पष्ट शब्दों में कह दूं कि सहकारिता को हम तो नहीं बिगाड़ रहे हैं लेकिन कुछ सियासी लोग इसमें घुस कर इसको जरूर बिगाड़ रहे हैं। माफ करेंगे वह मुझे मेरी इतनी खुली बात कहने पर। आर्डीनरिली बैंकों के सभी कार्य हैं वह होने चाहिए और हम लोग लाखों और करोड़ों रुपया सहकारिता के जरिये से लोगों को देते हैं और यह जनता की बहबूदी के लिए को-ऑपरेटिव मूवमेन्ट है और हम

(श्री मथुरादास माथुर)

चाहते हैं कि यह बढ़े। इसके दो दुश्मन हैं एक तो मनीलैन्डर्स और एक पॉलीटिक्स जो उसमें घुस जाती है। तो यह सहकारिता के विकास को धक्का देती है और उससे वह पनपती नहीं है। मैं व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहता हूं। आप इसको मानेंगे कि मैं को-ऑपरेटर हूं और इसको पूरा को-ऑपरेशन भी देता हूं मगर सदन में जब जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य कहते हैं कि को-ऑपरेटिव मूवमेन्ट में इतना इन्वेस्टमेन्ट हो गया और उसका रिटर्न इतना ही आया है इसका जवाब दो तो मैं कहना चाहता हूं कि आज इसमें जितना इन्वेस्टमेन्ट है उसका एक परसेन्ट भी रिटर्न कम है और जयपुर के मुखिया जी जो पब्लिक एन्टरप्राईजेज कमेटी के चेयरमैन भी हैं उनके सामने पूरी तस्वीर आती है। मैं मानता हूं जहां कमियां हैं उनको दूर किया जाना चाहिए...

श्री नत्थीसिंह : को-ऑपरेटिव स्टेट एन्टरप्राईज है क्या ? यह गलतफहमी आपको कब से हो गई ?

श्री मथुरादास माथुर : राजस्थान का वित्त मंत्री तो यह चाहता है कि किसी भी व्यक्ति की कहीं पर आमदनी ज्यादा बढ़ सकती है ऐसी बात करता है तो मैं उसका स्वागत करता हूं। आज पब्लिक सैक्टर देश में समाजवाद लाने के लिए जरूरी है। तो यह आज चौराये पर खड़ा है। इसके कई कारण हैं कि यह कामयाब क्यों नहीं होता है और इसकी सदन में बैठ कर निन्दा करें तो प्राईवेट सैक्टर तो बहुत ही जल्दी इसकी मखौल उड़ायेगा। एक बच्चा 8-9 साल का उतना कमा कर नहीं दे सकता है जितना 20-21 साल का देता है। मैं आशा करता हूं कि आगे जाकर यह भी रिटर्न देगा। इसलिए को-ऑपरेटिव के कम रिटर्न देने का मुझे दुःख है और उसमें वेस्टेज रुकनी चाहिए, लीकेज रुकना चाहिए इसको भी मैं मानता हूं। खास तौर से यहां एग्रीकल्चरल क्रेडिट कॉरपोरेशन के बारे में जिक्र किया गया माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं भी उन लोगों में से था कि जो कहा करता था कि यह नहीं बननी चाहिए लेकिन मैंने आज पांच-छः साल पहिले कहा था और आज के प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन डॉक्टर गाडगिल ने एग्रीकल्चरल क्रेडिट के ऊपर रिपोर्ट देते हुए इस पर सुझाव दिये थे और इसकी वजह से यह कॉरपोरेशन बना। अब इस कॉरपोरेशन के बनने के बाद भी खास तौर से मैंने अपनी बजट तकरीर में कहा कि उन्हीं इलाकों में जहां को-ऑपरेटिव मूवमेन्ट सक्षमता नहीं पकड़ सका है वहीं मैं इस काम को करूंगा और जब तक कि वहां का को-ऑपरेटिव मूवमेन्ट इसके काबिल नहीं हो जाये......

श्री नत्थीसिंह : प्रेक्टिकल्ली सम्भव कैसे होगा यह सोचा है ? इलाके कौन-कौन से छांटे हैं उसके लिए आप को-ऑपरेटिव मिनिस्टर से पूछें।

श्री मथुरादास माथुर : आप इसके बारे में दिमाग साफ करना चाहते हैं तो मेरे चैम्बर में आयें।

माननीय उपाध्यक्ष जी, इसलिए क्रेडिट कॉरपोरेशन कोई को-ऑपरेटिव मूवमेन्ट को दफनाने के लिए संस्था बनी हो ऐसी बात नहीं है बल्कि उसको असिस्ट करने के लिए बनी है जब तक कि वह सक्षम नहीं हो जाये।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह को-ऑपरेटिव मूवमेन्ट को समाप्त करने के लिए बनाया जा रहा है।

श्री मथुरादास माथुर : बड़ो हुकम ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सोशियलिस्ट पार्टी के नेता समाजवाद-समाजवाद चिल्लाते हैं और मेरी इस समाजवाद में आस्था है या नहीं है इसके बारे में मैं नहीं कहना चाहता हूं, वह बहुत कह दिया है। समाजवाद के बीसियों बार कहने से समाजवाद नहीं आता। इसके लिए एक्टीविटीज जरूरी हैं, यह देखना चाहिये। अभी बजट स्पीचों की तकरीर में कहा गया कि मेरे बजट का रुख आम की तरफ नहीं है बल्कि कुछ बड़ों की तरफ है। अगर ऐसा है तो मैं कहूंगा कि बजट की कापी को फाड़ दें। मैंने जो प्रोग्राम लिया है वह इससे लिया है कि मेरे बजट का रुख आम की तरफ हो...

श्री रामचन्द्र आर्य : अब की से तो बोझ इसमें गरीबों पर आया है।

श्री मथुरादास माथुर : आपके समझ में अभी दो-तीन साल लगेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये और खास तौर से जो टैक्सेज का प्रपोजल का मैंने प्रावधान बनाया वह मैंने आपके सामने रखा। आपने जो कुछ भी कहा ठीक है। मैं आपकी तकरीरों को दो-तीन दिन से बड़े गौर से सुन रहा हूं और समझ रहा हूं लेकिन आपने कहा कि लोगों की एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स होना चाहिए, मुझे पता नहीं सोशलिस्ट पार्टी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को सपोर्ट करती है या नहीं...

श्री नत्थीसिंह : ग्रेडेड इनकम टैक्स।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष जी, राजस्थान के किसान चाहे गरीब हों या अमीर आज कोई भी एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स को नहीं चाहता। हमने यह एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स लगाया था और उसको विथड्रा भी किया था और उस समय यह एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स इसी सदन ने किया था और लगाया भी इसी सदन ने था और मेरा आपसे निवेदन है कि इधर आपने जब चाही पर कर लगा था तो यह दलील दी थी कि हमारे किसान पढ़े-लिखे नहीं हैं, पटवारी उसको खा जायेंगे और इधर एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स की बात करके जहां अकाउन्ट्स रखने पड़ेंगे, गुमाश्ते रखने पड़ेंगे तो यह आप करें कि कांग्रेस की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से खास तौर से सदन में कहना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मन्त्री जी ने नेशनल डवलपमेन्ट कौंसिल में कहा है, हमारे प्लानिंग कमीशन ने कहा था कि एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स लगना चाहिए। हम राजस्थान के अन्दर एग्रीकल्चर सेक्टर के अन्दर कोई सरप्लस नजर आया तो उसके ऊपर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं लगायेंगे यह हमारे कांग्रेस की नीति है।

श्री नत्थीसिंह : इसलिए अनार्थिक जोतों पर जरूर लगेगा, यही समाजवाद है आपका ?

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं अब दो-तीन बड़े मुद्दों की तरफ निवेदन करके फिर कर प्रस्तावों के बारे में आपसे निवेदन करूंगा।

(श्री मथुरादास माथुर)

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने अपना बजट प्रस्तुत करते हुए टर्नओवर का कहा और आक्ट्राय एबोलिशन का जिक्र किया था। इसके बारे में मैंने नम्र निवेदन किया था कि इस सम्बन्ध का मैं बिल भी इसी सदन में प्रस्तुत करूंगा कि म्युनिसिपैलिटीज को किस तरह पैसा दिया जायेगा उसका विवरण भी दिया था और सदन के अन्दर इसकी मिक्स्ड प्रतिक्रिया हुई है। ज्यादातर लोगों ने इसको एक बहुत ही सराहनीय कदम बताया है और कहा कि राजस्थान को इसका फक्र है कि राजस्थान यह पहला कदम उठा रहा है लेकिन साथ ही साथ कुछ लोगों ने इसके ऊपर लगने में कुछ शंकायें की और उनके दिमाग में यह शंकायें होना स्वाभाविक थी। रोड ट्रान्सपोर्ट टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी बैठी थी डा० केसकर के चेयरमैनशिप में 1967 में और उसकी रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट पर कई तरह के विचार लोगों के आये उन्होंने हिन्दुस्तान के अन्दर जो आज हिन्दुस्तान का कॉमर्स और इकोनामी डवलपमेन्ट में सबसे बड़ी हिन्डरेंस आती है तो यह आक्ट्राय आती है। यह उन्होंने कहा और सुझाव दिया था कि आक्ट्राय को एबोलिश कर देनी चाहिए और इसके ऊपर चिन्तन करके उन्होंने कई तरह के टैक्सेज के सुझाव दिए......

श्री भैरोंसिंह : इसके पहले टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन ने क्या कहा है ? आपने तो केसकर कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दे दिया लेकिन भारत सरकार ने टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन मुकर्रर किया था उसने क्या कहा था ?

श्री मथुरादास माथुर : उसकी रिपोर्ट उसके पहले आ चुकी थी। मेरे बाप-दादों ने क्या कहा उसको भूल जाओ और आज क्या जमाना कहता है उसको देखो।

केसकर ने क्या कहा अपनी रिपोर्ट में ? टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी बैठी थी उसका चिन्तन किया या नहीं लेकिन उनकी रिपोर्ट में यह रेफरेन्स था कि रोड ट्रान्सपोर्ट के जरिये से जो ट्रेड और कॉमर्स होता है वह कमजोर होता है। इसलिए उसने सुझाव दिया है। उन्होंने कई सुझाव दिये हैं उनका अध्ययन करके टर्नओवर टैक्स की बात की है। इसके बारे में शंका समाधान बहुत सा तो मैं अपने भाषण में ही कर चुका हूं, और मेरा निवेदन यह है कि जब बिल आयेगा आपके सामने तो चिन्तन करने का विस्तार से मौका मिलेगा। लेकिन एक बात साफ कर देना चाहता हूं। म्युनिसिपेलिटीज का, सियासी पार्टी चाहे कोई हो, हमारे देश के अन्दर एक स्थान रखा है। कोई भी पार्टी गांव या शहरों का विकास सब चाहती हैं। स्वायत्त शासन संस्थाओं को मजबूत बनाना चाहिए इसमें दो राय नहीं है। जो मैंने कहा है कि 69-70 में जो आमदनी हुई होगी या तीन वर्ष का एवरेज जो कुछ भी ऊंचा हो उतने की मैं गारन्टी करता हूं। एन्टरटेनमैंट टैक्स में गारन्टी नहीं थी...

श्री भैरोंसिंह : 67-68 को कहा है।

श्री मथुरादास माथुर : कोई भी फिगर पर समझौता कर लेंगे। उस पर हमेशा की आमदनी की गारन्टी कर देंगे। मैं यह कोई सरकार की आमदनी बढ़ाने के लिए बात नहीं कर रहा हूं वह अवाम के हित में है और म्युनिसिपैलिटीज के हित

(श्री मथुरादास माथुर)
में है । उसके साथ साथ म्युनिसिपैलिटीज की आमदनी भी बढ़ती जायेगी ज्यों-ज्यों टर्नओवर बढ़ेगा और उस पर टैक्सेशन वसूल किया जायगा । पहले अगर बढ़ाना चाहते थे तो आक्ट्राय के परफोरमैन्स पर बहुत जोर पड़ता था बदलने में । अब वह चीज भी नहीं होगी कि रोज रोज गल्ले में से निकाल कर ला रहे हैं । मैं उनको तीन महीने का एडवान्स दूंगा । हम उनको टैक्स देते रहेंगे और राजस्थान का विकास करते रहेंगे । इसमें म्युनिसिपैलिटीज को डरने की बात नहीं है । चाहे जनसंघ की म्युनिसिपैलिटी हो, चाहें सोशियलिस्ट पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की हो या दीगर पार्टी की हो । वे गांव और शहरों की सफाई रख कर जनता का स्वास्थ्य रखें । किसी पार्टी के इसमें दो प्रोग्राम नहीं हैं । और बातों में विरोध हो सकता है लेकिन गलियों की सफाई, सड़कों की सफाई और विकास के प्रोग्राम में फर्क नहीं है । यहां तो मिल कर चलें । समाजवाद से तो भैरोंसिंह जी और नत्थीसिंह जी निपट लेंगे और हम फैसला कर देंगे । मेरा विश्वास है कि इससे यह भ्रम निकल जायगा और फिर टर्नओवर टैक्स का बिल ला रहे हैं तो उससे और शंका समाधान हो जायगा ।

जब उपाध्यक्ष महोदय,·········

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : टर्नओवर टैक्स अन्तिम बिन्दु पर होगा या शुरूआत में ?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): बाद में बतायेंगे बिल आयेगा तब ।

श्री मथुरादास माथुर : आपके हित में करेंगे । बहुत कम लिया जायगा । बिल आ जायेगा तो उसको आप पसन्द करेंगे और आपसे वोट लेकर करेंगे (हंसी) ।

माननीय उपाध्यक्ष, बहुत ज्यादा कहा गया एम्पलायमेंट की बात को लेकर । एम्पलायमेंट, नौकरी । एम्पलायमेंट···

श्री नत्थीसिंह : एम्पलायमेंट नहीं रोजगार ।

श्री मथुरादास माथुर : यह बात ठीक है कि बेरोजगारी काफी फैली है, मगर आप आँकड़े देखिये और खास तौर से यह एज्यूकेटेड एम्पलायमेंट को बात जो कही गई है, इन्जीनियर्स की बात कही गई है । लास्ट ईयर जब बजट पेश किया गया था तो इसके बारे में विस्तृत सूची दी थी और सदन ने एप्लाज करके उसको रिसीव किया था । अभी कोटा से आने वाले माननीय सदस्य···

श्री भैरोंसिंह : क्या हुआ आपके प्रस्ताव का ?

श्री मथुरादास माथुर : लास्ट टाइम किया था उसका क्या हुआ तो प्लानिंग डिपार्टमेंट के अन्दर हमने एक रोस्ट्रम तैयार किया है । सब वहाँ पर रजिस्टर्ड होते हैं । जो कुछ परफारमैन्स···

श्री रामचन्द्र आर्य : नौकरी पर लगाने का रेट क्या रखा है सरकार ने ?

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष, रजिस्ट्रेशन सिविल ग्रेजुएट्स का 195 का हुआ था लास्ट ईयर जिसमें से 158 को नौकरी दी गई है । सिविल डिप्लोमा होल्डर्स 536 हुए थे

(श्री मथुरादास माथुर)

रजिस्टर्ड जिसमें से 398 को नौकरी दी गई। माइनिंग डिप्लोमा होल्डर्स 7 हुए थे उनको 4 को नौकरी दी गई। मैकेनिकल ग्रेजुएट्स 13 हुए थे जिनमें से 7 को नौकरी दी गई।

श्री भैरोंसिंह : किस पोस्ट पर ?

श्री मथुरादास माथुर : असिस्टेन्ट इन्जीनियर्स, जूनियर इन्जीनियर्स।

श्री भैरोंसिंह : ओवरसियर्स ?

श्री मथुरादास माथुर : ओवरसियर्स तो डिप्लोमा होल्डर्स हैं। जूनियर इन्जीनियर्स और उसके बाद में प्रोमोशन में। नार्मल स्टेज में देते हैं वही किया गया है।

यह भी कहा गया था, मेरे ख्याल से कोटा से आने वाल माननीय सदस्य ने कहा था, इसलिए आंकड़े उनके सामने रख दूं कि मैंने और भी कई योजनाएं इस सम्बन्ध में रखी थी उसमें हमारा एक दृष्टिकोण और भी था कि हमारे यहां नौकरी पावर ओरियेन्टेड होती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक स्कीम निकाली थी लोन देने की। उसको हमने सर्क्यूलेट किया और उनसे कहा कि आप लोग एक कोऑपरेटिव सोसायटी बना लें और छोटे छोटे कारखाने खोलें तो में उनको लोन दिलाऊंगा इन्जीनियर्स राजस्थान में कोई इन्डिपेन्डेन्ट धन्धा करने के लिए खड़ा नहीं होता है ....

श्री रामचन्द्र आर्य : दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते तो बूढ़े हो गये बेचारे मगर नहीं मिली।

श्री मथुरादास माथुर : आप बोलते हैं तो मुझे उत्साह दिलाते हैं।

मैंने कई सुझाव रखे थे और उन सुझावों का पूरा फायदा हमारे टेक्निकल ग्रेजुएट्स और ओवरसियर्स ने नहीं उठाया और सारे नौकरी पर जाने के लिए भीड़ लगा रहे थे। वैसे तो राज्य सरकार इस डेमोक्रेसी में आम-अवाम की सबसे बड़ी संस्था है नौकरी देने के लिऐ, राज्य सरकार ही एक एम्पलायमेंट का साधन है। प्राईवेट सेक्टर के अन्दर, को-ऑपरेटिव सेक्टर के अन्दर मिलना चाहिये। मिहनत करके उनको कमाना चाहिये। मुझे खेद है कि यह नहीं हो रहा है। इसलिए यह दिन प्रति दिन बढ़ता जाता है।

में निवेदन करूंगा...

श्री भैरोंसिंह : आपने स्टेप्स क्या लिये हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : स्टेप्स लास्ट ईयर मैंने दो पेज में पढ़े थे। जो नौकरी पर लिऐ गये हैं उनका मैंने बता दिया है। बाकी को नहीं लिया है। वे कहते हैं कि हमें असिस्टेंट इन्जीनियर बना दो और यहाँ जयपुर में पोस्ट करो। मैं कहता हूं कि वर्कशाप खोलो। यहां पर ट्रैक्टर्स इतने होगये हैं कि उनके मैन्टीनैन्स का खर्चा बढ़ रहा है। नागौर में ट्रेक्टर्स बढ़ रहे हैं। नागौर में अगर कोई ट्रेक्टर खराब हो जाता है तो वे जोधपुर जाते हैं। आपको मैं लोन देता हूं, स्टेट बैंक लोन देता है उससे वर्कशाप बनाओ सब कुछ करने को तैयार हैं मगर वे तैयार नहीं है। सभी अच्छे आफिसर बन कर यहां पर आना चाहते हैं। अभी यह साइकोलाजी चल

(श्री मथुरादास माथुर)

रही है। आज किसान का बेटा एग्रीकल्चर ग्रेजुएट बनने के बाद बड़ा फार्म होगा तो भी वहां पर बैठ कर उत्पादन करने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन स्टेट में एग्रीकल्चर ऑफिसर बनने की कोशिश करेगा। वह एम. एल. ए., मिनिस्टर बन जाय यह बात तो समझ में आती है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह साइकोलाजी तो आप कन्सट्रक्ट कर रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : आप बैठिये। आपकी पार्टी का सुपर स्ट्रकचर तो सामन्ती है। सामन्ती शासन से यह परम्परा हमारे राज्य के अन्दर चली आ रही है जिसकी वजह से लोग बराबर नौकरी की तरफ, ओहदों की तरफ और पावर की तरफ लोगों की निगाह रही है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : हमारी तो विचारधारा ही है लेकिन आप तो सामन्त बने बैठे हो।

श्री मथुरादास माथुर : हम सत्ता में बैठे हुए हैं तो जनता के वोटों से। (श्री भैरोंसिंह के बोलने पर) हां दोनों 52 से बराबर इन्हीं सीटों पर बैठते आ रहे हैं। आप वहां पर बैठे हैं और मैं यहां पर हूं। मैं कुर्सी साफ करके रखता हूं लेकिन आप वहीं के वहीं हैं और मैं यहीं हूं।

एक माननीय सदस्य : राज्य तो रावण का भी नहीं रहा था।

श्री मथुरादास माथुर : आप तो अब आये हैं। आपको पता लगेगा। बड़े बोल तो भगवान न बुलाये। मैं नहीं कहना चाहता लेकिन आप जानते हैं कि हम तो आगे भी आने वाले हैं लेकिन यह टीम तो यों की यों ही वहीं बैठी रहती दीखती है।

अब जो माननीय सदस्यों ने इन दो-तीन दिनों के अन्दर जो विचार रखे किसानों के लिए। मैंने उन सब विचारों को सुना, माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार की नीति किसान विरोधी नहीं हैं। 18 वर्ष की तवारीख हमारी साक्षी है। मेरे कहने पर ज्यादा वजन न करें लेकिन उस तवारीख को पढ़ें और चिन्तन करें। हमारे किसानों ने कभी यह नहीं कहा था। बड़ी से बड़ी कुर्बानी की है। यह उनकी क्षमता है और वह भी देश के विकास के एक अंग बने। जितनी क्षमता है, वह होनी चाहिये। एक सुझाव आया है, दो-चार इन्डस्ट्रीज हैं, इलेक्ट्रिक जिसमें रा मैटिरियल है, यह भी मानने की बात नहीं है कि उनको बिजली भी न दी जाए। कारखाने चलाये जायेंगे। आज कोटा में इतनी इन्डस्ट्रीज चल रही हैं। 100 करोड़ की इन्डस्ट्रीज वहाँ लगी हुई हैं। जब हम जाकर कुछ कोशिश करते हैं तो भारत का संविधान या सेन्ट्रल लॉज आड़े आ जाते हैं। सेल टैक्स आड़े आ जाता है। हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने खास तौर से अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो खासतौर से उनकी पार्टी की नीति है, भारत सरकार को कोसना उनका परम धर्म है हो गया है। मैं कहना चाहूंगा कि केन्द्र को कमजोर करने की कोशिश मत कीजिए। नहीं तो जो जम्हूरियत का ढाँचा है, वह बद से बदतर

(श्री मथुरादास माथुर)

हो जाएगा। वही पुराना जमाना हो जाएगा आज हम लोग हुकूमतें चलाते हैं, हमारी जवाबदारी आमोअवाम के लिए ज्यादा है बनिस्पत केन्द्र के। फाइनेन्स कमीशन हमको बहुत अच्छी तरह से योजना में मदद करता है। लेकिन जैसा कि हमने नतीजों का अन्दाजा लगाया था जितनी रेस्पौंसिबिलिटी होगी उससे कई गुना ज्यादा हो गयी है। आज के दिन हमारे पास क्या है? या तो सैल टैक्स या एग्रीकल्चर लैण्ड टैक्स। एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स के नाम पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने हमारे ऊपर भी हमला बोल दिया। जो हमारे एग्रीकल्चरल फार्म्स हैं। हमारी राज्य सरकार की यह राय थी कि इस पर टैक्स नहीं लगाना चाहिये यह स्टेट की स्कीम है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लिमिट में झुकना पड़ता है। इकानामिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए पैसे की जरूरत है। और भी क्षेत्रों में पैसा देना पड़ता है। लिमिटेड सोर्सेज के अन्दर हम बराबर राजस्थान के विकास की गाड़ी चलाते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप चले जायेंगे तो क्या होगा ?

श्री मथुरादास माथुर : हम चले जायेंगे तो बहुत सी विधवाएं बैठी रोयेंगी ?

श्री बालसिंह सोढ़ा : बहुत सी कहाँ एक है।

श्री नत्थीसिंह : यह तो मन्जूर करते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : अब मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि इस भूमिका के साथ में, इस जवाबदारी को आप भी समझें, आप भी अदा करें और आपके सहयोग से हम भी अदा करें। मैंने प्रस्ताव आपके सामने रखा था। अब वह ढला हुआ प्रस्ताव आपके सामने पेश कर रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, सरचार्ज और लैण्ड रेवेन्यू, यह पहले से ही लगता था। 75 रुपये से ज्यादा कुछ हमारे स्लैब्स में था। उन पर सरचार्ज लग रहा था। अब मैंने इस वक्त 50 रुपये से लगाना शुरू किया है। यानी एक स्लैब नीचे आया है। मेरी यह धारणा थी कि 50 रुपये वाला माननीय सदस्यों ने समझ नहीं पाया था। 10 एकड़ वाले पर चाहे जितना भी कर लगता हो, 100 रुपये भी लैण्ड रेवेन्यू हो उसको मैंने माफ कर दिया था। फिर चाही कैलकुलेट करते वक्त एक तिहाई कर दिया था। इसलिए चाही इलाके वाले को और डेजर्ट इलाके वाले को ध्यान में रखते हुए यह दो बातें एंव 10 एकड़ और एक तिहाइ रखी गयी थी। उसके बाद 50 पर आया। लेकिन माननीय सदस्यों की राय सुन कर मुझे लगा है कि 50 वाला क्लेम बन नहीं पाया है। इसलिए मैं सोचता हूं कि 75 ही रखा जाये।

श्री नथीसिंह : रेट क्या है ?

श्री मथुरादास माथुर : रेट क्या होगी माननीय उपाध्यक्ष जी, रेट उसी प्रकार होगी। अप टू 75 रुपीज कुछ नहीं। 75 से 100 रुपये तक 50 पैसे। 100 से 150 तक 75 पैसा। 150 से अधिक

(श्री मथुरादास माथुर)
पर सेन्ट परसेन्ट। और सीलिंग के ऊपर 150 प्र० श० सरचार्ज।

श्री मनोहरसिंह मेहता : बहुत बड़ा फायदा हो गया।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष जी, अब दूसरा जो मैंने प्रावधान रखा था वह कॉमर्शियल क्रॉप के सम्बन्ध में था। आज जो जमीन कॉमर्शियल क्रॉप पैदा करती है। उस जमीन पर टैक्स लगाया था। उसके ऊपर भी माननीय सदस्यों के विचार सुने। और कई डिफीकल्टीज माननीय सदस्यों ने बताई। इसलिए अब उस पर दुबारा चिन्तन करने के बाद जो मेरा प्रस्ताव है, वह इस प्रकार है। यह टैक्स जो कॉमर्शियल क्रॉप्स की लिस्ट में आ चुकी है उन पर, अन-इर्रीगेटेड लैण्ड के ऊपर सैस नहीं लूंगा। इर्रीगेटेड लैण्ड पर जो कॉमर्शियल क्रॉप की सिंचाई होगी उस लैंड की एक एकड़ तक को मैं एग्जम्प्ट करता हूं।

श्री नत्थीसिंह : एक एकड़ क्या मतलब? भुलावा क्यों दे रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष जी, जहां तक सैल्स टैक्स का सम्बन्ध है मैं अभी सिवाय एक दो छोटी बातों के सभी पर निर्णय पूरा नहीं ले सका हूं। और इसके लिए जो बिल मैंने सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है, उस बिल पर सदन में चर्चा होगी तभी जो कुछ करना होगा, वह मैं करूंगा। मगर एक डिनेचर्ड स्प्रिट जो पोलिश के काम, डिस्पेंसरीज के काम, लेबोरेटरीज और स्टोव के काफी काम आती है, वह जो हमारा हमारा शिड्यूल है उसके अन्दर फारिन लिकर, बीयर और व्हिस्की के साथ वह जुड़ गयी है। इसलिए जो फारन लिकर पर कर 15 पर सेन्ट का 25 पर सेन्ट हो गया था हमारी यह भावना नहीं है। यह कर जो फारन लिकर इस्तेमाल करते है, उन पर है। डिनेचर्ड स्प्रिट पर……

श्री भैरोंसिह : रिलीफ नहीं दे रहे है। गलती दुरुस्त कर रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : इसलिए मैं डिनेचर स्प्रिट पर 25 पर्सेन्ट से घटा कर 15 पर्सेन्ट करता हूं। और बाकी कुछ मुद्दे ऐसे हैं…

श्री नत्थीसिंह : रोटी वाला?

श्री भगवानदास शास्त्री : एक मिनिट …

श्री मथुरादास माथुर : रोटी पर टैक्स नहीं लगता है, डबल रोटी पर लगता है। दो पर्सेन्ट टैक्स रोटी पर नहीं है। रोटी पर टैक्स कैसे है, और यह पहले से है, आप समझ लें, किसी रेस्ट्रां के अन्दर जाकर आप वहां पर खाना खायें, खाने में रोटी भी आ सकती है, नान भी आ सकती है, नान-वेजीटेरिनीयन खाना भी हो सकता है, और भी कुछ आ सकता है, आइसक्रीम आ सकती है—उन सब पर पहले से ही टैक्स लगता है। पूरी होटल का जो टर्न ओवर है उस पर पहले टैक्स से लगता आया है। हलवाइयों पर टर्न ओवर पर नहीं लगता था। इसलिए मैंने कहा, यहां पर जो बात हुई, उनको मैंने सबने खूब सुना है, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य हैं और जयपुर से आने वाले मुखिया जी हैं उनको भांग पीने के बाद मिठाई खाने की आवश्यकता होती है। सबने यही कहा है। तो जब मैं बिल

(श्री मथुरादास माथुर)

लाऊंगा, उस वक्त सदन में पूरा दिमाग बना कर आऊंगा, और उस वक्त इस पर चर्चा करके फैसला करेंगे। आज इतना ही कहना अच्छा होगा। लेकिन इसको आप एस्योरेन्स कमेटी का विषय नहीं समझ लें, मामला विचाराधीन है—उन लफ्जों पर नहीं, मैं यह कह रहा हूं कि उस वक्त इसके ऊपर विचार बिल के साथ में हो सकता है, इस वक्त नहीं हो सकता।

बाकी एक निवेदन और करना चाहता हूं। लैदर क्लाथ एण्ड काटन फेब्रिक्स यूज्ड फार बुक बाइन्डिंग, जो किताब बनाने के काम आता है, उसका नये शिड्यूल में सात परसेंट हो गया था। यह बच्चों की किताबों पर जिल्दसाजी के काम आता है, यह छोटी चीज है इसलिए यह सात परसेंट का टैक्स में विथड्रा करता हूं।

बाकी कुछ केक्स, आइल केक्स हैं, यह अनेक काम में लेते हैं, कैटल फीड के लिए। यह सब बातें विचाराधीन हैं और बिल के साथ इन पर विचार किया जाय। बिल पर विचार करते वक्त इस पर मैं विचार करूंगा।

श्री भगवानदास शास्त्री : मैडीसन !

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं·····

श्री भगवानदास शास्त्री : मैडीसन के लिए कुछ कह दें। दवाइयों के लिए।

श्री मथुरादास माथुर : मैडीसन के लिए बजट भाषण में कोई तकरीर नहीं की थी, इसलिए इसका प्रश्न पैदा नहीं होता है। मैडीसन पर जो टैक्स लगता आ रहा है वही लगेगा।

मैं अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कह देना चाहता हूं। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के माननीय सदस्यों ने मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि हम लोगों को जो भारत सरकार से पोस्ट मैट्रिकुलेशन स्कालरशिप मिलती है उसमें 40 रुपये मौजूदा स्कालरशिप देने का फैसला किया था, खास तौर से जो स्कूल होस्टल और कॉलेज होस्टल में रहते हैं उनके लिए फर्स्ट और सैकिंड डिवीजन के लिए किया था, थर्ड डिवीजन को नहीं दे रहे थे। अब मैं कह रहा हूं कि जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लड़के हैं, फर्स्ट डिवीजन हों, सैकिंड डिवीजन हों, थर्ड डिवीजन हों, जो होस्टल में रहते हैं और होस्टल में जगह नहीं हो तो जो स्कूल और कॉलेज के द्वारा किराये पर लेकर होस्टल में रखे जाते हैं उनमें रहते हैं—उन सब लोगों को चालीस रुपये वाली स्कालरशिप दूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि मेरे इन अमैंडेड रिजोल्यूशन के बाद में सदस्य, माननीय सदस्य काफी संतुष्ट हुए होंगे। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने···

श्री डूंगाराम राजोरिया : एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं···

श्री मथुरादास माथुर : अब कोई प्रश्न रह गया हो तो बाद में बात करेंगे।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मैंने चमड़े के बारे में निवेदन किया था। उसके बारे में···

श्री मथुरादास माथुर : चमड़े के बारे में विचाराधीन है । विचार कर रहा हूं···

श्री डूंगाराम राजोरिया : एक निवेदन यह है···

श्री मनोहरसिंह मेहता : एक छोटा सा प्रश्न मुझे भी पूछना है ···

श्री मथुरादास माथुर : पहले मुझे कन्क्लूड तो करने दें ।

श्री उपाध्यक्ष : बाद में पूछ लीजिये ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : चमड़े के ऊपर से टैक्स हटा दिया जाय । मैं कहूंगा जैसे किसानों के बारे में सरकार सोचती है कि किसानों को इन्कम टैक्स से हिसाब देने में दिक्कत होती है और उन्हें तीस हजार तक छूट दे रखी है, उसी तरह से शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के आदमी हिसाब नहीं रख सकते । इसलिए आप चमड़े के ऊपर टैक्स के बारे में विचार अच्छी तरह से करें ।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं अंत में माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने जो कुछ भी करों के यह प्रावधान रखे हैं, उन पर आप गौर करें तो मालूम होगा कि मैंने इस बात की कोशिश की है कि छोटे और मध्यम वर्ग के लोगों पर करों का भार कम पड़े । यह समाजवादी रुख मैंने अपनाया है । अब समाजवाद सिर्फ बड़े बड़े नेताओं के नाम लेने से ही नहीं आ जाता है । मैंने सेल्स टैक्स के अन्दर तीस हजार के टर्न ओवर वाले को सेल्स टैक्स से मुक्त कर दिया है । इस दृष्टि से यह किया है कि जो छोटे छोटे व्यापारी हैं जो पटरी पर बैठ कर या बाजार में किसी कौने में बैठ कर अपना धन्धा करके जिन्दगी का निर्वाह करते हैं उनको कर भार से बचाना चाहिए । इधर जो 75 लैण्ड रेवेन्यू देते हैं उनको सरचार्ज से निकालने की कोशिश की है । इरिगेटेड लैण्ड, जहां कॉमर्शियल क्राप, पता नहीं होगी या नहीं, उसको निकालने की कोशिश की है, एक एकड़ पर कॉमर्शियल क्राप, जिस पर गन्ना करें, कुछ भी करें, उस को निकालने की कोशिश की है । यह इस बात का द्योतक है कि समाजवादी रुख अपनाया है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो साढ़े पांच करोड़ मैंने रिसोंसिज के रूप में लिये हैं उन्हें इन टैक्स और नान टैक्स दोनों में ही इसका बंटवारा किया है और इसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज का ज्यादा विचार किया है । ठीक है, इस वर्ष गाँधी शताब्दी है । लेकिन जब गांधी शताब्दी नहीं थी, 1964-65, 1965-66 के अन्दर हमने हैड लोड की प्रथा को हटाने के लिए म्युनिसिपैलिटीज को ग्रान्ट दी है व्हील बेरोज खरीदने के लिए, लेकिन कुछ ने उसका उपयोग किया और कुछ ने उसका उपयोग नहीं किया है । इसलिए इस प्रश्न पर गांधी शताब्दी का सवाल पैदा नहीं होगा और न पैदा होता है । इस तबके की हालत को सुधारने के लिए चिन्तन जो किया जाना चाहिए वह हम बराबर करते आ रहे हैं, और गांधी जी की विचारधारा पर चलते हुए इस गरीब तबके को ऊंचा उठाने के लिए सरकार काम करती रही है और इसकी सराहना होनी चाहिए । लेकिन कई माननीय सदस्यों ने कहा कि गांधी जी के नाम का मखौल करते हैं, कइयों ने कहा कि नये गांधी जी हो गये हैं । यह भी कहा कि गांधी शताब्दी के दिनों में शराब पिलाई जा रही है । मैं निवेदन

(श्री मथुरादास माथुर)

करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार वह सरकार है जिसने पिछले चुनावों के बाद में प्राहिबिशन की ओर सक्रिय कदम उठाया है। इससे आप इन्कार नहीं कर सकते।

श्री मनोहरसिंह मेहता : इसके लिए आपको बधाई देते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : जिस समय आल इंडिया चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेन्स में इस पर चर्चा हुई थी और इस के सम्बन्ध में एक फार्मूला बना था उस वक्त हमारे मुख्य मंत्री जी ने इस बात को कहा था कि चार वर्ष में हम पूरा प्राहिबिशन कर देंगे, भले ही और किसी प्रान्त के अन्दर करें या नहीं। फिर भी गांधी जी के नाम पर हम को कहा जाता है······

श्री नत्थीसिंह : मद्रास में तो कांग्रेस की सरकार नहीं थी, उसने पूरा प्राहिबिशन किया है, आप तो गांधी जी के चेले बनते हो।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री मथुरादास माथुर : यह समाजवादी और साम्यवादी मित्र बतायें कि केरल में वह कैसा प्राहिबिशन कर रहे हैं ? यह आप वहां जाकर देखें। मैं पूछना चाहता हूं कि यू. पी. में पूरा प्राहिबिशन करने के लिए आपके मिनिस्टरों ने क्या किया था? राजस्थान की सरकार हिन्दुस्तान में वह सरकार है जो प्राहिबिशन में पहल कर रही है। माननीय उपाध्यक्ष जी, यह कह देना कि गांधी जी के ढ़ोल पीट-पीट कर घूमते रहते हैं उचित नहीं हैं। ढ़ोल पीटने का सवाल नहीं है। जब तक हमारा कम्प्लीट प्राहिबिशन का उद्देश्य है वह पूरा नहीं होगा तब तक रेवेन्यू को पूरा करेंगे और जरूर पूरा करेंगे लेकिन वह सदन को कोन्फीडैन्स में लेकर करेंगे। इस साल शराब की दुकानें सप्ताह में दो दिन बन्द की हैं, अगले साल दो दिन से चार दिन बन्द होंगी और तीसरे साल सप्ताह में छः दिन होंगी और जब हम पूरे सात दिन तक पहुंच जायेंगे तो मैं आपको कहता हूं कि राजस्थान में एक भी ड्राप शराब नहीं बेचने दी जायगी। मैं इसकी जवाबदारी लेता हूं। लेकिन जब तक कम्प्लीट प्राहिबिशन नहीं हो, तब तक एक तरफ आप स्कूल मांगते हैं, अस्पताल मांगते हैं और दूसरे भी विकास के काम करते हैं वह करें और इधर प्राहिबिशन भी करें यह दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते है। तो जो यह कहा जाता है कि गांधी जी के नाम पर ढोल पीटा जाता है, तो गांधी जी के नाम की ठेकेदारी केवल हमारी ही नहीं है। यह एक चिन्तन है, एक दृष्टिकोण है जिससे इस देश के लोगों को, गरीबों को ऊंचा उठा रहे हैं और हम इस काम को पूरा करेंगे।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि हैड लोड की प्रथा को दूर करने के लिए, हरिजनों के मकान बनाने के लिए और शिड्यूल्ड कास्ट्स एरिया के अन्दर जहां सिंचाई के साधन कम हैं और जो फेमीन में ग्रस्त हैं वहां फेमीन से राहत देने के लिए हमने पच्चीस लाख स्पेशल रूप से रखे हैं। फिर भी अगर आप यह कहें कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की ओर राज्य सरकार का ध्यान नहीं है, तो मेरा निवेदन है कि आप मेरे बजट-भाषण को आँख खोल कर पढें, पूरा पढें और उस पर चिन्तन करें आप इस भावना से न पढें कि यह बजट भाषण एक कांग्रेसमैन का है, बल्कि इस भावना से पढ़ें कि आपके साथ इस सदन

(श्री मथुरादास माथुर)

में एक साथी बैठता है, उसका यह बजट भाषण लिखा हुआ है, यह सरकार के चिन्तन पर आधारित है। लेकिन बजट भाषण को न पढ़ा जाता है और न उस पर चिन्तन किया जाता है और यहां कह दिया जाता है तो यह मतलब नहीं है कि बजट भाषण में कुछ नहीं है। इस बजट में समझने वाले के लिये सब कुछ है और नहीं समझने वाले के लिए कुछ भी नहीं है। अन्त में मैं माननीय सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। आप मुझे हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं और जो बजट बना कर आपके सामने पेश किया है, उसके उपर आपने जो सुझाव दिये हैं उनके लिये भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

(6 म. प.)

श्री भगवानदास शास्त्री : एक प्रश्न वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, मिठाई आदि पर कर लगाने का बिल अन्डर कन्सिड्रेशन है तो क्या मंत्री महोदय सब जिलों में आदेश भेजेंगे कि, जब तक बिल पास नहीं हो जाय तब तक मिठाई पर अधिक कर वसूल नहीं करें ?

श्री मथुरादास माथुर : भैरोंसिंह जी, आप शास्त्री जी को समझा दें, यह बिल तो जब मैंने भाषण दिया तभी से चालू हो जाता है, रात को बारह बजे दिया गया हो तो उसी समय से लागू हो जाता है इसमें मैं क्या कर सकता हूं?

श्री भगवानदास शास्त्री : मिठाई से सम्बन्धित कोई दुकानदार, हलवाई से अधिक पेमेंट नहीं ले, इस प्रकार का आदेश तो आपको जिलों में भेजना चाहिये जब तक कि बिल कन्सिड्रेशन में है।

श्री मथुरादास माथुर : फाइनेन्स बिल टैक्स का होता है, वह सदन में इन्ट्रोड्यूस करते ही चालू हो जाता है, बिल आयेगा, अमेंडमेंट होगा तभी हट सकता है।

श्री भगवानदास शास्त्री : उससे पहले व्यापारी से मांग नहीं कर सकते। अमेंडमेंट स्वीकार हो जाने पर क्या उनको सरकार रिफन्ड करेगी, रिफन्ड देंगे हमको ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : फिफ्थ फाइनेन्स कमीशन को राजस्थान सरकार ने मेमोरेन्डम पेश किया है और उसमें 25 करोड़ की विशेष सहायता के लिये ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के लिये डिमाँड किया है तो क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में 25 करोड़ खर्च किया जायगा ?

श्री मथुरादास माथुर : 25 करोड़ का प्रावधान रूरल एरिया के लिये ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करने के लिये, जिसमें ट्यूब वैल्स, कुए पंम्पिग सैट्स सभी आ जाते हैं, 25 करोड़ फाइनेन्स कमीशन से हमने मांगा है, वह नहीं देगा तो भी यह प्रावधान कायम रहेगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : राजस्थान उन राज्यों में प्रोहिबिशन में सबसे आगे बढ़ा है इसके लिये बधाई देता हूं, पर जो लोटरी चालू की है, जिसका सभी माननीय सदस्यों ने विरोध किया है, उसके लिये आपने कुछ नहीं कहा।

श्री मथुरादास माथुर : बहुत से माननीय सदस्यों ने टिकट खरीदे हैं, वे जीतेंगे तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : माननीय सदस्यों को श्रम से हटा कर लोभ पर लगा दिया क्या यह अच्छा काम किया है ?

Page No. 133

श्री उपाध्यक्ष : श्री फूलचन्द बाफना ।

श्री फूलचन्द बाफना : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने भंग पर टैक्स लगाया है फिर गांजा और चरस को क्यों छोड़ दिया है, उस पर टैक्स क्यों नहीं लगाते ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : ट्यूब वैल्स कायम किये हैं, उनसे पीने के पानी के साथ साथ क्या चारा उगाने की भी योजना है ?

श्री मथुरादास माथुर : मेरा बजट भाषण पढ़ लीजिये, उसमें सब है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अभी ट्यूब वैल्स चल रहे हैं, उनसे पीने के पानी के साथ साथ चारा उगाने के लिए क्या व्यवस्था है ?

श्री मथुरादास माथुर : बजट भाषण पढ़ लीजिये ।

श्री फूलचन्द बाफना : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया । भंग पर टैक्स लगाया है, गांजा और चरस को क्यों छोड़ दिया है ?

श्री मथुरादास माथुर : यह गलती से भूल रह गई, इस पर फिर सोचूंगा ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं । सीलिंग के बारे में राजस्थान सरकार ने 7-6-68 को विज्ञप्ति निकाली थी कि सीलिंग का इम्प्लीमेन्टेशन 90 स्टेन्डर्ड एकड़ पर हो जायगा, अभी तक वह क्यों नहीं किया है, राज्य सरकार की इस सम्बन्ध में क्या नीति है ?

श्री मथुरादास माथुर : यह रेवेन्यू की डिमाण्ड पर रेवेन्यू मिनिस्टर साहब बतायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही 17 मार्च के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 6.3 पर दिनांक 17-3-69, सोमवार के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न सं० 167 की सूची)

पंचायत समिति, मनोहरथाना के ट्रैक्टर से आय-व्यय हुई व हानि की सूची

वर्ष	आय	व्यय
1966-67	539.03	2700.91
1967-68	5444.29	6592.56
1968-69	921.00	4802.68
योग:	6904.32	14096.15

इस प्रकार हानि 7,191.83 पैसे रहीं।

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न सं. 179 की सूची)

फहरिश्त जायदाद (अचल सम्पत्ति) धर्मादा गोपालपुरा ट्रस्ट झालरापाटन दिनांक 27-2-66 को दी गई फहरिश्त के आधार पर।

क्र०सं०	नाम जायदाद	किरायेदार का नाम	माहवारी किराया	वार्षिक किराया	कीमत अचल सम्पत्ति अनुमानित
1	2	3	4	5	6
दुकान चोपड़या बाजार—					
1.	दुकान नं० 1	कल्याणमल जी मंत्री	5.00	60.00	8000.00
2.	दुकान नं० 2	किस्तूरचन्द जी चौपड़ा	3.00	36.00	3000.00
3.	दुकान नं० 3	कन्हैयालाल जी तम्बोली	6.50	78.00	2000.00
4.	दुकान नं० 4	नन्नू जी स्वर्णकार	4.50	54.00	2000.00
5.	दुकान नं० 5	रामकिशन जी मूंदड़ा	6.00	72.00	4000.00
6.	दुकान नं० 6	राजमल जी दलाल	5.00	60.00	8000.00
दुकान लंका गेट—					
7.	दुकान नं० 1	माँगीलाल जी तम्बोली	1.25	15.00	1500.00
8.	दुकान नं० 2	कम्पा रमजानी पिंजारा	1.00	12.00	1500.00
9.	दुकान नं० 3	कम्पा घूलजी पिंजारा	1.00	12.00	1500.00
10.	दुकान नं० 4	नब्बा लुहार	1.00	12.00	1500.00
11.	दुकान नं० 5	अब्दुल्ला लुहार	3.25	39.00	3000.00
दुकान सर्राफा बाजार—					
12.	दुकान नं० 1	चांदमल जी बागड़िया	6.00	72.00	5000.00
			43.50	522.00	41000.00

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न सं० 180 की सूची)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Appointments (A-III) Department

ORDER

No. F. 1 (113) Apptts. (A—III) / 66, Dt. Jaipur, the 23rd Sept., 1967.

Charge sheets alleging gross negligence on the purchase of plastic pipes were served upon the following officers and their explanations were called vide this department Memo. of even number, dated 12-12-1966:—

1. Shri M. P. Sarathi, Agricultural Engineer-cum-Secretary, Rajasthan Agriculture Engg. Board, Jhotwara, Jaipur.

2. Shri V. Pratap, Executive Engineer (Res.), R.A.E.B., Jhotwara, Jaipur.

3. Shri A.Q. Khan, Asstt. Engineer, R.A.E.B., Jhotwara, Jaipur.

4. Shri V.S. Shekhawat, Executive Engineer. R.A.E.B., Jhotwara. Jaipur.

5. Shri B.N. Maheshwari, Executive Engineer., R.A.E.B., Jhotwara, Jaipur.

The replies received from these officers were considered and found satisfactorily. Government have, therefore, been pleased to order that the case be closed against all of them.

By Order,
Sd/.
(N.N.VERMA)
Deputy Secretary to Govt.

No. F. 1 (113) Apptts. (A-III)/66, Dt. Jaipur, the 23rd Sept., 1967.

Copy forwarded to:—

1. The Secretary to Govt. in Agriculture Deptt.
2. The Director of Agriculture, Raj., Jaipur.
3. The Dy. Inspector-General of Police, Anti-Corruption Deptt., Rajasthan Jaipur.
4. The Secy., Raj. Agril. Engg. Board, Jhotwara, Jaipur-6. Two files regarding purchase of polythene pipe in the Agri. Workshop are sent herewith. Its receipt may kindly be acknowledged.
5. Shri M.P. Sarathi, Agril. Engr.-cum-Secy., R. A. E. B., Jhotwara, Jaipur.
6. Shri V. Pratap, XEN (Res.).
7. ,, A.Q. Khan, AEN.
8. ,, V.S. Shekawat, XEN.
9. ,, B.N. Maheshwari, XEN.

Sd/-

Deputy Secretary to Govt.

परिशिष्ट 4

[समयाभाव के कारण समय में न लिए जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर]

ग्राम इन्दरोली के मोड़ पर पुलिस चौकी

189. श्री मजलिस खां (कामां) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है की डीग-पहाड़ी रोड़ के ग्राम इन्दरोली मोड़ पर सन् 1947 तक पुलिस चौकी थी और बाद में हटाई गई है ? यदि हां, तो कब से हटाई गई ?

(2) क्या यह भी सही हैं कि उक्त मोड़ की चौकी पहाड़ों, जंगलों और उबड़-खाबड़ स्थानों को दृष्टि में रखते हुए राहगीरों की सुरक्षा हेतु स्थापित की गई थी ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त मोड़ की चौकी उत्तर प्रदेश की सीमा से लगती हुई है ? और क्या यह भी सही है कि इस सीमा से ब्लैक भी काफी चलता आया है ?

(4) क्या यह सही है कि जब तक उक्त मोड़ पर चौकी कायम थी तब तक इस बीहड़ में लूट खसोट और राहगीरों की मार-पीट की घटना नहीं घटती थी ? और क्या यह भी सही है कि चौकी हट जाने के बाद से घाटा कामां के बीच टेलीफोन तक काटे जाने की वारदातें घटी हैं ? यदि हां, तो कितनी बार और किस किस साल में कितनी कितनी ?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त वारदातों के कारण पुलिस स्टॉफ कामां थाना और स्पेशल स्टाफ की भी गश्ती ड्यूटी लगाई गई थी ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि फिर भी टेलीफोन के तार कटे ?

(6) क्या यह भी सही है कि उक्त चौकी की पुरानी और पुख्ता बिल्डिंग और पक्का कुवां आज भी सही हालत में मौजूद हैं ? यदि हां, तो विभाग की ओर से उक्त सम्पत्ति की सुरक्षा तथा उपयोग के बारे में क्या व्यवस्था है ?

(7) क्या राज्य सरकार उक्त स्थान के महत्व को देखते हुए पुनः पुलिस चौकी कायम करने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। सन् 1947 से हटाया जाना मालूम हुआ है।

(2) उस समय देशी रियासतें थीं और प्रत्येक रियासत की अलग अलग सीमायें निर्धारित थीं। अतः उस समय ग्राम इन्दरोली मोड़ पर पुलिस चौकी की आवश्यकता रही होगी।

(3) चौकी सीमा से लगती हुई है। किन्तु ब्लैक के लिए इस मार्ग के उपयोग के विषय में निश्चित कुछ नहीं कहा जा सकता हैं।

(4) भूतपूर्व रियासत के समय इस चौकी की उपयोगिता के बारे में कोई जानकारी नहीं है। चौकी हटने के बाद अब तक केवल 10 केसेज टेलीफोन के तार काटने के हुए हैं, जिनमें 1967 में 7 और 1968 में 3 वारदातें हुई हैं।

(गृह मंत्री)

(5) यह सही है कि उक्त वारदातों के कारण पुलिस स्टॉफ कामां थाना को गश्ती ड्यूटी पर लगाया गया, इसके फलस्वरूप 1968 में टेलीफोन के तारों की चोरी के केसेज में कमी हुई है।

(6) चौकी का पक्का कुआ और मकान हैं लेकिन मकान व कुआ जीर्ण शीर्ण हालत में है। यह कुआ और मकान पुलिस की देख-रेख में नहीं हैं।

(7) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट 5

(तारांकित प्रश्न संख्या 178 की सूची)

पंचायत समिति पीपलखूंट द्वारा पंचायतों को पम्पिग सेट खरीदने हेतु दी गई राशि तथा खरीदे गये पम्पिग सेटों के नामों की सूची ।

क्र०सं०	नाम पंचायत	सेट व पम्प के लिये स्वीकृत रकम	पंचायतों द्वारा खरीद के भुगतान की रकम	पम्पिग सेटों के नाम
1.	ग्राम पं० घटाली	8000	8000	10 हार्स पा० किर्लोस्कर व पाइप खरीदने
2.	,, सेमलिया	9243	9243	,, ,,
3.	,, परथीपुरा	9500	9500	,, ,,
4.	,, कदुम्बी	7800	7800	,, ,,
5.	,, पांचलवासा	7800	7800	,, ,,
6.	,, खजूरी	7000	7000	,, ,, अजीत व पाईप खरीदने
7.	,, घोडी तेजपुर	10000	10000	,, ,,
8.	,, दानपुर	10000	10000	,, ,,
9.	,, कोटडा	10250	10250	,, ,,
10.	,, बोरी	7000	7000	,, ,,
11.	,, केलामेला	13500	13500	15 हार्स पावर किर्लोस्कर
12.	,, पीपलखूंट	3500	3500	5 हार्स पावर कूपर

झुन्झुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. के संचालक मण्डल के चुनाव

190. श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने कृपा की करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि झुन्झुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. का संचालक मंडल बरखास्त कर उसके स्थान पर प्रशासक नियुक्त किया गया था ? यदि हाँ, तो कब तथा किसको ? वर्तमान प्रशासक इस पद पर कितने अर्से से कार्य कर रहे हैं ?

(2) बैंक के धन के गबन के कितने मामले राज्य सरकार के ध्यान में लाये जाकर उनके चालान हुए थे ? उनमें से कितने अदालतों में खारिज हो चुके हैं तथा कितने चल रहे हैं ?

(3) क्या यह सही है कि बैंक की कुछ बकाया ऐसी है जिसकी वसूली की उम्मीद नहीं है ? यदि हाँ, तो वह कितनी राशि है तथा उसके वसूल नहीं होने के क्या कारण हैं ?

(4) बैंक के संचालक मंडल के चुनाव नहीं कराने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां । जिलाधीश, झुन्झुनू को प्रशासक दिनांक 14-6-63 को नियुक्त किया गया था । वर्तमान प्रशासक इस पद पर 1 वर्ष 10 माह से कार्य कर रहे हैं ?

(2) बैंक के धन के गबन के 44 मामले ध्यान में लाये गये । उनमें से 10 मामलों के चालान हुए । अदालत से एक मामला खारिज हुआ बाकी सभी मामले अदालतों में चल रहे हैं ?

(3) जी नहीं । चूंकि सभी मामले न्यायालयों में चल रहे हैं । अतः अभी इस विषय में टिप्पणी करना सम्भव नहीं है क्योंकि मामले सब-ज्युडिस हैं ।

(4) क्योंकि बैंक की आम सभा ने दिनांक 17-5-68 व 19-1-69 को निर्णय लेकर प्रस्ताव पारित किया है कि अभी प्रशासक का रहना ही आवश्यक है ।

कृषि भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को खातेदारी अधिकार

191. श्री गंगासहाय (कठूमर सु.): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि कृषि भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को भूमि पर खातेदारी अधिकार 2 वर्ष में ही प्राप्त हो जाते हैं और जो लोग नियमानुसार भूमि अलॉट करवाते हैं उनको खातेदारी के अधिकार 10 वर्ष में मिलते हैं ? यदि हाँ, तो यह भेद क्यों हैं ?

उत्तर

जी हाँ । जो भूमि आवंटित की जाती है, उसके लिए राजस्थान भूमि आवंटन नियम बने हुए हैं और उन नियमों के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार 10 वर्ष बाद पूर्णतः शर्तों का पालन किये जाने पर दिये जाते हैं ।

राजस्व कानूनों के अन्तर्गत परिभाषित भूमिहीन कृषक द्वारा किये गये अतिक्रमण

(राजस्व मंत्री)
का नियमन लगाने का 15 गुना शास्ती व 20 गुना नजराना (कुल 35 गुना) लिया जाकर किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किये परिपत्र पूर्व में ही सदन की मेज पर रख दिये गये थे।

पंचायत समिति फतेहपुर के सरपंचों के खिलाफ जांच

192. **श्री नथमल चोहला** (लक्ष्मणगढ़ सु.) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति फतेहपुर जिला सीकर द्वारा किस किस ग्राम पंचायत में सार्वजनिक कार्य जैसे स्कूल भवन निर्माण, कुआ, सांडशाला इत्यादि के लिए अनुदान किस किस ग्राम पंचायत में कितना कितना दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि कई सरपंचों के खिलाफ गबन करने की शिकायत हुई है? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा जांच की गई ? यदि हां, तो गबन करने वाले सरपंचों या अन्य गबन करने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि जांच हो जाने तथा गबन सिद्ध हो जाने के बाद भी सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सरकार के समक्ष केवल 2 मामले आये हैं जिनमें जांच हो रही है।

(3) जी नहीं, जांच हो रही है और जांच के बाद आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

पंचायत समिति फतहपुर द्वारा दिये गये अनुदान की सूची

क. सं.	नाम पंचायत	जल प्रदाय कार्य (कुए आदि)	स्कूल भवन	पंचायत भवन	खुर्रे	औषधालय भवन	शौचालय	शीप बाना निर्माण	हरिजन भवन	सूचना केन्द्र	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अठवास	9215	5295	2100	—	—	—	—	14000	1	
2.	बादूसर	10605	2500	2200	450	—	—	—	1450	—	
3.	बाठौद	900	2250	—	—	—	—	—	—	—	
4.	बीबीपुर छोटा	3106	500	2130	—	190	—	—	375	—	
5.	बिरानियां	7110	1500	2224	—	—	—	—	—	—	
6.	बाटडानाऊ	3836	3250	2100	—	—	—	—	675	—	
7.	बलोद छोटी	4055	250	2250	—	—	—	—	—	—	
8.	बलारा	3200	—	—	—	—	—	—	—	—	
9.	सहवूसर	1085	4575	2300	—	—	—	200	—	230	
10.	दीनवा लाडखानी	6725	250	2000	—	—	—	—	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	देवास	2435	2200	—	—	—	—	—	—	—	
12.	कायमसर	6920	2250	—	—	—	—	—	750	—	
13.	खोटिया	3416	1650	2212.50	—	—	—	—	—	—	
14.	गोड़िया वड़ा	5509	1500	—	450	—	—	—	675	—	
15.	गारिन्डा	7574	2570	—	—	—	—	—	—	—	
16.	गांग्यासर	1550	750	—	—	—	—	—	—	—	
17.	चुड़ीमियां	3950	250	—	—	—	—	—	—	—	
18.	दिशनाऊ	4494	1850	2100	—	—	200	—	—	—	
19.	दातरू	9089	1475	—	—	—	—	—	—	—	
20.	ठिमोली	9500	1650	2200	—	—	—	—	2000	—	
21.	डाढण	750	1000	—	—	—	—	—	—	—	
22.	ताखलसर	2655	1350	—	—	—	—	—	—	—	
23.	तिहावली	10675	1940	2100	—	—	—	—	—	—	
24.	नवीपुरा	1970	2650	2070	—	—	—	—	—	—	
25.	नयावास	6100	500	—	—	—	—	—	—	—	
26.	पालास	7828	1900	—	—	—	—	—	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	मींचरी	2,000	2,050	—	—	—	—	—	—	—	
28	मांड़ेला बड़ा	6,940	950	—	—	—	—	—	—	—	
29.	राजपुरा	4,300	1,200	—	—	—	—	—	—	—	
30.	रोलसाहूवसर	8,300	2,000	—	—	—	—	—	—	—	
31.	राजास	7,150	2,500	2,100	—	—	—	—	—	—	
32.	रोसांवा	9,280	490	—	—	—	—	—	—	—	
: 3.	हिरणा	7,550	2,250	2,178	—	—	—	—	—	—	
34.	हुंडेरा	400	750	—	—	225	—	—	—	—	
35.	बेसवा	6,450	1,250	—	—	—	—	—	1,350	—	

तहसील फागी में तालाबों व बन्धों की पेटा काश्त

193. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़)

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई-सु.) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) फागी तहसील में तालाबों व बन्धों की पेटा काश्त करने वाले कितने काश्तकारों को बेदखली के नोटिस दिये गये हैं? यदि हां, तो उनकी सूची सदन की मेज पर रखें। सूची में यह भी बतलाया जाये कि कौन किसान कब से काश्त करता है ?

(2) जितने काश्तकारों को अब तक बेदखल कर दिया गया है उनकी भी सूची दी जाये ?

(3) इस सम्बन्ध में कितने मामले तहसीलदार के पास और कितने एस.डी.ओ. के पास चल रहे हैं ?

(4) इस तहसील की इस पुरानी पेटा काश्त के बारे में क्या राज्य सरकार का किसानों को खातेदारी हक़ूक़ देने का विचार है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) तहसील फागी में तालाब व पेटा की सिवाय चक सरकारी भूमि पर बिना स्वीकृति काश्त करने पर धारा 91 आर. एल. एक्ट के 519 काश्तकारान को नोटिस दिये गये हैं कि जिनकी सूची संग्लन है कौन कौन सा काश्तकार कब से काश्त कर रहा है इसकी मालूमात जांच के सिलसिले में हो सकेगी।

(2) इन 519 मामलात में से 285 मामलों में बेदखली के आदेश दिये जा चुके हैं कि जिनकी सूची संलग्न है।

(3) तहसील में बेदखली मामले जो चल रहे हैं इनके अलावा 33 दावे इस्तकरार हक के परगना अधिकारी सांभर के यहां पेश हुये हैं जो जेर तजबीज हैं।

(4) ऐसी भूमि पर राजस्थान टिनैन्सी एक्ट, 1955 की धारा 16 (ii) के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एलॉटमैन्ट ऑफ टैंक बैंड लैण्ड रूल्स, 1961 के अन्तर्गत अस्थाई आवंटन किया जाता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई।)

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 100 की सूची)

तालिका साख सीमा एवं ऋण वितरण अधिक उपज उत्पादन योजना कार्य-क्रम फसल रबी, 1969 के अन्तर्गत पंचायत समिति वाइज

क्रमांक	पंचायत समिति का नाम	क्षेत्र	फसल रबी 69 के लिए स्वीकृत साख सीमा			क्षेत्र	ऋण वितरण फसल रबी, 69 के लिए		
			सदस्य संख्या	समिति संख्या	राशि		सदस्य संख्या	सामति संख्या	ऋण राशि
1.	लाडपुरा	21,261½	319	18	2,87,705)	61½	18	3	11,758)35
2.	सुल्तानपुर	3,162	471	22	9,08,740)	309	81	6	62,380)07
3.	इटावा	1,334¾	329	22	4,13,561)	254	40	5	25,896)34
4.	अन्ता	2,646	576	24	6,20,732)	1,764	484	19	3,38,733)09
5.	बारां	178½	73	5	53,498)	—	—	—	—
6.	शाहबाद	587½	186	10	1,59,754)	307	87	9	91,452)28
7.	अटरू	317	214	29	1,04,438)	176½	94	16	34,325)06
8.	छबड़ा	24	25	6	4,950)	—	—	—	—
9.	छीपाबाडोद	86½	139	12	26,142)	—	—	—	—
10.	साँगोद	24½	172	25	61,269)	105½	59	13	12,363)45
11.	रामगंजमंडी	2803¾	183	18	79,732)	103	46	5	19,995)92
		10,123	2,687	191	27,20,521)	3,080½	909	73	5,96,904)47

अधिक उपज उत्पादन योजना वर्ष 1968-69 खरीफ, 68

क्रमांक	पंचायत समिति का नाम	साख सीमायें जो बैंक को प्राप्त हुई व व बैंक द्वारा स्वीकृत की गई			बैंक द्वारा समितियों को स्वीकृत ऋण सीमा के अन्तर्गत ऋण वितरण किया		
		सदस्य संख्या	समिति संख्या	ऋण सीमा	सदस्य संख्या	समिति संख्या	ऋण सीमा
1.	लाडपुरा	171	10	2,48504	33	2	54,916)55
2.	सांगोद	88	11	7,02,297	—	—	—
3.	अन्ता	270	13	6,33,423	—	—	—
4.	चेचट	46	6	26,291	—	—	—
	योग :	575	40	9,78,525	33	2	54,916)55

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 106 की सूची)

सवाई माधोपुर नगर तथा सब-डिविजन की तहसीलों में दिनांक 10-11 जुलाई, '68 की बाढ़ से प्रभावित परिवारों की सूचीः—

कस्बा	परिवारों की संख्या रुपये	मकानों की क्षति रुपये	पशुधन रुपये	अन्य रुपये	योग रुपये
1. सवाई माधोपुर 835 तहसील 2. सवाई माधोपुर 548	1,383	2,04,595	15,475	2,87,681	5,07,751
3. तहसील खण्डार	7,277	1,27,635	76,755	27,440	2,31,830
4. तहसील बौंली	201	54,675	1,000	—	44,675

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 107 की सूची)

प्रश्न संख्या 6/पशु० पा० म० (अतारांकित)

क्र०	नाम जिला	राजस्थान में अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में सार्वजनिक नसली सांड,भोटों के लिए कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई जिलेवार सूची	इन क्षेत्रों में कुल कितने गांवाई नसली सांड भोटे हैं । जिलेवार सूची	अब तक कितने सांड भोटों को यह सहायता दी गई जिलेवार सूची
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	50,000	अस्थाई पशुपालन विभाग से सूची प्रमाणित नहीं होकर आई है–50	अभी कोई राशि नहीं दी गई ।
2.	अलवर	—	सूचना एकत्रित की जा रही है ।	अभी कोई मांग नहीं होने से सहायता नहीं दी गई
3.	बांसवाडा	13,000	92	92
4.	बाड़मेर	25,650	460	423
5.	भरतपुर	—	सूचना एकत्रित की जा रही है ।	अभी कोई मांग नहीं होने से सहायता नहीं दी गई ।

1	2	3	4	5
6.	भीलवाड़ा	यथेष्ट प्रावधान	पंचायत समिति से सूचना एकत्रित की जा रही हैं।	पंचायत समिति से सूचना एकत्रित की जा रही है।
7.	बीकानेर	50,000	311	307 को अनुदान दिया जाता है।
8.	बूंदी	—	10 सांड +3 झोटे=13	कोई सहायता नहीं दी गई।
9.	चित्तौड़गढ़	13,000	64	सभी को सहायता दी गई है।
10.	चूरू	38,000	1,282	समस्त को सहायता दी गई है।
11.	डूंगरपुर	3,000	38	प्रस्ताव विचाराधीन है।
12.	गंगानगर	15,000 (निवेदन किया है)	52	प्रस्ताव विचाराधीन है।
13.	जयपुर	यथेष्ट प्रावधान	पंचायत समिति से सूचना एकत्रित की जा रही है।	
14.	जैसलमेर	यथेष्ट प्रावधान	—	—
15.	जालौर	25,000	137	137
16.	झालावाड़	5,000	10	10
17.	झुन्झुनू	35,000	490	151

1	2	3	4	5
18.	जोधपुर	25,000	359	333(26)को धन राशि के अभाव में नहीं दी गई ।
19.	कोटा	यथेष्ट प्रावधान उपलब्ध है	पचायत समितियों से सूचना एकत्रित की जा रही है ।	
20.	नागौर	1,05,000	163	163
21.	पाली	2,15,000 1,36,65,620	488	तहसील स्तर पर मामलों की जांच की जा रही है ।
22.	सवाई माधोपुर	यथेष्ट प्रावधान उपलब्ध है	पंचायत समिति से सूचना एकत्रित की जा रही है ।	
23.	सीकर	,, ,,	,, ,, ,, ,,	
24.	सिरोही	,, ,,	,, ,, ,, ,,	
25.	टौंक	8,000	682	अभी तक मांग नहीं है ।
26.	उदयपुर	5,000	कुछ तहसीलों की सूचना नहीं है । 30	25

शुद्धि-पत्र

(शनिवार, दिनांक 15 मार्च, 1969)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
2	1	विभग	विभाग
2	5	हानि हानि	हानि
5	5	श्री जयनारायण सालोदिया	168. श्री जयनारायण सालो दया
7	16	नहीं कर करती है	नहीं करती है
9	अन्तिम	गये गये	गये
10	अन्तिम से 7	म्पेशल	स्पेशल
12	,, 14	बचती	बचता
12	,, 12	कसी	कमी
12	,, 9	टीक	ठीक
23	3	रिपोर्च	रिपोर्ट
23	4	गये थे ?	पाये गये थे ?
31	3	पुलानिया	पिलानिया
31	5	ह	है
37	शीर्ष	(यातायात मंत्री)	(श्री अमृतलाल यादव)
41	8	स्पिल	स्लिप
42	2	शंकर	संकर
74	13	जी	जो
113	1	31 लाख रुपया 31 लाख रुपया	31 लाख रुपया
119	3	महोजय	महोदय
153	अन्तिम से 4	रिक्रुएस्ट	रिक्वेस्ट
56	4	मैं	में
56	6	रिक ।यरमेंट	रिक्वायरमेंट
6	11	ज्याद	ज्यादा
[illegible]	13	सुना तो और	सूना और
[illegible]	14	भाषण तो	भाषण सुना तो

1	2	3	4
173	4	एक एक	एक
179	13	खरब	खराब
184	13	कमा	कमी
202	9	सम्बन्ध एक	सम्बन्ध में एक
204	अन्तिम से 5	ने	से
214	अन्तिम	लिथे	लिये
225	11	वे	वेज
229	अन्तिम	आपनी	अपनी
231	अन्तिम से 11	स्ट्रक्चर	इन्फा
231	,, 10	इन्फा	स्ट्रक्चर
242	,, 13	प्रेक्टिकल्ली	प्रेक्टिकली
253	5	वनिस्पत	बनिस्वत
253	13	प्रइम	प्राइम
257	अन्तिम से 14	केक्स, आइल केक्स	टेक्स आइल टेक्स
260	4	75 लैण्ड	75 अ. लैण्ड
272	6	ो	की